

2008-2009

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report

PERFORMANCE NEXT. THE BARODA NEXT EFFECT



BARODA next

STATE-OF-THE-ART. STRAIGHT FROM THE HEART.
Toll free No.: 1-800-22-4447 | www.bankofbaroda.com



बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

India's International Bank

BARODA NEXT

SHUKRIYA

To our 36 million customers in 25 countries

Who stood by us when the going was tough

Who have over a century driven us to outperform ourselves

*Who have seen us grow from our first branch in Baroda
to 3000 locations*

*Who have been the force that made us move
from limited hours banking to Anytime, Anywhere banking*

*Who made us reinvent processes
with our customer friendly Retail and SME Loan Factories*

*Who inspired us to innovate rural services
to improve the quality of Indian lives and*

*Who reaffirmed their confidence in us
to create a bank for the second 100 years.*

Driven by old values and new efficiencies.

State of the art. Straight from the heart.

Once again, Thank you.



बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

India's International Bank



SADIYON KA RISHTA SHUKRIYA



Our Key Numbers

(as on March 31, 2009)

Total
Business
Rs. **3,36,383** cr.

Total
Assets
Rs. **2,27,407** cr.

Net
Profit
Rs. **2,227** cr.

Net
NPA
0.31%

Capital Adequacy
(Basel II)
14.05%

Return on
Equity
19.56%

2008-2009

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report

PERFORMANCE NEXT. THE BARODA NEXT EFFECT



BARODA next

STATE-OF-THE-ART. STRAIGHT FROM THE HEART.
Toll free No.: 1-800-22-4447 | www.bankofbaroda.com



बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

India's International Bank

निदेशक मंडल / Board of Directors



बाएँ से दाएँ - श्री मिलिन्द एन. नाडकर्णी, श्री अमरजीत चोपड़ा, डॉ. धर्मेन्द्र भंडारी, श्री ए. सोमसुन्दरम, श्री वी. सन्तानरामन- कार्यकारी निदेशक, श्री एम.डी.मल्ल्या - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री आर. के. बक्षी - कार्यकारी निदेशक, श्री अमिताभ वर्मा, श्री मौलिन ए. वैष्णव, डॉ. अतुल अग्रवाल, श्री रणजीत कुमार चटर्जी एवं डॉ. दीपक बी. फाटक

Left to Right - Shri Milind N. Nadkarni, Shri Amarjit Chopra, Dr. Dharmendra Bhandari, Shri A. Somasundaram, Shri V. Santhanaraman - Executive Director, **Shri M. D. Mallya - Chairman & Managing Director**, Shri R. K. Bakshi - Executive Director, Shri Amitabh Verma, Shri Maulin A. Vaishnav, Dr. Atul Agarwal, Shri Ranjit Kumar Chatterjee and Dr. Deepak B. Phatak

निदेशक मंडल / Board of Directors

श्री एम.डी.मल्या
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Shri M. D. Mallya
Chairman & Managing Director

श्री वी.सन्तानरामन
कार्यकारी निदेशक

Shri V. Santhanaraman
Executive Director

श्री आर. के. बक्षी
कार्यकारी निदेशक

Shri R. K. Bakshi
Executive Director

श्री मिलिन्द एन. नाडकर्णी

Shri Milind N. Nadkarni

श्री अमरजीत चोपड़ा

Shri Amarjit Chopra

डॉ. धर्मेन्द्र भंडारी

Dr. Dharmendra Bhandari

श्री ए. सोमसुन्दरम

Shri A. Somasundaram

श्री अमिताभ वर्मा

Shri Amitabh Verma

श्री मौलिन ए. वैष्णव

Shri Maulin A. Vaishnav

डॉ. अतुल अग्रवाल

Dr. Atul Agarwal

श्री रणजीत कुमार चटर्जी

Shri Ranjit Kumar Chatterjee

डॉ. दीपक बी. फाटक

Dr. Deepak B. Phatak

बड़ौदा कॉर्पोरेट टीम Baroda Corporate Team



महाप्रबंधक General Managers

आर. के. गर्ग	R. K. Garg
रामदास शेणॉय के.	Ramadas Shenoy K.
डी. सरकार	D. Sarkar
अजय कुमार	Ajai Kumar
वी. शेषाद्री	V. Seshadri
एन. रमणी	N. Ramani
एस. के. श्रीवास्तव	S. K. Srivastava
दीपांकर मुखर्जी	Dipankar Mookerjee
ए. के. गुप्ता	A. K. Gupta
आर. के. बन्सल	R. K. Bansal
जी. नागमल रेड्डी	G. Nagmal Reddy
एस. एस. मूंदड़ा	S. S. Mundra
नन्दन श्रीवास्तव	Nandan Srivastava
एन. आर. बद्रीनारायणन	N. R. Badrinarayanan

एस. के. भार्गव	S. K. Bhargava
बी. एल. श्रीवास्तव (डॉ.)	B. L. Srivastava (Dr.)
मीनल भगत (श्रीमती)	Minal Bhagat (Ms.)
के. वी. वच्छराजानी	K. V. Vachhrajani
ओ. एस. पिल्लै	O. S. Pillai
सिरिल पात्रो	Cyril Patro
बी. बी. गर्ग	B. B. Garg
एस. भट्टाचार्य	S. Bhattacharya
जी. सी. शर्मा	G. C. Sharma
जे. रमेश	J. Ramesh
वि. एच. थत्ते	V. H. Thatte
दास सुबीर कुमार	Das Subir Kumar
ए. डी. एम. चावलि	A. D. M. Chavali
उषा अनंतसुब्रह्मण्यन (श्रीमती)	Usha Ananthasubramanian (Ms.)

लेखा परीक्षक Auditors

बी.सी.जैन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

B C Jain & Co.
Chartered Accountants

ए. सचदेव एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

A. Sachdev & Co
Chartered Accountants

गुप्ता नायर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

Gupta Nayar & Co.
Chartered Accountants

एस के कपूर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

S. K. Kapoor & Co.
Chartered Accountants

अश्विनी एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखाकार

Ashwani & Associates
Chartered Accountants

एन सी बनर्जी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

N C Banerjee & Co
Chartered Accountants

प्रधान कार्यालय

बड़ौदा हाऊस, माण्डवी, वड़ोदरा 390 006.

बड़ौदा कॉर्पोरेट सेन्टर

सी-26, जी-ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पू.), मुंबई 400 051.

निवेशक सेवाएं विभाग

प्रथम तल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26, जी-ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पू.), मुंबई 400 051.

रजिस्ट्रार एवं अन्तरण एजेंट

मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लि. प्लॉट नं. 17-24, विठ्ठलराव नगर, इमेज अस्पताल के पास, माधापुर, हैदराबाद 500 081.

Head Office

Baroda House, Mandvi, Vadodara 390 006.

Baroda Corporate Centre

C-26, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051.

Investor Services Department

1st Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051.

Registrars & Transfer Agent

M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd. Plot No. 17-24, Vithalrao Nagar, Nr Image Hospital, Madhapur, Hyderabad 500 081.

विषय सूची / Contents

	पृष्ठ
अध्यक्षीय वक्तव्य	30
निदेशकों की रिपोर्ट	33
बासेल II पिलर 3 प्रकटीकरण	56
महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक	70
शब्दावली	72
तुलन-पत्र	74
लाभ-हानि लेखा.....	75
नकदी-प्रवाह विवरणी.....	115
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट.....	117
समेकित वित्तीय विवरणियां	119
कार्पोरेट-नियंत्रण	147
नोटिस	181
प्रॉक्सी फार्म / उपस्थिति पर्ची / ईसीएस	

	Page
Chairman's Statement.....	2
Directors' Report	5
Basel II Pillar 3 disclosures	56
Key Financial Indicators	70
Glossary	72
Balance Sheet	74
Profit & Loss Account	75
Statement of Cash Flow	115
Auditors' Report.....	117
Consolidated Financial Statements.....	119
Corporate Governance	147
Notice	181
Proxy Form / Attendance Slip / ECS	

CHAIRMAN'S STATEMENT

Thrust on Growth with Quality



**Bank marching ahead by creating
strong foundations for growth ...**

M. D. Mallya
Chairman & Managing Director

Dear Stakeholder,

I am delighted to report that Bank of Baroda has delivered a robust performance in 2008-09 at a time which is tough and challenging for the banking and financial services industry across the globe.

Since the mid-2008, the global economy has been experiencing a severe slowdown inflicted by a massive banking and liquidity crisis. With all the advanced economies in a synchronized recession, the global GDP is projected to contract for the first time since the Second World War.

While the impact of the global crisis was relatively less on India, the contraction of capital flows and sell-off in domestic market adversely affected the domestic and external financing channels for Indian corporates. A sharp slowdown in global demand adversely affected India's exports and industrial performance. Reserve Bank of India had to shift its policy stance from monetary tightening in response to the spiralling inflationary pressures in the first half of 2008-09 to monetary easing in response to downward inflationary pressures and moderation of growth engendered by the crisis.

Against this backdrop, notwithstanding the most volatile market and policy environment, the Bank moved ahead with a thrust on qualitative growth. It

expanded its global business level by 30% (y-o-y) to Rs 3,36,383 crore by end-March, 2009 and at the same time brought down, in absolute terms, both the gross and net non-performing assets.

Being a Bank with a strong overseas presence, it in its fold has more than 36 million global customers enjoying the state-of-the-art technology. Its performance in 2008-09 reflects its strength to consolidate its position as a premier Public Sector Bank given its growing geographical reach, a vast bouquet of products and services and robust risk management capabilities.

New Initiatives

The value proposition of the Bank to its customers lies in its impregnable foundation and inner strength as a financial service provider by leveraging its technology and brand. During the year 2008-09, the Bank's focus was mainly on evolving effective strategies to optimize human resource management in a highly motivational work environment, drawing maximum mileage out of the available Information Technology infrastructure and imbibing a full-fledged marketing culture to promote a sense of professionalism in approach and attitude.

The Bank put in place a progressive marketing and sales structure and implemented sales campaigns with specific business targets and lead generation programs. The Bank's business philosophy revolved around the notion of "customer centricity" and market analytics to ensure higher order customer satisfaction. The Bank leveraged its technology to make available good quality products and services to its customers without sacrificing the personal touch in customer relations. During 2008-09, the Bank launched a host of business, customer and technology initiatives to create a strong foundation for sustainable growth in the years ahead.

By 31st March, 2009, the Bank completed Core Banking Solution (CBS) rollout in 1,922 domestic branches accounting for 94% of its business. All CBS branches of the Bank are enabled for inter bank remittances through RTGS and NEFT. The CBS has also been implemented in its 43 overseas branches and 23 branches of its overseas subsidiaries. The Bank's ATM network too expanded to 1,179 with two biometric ATMs in the rural areas. The Bank launched several new IT products and services such as Phone Banking Service, Corporate Cash Management System, Payment Messaging Solution and Global Treasury, etc., to increase the customer convenience and also to reduce the transaction cost.

In order to improve the credit flows under the Retail Business, the Bank took many initiatives introducing new products both on assets and liability sides during 2008-09 such as Loan for Earnest Money Deposit, Baroda Additional Assured Advance to NRIs, Baroda Bachat Mitra etc. Besides, various products were modified to make them more market oriented.

In order to mobilize fresh retail business, the Bank, adopting an aggressive market strategy, launched Retail Loan Festival Campaigns offering various concessions during the campaign period. MoUs were signed with a number of car manufacturing companies and tie-up arrangements made for providing Life Insurance Cover to Education Loan and Home Loan customers sanctioned under special packages.

In its role as a partner to the rural development, the Bank, besides meeting all its credit deployment targets, established four Baroda Swarojgar Vikas Sansthan during the year 2008-09 for imparting training to the unemployed youth and facilitating in their gainful self-employment. The Bank launched a number of Credit Campaigns for Direct Agriculture and SME sectors, organized credit camps at the branch level and provided credit facilities to the borrowing customers in terms of customized products and services. The Bank has identified 350 thrust branches with potential for agriculture lending and has been pursuing the Business Facilitator Model for canvassing agriculture loans. The Bank adopted 101 villages across the country for all-round integrated development and cent percent financial inclusion.

Business Performance Highlights

The Bank continued its journey of making sustained growth by setting new milestone of business size recording global business growth of 30% during 2008-09. The domestic deposits of the Bank increased by 23.6% and domestic advances rose by 29.3% - way ahead of the Indian banking industry's average growth. The priority sector credit surpassed the mandatory requirement and registered a growth rate of 23.9% during the year 2008-09. The Bank recorded a growth of 24.2% in SME credit, 27.9% in farm credit and 16.3% in retail credit reflecting a balanced growth of its loan book.

The level of Bank's Net Profit at Rs 2,227.20 crore for the year 2008-09 reflected a robust year-on-year growth of 55.2%. During 2008-09, the Bank's overseas business grew by 46.3% partly reflecting an impact of 25.0% depreciation of rupee against the US dollar on rupee balance sheet. The overseas business contributed 22.5% to the Bank's Global Business and 21.2% to the Bank's Gross Profit during 2008-09.

As the Bank's primary objective is to grow with quality, the Bank focused on containing the impaired assets to the minimum possible level. While the Gross NPA in domestic operations stood at 1.51% at end-March 2009, the same for Overseas Operations was just 0.51%. The global Net NPA too was pegged at 0.31% by the year-end 2008-09 in line with the promise given by the Bank to its stakeholders.

Looking Forward

On 20th July 2008, the Bank completed its Centenary year. For Bank of Baroda, it has been a long and eventful journey

over 100 years and across 25 countries. After undergoing a massive transformation by changing its logo in June 2005, the Bank won many industry level awards for its marketing and business initiatives and strived to optimize its competitive edge in the banking space. The Baroda brand positioning was entrenched in the consumer mind as "India's International Bank", balancing its time tested values over its 100 years of existence with the contemporary challenges of being market sensitive and responsive as it marches tirelessly towards its next century.

In order to position the Bank as the most preferred bank, it would be necessary to consolidate the Bank's position by reorienting its policies, products, procedures and pricing strategies to best suit the customer needs and expectations. The coming year 2009-10 is, therefore, a special year from the perspective of the Bank's customers.

The Bank has taken a series of customer-centric technology initiatives in the past few years. The transaction processing system has stabilized under the CBS environment. The alternate e-delivery channels are made available to the customers. Thus, many steps have been taken by the Bank to serve the customers with speed and efficiency.

Bank's Corporate Goals & Strategy

"To maximize quality growth and profit through enhanced customer orientation with prudent risk and liquidity management policies and practices in our endeavour to consolidate Bank's financial strength"

During the year 2009-10, the Bank would continue to perform with a thrust on "Growth with Quality" by focusing on low-cost deposits, by further reducing the dependence on bulk Business and by protecting the asset quality with a firm control on the process of credit origination.

The Bank's business plan and broad strategy in the year 2009-10 to achieve its corporate goals, objectives and to explore newer business opportunities in the domestic as well as overseas market would be as under:

- Reorienting its systems and procedures towards customer convenience and enhanced customer satisfaction.

- Formulating and adhering to the best corporate governance practices with an aim to set high standard of ethical values, transparency and disciplined approach to achieve excellence.
- Focusing on a consistent and broad-based resource mobilization plan.
- Enlarging the base of retail customers by leveraging technology and taking newer technology based initiatives.
- Diversifying the loan book and managing the credit risk effectively.
- Penetrating deeper into hitherto unbanked centres/ customer segments.
- Aggressively canvassing non-fund based business so as to improve the share of fee-based income.
- Maintaining a fine balance between the size and the strength of the Balance Sheet by managing Net Interest Margin (NIM), Risk Profile of the Bank and improving the Cost-Income Ratio.
- Enhancing the image of the Bank as a Customer Centric Organization.

During the year 2008-09, Bank of Baroda enhanced the strength of its balance sheet and proved its ability to deliver strong results even during turbulent times. With a sustained thrust on risk management, technology, marketing and customer centricity, it is well positioned to take advantage of the future opportunities.

In our journey, I solicit your continued cooperation and patronage.



M. D. Mallya

Chairman & Managing Director

DIRECTORS' REPORT

Your Directors have pleasure in presenting the One Hundred and First Annual Report of the Bank with the audited Balance Sheet, Profit & Loss Account and the Report on Business and Operations for the year ended March 31, 2009 (FY09).

PERFORMANCE HIGHLIGHTS

- Total Business (Deposit+Advances) increased to Rs 3,36,383 crore reflecting a growth of 30.01%.
- Gross Profit and Net Profit were Rs 4,305.01 crore and Rs 2,227.20 crore respectively. Net Profit registered a growth of 55.2% over previous year.
- Credit-Deposit Ratio stood at 82.36% as against 77.32%.
- Retail Credit posted a modest growth of 16.3% constituting 17.8% of the Bank's Gross Domestic Credit in FY09.
- Net Interest Margin (NIM) as per cent of interest earning assets was at the level of 2.91%.
- Net NPAs to Net Advances stood at 0.31% this year against 0.47% last year.
- Capital Adequacy Ratio (CAR) as per Basel I stood at 12.88% & as per Basel II at 14.05%.
- Net Worth improved to Rs 11,387 crore registering a rise of 19.52%.
- Book Value improved from Rs 261.54 to Rs 312.61 on year.
- Business per Employee moved up from Rs 710 lacs to Rs 914 lacs on year.

SEGMENT-WISE PERFORMANCE

The Segment Results for the year 2008-09 of Rs 3,342.95 crore have been contributed by the Treasury Operations to the extent of Rs 1,019.57 crore, Rs 845.22 crore by Corporate/ Wholesale banking, Rs 1,406.50 crore by Retail Banking and Rs 1,769.39 crore by Other Banking Operations. The Bank earned the Profit after Tax of Rs 2,227.20 crore after deducting Rs 1,697.74 crore of unallocated expenditure and Rs 1,115.75 crore as provision for tax.

DIVIDEND

Directors have proposed a higher dividend of 90.0% (Rs 9 per share) for the year ended March 31st, 2009. Total outgo in the form of dividend, including taxes, will be Rs 383.56 crore.

CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR)

The Bank's Capital Adequacy Ratio (CAR) is comfortable at 14.05% under Basel II on 31st March 2009. During the year, the Bank strengthened its capital-base by raising Rs 1,500 crore through unsecured subordinated bonds and Rs 300.20 crore through innovative perpetual bonds.

The Bank's Net Worth as at 31st March 2009 was Rs 11,387.19 crore comprising of paid-up equity capital of Rs 363.53 crore and reserves (excluding revaluation reserves) of Rs 11,021.67 crore. An amount of Rs 1,843.65 crore was transferred to reserves from the profits earned.

KEY FINANCIAL RATIOS

Particulars	2008-09	2007-08
Return on Average Assets (ROAA) (%)	1.09	0.89
Average Interest Bearing Liabilities (Rs crore)	1,71,666.55	1,37,324.72
Average Cost of Funds (%)	5.81	5.75
Average Interest Earning Assets (Rs crore)	1,75,818.59	1,34,896.47
Average Yield (%)	8.58	8.76
Net Interest Margin (%)	2.91	2.90
Yield Spread (%)	2.78	3.00
Cost-Income Ratio (%)	45.38	50.89
Book Value per Share (Rs)	312.61	261.54
EPS (Rs)	61.14	39.41

OTHER PRUDENTIAL MEASURES

As a prudent measure, the Bank has made provision towards contribution to **gratuity** (Rs 38.60 crore), **pension funds** (Rs 435 crore), **leave encashment** (Rs 37 crore) and **additional retirement benefits** (Rs 40 crore) on actuarial basis. Total provisions under these four categories amounted to Rs 550.60 crore during the year 2008-09, against Rs 421.43 crore during 2007-08. Total corpus available with the Bank at end March 2009 under these heads is: Rs 794.57 crore (**gratuity**), Rs 2,629.00 crore (**pension funds**), Rs 300.40 crore (**leave encashment**), and Rs 278.80 crore (**additional retirement benefits**).

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Economic Scenario in 2008-09

After witnessing a robust average growth of around 8.9% during 2003-04 through 2007-08, the Indian economy experienced a growth deceleration in 2008-09 primarily on account of a synchronized global slowdown. Emerging market economies including India suffered primarily due to diminishing export demand and constrained external financing conditions. For India, the growth slowdown was more pronounced in the second half of 2008-09 triggered by a broad-based industrial slowdown and a contraction in exports for five consecutive months beginning October 2008. The Reserve Bank of India (RBI) in its Annual Monetary Policy for 2009-10 has projected India's GDP growth for 2008-09 in the range of 6.5% to 6.7%.

At the sectoral level, the performance of agriculture sector during 2008-09 was satisfactory. The Central Statistical Organisation (CSO) has projected agriculture and allied activities to grow by 2.6% in 2008-09. According to the Second Advance Estimates of GDP, the total foodgrains production during 2008-09 would be around 227.9 million tonnes as against 230.8 million tonnes in 2007-08.

Industrial sector, however, experienced a loss of growth momentum during 2008-09 with the year-on-year expansion being 2.4% as against 8.5% in 2007-08. Similarly the core or infrastructure industries recorded a lower growth of 2.7% in their production during 2008-09 as compared to 5.9% during 2007-08. Within the core sector, slowdown was more pronounced for steel and crude oil segments. The primary contributor to industrial slowdown was a slowdown in investment and private consumption demand. The government consumption expenditure, however, remained buoyant on account of fiscal stimulus measures and committed expenditure.

Corporate performance too remained subdued throughout the year, though the third quarter of 2008-09 was the worst in terms of both the sales turnover and profitability.

After rising to nearly 13.0% (y-o-y) in August 2008, headline inflation (Wholesale Price Index) dropped to 0.26% as on March 28, 2009. With decreasing commodity prices and

weaker domestic demand, inflationary environment is expected to remain benign in the coming six months.

Hit by the slump in global demand, India's merchandise exports ended the year 2008-09 at U.S. \$168.7 billion, up a modest 3.4% from U.S. \$163 billion a year ago. The imports too registered a limited growth of 14.3% (y-o-y). India's trade deficit for 2008-09 widened to U.S. \$119.05 billion from U.S. \$88.52 billion a year ago. The current account deficit is projected at about 3.0% of GDP in 2008-09 primarily due to a markedly higher oil import bill (especially in the first six months of 2008-09).

Indian economy also suffered on account of the reduced inflow of the long and short-term debt and reversal of portfolio inflows during 2008-09. A positive development was, however, relative resilience of FDI inflows (US \$27.38 billion in 2008-09) in the face of reversal of capital flows, reflecting the attractiveness of India as a long-term investment destination.

While India's foreign exchange reserves declined from a peak of \$315 billion in May 2008 to \$252.33 billion at end-March, 2009 they remain adequate compared to the country's gross financing requirement and imports. Moreover, India's external debt and debt sustainability indicators continue to remain at comfortable levels and ensure external stability.

As a result of the global crisis, the benchmark stock market index declined by over 38.0% in 2008-09 and the rupee depreciated 26.4% against the U.S. dollar. In early 2009-10, however, the rupee and the stock markets have stabilized to a great extent.

During the year 2008-09, the monetary policy stance of RBI (Reserve Bank of India) shifted from concerns related to inflation in the first half of 2008-09 to maintaining financial stability and arresting the growth moderation in the second half. The RBI's measures – including cutting policy rates, lowering the cash reserve ratio and statutory liquidity ratio and easing controls on capital inflows – eased the domestic liquidity pressures that appeared in September and October and brought down inter-bank rates. Through the RBI's policy actions, the cumulative primary liquidity potentially available to the financial system is almost 7.0% of GDP.

In response to the global crisis, the Government too launched three fiscal stimulus, which came on top of an already announced expanded safety-net programme for the rural poor, the farm loan waiver package and payout following the Sixth Pay Commission Report. The combined impact of these fiscal measures is around 3.0% of GDP.

Indian economy has to face several challenges, going forward, in the context of the ongoing global financial crisis such as stepping up public and private investment demand, maintaining adequate liquidity in the system in view of higher government spending, preserving financial stability and benign interest rate environment, etc.

Going forward, the fiscal and monetary stimulus initiated during 2008-09 combined with lower commodity prices would

cushion the economic downturn by stabilizing domestic economic activity. Accordingly, with the assumption of normal monsoon, the RBI has placed real GDP growth at 6.0% for 2009-10 and inflation (WPI) at 4.0% by end of fiscal 2010.

Performance of Indian Banking Sector in 2008-09

Indian banking industry faced many uncertainties during 2008-09 in the face of tight market liquidity in the global financial markets. The RBI's prompt and relevant measures ensured adequate domestic and foreign liquidity to Indian banking industry so that the flow of credit to productive sectors would not suffer much. Yet, on account of the severe global economic slowdown and its spillover effects on India, growth of bank credit to commercial sector decelerated in 2008-09. Moreover, expansion in net foreign exchange assets of the Indian banking industry moderated to a large extent.

Bank credit to the commercial sector increased by 16.9% (y-o-y) in 2008-09 as against 21.0% a year ago. Non-food credit growth of commercial banks picked up in the first two quarters of 2008-09 on account of a sizeable increase in credit to petroleum sector and also as a substitution for funds raised by the corporates from non-banking and external sources. However, non-food credit growth for the year as a whole was 17.5% at end-March, 2009 as against 23.0% a year ago. The lower expansion of credit compared to deposit mobilization at 19.8% (y-o-y) resulted in a decline in incremental credit-deposit ratio (y-o-y) of scheduled commercial banks (SCBs) to 64.4% at end-March 2009 as against 73.6% at end-March 2008.

The RBI data shows that while the deceleration in bank credit was observed across the banking system, it was sharper for the private and foreign banks.

The SCBs' investment in SLR securities as a per cent of their net demand and time liabilities increased to 28.1% at end-March 2009 from 27.8% a year ago due to lower credit expansion in 2008-09.

Data on sectoral deployment of credit of SCBs shows that during 2008-09, the incremental credit expansion was primarily led by infrastructure, petroleum, coal products & nuclear fuels, iron & steel, engineering, construction and chemical & chemical products industries. While the credit flows to small industries and personal borrowers moderated, those to agriculture sector posted an increase.

The Indian banks, in general, posted healthy financial results during 2008-09 compared to their global peers despite challenging economic conditions. The outlook for Indian banking industry remains positive in 2009-10 on the backdrop of its stricter prudential regulation by the RBI, sound financial indicators and stable political regime.

Risk Management

Taking various types of financial risks is an integral part of the banking business. Bank of Baroda has a robust and integrated Risk Management system to ensure that the risks

assumed by it are within the defined risk appetites and are adequately compensated. The Risk Management Architecture in the Bank comprises Risk Management Structure, Risk Management Polices and Risk Management Implementation and Monitoring Systems.

Risk Management Structure

The overall responsibility of setting the Bank's risk appetite and effective risk management rests with the Board and apex level management of the Bank. The Board has constituted a **Sub Committee of the Board on ALM and Risk Management** to assist the Board on financial risk related issues. The Bank has a full fledged Risk Management Department headed by a General Manager and consisting of a team of qualified, trained and experienced staff members. The Bank has set up separate committees, as under, of Top Executives of the Bank to supervise respective risk management functions.

Asset Liability Management Committee (**ALCO**) is basically responsible for the management of Market Risk and Balance Sheet Management. It has the delegated authority and responsibility of managing deposit rates, lending rates, spreads, transfer pricing, etc in line with the guidelines of Reserve Bank of India.

Credit Policy Committee (**CPC**) has the responsibility and authority to formulate and implement various enterprise-wide credit risk strategies including lending policies and also to monitor Bank's credit risk management functions on a regular basis.

Operational Risk Management Committee (**ORMC**) has the authority and responsibility of mitigation of operational risk by creation and maintenance of an explicit operational risk management process.

Risk Management Policy

The Bank has Board approved policies and procedures in place to measure, manage and mitigate various risks that the Bank is exposed to. In order to provide ready reference and guidance to the various functionaries of the Risk Management System in the Bank, the Bank has in place Asset Liability Management and Group Risk Policy, Domestic Loan Policy, Mid Office Policy, Off Balance Sheet Exposure Policy (domestic), Business Continuity Planning Policy, Pillar III Disclosure Policy, Stress Test Policy and Stress Test Framework, Operational Risk Management Policy, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy duly approved by the Board.

Risk Management Implementation and Monitoring System

In the financial services industry, the main risk exposures that the Bank faces are Liquidity Risk, Credit Risk, Market Risk and Operational Risk.

Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that the Bank either does not have the financial resources available to meet all its obligations and commitments as they fall due or has to access these resources at excessive cost. During the second and third quarters of 2008-09, Indian market in line with the global financial market, exhibited high level of volatility causing liquidity stress to the market participants. The Indian Government as well as the Reserve Bank of India introduced various economic and monetary measures to inject liquidity into the financial system. As a result, the financial system exhibited a fair level of stability at the end of the year under review.

The Bank's ALCO has the overall responsibility to monitor liquidity risk of the Bank. The liquidity risk is measured by flow approach on a daily basis through Structural Liquidity Gap reports and on a dynamic basis by Dynamic Gap reports on fortnightly basis for the next three months. Under Stock Approach, the Bank has established a series of caps on activities such as daily call lending, daily call borrowings, net short term borrowings and net credit to customer deposit ratio and prime asset ratio, etc. The Asset Liability Management (ALM) Cell, working in the Risk Management Department reviews the liquidity position on a daily basis to ensure that the negative liquidity gap does not exceed the tolerance limit in the respective time buckets. Specialized Integrated Treasury Branch, Mumbai assesses the domestic liquidity in respect of all foreign currency exposures. In respect of overseas operations, each territory assesses its currency wise liquidity position at prescribed intervals. The funding requirements in case of contingencies are also examined at regular intervals to keep the Bank ready to meet any crisis scenario.

The Bank has managed its liquidity by prudent diversification of the deposit base, control on the level of bulk deposit, and ready access to wholesale funds under normal market conditions. The Bank has significant level of marketable securities, which can be sold, repoed, or used as collateral in case of need.

Credit Risk

Credit Risk is the risk that the counterparty to a financial transaction will fail to discharge an obligation resulting in a financial loss to the Bank. Credit risk management processes involve identification, measurement, monitoring and control of credit exposures.

In order to provide clarity to the operating functionaries, the Bank has various policies in place such as Domestic Loan Policy, Off-Balance Sheet Exposure Policy, etc, wherein the Bank has specified various prudential caps for credit risk exposures. The Bank also conducts industry studies to assess the risk prevalent in industries where the Bank has sizable exposure and also for identification of sunrise industries. The industry reports are communicated to the operating functionaries to consider the same while lending to these industries.

The Bank has adopted various credit rating models to measure the level of credit risk in a specific loan transaction. The Bank uses a robust rating model developed to measure credit risk for majority of the business loans (non personal loans). The rating model has the capacity to estimate probability of default (PD), Loss Given Default (LGD) and unexpected losses in a specific loan asset.

Apart from estimating PD and LGD, the credit rating model will also help the Bank in several other ways as under.

- To migrate to Rating Based Approaches of computation of Risk Weighted Assets
- To price a specific credit facility considering the inherent credit risk.
- To measure and assess the overall credit risk and to evolve a desired profile of credit risk.

Apart from assessing credit risk at the counterparty level, the Bank has appropriate processes and systems to assess credit risk at portfolio level. The Bank undertakes portfolio reviews at regular intervals to improve the quality of the portfolio or to mitigate the adverse impact of concentration of exposures to certain borrowers, sectors or industries.

Market Risk

Market risk is the exposure to adverse price movements of financial instruments arising as a result of changes in market variables such as interest rates, exchange rates and other asset prices. The objective of market risk management is to avoid excessive exposure of the Bank's earnings and equity to loss and to reduce the Bank's exposure to the volatility inherent in financial instruments such as securities, foreign exchange contracts, equity and derivative instruments, as well as balance sheet or structural positions. The primary risk that arises for the Bank as a financial intermediary is interest rate risk due to the Bank's asset-liabilities management activities. Other market related risks to which the Bank is exposed are foreign exchange risk on foreign currency positions, liquidity, or funding risk, and price risk on trading portfolios.

The Bank has clearly articulated policies to control and monitor its treasury functions. The Bank also has an asset liability management policy to address the market risk. These policies comprise management practices, procedures, prudential risk limits, review mechanisms and reporting systems. These policies are revised periodically in line with changes in financial and market conditions.

The Interest rate risk is measured through interest rate sensitivity gap reports and Earning at Risk. Furthermore, the Bank calculates duration, modified duration, Value at Risk for its investment portfolio consisting of fixed income securities, equities and forex positions on monthly basis. The Bank monitors the short-term Interest rate risk by NII (Net Interest Income) perspective and long-term interest rate risk by EVE (Economic Value of Equity) perspective. The Value at Risk for the treasury positions is calculated for 10 days holding period at 99% confidence level. The stress testing of fixed interest investment portfolio through sensitivity analysis and equities

through scenario analysis is regularly conducted. Based on the RBI directions, the Bank is also estimating the Economic Value of Equity impact on a quarterly basis.

Operational Risk

Operational risk is the risk of loss on account of inadequate or failed internal process, people and systems or external factors. As stated above, the ORMC has the authority and responsibility of monitoring the operational risk of the Bank. The Bank monitors operational risk by reviewing whether its internal systems and procedures are duly complied with. The Bank collects and analyses loss and near miss data on operational risk based on different parameters on a half yearly basis and, wherever necessary, corrective steps are taken.

Bank's Compliance with BASEL II

The Bank has one of the largest overseas presence amongst the Indian banks and has implemented the Basel-II Guidelines from 31st March 2008. In keeping with the guidelines of the RBI, the Bank has adopted Standardized Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk, and Standardized Duration Approach for Market Risk for computing the capital adequacy ratio. The Bank has, therefore, been computing the Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) on parallel basis under Basel-I and Basel-II Guidelines. The Bank is also providing additional capital towards Operational Risk under Basel II guidelines. The CRAR of the Bank is summarized as under.

	Basel I	Basel II
31.03.2008	12.91%	12.94%
31.03.2009	12.88%	14.05%

The RBI has laid down time schedule for implementation of the advanced approaches of computation of credit risk, market risk and operational risk under the Basel II framework. The Bank is equipped to migrate to advanced approaches and will proceed as per the RBI directions in due course.

In compliance with the Pillar 2 guidelines of the Reserve Bank of India under Basel II framework, the Bank formulated its Policy of Internal Capital Assessment Process (ICAAP) to assess internal capital in relation to various risks the Bank is exposed to.

Stress Testing and scenario analysis are used to assess the financial and management capability of the Bank to continue to operate effectively under exceptional but plausible conditions. Such conditions may arise from economic, legal, political, environmental and social factors. The Bank has a Board approved Stress Testing Policy describing various techniques used to gauge their potential vulnerability and Bank's capacity to sustain such vulnerability. The Bank conducted its ICAAP tests as on 30.09.2008 and 31.03.2009 along with the stress test as per the ICAAP Policy of the Bank.

The disclosure under Pillar 3 of market discipline guidelines of the RBI has been done as on 30.09.2008 and 31.03.2009. The

year-end disclosure as on 31.03.2009 is part of the Annual Report and is displayed on the Bank's web site. The half-yearly disclosure as on 30.09.2008 has also been displayed on the Bank's web site.

Credit Monitoring Function

Credit monitoring on a continuous basis is one of the most important tools for ensuring quality of advance assets. The Bank has the system of monthly monitoring of the advance accounts at various levels to prevent asset quality slippages and to take timely corrective steps to improve the quality of credit portfolio.

A separate department for **Credit Monitoring** function at the corporate level, headed by a General Manager, and one at the Regional/Zonal level, started functioning since September 2008. The Slippage Prevention Task Force formed at all Zonal/Regional offices in terms of the Bank's Domestic Loan Policy was activated for the purpose of arresting slippage and also for initiating necessary restructuring in potential sick accounts at an early stage in conformity with the laid down norms and guidelines. The Bank placed special focus on sharpening of the credit monitoring process for improving the asset quality, identifying areas of concern/branches requiring special attention, working out strategies and ensuring their implementation in a time bound manner.

The primary **objectives** of the **Credit Monitoring Department** at the corporate level are fixed as under:

- Identification of weakness/Potential default/incipient sickness in the loan accounts at an early stage;
- Initiation of suitable and timely corrective actions for preventing impairment in credit quality, whenever signals are noticed in any account, e.g. decline in credit rating, delay in meeting liabilities in LC/Guarantee and delay in servicing of interest/ installments etc;
- Prevention of slippage in the Asset Classification and relegation in Credit Ratings through vigorous follow up;
- Identification of suitable cases for restructuring/rescheduling/rephasing as well as further financing in deserving and genuine cases with matching contribution from the borrower;
- Taking necessary steps/regular follow up, for review of accounts and compliance of terms and conditions, thereby improving the quality of Bank's credit portfolio;
- Endeavoring for upward migration of Credit Ratings.

Restructuring of Advance Accounts

As a part of the Bank's policy to help genuine borrowers facing slow down, the Bank has restructured certain loan accounts at the request of its borrowers in sync with the RBI guidelines during 2008-09. The details of these accounts are as follows:

Restructuring of Advance Accounts (Domestic) – 2008-09

(Rs crore)

		CDR Mechanism	SME Restructuring	Others	Total
Standard Advances Restructured	No. of Borrowers	3	6606	31600	38209
	Amount Outstanding	199.91	819.47	1577.05	2596.44
Sub-standard Advances Restructured	No. of Borrowers	1	187	1985	2173
	Amount Outstanding	16.70	20.05	23.66	60.41
Doubtful Advances Restructured	No. of Borrowers	0	2	41	43
	Amount Outstanding	0.00	0.97	0.74	1.72
Total	No. of Borrowers	4	6795	33626	40425
	Amount Outstanding	216.61	840.50	1601.45	2658.56

Besides, in the International Operations, the Bank, during the course of the year 2008-09, undertook restructuring of 30 borrowal accounts involving an overall outstanding balance of Rs 366.15 crore.

The Bank also initiated follow up actions for ensuring expeditious review of accounts, compliance of terms and conditions, up-gradation in credit rating etc. in high value advance accounts for improving the asset quality of Bank's credit portfolio.

Economic Intelligence Unit

At the Corporate Office of the Bank, a specialized Economic Intelligence Unit supports the Top Management in critical areas like Business Strategy Formulation, Investor Relations and Credit and Market Risk Management. The Unit regularly provides the Top Management and the Bank's various operational units a periodic outlook on key macro variables like industrial and infrastructural growth, inflation, interest rates, stock movement, credit deployment & resource mobilization of the banking industry, liquidity and exchange rates. The Unit also provides a full-fledged support to the Bank's Asset-Liability Management function.

By providing better understanding of macroeconomic aspects, corporate sector, health and financial sector policies, this department supports the Bank's efforts in tapping business opportunities and swiftly responding to market dynamics.

Internal Control Systems

The Bank has a well-established **Central Inspection and Audit Division** that examines the adherence to systems, policies and procedures of the Bank. The guidelines received on various issues of internal control from the RBI, Government

of India, Board and Audit Committee of the Board have become part of the Internal Control System for better risk management. The Central Inspection and Audit Division through ten zonal inspection centres carries out inspection of branches/offices as per the periodicity decided by the Audit Committee of Board and examines adherence to such systems of internal control and risk management (including various aspects such as KYC/AML etc.)

The Regular Branch Inspection Report is the most comprehensive feedback to the Management about the degree of compliance of the Bank's norms at the operational level and, hence, the most important tool for exercising control. The compliance is monitored through Rectification Certificate.

All the branches are covered under the Risk Based Internal Audit. Assessment of level of risk and its directions is as per risk matrix prescribed by Reserve Bank of India which helps the Management in identifying areas of high risk requiring attention on priority basis. Position of the risk categorization of the branches is reviewed by Audit Committee of the Board on quarterly basis.

Besides Regular Inspection of Branches, various other inspections are also carried out in Bank such as Inspection of Subsidiaries, Associates, Functional Departments at Corporate, Head Office, Training Centres, Administrative Offices [Overseas Branches are inspected through Bank's Internal Auditors posted at those centres] and the Management Audit of the Controlling Offices of the Bank, its Subsidiaries and Regional Rural Banks (RRBs).

In 2008-09, 2,374 Regular Branch inspections of the domestic branches were carried out by the Inspecting Officers attached

to various Zonal Inspection Centres across the country. Around 447 inspections of overseas branches by the Internal Auditors posted overseas, besides Management audits were also carried out in UK operations, Gulf Countries and Fiji during the year 2008-09. The Concurrent Audit of the Bank covered 508 branches including Specialized Integrated Treasury Branch, which handles funds and investment management and FOREX dealing operations of the Bank.

Central Inspection & Audit Division oversees the credit risk management through the Credit Audit. It covers large borrowal accounts – both fund based and non fund based as per direction of RBI. This lending review mechanism enables timely checks so as to avoid accounts getting slipped into non-performing and generates early warning signals. During the year 2008-09, 2020 large accounts were subjected to credit audit covering 63.54% of the outstanding advances.

All the reports during the current year of the eligible accounts for credit audit have been attended to and closed after compliance/necessary directions to the concerned Zones.

Concurrent Audit covers more than 63% of total business of the Bank besides 100% business of FOREX dealing and domestic investments.

Central Inspection & Audit Division compiles Risk Profile Templates on quarterly basis as per the direction of RBI. As per Risk Profile Templates of the RBI, the Bank's overall risk level is LOW and direction is STABLE.

Central Inspection & Audit Division through its IS Audit Cell conducts IS Audit of select branches. It also undertakes "Data Migration Audit" of branches shifting to Core Banking Solutions (CBS) platform from the legacy system.

The Bank conducted training programmes of its Inspecting Officers attached to Zonal Inspection Centres on Information Security Audit, Data Migration Audit and Risk Based Internal Audit during the year. Similar programmes were also conducted for the Concurrent Auditors for their updation.

The agenda placed before Audit Committee of the Board for review includes total audit function of the Bank. The compliance of direction of Audit Committee of the Board is monitored through Action Taken Report (ATR) system. The compliance of direction received from the RBI and Government of India are placed before the Audit Committee of the Board for review.

Operations and Services

Customer-centric Initiatives

During the year 2008-09, the Bank introduced new account opening form for individual and non-individual for all deposit accounts and uniform pay-in-slip for customers' convenience. The Bank also developed Guidance Note & Information

Booklet for customers' convenience to increase awareness amongst customers.

The Bank implemented the directives of the Ministry of Finance, not to levy penalty to the Senior Citizens for not maintaining the minimum balance for the first time when the balance in their account goes below minimum balance requirement stipulated by the Bank. The Policy on Settlement of Claims in the account of the missing persons too was formulated and implemented in the Bank during 2008-09.

Compliance

The Bank adopted the standards set by the "Banking Codes and Standards Board of India" for widespread awareness about the code amongst the customers and its staff. The Bank arranged to provide BCSBI code to each customer. This was also put up on the Bank's website. The branches have started providing a copy of the Guidance Note on Deposits and Advances to the customers in the pamphlet form, while opening the new account.

Customer Service Committees

(i) Customer Service Committee of the Board

The Bank has a sub-committee of Board for Customer Service. The Committee has the following members as on 31.03.2009:

- | | | |
|-------|-------------------------|-----------------------------------|
| (i) | Shri M.D. Mallya | Chairman and
Managing Director |
| (ii) | Shri V Santhanaraman | Executive Director |
| (iii) | Shri Rajiv Kumar Bakshi | Executive Director |
| (iv) | Shri A. Somasundaram | Director |

The functions of the sub-committee of Board include suggesting and implementing innovative measures for enhancing the quality of customer service and improving the level of satisfaction for all the categories of clientele, at all times. The Committee also –

- i. Oversees the functioning of the Standing Committee on Procedure and Performance Audit on Public Services and also the compliance with the recommendation of the Standing Committee on Customer Services.
- ii. Reviews the status of the Awards remaining unimplemented for more than 3 months from the date of Awards and also the deficiencies in providing Banking services as observed by the Banking Ombudsman.
- iii. Reviews the status of the number of deceased claims remaining pending / outstanding for settlement beyond 15 days pertaining to deceased depositors/locker hirers/ depositor of safe custody articles.

The details of the attendance of the meeting of 'Customer Service Committee of the Board' held on 21.05.2008,

11.10.2008 and 26.03.2009 during the year-ended 31.03.2009 are as follows.

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri M D Mallya	07.05.2008 to 31.03.2009	3	3
Shri V Santhanaraman	01.04.2008 to 31.03.2009	3	3
Shri S C Gupta	01.04.2008 to 05.11.2008	2	2
Shri Rajiv Kumar Bakshi	06.11.2008 to 31.03.2009	1	1
Shri A Somasundaram	01.04.2008 to 31.03.2009	3	3

(ii) Standing Committee on Customer Service

Besides the Directors' Sub Committee, the Bank has a **Standing Committee on Procedures and Performance Audit on Customer Services** (as per the RBI guidelines) which has four General Managers of the Bank and three other eminent public personalities as members. The Committee is chaired by the Executive Director of the Bank.

This Committee is set up to focus on the inadequacy in banking services available to common people and looking into the need to (i) benchmark the current level of service, (ii) review the progress periodically, (iii) enhance the timeliness and quality, (iv) rationalize the processes taking into account technological developments, and (v) suggest appropriate incentives to facilitate change on an ongoing basis.

Know Your Customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) Measures

The KYC-AML Policy of the Bank duly approved by the Board of Directors in terms of Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) and Guidelines of RBI and Indian Bank's Association is in place. The said Policy, which is the foundation of Bank's implementation of KYC standards and AML Measures, was revised in March 2009, based upon the Master Circular of the RBI on the subject.

The major highlights of KYC-AML implementation across the Bank constitutes -

- Generation of Cash Transaction Reports (CTR) electronically for submission to Financial Intelligence Unit (FIU), through the Computer System.
- Implementation of AML Solution for generating system based alerts.
- System-based detection and submission of Suspicious Transaction Reports (STR) to the Financial Intelligence Unit (FIU)

- System based Risk Categorization (from AML Measure) of Bank's customers every half year.
- Filing of Counterfeit Currency Reports (CCRs) to FIU-IND, New Delhi.

The full KYC compliance entails Staff Education as well as Customer Education for which the following measures are taken by the Bank.

- A comprehensive list of KYC documents is uploaded on the Bank's website (www.bankofbaroda.com) for the benefit of customers.
- A KYC page is created at the Bank's INTRANET for posting reference material on KYC education.
- Regular Training Sessions are conducted on KYC-AML at the Bank's Training establishments.
- Training is being arranged for the Bank's Senior Officials/Executives at RBI, IBA and National Institute of Bank Management (NIBM).
- Sustained efforts are made to create expertise at the Bank's Head Office for corporate oversight and also KYC Audit of branches.

Vigilance

The Bank, being a financial institution, has a special responsibility to the general public, to ensure safety of the hard earned money deposited/ invested by them. Bank of Baroda, over the years, has earned reputation that is synonymous with safety. Alertness, vigilance, due diligence and personal integrity are the traits of the Bank's employees.

The Bank has over a period of time evolved systems and procedures, which have stood the test of time. However, new and sophisticated types of frauds are being perpetrated by the miscreants taking advantage of the technology driven banking. To thwart such attempts, ongoing review of system and upgradation of the skills of our staff members are undertaken. As a result, there has been a sharp decrease in the amount involved in frauds reported during the year 2008-09 despite a quantum jump in the volume of business.

It is noteworthy that with the extraordinary alertness and vigil displayed by the operating staff, 60 attempts of defrauding the Bank by unscrupulous elements were thwarted during the year 2008-09, which saved our Bank from substantial monetary losses. To bring about greater transparency in the procurement and tendering processes of the Bank, "notice" inviting tenders/details of tenders awarded by the Bank and "summary" of tenders/ contracts concluded are put on the Bank's website for widest possible publicity. The Bank has also implemented the on-line application and tracking status thereof in respect of housing and educational loans.

With a view to introduce better security into the systems and to reassure the customers that they bank in a safe environment, the Vigilance machinery of the Bank is performing its role effectively.

Business Performance

Given below are the details of the Bank's major achievements on business front during 2008-09

Resource Mobilisation & Asset Expansion

The share of Bank's deposits in total resources stood at 84.60% as of 31st March 2009. The total deposits grew from Rs 1,52,034.13 crore to Rs 1,92,396.95 crore, reflecting a growth of 26.55% over the previous year. Of this, Savings Bank Deposits – an important constituent of low cost deposits grew by 18.76% - from Rs 35,776.38 crore to Rs 42,487.28 crore. The share of low cost deposits (Current & Savings) in Total Global Deposits was at 29.59% and in Domestic Deposits at 34.87%. The banking industry as a whole witnessed a movement from low cost deposits to term deposits during the year, in view of sharp increase in the interest rates offered on term deposits during 2008-09.

The Bank's Global Advances expanded by 34.94% during 2008-09 led by 29.32% expansion in domestic advances and 56.3% expansion in overseas advances. It may be noted that expansion in overseas advances also factors in the impact of currency depreciation (of the order of 26.9% against the US dollar) during 2008-09.

Composition of Funds – Global

Particulars	End	End	Growth %
	March 2008 (Rs crore)	March 2009 (Rs crore)	
Deposits	1,52,034.13	1,92,396.95	26.55
- Domestic	1,22,479.35	1,51,408.99	23.62
- Overseas	29,554.77	40,987.96	38.68
Borrowings	3,927.05	5,636.08	43.52

Global Advances

Particulars	End	End	Growth %
	March 2008 (Rs crore)	March 2009 (Rs crore)	
Advances	1,06,701.32	1,43,985.90	34.94
- Domestic	84,503.30	1,09,283.00	29.32
- Overseas	22,198.02	34,702.90	56.33

Wholesale Banking

Within India, the Wholesale Banking Business has emerged as one of the most competitive business segments due to aggressive role being played by large private and foreign banks during the recent years. Considering the fact that half of our Bank's lending business is generated from wholesale banking, the Bank has proactively adopted strategies from time to time to penetrate into this segment with a different kind of business model, service standards, faster response and better accessibility.

Within the Bank, the wholesale banking branches for large and mid corporates were set up separately to cater to the needs of the corporate world and are yielding desired results. With a view to improve and widen the clientele base, 'Fast Track' desk was set up to attend to fresh proposals exclusively to expedite the sanction process and it is operating with **good success** rate. During the year 2008-09, fresh proposals with advances aggregating Rs 16,000 crore were sanctioned and we can proudly say that around 25-30 new customers/groups were added into the Bank's fold.

Furthermore, with a view to ensure better administration, monitoring and control and also for facilitating active involvement of Zonal Heads to canvass new business, the Bank's CFS (Corporate Financial Service) Branches are advised to report to their respective Zonal Heads. Initiatives are also taken by the Bank's executives at Corporate Office by visiting the CFS Branches/Zones periodically to support the **team at the field** to canvass new business and to facilitate faster credit decisions.

Considering the importance of higher skill requirement in the fast changing environment, effective steps are being taken to groom a talent pool in the area of credit through extensive in-house training and by nominating them to external training establishments.

Retail Business

The Retail Business continued to be the thrust area for achieving business growth during the year 2008-09. For achieving sustained growth on both liabilities and asset side, the Bank initiated various customer centric measures besides launching special products.

The Bank's overall Retail Credit stood at Rs 19,627.55 crore as at the end of March 2009, registering the growth of Rs 2,735.23 crore over the previous year. The prime objective of the Bank during the period was to maintain or improve the quality of assets and to build a healthy retail loan portfolio. Therefore, the emphasis was laid on Baroda Car Loan and Mortgage Based Products viz. Baroda Home Loan, Baroda Traders Loan and Baroda Advance Against Property. In our quest to bring youth into the Bank's fold, the thrust was also placed on Baroda Education Loan during the year.

The Bank's Home Loans increased by Rs 983.67 crore during the year, registering the growth of 13.51% over March, 2008. The Advance Against Mortgages, Education Loans and Car Loans achieved a spectacular growth of 31.47%, 32.67% and 51.24% respectively during the year ended March 2009.

It has always been the endeavour of our Bank to review the norms and features of all existing products on an ongoing basis and modify, wherever required, to suit the changing needs of the customers. The new products have also been launched during the year to cater to the needs of different segments of society as well as our clientele.



Shri M.D. Mallya, CMD is seen inaugurating the first Composite Loan Factory at Mangalore.

New Retail Products

The Bank launched the following new loan products during the year 2008-09.

1. **Loan for Earnest Money Deposit:** An asset product for booking of house /flat or plot
2. **Baroda Additional Assured Advance to NRIs:** This facility was already available to Resident Indians, which has now been extended to non-resident Indians (NRIs) also.
3. **Baroda Bachat Mitra:** An overdraft facility in Savings Bank accounts against the security of the pledge of FDRs.
4. **Baroda Car Loan to HNIs/Corporates:** A Car Loan product with maximum limit of Rs 100 lakh for High Networth Individuals (HNIs)/Corporates for use of vehicle exclusively by the Directors /Executives of the company.
5. **Baroda Advance Against Gold Ornaments/Jewelry/ Gold Coins** (launched on pilot basis) for meeting business/ personal expenses of the individuals.
6. **Special Home Loans package** has been introduced with certain concessions and free life insurance cover to the borrowers.

Product Modification

1. **Margin norms in Home Loans** have been modified with a view to control the delinquencies in Home loans and other mortgaged based loans and zones/regions were advised to discourage deviation from the set guidelines.
2. The eligibility for availing **Additional Assured Advance (AAA)** has been increased from three times to five times during the entire tenure of a Housing Loan.
3. **Realignment of Retail Loan products** by reducing it to nine major products from the hitherto 26 products.

Campaigns Organized

1. A **"Retail Loan Festival Campaign"** was launched from 1 October 2008 to 9 November 2008 and the concessions of 0.25% in interest rate and 100% waiver

of Documentation and Processing charges were allowed on Housing Loans and Car Loans. The fresh business of Rs 347.67 crore was mobilized (including the business of Rs 126.63 crore under the Car Loans) during the campaign period.

2. Under the Savings Bank segment, two Savings Deposit Campaigns were organized. The first campaign was organized from 9 June 2008 to 2 August, 2008 during which the total savings deposits of Rs 2,212 crore were mobilized against the target of Rs 1,500 crore. Similarly, during the second campaign organized from 2 February 2009 to 31 March 2009, the total deposit of Rs 2,195 crore was mobilized against the set target of Rs 2,000 Crore.

Structural Changes

1. In order to strengthen the **Retail Credit Delivery System**, the Bank opened eight new Urban Retail Loan Factories (URLFs) at Powai Mumbai, Agra, Bareilly, Bhopal, Nagpur, Ernakulam, Jodhpur, and Noida during the year 2008-09 thus raising the total URLFs to 23.
2. **Gen-Next Branches:** The concept of Gen-Next branches for focusing the youth segment was launched during 2007-08 and two Gen-next branches were opened during 2007-08. Three more Gen-next branches have been opened during the year 2008-09, taking the total to five Gen-Next branches. These Branches are equipped with modern gadgets, ambience and all other facilities, which a youth requires in today's modern era.

Other Initiatives

1. With a view to control the delinquencies in Home Loans and other Mortgage-based Loans, measures have been taken with regard to the eligibility and margin norms and the Zones/ Regions have been advised to discourage deviations from extant guidelines.
2. For boosting up Auto Loan portfolio, the memorandums of understanding (MoUs) have been signed with number of car manufacturing companies viz. Maruti Suzuki India Ltd, Tata Motors Ltd, Hyundai Motors India Ltd and Mahindra & Mahindra Ltd. during the year 2008-09.
3. The "Tie-up" arrangements have been made with



Exchange of MoU documents with Maruti Suzuki for Car Finance in the presence of CMD & ED.

M/s Kotak Mahindra Old Mutual Life Insurance Ltd for providing Life Insurance Cover to Education Loan borrowers and Home Loan borrowers sanctioned under a special package.

4. The sale of Gold Coins was launched as a new initiative during the year 2007-08 to augment non-fund based income. During the year 2008-09, total income of Rs 4.55 Crore has been generated by Sale of Gold Coins through 354 Point of sales (POS).
5. The online Home Loan application facility has been made available with tracking of status of the application from 20 July, 2008.

Wealth Management Services

The Bank as a part of its customer centric measures initiated Wealth Management Services to provide its High Net Worth (HNI) and affluent customers a total financial solution at one place since June 2004. Under Wealth Management Services, the Bank presently provides through the network of its branches various three party products in Life Insurance, Non Life Insurance including Health Insurance, Mutual Funds & Equity Trading under tie-up arrangements through different partners. The tie-up partners in these products are HDFC Standard Life Insurance Co. Ltd. in Life Insurance, National Insurance Company Ltd. in General Insurance, India Infoline Ltd. in e-trading and six leading Asset Management Companies including our joint venture Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. in Mutual Fund products.

The Bank has also established 'Baroda Gold Lounge' in 13 select strategically located branches which are distinct dedicated spaces to provide par excellence investment advisory services to HNI customers of the Bank. The initiatives of the Bank under the Wealth Management Services have been encouragingly contributing to non-interest income of the Bank.

SME Business

In India, the SME (small & medium enterprises) sector is the biggest provider of employment next to Agriculture. The official statistics shows that SMEs constitute 95.0% of total industrial units and contribute 40.0% to total industrial output. They manufacture more than 8,000 products in various sectors like pharmaceuticals, garments, textiles, auto ancillary, jewellery and software. The contribution of services sector within the SME segment is quite significant; especially IT enabled services, hospitality services, tourism, couriering, transportation, etc. SMEs are playing a vital role in the job creation process.

The Bank has always been a forerunner in the development of small-scale enterprises and has formulated liberal and comprehensive SME Loan Policy for its SME customers. Furthermore, to give a focused attention to emerging SMEs in India, the Bank has been considering other commercial units also with a turnover up to Rs 100 crore at par with the SMEs.

To promote the growth of SME Sector, the Bank has launched a special and novel delivery model, viz. SME Loan Factory, which is presently functioning in 34 centres of the Bank and is well accepted in the market. The SME Loan Factory is an innovative model for streamlining processes and for timely sanctions of SME loan proposals. The model comprises of the Central Processing Cell for speedy appraisal and sanctioning of proposals within the stipulated deadline. A team of Relationship Managers stationed at different branches of the Bank spread over micro segments of the city reaches out to customers to facilitate completion of pre-sanction formalities in a hassle free manner. The Relationship Managers would also be marketing, not only various SME products of the Bank, but also other products and services including the Third Party products like Life Insurance, Mutual Funds, Equity Trading, etc. The above model operates on an assembly-line principle with simplified processes using latest technology and in-house, skilled and trained man-power.

Out of 34 SME Loan Factories as on 31.3.2009, seven SME Loan Factories have been established during the year. The Bank has SME Loan Factories at all major business centres across the country, viz. Agra, Ahmedabad, Bangalore, Baroda, Bhilwara, Bhubhaneshwar, Bulsar, Chennai, Coimbatore, Dehradun, two factories in Delhi, Hyderabad, Indore, Jaipur, Jamshedpur, Jamnagar, Jodhpur, Kanpur, Kolhapur, Kolkata, Lucknow, Ludhaina, three factories in Mumbai, Nagpur, Nashik, Noida, Pune, Rajkot, Raipur, Surat, Vishakhapatnam.

These SME Loan Factories sanctioned loans aggregating Rs 8,508 crore during the year ended March, 2009 as against Rs 5,956 crore in the previous year.

The Bank has planned to establish six more SME Loan Factories during the year 2009-10.

SME Credit Growth

Total outstanding in SME Sector works out to Rs 14,662 crore as on 31.3.2009 as per the regulatory definition. Growth in the Bank's lending to the SME sector during the last three years is as follows.

Financial Year	% Growth
2006-07	31.40%
2007-08	31.11%
2008-09	24.18%

New Initiatives in the SME Business in 2008-09

- The Bank entered into MOU with some of the vehicle manufacturers for financing their dealers/road transport operators desirous of purchasing their vehicles.
- It entered into MOU with CGTMSE for extending collateral free loans up to Rs 100 lacs under Risk Sharing Facility scheme launched by CGTMSE.
- It also entered into MOU with Ministry of MSME for



Exchange of MoU documents with CGTMSE for financing under Risk Sharing Facility Scheme in the presence of CMD & ED.

financing under the scheme, viz. Trade Related Entrepreneurship Assistance and Development (TREAD) for economic empowerment of women.

- It introduced seven new customer centric area specific products to suit the local cluster needs.
- It organized awareness programmes for SME borrowers to enlighten them about various products, services and precautionary steps to be taken in view of global financial crisis.
- It took proactive steps by announcing various measures to assist the borrowers under stress due to global recession.
- It organised Management Development Programme with Institute of Business Management of repute for familiarizing the SME customers with current trends in business areas.
- The Bank took up sponsoring of SME Page in all editions of Economic Times, which is expected to give popularity to various products designed for SME Sector and boost our SME business.

Rural and Agricultural Lending

The Bank is also a frontrunner in the area of Priority Sector and Agriculture lending, harnessing the vast potential of the rural market through its wide network of 1,100 rural branches and 649 semi-urban branches. The Bank has opened 30 new branches in rural and semi-urban areas during the year 2008-09.

The Bank is the convener of **State Level Banker's Committee (SLBC)** in UP and Rajasthan. The Bank has Lead Bank Responsibility in 44 districts in the states of Gujarat (12), Rajasthan (12), Uttar Pradesh (14), Uttaranchal (2), Madhya Pradesh (2) and Bihar (2).

The Bank has sponsored five **Regional Rural Banks (RRBs)** in various states with a branch network of 1,201 branches

and total business of more than Rs 14,000 crore as of March 2009.

Performance of Priority Sector Lending in 2008-09

Priority Sector Advances of the Bank surged from Rs 31,681 crore as at the end-March 2008 to Rs 39,239.08 crore as at the end-March 2009 and formed 46.43% of the Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against the mandated target of 40%. The **Agriculture Advances** of the Bank recorded a growth of 28.0% over the previous year and rose to Rs 16,964 crore as at end-March 2009.

Under its flagship agriculture loan product "Baroda Kisan Credit Card", the Bank issued as many as 1,78,442 Credit Cards during 2008-09 to provide credit to farmers. The Bank has financed as many as 2,11,948 **new farmers** during the year 2008-09. As a part of its microfinance initiatives, the Bank credit linked 19,120 **Self Help Groups** with an amount of Rs 17 crore during 2008-09, thereby taking the total number of SHGs credit linked to 90,731 amounting to Rs 606 crore.

Business and Social Initiatives

The Bank introduced various initiatives/strategies during 2008-09 to harness the emerging opportunities for rural and agricultural lending as follows.

To augment the agricultural advances, the Bank conducted **special campaigns** viz. Kharif campaign for Crop Loans and Investment Credit Campaign disbursing Rs 1,364.77 crore and Rs 855.58 crore respectively.

The Bank organized **2,702 Village Level Credit Camps** and disbursed Rs 1,708.86 crore to 1,42,351 borrowers during 2008-09. The Bank has identified **350 Thrust Branches** across India to enhance Agriculture lending which constituted 32% of total agricultural lending as at end-March 2009.

The Bank formulated various **area-specific schemes** tailor-made to the needs of local requirements, particularly where there is a concentration of industries like Rice Mills, Cold



Shri M.D. Mallya, CMD is seen presiding over the meeting of SLBC U.P. at Lucknow. Officials of State Govt./RBI also seen on dias.

storages, Poultry units, etc. The suitable concessions in rate of interest, charges were allowed under these schemes to garner maximum business outsmarting competition. As many as 18 area-specific schemes were formulated to increase the agricultural lending.

Towards effective use of **technology in rural & agricultural lending**, the Bank has introduced IT enabled smart card based technology for financial inclusion. At present, the smart card based financial inclusion is being implemented at Raibareli and Sultanpur districts of Uttar Pradesh on pilot basis. So far 18,000 smart cards have been issued. Currently, Bank has 262 ATMs in Rural and Semi-urban areas and 225 rural branches and 525 semi-urban branches are under Core Banking Solution.

The Bank co-sponsored the "Bhimthadi Jatra", a **state level exhibition for women SHG products**, held at Pune in November 2008, which was inaugurated by Hon'ble Minister of Agriculture, Shri. Sharad Pawar. In all, 1,359 SHGs exhibited their products and generated sales revenue of Rs 288 lacs during the exhibition. Around 50 SHGs of our Bank from the state of Maharashtra participated in the exhibition.

The Bank has adopted Dungarpur district (Rajasthan) which is primarily a tribal district and one of the most backward districts in the country, for total integrated rural development and 100% financial inclusion towards its **Corporate Social Responsibility**. The project was launched on 1st October 2007. The Bank has already achieved 100% financial inclusion in Dungarpur district. So far credit of Rs 21.81 crore to 10,720 borrowers is disbursed for Dairy Development, Cultivation of High Value Crops, Vegetable cultivation, etc. Various other developmental activities like training, scholarships to girl students etc. are also being done under the project.

The Bank has adopted 101 villages (**101 "Baroda Centenary Year Villages"**) for total integrated development spread over three years and 100% financial inclusion. The Bank has also provided social infrastructure like solar lamps, bus stand shelters, hand pumps, community halls etc. in 55 villages by giving grant of Rs 45.84 lacs. The Bank has allocated Rs 2

crore for this purpose.

Baroda Grameen Paramarsh Kendra (BGPK) - an initiative undertaken by the Bank to help the rural community by providing Credit Counseling, financial literacy and other services like information on the prices of agricultural produces, scientific farming, etc. The Bank has established 52 BGPKs as on 31.03.2009.

With four additional **Baroda Swarojgar Vikas Sansthan (BSVS)** centers opened during 2008-09, the total number of BSVS has gone up to 16. The BSVS in Raebareli and Ajmer are exclusively meant for women entrepreneurs. The BSVS are the institutes for training the youth and imparting knowledge and skills required for taking up self-employment ventures. During 2008-09, 8,274 youth beneficiaries have been trained out of which 4,762 have established self-employment ventures. Out of the total 21,039 beneficiaries trained by these centers so far, 11,569 have established their self-employment ventures.

The Bank has initiated various measures to achieve **Financial Inclusion**. The Bank had adopted 500 villages for 100% Financial Inclusion, and this has already been achieved in all 500 villages. The Bank has also achieved 100% financial inclusion in 12 of its lead districts i.e. Dungarpur (Rajasthan), Pratapgarh, Raibarely, Fatehpur, Rampur, Sultanpur (U.P.) Nainital, Udamsinghnagar Districts (Uttarakhand,) Dang, Dohad Panchmahal districts (Gujarat) and Shivher (Bihar). Besides, the Bank has achieved 100% financial inclusion in 10,000 villages in various districts identified by State Level Bankers Committee (SLBC).

The Business Facilitators Model too has been implemented across the country to accelerate financial inclusion of the excluded segment as well as to augment agricultural portfolio. Business Facilitators will mainly canvass loan applications for the Bank for which the Bank will pay them compensation. Individuals including retired Bank and Government staff, NGOs, Farmers clubs and SHGs are engaged as agents to improve our outreach in the rural and semi-urban areas. The Bank has so far engaged 49 business facilitators.



Chairman and Managing Director Shri M.D. Mallya is seen distributing the relief cheque to one of the beneficiaries of Agriculture Debt Waiver and Credit Relief Scheme, in a function held at Theur, Pune, in the presence of huge gathering of beneficiaries.

The Bank also signed **MoUs with CmF (Centre for Microfinance)** to focus on skill upgradation for Micro Finance activities for rural and agricultural business and formation of quality Farmers Clubs, Self Help Groups and providing special training to them through the CmF.

Performance of RRBs sponsored by the Bank

The Bank has Sponsored five RRBs (Regional Rural Banks) as under.

- Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank, Head Office: Raebareli.
- Baroda Rajasthan Gramin Bank, Head Office: Ajmer.
- Baroda Gujarat Gramin Bank, Head Office: Bharuch.
- Nainital-Almora Kshetriya Gramin Bank, Head Office: Haldwani.
- Jhabua-Dhar Kshetriya Gramin Bank, Head Office: Jhabua.

The aggregate business of these five RRBs rose to Rs 14,278.28 crore as of end-March, 2009 from Rs 11,999.70 crore as at end-March, 2008, registering a growth of 18.99% (y-o-y).

These five RRBs together posted a net profit of Rs 103.32 crore during 2008-09 as against Rs 49.99 crore earned during 2007-08. The "Net Worth" and the "Reserves and Surplus" of all these RRBs together improved from Rs 325.22 crore at end-March, 2008 to Rs 490.19 crore as at end-March, 2009 and from Rs 208.69 crore as at end-March, 2008 to Rs 272.35 crore as at end-March, 2009 respectively.

International Business

The year 2008-09 was a difficult period for overseas business growth with worsening global environment on account of the economic meltdown and the resultant liquidity crunch. While registering growth, the challenge was to maintain liquidity, improve quality of assets, maintain healthy growth in profits and control the delinquencies. However, even during this turbulent period, the Bank could maintain the

growth momentum and register impressive growth in all the operational parameters. This was possible on account of the vast experience of working in different economies around the World, good asset-liability management and the Bank's sound business practices.

Also, the international operations were not impacted much by the liquidity crisis given the Bank's limited dependence on short-term resources. All the centres of the Bank are well capitalized and have broad based depositor base for raising resources. The customer base of the Bank comprises not only of Indian Corporates, Non Resident Indians and Persons of Indian Origin but also the local ethnic population of countries where it is operating.

However, the crisis did impact the growth of Syndicated Loans as Indian Corporates moderated their overseas 'Merger & Acquisition' activities and capacity expansion plans.

During the year 2008-09, the Bank strengthened its international operations by posting additional experienced staff to overseas branches. The additional staff was primarily posted in the marketing, IT and risk management divisions of the overseas territories. The local staff of overseas branches was also provided in-house training and sent to external institutions for development of skills.

The Bank continued with its overseas expansion plans during the year and opened four new branches/offices (including that of its Subsidiaries). The steps were initiated for opening of branches at various other centers, which are at different stages of approval. During this year, the Bank also initiated 'Targeted Publicity' through print and electronic media for enhancing visibility and canvassing business.

Business & Profit Performance

During the year 2008-09, the Total Business (Deposits + Advances) of the Bank's overseas branches registered a growth of 46.23%. The Customer Deposits increased by 56.03%, Total Deposits by 38.68% and Advances increased by 56.22%. The International Operations contributed 22.55% to Bank's global business as on 31.03.2009. As stated earlier, the growth numbers in international business expansion partly reflect the impact of currency depreciation.

Total Assets

Total assets of international operations increased from Rs 37,511 crore to Rs 51,165 crore registering a growth of 36.40% over the previous year.

Net Profit

The Net Profit of International Operations during the year increased by 23.17% (y-o-y). This is in spite of the huge requirement of provisioning due to 'Mark to Market' of Investments. The Bank does not have exposure to sub-prime assets. Also, its exposure to Derivatives is only by way of investments in 'Credit Linked Notes' (CLNs) of Indian Corporates of repute and where it is confident of the underlying credit quality. The investments have been 'Marked to Market' based on Issuers/Traders Quotes, as impact was felt on valuation as markets were quoting two way quotes



Cake cutting ceremony graced by the dignitaries and CE (GCC) on the occasion of 101st Foundation Day of the Bank at Dubai.

at wide variance. The provisioning made by the Bank in the current year is on account of a decline in present value and is likely to get reversed on maturity of the investments. The contribution of international operations to the Bank's global Net Profit moderated to 18.86% in 2008-09.

Asset Quality

The Bank did not venture into complex CDOs (Collateralised Debt Obligations) and participated in CLNs (Credit-linked Notes) in a very modest way and that too of Indian Corporates and was, therefore, not impacted severely by the current crisis. The Bank further strengthened monitoring of assets for containing slippages and intensified the recovery efforts in NPA accounts and was able to bring down the ratio of Gross NPAs to Total Advances in its international operations during 2008-09. The Gross NPAs came down to 0.51% of total advances as against 0.55% during the previous year. The Net NPAs were maintained at almost zero level.

International Presence

The Bank's international presence covers 25 countries through its 74 branches/offices:

Bank's Overseas Branches	48
Bank's Representative Offices	03
Branches of Bank's Overseas Subsidiaries	23
TOTAL	74

In addition to the above, the Bank's associate in Zambia has 11 branches.

Overseas Expansion

During the year 2008-09, the Bank opened four new branches/offices, viz. Branch at Guangzhou (China), Electronic Banking Unit at Musaffah (UAE) and branches of the Subsidiaries at Kawempe (Uganda) and Nakuru (Kenya).



Prof. Emmanuel Tumuslime Mutebile, Governor, Bank of Uganda is seen inaugurating the Kawempe branch at Uganda in the presence of CMD & ED.

Future Plans

The Bank has ambitious plans for further increasing the branch network to take advantage of canvassing business from different geographies around the world and serve the

Indian Corporates/PIOs/NRIs spread around the world. The applications filed with home country regulators for opening of branches in Russia, Canada, New Zealand, Australia, Qatar and Mozambique are under process. The Bank also has plans to further expand its branch network in UAE, Oman, UK, USA, Trinidad & Tobago, Uganda, Kenya, etc. to take advantage of the emerging opportunities. Opening of branches at Malaysia, Suriname, Yemen, Kuwait, Saudi Arabia, Maldives, etc., is also under process.



Mr Hassan Noor, E.B.S. Provincial Commissioner, Rift Valley Province (Kenya) is seen inaugurating the Nakuru branch at Kenya in the presence of CMD.

Syndication Center

The Bank has Global Syndication Centers at London and Dubai, which are supported by International Merchant Banking Cell (IMBC) - at International Division, Mumbai. These focus on the business of Syndicated Loans and CLNs. The Offshore Banking Unit in Singapore is also quite active in canvassing this business and the Bank has plans to set up Global Syndication Centre in the country to take advantage of the emerging opportunities.

Products and Services in Overseas Business

With the implementation of Core Banking Solution at all the overseas centres except New York and Brussels, the strategy was to take maximum advantage of the 'State-of-the-Art Technology' and provide Products and Services to customers, which are comparable with those offered by other International Banks. With the availability of the system the Bank launched various new products and services and enhanced the features of existing schemes to make these in line with the center-specific schemes.

Technology Upgradation in Overseas Business

The Bank has taken various technology initiatives to better serve its overseas customers. These are as follows.

- Implementation of Global Treasury Project at UK, UAE, Bahamas and Bahrain.
- Launching of view based e-banking at UAE, Oman, Fiji, Mauritius, Seychelles, Botswana and Tanzania. For

other centres the process is underway.

- Additional ATMs have been installed to provide round the clock services to customers. Installation of Full functional ATMs in UAE is under process.
- Rapid Funds2 India, an on-line Remittance product, has been introduced at almost all the overseas centres.
- Payment Messaging Solution introduced at Mauritius, Seychelles, South Africa, Botswana and Kenya.
- AML ERASE and Online List Match Solutions implemented in -14- overseas territories and all the -7- overseas subsidiaries.

Bank's NRI Business

In order to serve the expatriate Indian population and also canvass business for its Indian branches, the Bank took various steps for further improving its products and services. The motto was to provide 'low cost and fast remittance' services to the customers. Besides popularizing online RTGS/NEFT remittance facility, the Bank offers services close to their doorsteps through mobile vans, visits to Indian dominated localities, extension of working hours suitable to the working population etc. The Rapid Funds 2 India was extended to new centres and, in addition, the Bank launched ClickFunds2India at U.K. To further extend its reach, the Bank has tied up with Exchange Houses for remittances. It is already made operational with seven Exchange Houses and the process is underway for increasing it.

Risk Management in Overseas Business

Risk management architecture in the financial sector has assumed greater significance in view of the increasing volumes and complexities of financial transactions. The global financial crisis too underscores the need for sound risk management, effective internal controls and strong corporate governance in financial institutions.

In order to comply with BASEL II requirements and integration of data of all the overseas territories as also to comply with the Regulatory Norms on Credit Deployment, Asset Quality, Provisioning and computation of Risk Weighted Assets, the Bank plans to implement the ASCROM (Asset Classification & Credit Monitoring) System in all its overseas territories in a phased manner. The Solution will be customised as per the territory-specific requirements to compute Risk Weighted Asset (RWA) as per the Host and Home country norms and to generate Global RWA master summary as per the Bank's Policy. The introduction of 'ASCROM' will be helpful for other MIS purposes and Credit Monitoring.

Regulatory Compliance in Overseas Business

The Bank always strictly follows the home country regulations and ensures that there is no violation on this account. The Bank has built up a reputation of being a regulatory-compliant bank and a good corporate citizen in all its overseas operations.

Treasury Operations

The financial year 2008-09 experienced huge volatility in financial markets across various asset classes. The financial crisis in the form of spiral effect of sub prime collapse resulted

into further large write-downs by the world's major banks. There was a liquidity crisis in the corporate bond markets across the Globe, as the investors became more risk averse. Concerted steps had been taken by many developed and developing countries in the form of not only increased funding limits but directly infusing capital into banks to safeguard the financial systems from total collapse. The Rate Cuts have become a norm among Central Banks to restore confidence.

The Indian Bond markets saw yields moving up sharply during the first half year on concerns over rising inflation triggered by spike in oil prices. During the period April to August 2008, inflation continued to move upward and touched the high of 12.63% mainly due to high crude oil and commodity prices. The RBI also remained hawkish and raised the key rates to calm inflation expectations. The bond yields reacted to the same and the 10-year benchmark yield touched 9.54% in the month of July 2008 from 7.93% as on 31st March 2008. The interest rate showed signs of moderating during the months of October-November 2008, when inflation started coming down as a result of the softening of global crude oil prices and the RBI's monetary easing.

However, during the second half the F.Y. 2009, the markets remained volatile. Fears of the impending recession in the US due to the sub prime crisis led to Fed slashing its benchmark rate. The cut in fed rates and monetary easing by RBI brought a rally in the bonds market and the yields softened sharply. **The RBI cut its repo rate from 9.00% in September 2008 to 4.75% on 21st April 2009.** The 10-year yield moved down from 8.63% in September 2008 to 5.31% in December 2008. However, yields could not sustain at the lower levels for longer period on additional borrowing in the last quarter and record-borrowing programme for the year 2009-10. It closed at 7.01% on 31st March 2009. The inflation for the week ended 28th March 2009 was 0.26%. The RBI continued to actively manage the borrowing programme through its open market operations.

The corporate bond markets saw the spread widening vis-à-vis the comparable government securities. In order to protect the portfolio, the Bank shifted SLR securities from AFS to HTM at the start of the year.

However, looking to the overall economic strengths of India and having doubts about the sustainability of high interest rates for a longer term, the Bank's Treasury Division started accumulating long-term Government securities when yield on these bonds were ranging 9.25% to 9.50%. The aggressive accumulation was achieved by replacing T-bills, some short tenor securities and also by increasing the size and duration of the portfolio. The Bank also received fixed on OIS and INBMK.

The above strategy resulted into huge profits when yields started coming down. The accumulated long dated Government bonds fetched us maximum return during the short span of time. In addition, these profits could be generated

without sacrificing the yield on existing portfolio. To further encash the opportunity of lower interest rates, the Treasury Division reduced duration of the portfolio by selling long-term bonds and paid fixed on OIS and INBMK. Besides, the Treasury Division continued to actively encash the arbitrage opportunities available between Money market, CBLO, G-sec and resources generated through USD/INR swaps.

The Equity Market witnessed high volatility and downward trend during the year. The benchmark Sensex, which was 15,644 on 31st March 2008, moved sharply downward and touched a low of 7,697 levels on 27th October 2008 on the concern of global economic recession. The financial stimulus packages announced by the US and European Governments to contain the economic recession started showing positive impact on global economy and in turn, impacted positively the global equity market. Indian market also showed recovery and Sensex closed at 9,708 levels on 31st March 2009. The operation at the Equity Desk of the Bank remained subdued. However, active operation has started after the stability of the market and we now expect to earn substantial income through prudent market operations.

In the foreign exchange market, Indian rupee depreciated by 26.44% against US Dollar during the year. It moved from Rs 40.12 per USD to Rs 50.73 per USD mainly on account of huge outflows of foreign capital during the year. It oscillated between a low of Rs 39.97 and a high of Rs 52.18 against US Dollar. The Bank's integrated Treasury continued to be a prominent market maker in USD/INR, EUR/USD & GBP/USD. The Forex market remained very volatile, during the year, due to spiral effect of sub prime crisis across all Financial Centres. The Bank's Foreign Exchange Dealing Room has been able to encash the volatility and earned good profit for the Bank.

State-of-the-Art Dealing Room of the Bank at Mumbai handles the entire gamut of foreign exchange transactions and derivative products. The advanced technology environment is being leveraged by the Bank to offer a variety of products to its clients by way of hedging instruments such as Interest Rate Swaps, Currency Swaps and Options. Through the Automated Dealing System, the Bank quotes auto generated real time foreign exchange rates to its customers at all authorized branches in India, thereby, providing them the feel of the real time market.

As part of its business reengineering, the Bank is in the process of implementing Global Treasury Solution across main money centers. It has been already implemented successfully in London, Dubai, Bahrain & Bahamas. The rollout for other centers is in progress. When implemented, the Bank will have better Global Risk Management set-up and can achieve optimum deployment of resources.

The Bank has set up an active Derivative desk at its Treasury Branch, which offers customized products to meet the requirement of corporates in hedging their interest rate and currency risks.

A full-fledged Mid-office in Treasury Division monitors and manages various exposures and limits fixed by the Board of Directors on real time basis, using advanced technology. The Risk Management Tool such as Value at Risk (VaR) is used to measure the Market risk on all portfolios. Furthermore, the back testing of VaR number is conducted on daily basis to confirm the veracity of the forecasted values. The Stress Testing of all portfolios is also done to complement the VaR analysis.

Corporate Social Responsibility (CSR)

The Bank has always believed in making a difference to society at large. As a responsible corporate citizen, it has been its vision to empower the community through socio-economic development of underprivileged and weaker sections. During the year 2008-09, the Bank further intensified its efforts in this direction. Most of the Bank's social activities are linked to rural masses, i.e., adoption of 101 villages across India for their all-around development and providing financial assistance for development of infrastructure facilities like setting up village libraries, community hall and solar lighting systems in villages. The Bank has also established **Swarozgar Vikas Sansthan** for imparting training to unemployed youth, free of cost for gainful self employment and entrepreneurship skill development which help them improve their family economic status and also gives a boost to the local economy in those locations. The Bank has established 52 Baroda **Gramin Paramarsh**



Bank participated in Mumbai Marathon 2009 as a part of its commitment to Corporate Social Responsibilities.

Kendra for providing credit counseling and financial literacy for rural masses across country. The Bank coordinates its CSR activities with its Micro-finance and Self-Help Group (SHG) financing. The Bank has developed relationships with 91,536 SHG and has extended credit facilities of Rs 636.00 crore through SHGs, whereby million of households have been beneficiaries of financial inclusion. The Bank has also adopted Dungarpur District in Rajasthan for total integrated rural development and 100% financial inclusion as described in the earlier section.



Ms Kiran Bedi, renowned social worker flagging off the Medical Van donated by the Bank to Navjyoti India Foundation, Delhi in the presence of GM(NZ).

The Bank has adopted the best management practices towards its social responsibilities and contribution to the society for abatement of Green House Gas emission by financing projects, which use renewal energy sources as main feedstock i.e. windmill, hydel power, bagasse based power projects, solar etc. which are entitled for carbon credits.

Asset Quality Management

The Bank delivered a stellar performance in asset quality management in 2008-09 despite a severe industrial slowdown witnessed in the second half of the year. Through well co-ordinated and sustained efforts, the Bank's Global Gross NPA level was brought down from 1.84% to 1.27% and the Net NPA level from 0.47% to 0.31% in the course of one year.

It is worth reporting that not only the Gross NPA and Net NPA were brought down in percentage terms but were also reduced in absolute terms to Rs 1,842.92 crore and Rs 451.15 crore as at end-March, 2009 from the opening portfolio of Rs 1,981.38 crore and Rs 493.55 crore respectively.

During the year 2008-09, the Asset Quality further improved with the rise in the share of standard advances from 98.16% at the end of the previous year to the present level of 98.73% as per the table given below.

Advance Category (Gross)	31st March 2009		31st March 2008	
	Amount (Rs cr)	% to total	Amount (Rs cr)	% to total
Standard	143001.94	98.73	105690.44	98.16
Loss	345.34	0.24	366.12	0.34
Doubtful	832.32	0.57	887.65	0.82
Sub-standard	665.26	0.46	727.61	0.68
Gross NPA	1842.92	1.27	1981.38	1.84
TOTAL	144844.86	100.00	107671.82	100.00

The Bank's NPA coverage ratio reached a comfortable level of 75.52%. The slippages were reduced and contained at 0.95% of the Opening Standard Advances of the year as against 1.21% during 2007-08.

The aggressive and focused efforts in Recovery and NPA Management could result in the recovery of Rs 567.19 crore in NPA. Moreover, accounts worth Rs 168.20 crore were upgraded during this relatively challenging year.

It is pertinent to note that the "Recovery" in the Prudentially Written Off accounts amounted to Rs 263.15 crore during the current year, which added to the Bank's bottomline (profits) directly.

Other recovery measures undertaken by the Bank during 2008-09 included launching of "SANKALP" recovery scheme on 21.11.2008, with a focused approach for recovery in small advance accounts with an outstanding up to Rs 10.00 lacs and the Bank could recover Rs 63.09 crore by way of this campaign.

Technology Environment

The Bank had embarked on an IT enabled Business Transformation Project in 2005-06 to reposition itself in an intensely competitive banking environment. The Project envisaged a host of applications to be implemented in the Bank over a five-year period ending March 2010, which would help the Bank to transform itself into a customer-centric organization and reduce the cost of its services.

To support the Integrated Business Transformation project, the Bank set up its own State-of-the-Art Data Centre on 10th December 2005 conforming to Uptime Institute Tier-3 standard. The Bank also established a 1:1 Disaster Recovery Site taking into account international requirements of 500 km distance and different seismic zone.

Technology Progress in 2008-09

- **Core Banking Solution:** As of 31st March 2009, 1,922 branches and 28 Extension Counters in India are on CBS. This covers more than 1000 centers in 34 states/union territories and approximately 94% of Bank's domestic business. Additionally, 43 branches in 12 overseas countries and 23 branches in 7 overseas subsidiaries are on Finacle CBS. The overseas branches on CBS account for about 79% of total overseas business.
- **Wide Area Network:** The implementation of CBS and other centralized applications requires a robust Wide Area Network (WAN) with adequate redundancy built in at every layer. Bank has connected more than 2300 branches/offices on its wide area network with an assured uptime of more than 99.9%.
- **Internet Banking:** The Bank has launched full-fledged transaction-enabled Internet Banking in India, for both Retail and Corporate customers. Through this platform, customers have the facility to pay both Direct and Indirect Taxes online, make payment of utility bills and also book rail tickets. Customers can transfer funds from one account to another account within the Bank. Customers can also avail of the services for inter-bank transfer of funds through Internet Banking using NEFT

/RTGS. Corporates also have the facility of direct salary uploads. The internet banking customers in India are also provided SMS alerts facility. Internet Banking has also been launched in 7 overseas territories, viz., Botswana, Fiji, Mauritius, UAE, Oman, Seychelles and Tanzania.

- **Phone Banking:** The Bank has recently launched one more delivery channel, Phone Banking facility, for our customers. This facility enables customers to get Bank's products information, enquire balances in their account, status of cheques, order statement of account through fax or e-mail etc.
- **RTGS/NEFT:** All CBS branches of the Bank are enabled for inter bank remittances through RTGS and NEFT. RTGS and NEFT has also been interfaced with our internet banking portal. This will give our customers the facility of making inter bank money transfers online using internet banking.
- **Online Money Transfer Service:** An online money transfer service - Rapid Funds2India – has been enabled in our branches of UAE, Oman, UK, Mauritius, Seychelles, Botswana, HongKong, Fiji, Ghana, Kenya, Guyana, South Africa, Tanzania, Uganda and Trinidad & Tobago. NRI's in these territories can avail of this service which facilitates almost instant credit to the beneficiary's accounts in any CBS branch in India. Where they maintain accounts with other banks, same day or next day credit is facilitated through RTGS / NEFT.
- **Cash Management Services:** Corporate Cash Management has been launched in December 2008 in Mumbai. This service enables our corporate customers to manage their funds efficiently through bulk payment services, local/out-station fund collection (paper based or electronic) and liquidity through fund pooling facility.
- **Base 24 ATM Switch** has been implemented for all domestic ATMs and for ATMs in 5 overseas territories. This new ATM Switch will ensure scalability to handle more ATMs and transactions. Currently, 1179 domestic ATMs and 36 ATMs in five overseas territories are operational..
- **Retail Depository Services** are made available to our customers from 275 branches. With a centralized depository application, branches are now equipped to provide depository services for both NSDL as well as CDSL. Depository customers can now avail of these services from any of the 275 designated branches. The services will be extended to cover all CBS branches of the Bank.
- **Global Treasury:** Global Treasury has been implemented in UK, Bahamas, UAE and Bahrain and Singapore. Hongkong and India Global Treasury implementation planned in ensuing year.
- **Payment Messaging:** The Bank has implemented Payment Messaging Solution in five overseas territories. Payment Messaging Solution (PMS) is a SWIFT messaging platform for automated flow of messages from CBS. This facilitates Straight Through Processing (STP) of SWIFT messages generated from CBS, and also goes through AML check. Bank proposes to implement PMS in all territories, including domestic branches authorised for dealing in forex transactions.
- **City Back Offices:** Centralization of back office functions at the branches has been implemented to relieve the operational staff at the branches from the load of cumbersome back-office functions and focus on sales and services. 19 Service Branches and 48 Main Offices are functioning on the City Back Office model. These offices handle the entire clearing and collection functions of all branches in the city.
- **Regional Back Office:** The first Regional Back Office at Baroda has commenced operations for the process of centralized account opening. The RBOs will cater to a cluster of 350 – 400 branches for back office activities, such as, account opening, signature scanning, cheque book issue, statement printing, FDR renewals, TDS certificates and some part of MIS.
- **Anti Money Laundering:** To meet regulatory requirements, AML system has already been implemented in India and 14 overseas territories, viz., Oman, UAE, Fiji, Mauritius, Seychelles, Tanzania, Bahamas, Kenya, Uganda, Guyana, Hongkong, Botswana, U.K., S. Africa.
- **Help Desks:** 24x7x365 Global Help Desk is functioning at the Data Centre. Bank has also set up Local Help Desks (LHDs) at all Zonal Centers manned by Bank's trained officers to handle day-to-day operational issues and these LHDs function from 8 am to 10 pm. All branches are connected to Global Help Desk and Local Help Desks by VOIP phones.
- **IS Security:** A robust Information Security Management System has been put in place to protect the technology against security threat. Bank has implemented a centralized anti-virus program. Bank has also in place a comprehensive IT Security policy and associated procedures for various areas of IT security such as password policy, access control policy etc.
- **HRnes:** The Bank has successfully implemented the Human Resource Networking for Employees Service with the main objective of creating a central database of its employees for facilitating decision-making, promotion and selection exercise as also for automating other HR process. Employees are provided with the functionality of self-service.
- **Centralized Payroll** for employees has been implemented for all domestic offices in India rendering efficiency and accuracy.
- **Training:** The Bank's training establishments have trained nearly 15000 employees on CBS modules and other technology applications. Refresher courses are also conducted on week-ends covering specific Finacle modules and other applications.
- **Disaster Recovery and Business Continuity:** To ensure Business Continuity at all times Bank has implemented a state-of-the-art Data Centre and also a Disaster

Recovery site. Drills are conducted at regular intervals and operations transferred to the DR site seamlessly to ensure continuity of operations at all times

Future Plans on Technology Front

- Core Banking Solution and other applications will be extended to cover all branches and offices in India and abroad.
- The Bank's Internet Payment Gateway with 3D secure will be launched during 2009-10.
- Four more Regional Back Offices are expected to be operational in Jaipur, Lucknow, Bhopal and Coimbatore.
- Single integrated Global Treasury covering India as well as overseas centres will be completed.
- SWIFT operations across the globe will be centralized by hosting a SWIFT global hub in India. Under this process, the individual SWIFT infrastructure in each overseas territory will be dismantled and entire SWIFT operations across territories will be conducted through the global hub.
- As part of the Document Imaging and Workflow automation Project, Bank will be implementing Loan Processing module, which will enable the Retail Loan Factories to track sales lead and also track the progress of processing of proposals, right up to sanction and disbursal of the loans.
- Several other Projects like Customer Relationship Management, Online Trading, Data Warehouse, Knowledge Management, Centralized Sourcing and Procurement System, Activity Based Performance Management and Balanced Score Card and Centralised Pension Processing Cell will also be enabled during 2009-10.

The implementation of IT enabled Business Transformation Project provides the customer a wide choice of delivery channels, convenience banking and a basket of products to suit his requirement. The Bank's ultimate objective is to reorient itself as a highly technology enabled Bank and Bank of first choice for its customers in order to emerge as a leader in the global market place on every single parameter including technology.

Human Resources

In an environment where technology, business models are being replicated and a level playing field is created, people factor and the organization culture become the key differentiator in achieving business excellence. The Bank, foreseeing this emerging scenario conceptualized and initiated numerous HR interventions. It primarily involved aligning Human Resources with the Business Transformation demands at Corporate and local levels in different areas like hiring, performance management, and talent identification and employee engagement. Technology up gradation in HR

is also a major development in the year.

HRnes (Human Resources network for employees' services & Employee Payroll System)

HRnes (Human Resources network for employees' services), the web-enabled enterprise wide HR solution was launched on 26.11.2007 and it was rolled out across the country during the year. Further, additional employee-friendly functionalities were added to enable the employees to submit online applications for request transfer, grievance redressal, promotions, selection, asset-liability statement, income tax declaration, etc. Payroll has been implemented in all branches/ offices in India enabling automatic calculation and credit of salary in the Accounts of employees, PF and loan deductions, etc. This has significantly contributed in reduction of cost, improvement in efficiency in HR administration and convenience to the employees.

Leadership Development – Project LEAP

Post-2009 technology environment, competitive compulsions, entry of foreign banks, M&A will all tend to change the course of banking necessitating new breed of leaders at different levels. Managing and leading a financial services organization in such an environment would be a new challenge for future leaders.

Further, one of the key drivers for market leadership will be the Bank's internal leadership. It is in response to this that the Project LEAP (Leadership enhancement and appreciation process) was conceived and launched aimed to groom our executives in leadership and capability building.

Three hundred Executives are being groomed in Leadership in a phased manner. The rigorous process involves:

- Identifying a competency framework for future leaders in the Bank.
- Administration of psychometric instruments and 360 degree feedback for each identified executive for building on their strength and working in the areas where development is needed.
- Classroom orientation & Action Learning Projects.
- Succession Planning.

Talent Identification and grooming through KHOJ

KHOJ initially was initiated as an in-house talent identification and development exercise in 2005. An element of self development and career planning is built into the system as this is a voluntary exercise where aspiring employees apply for selection for grooming in various areas they perceive as their areas of strength in our operations.

Encouraged by the huge response to the initiative, KHOJ exercise has been repeated in 2006 and in 2007. Candidates selected under KHOJ are groomed, placed in the area of operation of their choice. As part of their development many are identified as change champions in many of the new initiatives. Mentors are assigned for facilitating their grooming.

Exclusive Conclaves of KHOJ selectees were organized.

In order to make the KHOJ selectees a vibrant and visible group, due weightage is given to their contribution in career progression, rewards, special assignments, etc.

Career Progression

To meet the Bank's growth requirements and to fulfil the aspirations of employees, avenues for career progression has been numerous. Special efforts have been made to maintain relatively younger employees manning key positions. Keeping this in view the following numbers of employees were promoted to higher grade/scale during the year:

JMG/S-I to MMG/S-II (Officer to Manager)	927
MMG/S II to MMG/S III (Manager to Sr. Manager)	552
MMG/S III to MMG/S IV (Sr. Manager to Chief Manager)	220
SMG/S IV to SMG/S V (Chief Manager to Asst. Gen. Manager)	46
SMG/S V to TEG/S VI (Asst. Gen. Manager to Dy. Gen. Manager)	30
TEG/S VI to TEG/S VII (Dy. Gen. Manager to General Manager)	10

Recruitment

The Bank has been consistently meeting the requirement of employees in various grade/scale with the requisite competencies in order to meet the changing business profile and processes and also to replenish employees retiring from Bank's service. Therefore, Bank recruited -76- Officers from campuses of various Business Schools during the year. The Bank is in the process of recruiting -2000- Clerical staff, -750- DROs, -200- Agriculture Officers, and -382- specialist officers in various grade/scales and the process is expected to be concluded by June, 2009. Further, Bank has selected -200- students from the campus of reputed Business Schools,

including IIMs, MDI, XLRI, IITs, XIMB, NIMS, SP Jain, Jamanlal Bajaj, IISWBM, etc., who would be joining the Bank by June, 2009.

Training

To keep up with the fast changing business scenario, product profile, processes, customer preferences, numerous technology applications and compliance & regulatory requirements, training has become a centre-stage activity.

The Bank conducted 342 training programs in the area of CBS covering 6234 employees during the year. To provide appropriate thrust in the area of Credit and Risk management, 193 programmes were conducted covering 3590 employees. Further, 256 training programmes were conducted in other functional areas covering 4595 employees during the year.

The resources of external Training Institutions and Business Schools were tapped for training employees in the functional areas where in-house expertise was not available. 741 Officers and Executives attended training programmes in specialized areas at various external Training Institutions and reputed Business Schools. Also 20 Officers/ Executives attended training overseas.

Employee Conclaves

Corporate vision and strategies to yield results need to reach and get institutionalized at the operational unit levels. The very nature of widespread & distributed pattern of our operating units pose challenges for smooth percolation and we need to have conscious, focused, planned localized interventions for the corporate vision and strategies to reach effectively and get translated to business results. As one of the interventions to address these challenges Employee Conclaves were organized at different centers for cluster of branches covering all staff members of such branches. Conclaves were also organized for specific segment of employees like lady employees, DROs, Campus recruitees, etc. This facilitates brain storming, jointly thought-out action processes and ownership of the plans chalked out. This initiative has also achieved more involvement at all levels, generating excitement, awareness and passion for performance. The



The first conclave for the Bank's Sub staff members, held in Mumbai, was inaugurated by the Bank's senior most Sub staff member in the presence of CMD.

response of employee to Conclaves organized in all the Zones have been highly encouraging generating tremendous enthusiasm, involvement and positive energy.

HR Policies

The Bank's belief in "Employees First" has ensured "Customer First" philosophy that pervades business action across more than 3000 branches/ offices of the Bank in 25 countries.

The service conditions of the employees in various cadres were codified. However, there are certain critical areas of concern to the employees and also for the Bank where policy intervention would enhance business performance and level of satisfaction of employees. Therefore, transparent policies have been framed in the critical areas of Performance Management system and Transfer of officers, which would facilitate better performance and employee satisfaction. Further, existing policies are being reviewed and where not in existence, being framed, in the areas of recruitment, promotion, career development of specialist officers, overseas selection, etc.

Staff Strength

Cadre	Year ended March				
	2005	2006	2007	2008	2009
Officers	11,848	12,345	13,636	13,840	13,542
Clerks	19,284	18,231	16,979	15,777	15,485
Sub-staff	8,397	8,198	7,989	7,643	7,811
Total	39,529	38,774	38,604	37,260	36,838

Composition of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Employee Strength

Cadre	SC %	ST %
Officers	17.88%	6.31%
Clerks	14.85%	4.95%
Sub-staff	35.03%	9.09%

Marketing

During the year 2008-09, brand "Baroda" continued to excel in providing world-class service to its customers across the globe. Throughout the year, regular sales campaigns were organized to promote various products of the Bank especially



Executive Directors Shri V. Santhana raman and Shri R.K. Bakshi receiving Dun and Bradstreet Global Business Development Award.

Current Account, Saving Account, and other retail business. Special drives were undertaken to promote technology enabled services i.e. debit card, internet banking, online

THE PRESENT IS PAST. AND THE FUTURE IS PRESENT.

Baroda Next: State-of-the-art, straight from the heart. Presenting tomorrow's technology today.

Baroda Next. Two Sumo's words. Judged to each other. Bringing forth with passion. Answer. Solutions.

State-of-the-art. Straight from the heart. That's what we call it. Over the last 100 years, Bank of Baroda has truly become India's International Bank.

Experiencing is believing, after all. Come, get a feel of our anytime, anywhere banking, online fund transfer, ATM banking, internet banking, BUISNET and phone banking.

After all, it is not often that technology comes with a heart. Which means while our facilities are state-of-the-art in many ways, you'll still be served by caring employees.

We have innovated. Set examples. Baroda Next is another such initiative. But don't just go by our words.

BARODA NEXT
State-of-the-art. Straight from the heart.

www.bankofbaroda.com

remittances, payment of online taxes, utility bills etc. during the year.

The Bank continued its focus on promotion of popular products and schemes as well as concepts such as "Home Loan Factory", and "SME Loan Factory" through sustained coverage in print, out-of-home media and industry presentations etc. The Bank started a separate page on SME in Economic Times to promote customized products and services for SME business segment. The page titled 'Bank of Baroda presents SME Factory' will be published on weekly basis. It is envisaged that this initiative will position the Bank as a major lender for SME.

One of the major communication campaigns conducted during the year was 'Shukriya Sau Salon Kaa' to express Bank's gratitude to all stakeholders for 100 years of relationship with them. Another major communication campaign of the year was 'Baroda Next'. The campaign aimed at positioning Bank's technology-based services with human-touch. The year 2008-09 also witnessed the culmination of year-long centenary celebrations of the bank.

In recognition of the Bank's efforts to increase the business across the globe, the Bank was awarded "Leading Public Sector Bank" in "Global Business Development" category

by **Dun & Bradstreet Banking Awards** and **MIDAS Awards, New York for Marketing Effectiveness**. The Bank bagged “**Silver Trophy**” award for its corporate film and Quarterly Economic Review from the **Association of Business Communicators of India (ABCI) during the year**.

In continuation of the Bank's efforts to establish its branches as sales & service center, the Bank plans to set up 'City Sales Office', an additional marketing channel to reinforce the efforts of branches for business development, across 50 centers throughout the country, shortly.

With effective communication and strategic marketing initiatives, the Bank enhanced its global image of being 'India's International Bank'.

Premises Re-Engineering & Ambience Enhancement

The following construction and other activities were initiated by the Bank during the year 2008-09.

The following construction projects are in progress and are expected to be completed within the reasonable time limit.

1. Corporate Center at C-34 , Bandra Kurla complex, Mumbai
2. Administrative building at Gomtinagar, Lucknow
3. Administrative building at Jamshedpur, Jharkhand.
4. Building for Branch at Rajpipla.
5. Commercial-cum- Residential complex at Ghod Dod Road, Surat.
6. VKI, Jaipur.
7. Pant Nagar, SIDCUL.
8. Construction of Bank of Baroda Centenary year (2007-2008) Sir Sayajirao Nagar Griha at Baroda for handing over to the Vadodara Municipal Corporation as an appreciation to the city of Baroda on completion of 100 years of Bank of Baroda.

The construction projects at Mylapore and Alwerpet at Chennai, East of Kailash and Janakpuri at New Delhi are in the final stages of issuing tenders etc. It is the Bank's endeavour to make use of all the landed property purchased by the Bank to put to use by constructing either commercial or residential premises.

The construction project completed during the year and are in use/operation

As regards this, one building, which was earlier occupied by the sub-staff has now been converted into Studio type flats for officers at Bhandup, Mumbai.

Refurbishment

Subsequent to the implementation of the CBS at Branches, the Bank has made it a point to ensure that maximum number of branches are put under refurbishment, up gradation, face lifting, redesigning and improved ambience for facilitating convenient banking to customers. During the year, 290

branches were refurbished. The Bank has also initiated steps for standardization of the interior of branches and offices.

Under the Business Process Re-engineering, the Bank has initiated steps to establish Regional Back Offices (RBO) and City Back Offices (CBO) at different centers of the country. The RBOs at Jaipur and Baroda have already been furnished as per the requirement and are ready for operation.

Two MICR Centers at Bhavnagar and Jamnagar have been refurbished and functionalized during the year.

Increased use of IT to improve efficiency of the department

The department is extensively increasing the use of IT in its day to day functioning to improve efficiency. The contracts are being finalised through e-tendering process.

Other Activity

As a part of the Bank's conscious efforts to reduce rental burden, continued efforts are being made to ensure optimum use of existing premises. As a result, the Bank could surrender as much as 86,786 sq.ft. leased area during the period under review (2008-2009). It is the policy of the Bank to go for surrender of Maximum area in each year.

Branch Network: Brick and Mortar Distribution Channels Closer to the Customer (31st March 2009):

Area Classification (India)	Number of Branches	% Share in Total
Metro	637	21.77
Urban	540	18.46
Semi-urban	649	22.18
Rural	1100	37.59
Total	2926	100.00
Overseas	48	100.00

Domestic Subsidiaries and Associate

The performance of “Subsidiaries & the Associate Bank” of the Bank during 2008-09 was good except for that of the BOBCARDS Ltd., which incurred a loss of Rs 11.42 crore due to stringent application of the IRAC Norms (Prudential Norms on Income Recognition, Asset Classification & Provisioning). The Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. too incurred a loss of Rs 6.12 crore primarily due to higher establishment expenses.

However, development plans are in progress for all the subsidiaries of the Bank. A turnaround strategy is being carved out for the BOB Capitals Ltd., which would soon see a commencement of stock broking operations. For BOBCARDS Ltd., active handholding with the Parent Bank is under implementation with a thrust on NPA recovery and consolidation of its operations.

(Rs lacs)

Entity (with date of registration)	Country	Owned Funds	Total Assets	Net Profit	Offices	Staff
BOB Capital Markets Ltd. 11 Mar. 1996	India	11,205.77	11,206.01	967.94	1	10
BOBCARDS Ltd. 29 Sept. 1994	India	10,379.49	21,331.35	(-),1,141.81	37	143
Associate						
Baroda Pioneer Asset Mgmt. Co. Ltd. 5 Nov. 1992	India	7,381.79	7,652.64	(-),612.08	1	31
Nainital Bank Ltd. 31st Jul 1922	India	17,531.90	2,43,923.18	3,602.62	92	650

Implementation of Official Language Policy

During the year under review, the Bank made significant progress in promoting and propagating the use of Official Language and ensured compliance of various other statutory requirements besides recommendations of Parliamentary Committee on Official Language. The Bank could achieve all major targets set by the Government of India. In recognition of the Bank's outstanding performance, the Bank was appreciated at various levels and awarded with prestigious Indira Gandhi Rajbhasha Shield on all India level for the third consecutive year and thus created a history by making a hat trick. The Bank's Chairman & Managing Director Shri M.D. Mallya, received the award at the hands of Her Excellency Smt. Pratibha Patil, President of India on 14th September, 2008 at Vigyan Bhavan, New Delhi.

The Town Official Language Implementation Committees functioning at Jaipur and Baroda under the convenorship of the Bank have discharged their responsibilities excellently and provided suitable guidance to the member Banks. These



CMD. Shri M.D. Mallya is seen receiving the Indira Gandhi Rajbhasha Shield from H.E. Smt Pratibha Devisingh Patil, the President of India.

committees were awarded first and second prizes respectively for their outstanding performance/ functioning, besides, our Zonal office, Pune, Jaipur & Bhopal and Regional office, Goa were also awarded by the respective Regional Official Language Implementation offices, Ministry of Home affairs for implementation of Official Language Policy of Government of India in their area of operations.

During the year, the Bank has started training programme for Unicode multilingual package for their employees with the view to promote use of Hindi in day-to-day banking.

The Third Sub-committee of Parliament on Official Language visited Zonal office, New Delhi, branch office Mandapam (Rameshwaram), Haridwar and Ahmednagar, R.O. Goa and R.O. Udaipur of the Bank and appreciated the efforts/work done by the Bank in Official Language Implementation.

The Bank's in house Hindi magazine "Akshayam" was awarded 4th prize by RBI under Hindi magazine category. Besides, the Bank's House Journal "BOBMAITRI" was awarded by ABCI, Mumbai under bilingual House Journal competition.

Board of Directors

Shri M.D. Mallya, was appointed by the Central Government as Whole time Director designated as Chairman and Managing Director w.e.f. 07th May 2008, under section 9(3) (a) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.

Shri Rajiv Kumar Bakshi, was appointed by the Central Government as Whole time Director designated as Executive Director w.e.f. 06th November 2008, under section 9(3) (a) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, vice Shri S.C. Gupta who ceased to be a Director on his appointment as Chairman and Managing Director of United Bank of India.

Shri Amitabh Verma, IAS was nominated by the Central Government as a Director w.e.f. 10th June 2008, under section 9(3) (b) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 representing the Central Government vice Shri G.C. Chaturvedi, IAS who ceased to be a Director on the nomination of Shri Verma.

Smt. Masarrat Shahid nominated by the Central Government under section 9(3) (h) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, ceased to be a Director w.e.f. 14.09.2008 on completion of her tenure.

Shri Maulin A. Vaishnav nominated by the Central Government under section 9(3) (h) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, ceased to be a Director w.e.f. 28.11.2008 upon his resignation.

Dr. Dharmendra Bhandari, Shri Manesh P Mehta and Dr. Deepak B. Phatak representing shareholders other than Central Government, elected as Directors under section 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, ceased to be Directors w.e.f. 15.11.2008, on completion of their tenure.

Dr. Dharmendra Bhandari, Dr. Deepak B. Phatak and Shri Maulin A. Vaishnav were elected as Directors from amongst Shareholders other than Central Government under section 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970. The elections were held at the Extra Ordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank held on 23.12.2008 and they assumed office w.e.f. 24.12.2008 for a period of three years till 23.12.2011.

Directors' Responsibility Statement

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2009:

- The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied.
- Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of financial year and of the profit of the Bank for the year ended on March 31, 2009;
- Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the applicable laws governing banks in India; and
- The accounts have been prepared on a going concern basis.

Acknowledgement

The Bank has taken during 2008-09 a number of initiatives on business, technology, marketing and HR fronts. Successful translation of these initiatives into actual business and earnings growth has been primarily due to the employees of the Bank, who through their passionate work helped the Bank emerge as a leading PSU bank. We are grateful to our people for their continued commitment and dedication towards the Bank. Our customers have always supported us in all our initiatives. If in the process of technological and business transformation, a few of our customers have been inconvenienced, they have borne the same with patience and equanimity. We are grateful to our customers for their continued patronage and encouragement.

Our shareholders have been our Key Partners in progress. We are grateful to them for their support and also for the "confidence" that they have placed in us. The Board of Directors of the Bank places on record its appreciation for the continued support and patronage received from its customers, shareholders and well-wishers in India and abroad.

The Board is also indebted to the Government of India, RBI, SEBI, other regulatory authorities, various financial institutions, banks and correspondents in India and abroad for their unwavering and valuable support and guidance to the Bank from time to time.

For and on behalf of the Board of Directors,



M. D. Mallya

Chairman and Managing Director

Mumbai
26 May, 2009

अध्यक्षीय वक्तव्य

गुणवत्ता के
साथ वृद्धि
पर आग्रह



विकास के लिए मजबूत आधारशिलाओं का निर्माण करते हुए बैंक आगे बढ़ रहा है

एम.डी.मल्या
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

प्रिय हितधारक,

मुझे यह बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि वैश्विक स्तर पर बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं के लिए कठिन तथा चुनौतीपूर्ण स्थिति होने के बावजूद बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने 2008-09 में शानदार कार्यनिष्पादन दर्ज किया है.

वैश्विक अर्थव्यवस्था, अभूतपूर्व बैंकिंग एवं तरलता संकट से ग्रस्त होने के कारण 2008 के मध्य से जबरदस्त मन्दी का अनुभव कर रही है. सभी विकसित अर्थव्यवस्थाओं के एक ही समय में मंदी का शिकार होने के परिणामस्वरूप, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पहली बार वैश्विक अर्थव्यवस्था के संकुचन की आशंका व्यक्त की गई है.

हालांकि वैश्विक संकट का प्रभाव भारत पर अपेक्षाकृत कम था, तथापि पूंजी प्रवाह के संकुचन एवं घरेलू बाजार में बिक्री ने भारतीय कॉर्पोरेटों के लिए देशीय एवं विदेशी वित्तीय माध्यमों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया. वैश्विक मांग में तेजी से आई गिरावट ने भारतीय निर्यात एवं औद्योगिक कार्यनिष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला. भारतीय रिजर्व बैंक को 2008-09 की प्रथम छमाही में मुद्रास्फीति के बढ़ते दबावों के परिप्रेक्ष्य में अपनी नीति मौद्रिक नियंत्रण से मौद्रिक सुगमता की ओर परिवर्तित करनी पड़ी. यह परिवर्तन मुद्रास्फीति के दबावों को कम करने और संकट से उत्पन्न विकास - गिरावट को मद्देनजर रखकर किया गया.

इस पृष्ठभूमि के विपरीत अत्यधिक अस्थिर बाजार एवं नीति परिवेश के होते हुए भी बैंक, गुणात्मक वृद्धि

पर जोर देने के साथ आगे बढ़ा. मार्च 2009 को समाप्त वर्ष तक, इसने अपने वैश्विक व्यवसाय स्तर को 30% (वर्ष-दर वर्ष) की वृद्धि द्वारा रु.3,36,383 करोड़ तक विस्तारित किया और साथ ही सकल तथा शुद्ध गैर निष्पादक अस्तियों में कमी की.

विदेशों में अपनी सशक्त उपस्थिति के कारण बैंक के पास आज 36 मिलियन से अधिक वैश्विक ग्राहक हैं जो आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहे हैं. 2008-09 में इसका कार्यनिष्पादन, भौगोलिक विस्तार, उत्पादों और सेवाओं की विस्तृत श्रेणी तथा जोखिम प्रबंधन की शानदार क्षमता से सम्पन्न सार्वजनिक क्षेत्र के एक ऐसे प्रमुख बैंक के रूप में प्रदर्शित करता है जो अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में सक्षम है.

नवोन्मेषी पहलें

बैंक की आंतरिक शक्ति अपने ग्राहकों के लिए महत्व, अतिसुदृढ़ आधारशिला तथा अपनी प्रौद्योगिकी और ब्रांड को समुन्नत करते हुए वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में निहित है. वर्ष 2008-09 के दौरान बैंक का मुख्य लक्ष्य एक अत्यंत प्रेरणादायक कार्य परिवेश में मानव संसाधन प्रबंधन को अधिक बेहतर बनाना, उपलब्ध सूचना प्रौद्योगिकी सुविधा से अधिकतम सफलता अर्जित करना तथा व्यवहार और दृष्टिकोण में व्यावसायिकता की भावना विकसित करने के लिए पूर्ण सुविधाओं से सुसज्जित मार्केटिंग संस्कृति को आत्मसात करना था.

बैंक ने प्रगतिशील मार्केटिंग एवं सेल्स टांचा स्थापित किया. विशिष्ट व्यावसायिक लक्ष्य और लीड सृजन कार्यक्रमों के साथ बिक्री अभियान संचालित किए. उच्च स्तर की ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए, बैंक की सोच "ग्राहकोन्मुखता" की भावना एवं बाजार विश्लेषकों के इर्द गिर्द रही. बैंक ने अपने ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए अपनी प्रौद्योगिकी को समुन्नत किया, परंतु ग्राहक संबंधों में व्यक्तिगत एहसास को बनाए रखने के मामले में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया. वर्ष 2008-09 के दौरान, बैंक ने आगामी वर्षों में सतत वृद्धि के प्रयोजन से मजबूत आधारशिला के निर्माण हेतु व्यवसाय, ग्राहक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अनेक नवोन्मेषी पहलों का शुभारंभ किया.

31 मार्च 2009 तक, बैंक ने 1922 घरेलू शाखाओं में सी.बी.एस., (कोर बैंकिंग सोल्यूशन) रोलआउट का कार्य पूरा किया जो इसके व्यवसाय के 94% हिस्से को कवर करती हैं. सभी सी.बी.एस. शाखाएं आर.टी.जी.एस. और एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से अंतः बैंक धनप्रेषण की सुविधा से सुसज्जित हैं. विदेशों में स्थित -43- शाखाओं और इसकी विदेशी अनुषंगियों की 23 शाखाओं में भी सी.बी.एस. क्रियान्वित कर दिया गया है. बैंक का ए.टी.एम. नेटवर्क भी बढ़कर 1,179 हो गया है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में -2- बायोमैट्रिक ए.टी.एम. स्थापित किए गए. ग्राहक सुविधा बढ़ाने और कारोबारी लागत में कमी लाने के लिए बैंक ने फोन बैंकिंग सेवा, कार्पोरेट नकदी प्रबंधन प्रणाली, भुगतान मेसेजिंग सोल्यूशन और ग्लोबल ट्रेजरी आदि जैसे अनेक नए सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों का शुभारंभ किया.

रिटेल व्यवसाय के तहत ऋण प्रवाह में सुधार करने के लिए, बैंक ने 2008-09 के दौरान अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के लिए ऋण, एन.आर.आई. के लिए बड़ौदा एडिशनल एश्योरेंस एडवॉन्स, बड़ौदा बचत मित्र आदि जैसे नए उत्पादों को आस्ति और देयता पक्षों में शामिल करते हुए अनेक नवोन्मेषी पहलें की. इसके अतिरिक्त अनेक उत्पादों को और अधिक बाजारोन्मुख बनाने के लिए संवर्धित किया. नए रिटेल व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बैंक ने, आक्रामक बाजार रणनीति को अंगीकार करते हुए, रिटेल ऋण उत्सव अभियानों का शुभारंभ किया जिसके अंतर्गत अभियान अवधि के दौरान विभिन्न प्रकार की छूटें प्रदान की गईं. कई कार निर्माता कम्पनियों के साथ सहमति ज्ञापन पर

हस्ताक्षर किए गए और विशेष पैकेज के तहत मंजूर शैक्षिक ऋण उधारकर्ताओं तथा आवास ऋणकर्ताओं को जीवन बीमा कवर प्रदान करने के लिए टाई-अप व्यवस्था की.

ग्रामीण विकास में साझेदार के रूप में अपनी भूमिका अदा करते हुए, बैंक ने ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति करने के अतिरिक्त वर्ष 2008-09 में -4- बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान स्थापित किए जिसका कार्य बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण प्रदान करना तथा उनके लाभप्रद स्वनियोजन में सुविधा प्रदान करना है. बैंक ने प्रत्यक्ष कृषि और एस.एम. ई. क्षेत्रों में अनेक ऋण अभियानों का शुभारंभ किया, शाखा स्तर पर ऋण शिविर आयोजित किए तथा उधारकर्ता ग्राहकों को अनुकूल उत्पादों एवं सेवाओं की आवश्यकता के अनुसार ऋण सुविधाएं प्रदान की. बैंक ने -350- थ्रस्ट शाखाओं का चयन किया है जहां कृषि संबंधी ऋण देने की प्रबल संभावनाएं हैं और बैंक कृषि ऋणों के संग्रहण हेतु व्यवसाय सुविधा प्रदाता माडल का अनुसरण करता रहा है. बैंक ने समग्र एकीकृत विकास एवं शत प्रतिशत वित्तीय समावेशन के लिए देश भर में 101 गावों को गोद लिया है.

व्यवसाय कार्यनिष्पादन की प्रमुख विशेषताएं

बैंक ने सतत वृद्धि की यात्रा जारी रखते हुए, व्यवसाय विकास का नया कीर्तिमान स्थापित किया और वर्ष 2008-09 के दौरान 30% की व्यवसाय वृद्धि दर्ज की. इसकी देशीय जमाराशि में 23.6% और देशीय अग्रिम में 29.3% की वृद्धि हुई जो भारतीय बैंकिंग उद्योग की औसत वृद्धि से बहुत अधिक है. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण ने अनिवार्य अपेक्षाओं को पूरा किया और वर्ष 2008-09 के दौरान 23.9% की वृद्धि दर्ज की. बैंक ने एस.एम.ई. ऋण में 24.2%, कृषि ऋण में 27.9% और रिटेल ऋण में 16.30 की वृद्धि दर्ज की, जो इसकी ऋण बही की संतुलित वृद्धि को दर्शाती है.

वर्ष 2008-09 में बैंक के रु.2,227.20 करोड़ का शुद्ध लाभ का स्तर, वर्ष दर वर्ष 55.2% की शानदार वृद्धि को दर्शाता है. वर्ष 2008-09 के दौरान, बैंक का विदेशी व्यवसाय 46.3% बढ़ा जो रुपये में दर्शित तुलन पत्र में यू.एस. डालर की तुलना में 25% मूल्य - हास के असर को दर्शाता है. बैंक के वैश्विक व्यवसाय में विदेशी व्यवसाय ने 22.5% और बैंक के सकल लाभ में 21.2% का योगदान किया.

चूंकि बैंक का मुख्य उद्देश्य गुणवत्ता के साथ वृद्धि करना है, अतः बैंक ने अनर्जक आस्तियों को न्यूनतम संभावित स्तर तक नियन्त्रित करने पर ध्यान केन्द्रित किया है. घरेलू परिचालन में मार्च, 2009 की समाप्ति पर सकल एनपीए 1.51% रहा, जबकि विदेशी परिचालन में यह 0.51% था. वित्तीय वर्ष 2008-09 की समाप्ति पर वैश्विक शुद्ध एनपीए 0.31% रहा, जो बैंक द्वारा अपने हितधारकों को दिए गए वायदों के अनुसार था.

भावी सोच

20 जुलाई, 2008 को बैंक ने अपनी शताब्दी पूरी की. बैंक ऑफ़ बड़ौदा के लिए 100 वर्षों और 25 देशों की यह यात्रा बड़ी लम्बी और घटनाओं से ओत-प्रोत रही है. जून 2005 में अपना लोगो परिवर्तित करके व्यापक रूपान्तरण के बाद बैंक ने मार्केटिंग तथा व्यवसाय संबंधी पहलों के लिए कई पुरस्कार जीते और बैंकिंग उद्योग में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को अधिकतम करने पर ध्यान केन्द्रित किया. बड़ौदा ब्रान्ड उपभोक्ताओं के दिल में 'भारत के अंतर्राष्ट्रीय बैंक' के रूप में स्थापित हो चुका है और बैंक 100 वर्षों की अपनी उपस्थिति की यात्रा में मार्केट में समकालीन चुनौतियों का सामना करते हुए मूल्यों की कसौटी पर खरा उतरा है तथा अगली शताब्दी की ओर निरन्तर अथक रूप से आगे बढ़ रहा है.

बैंक को सर्वाधिक वरीयता वाले बैंक के स्थान पर प्रतिष्ठित करने के लिए यह आवश्यक होगा कि इसकी नीतियों, उत्पादों, प्रणालियों तथा मूल्य निर्धारण रणनीतियों का पुनर्विन्यास करके बैंक की स्थिति को सुदृढ़ किया जाये ताकि इन्हें ग्राहक की आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं के अनुरूप बनाया जा सके . अतः आगामी वर्ष 2009-10, बैंक के ग्राहकों के परिप्रेक्ष्य में विशेष वर्ष बनने जा रहा है.

बैंक ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत सी ग्राहक केन्द्रित प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ किया है. सीबीएस परिवेश के तहत इसकी संव्यवहार प्रक्रिया पद्धति सुदृढ़ हो चुकी है. बैंक ने ग्राहकों को वैकल्पिक ई-डिलीवरी चैनल उपलब्ध कराए हैं. इस प्रकार बैंक ने अपने ग्राहकों को त्वरित एवं दक्षतापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए बहुत - से कदम उठाए हैं.

बैंक के कार्पोरेट उद्देश्य एवं रणनीति

"त्वरित तथा दक्षतापूर्ण ग्राहक सेवा प्रदान करके ग्राहकोन्मुखता के माध्यम से अधिकतम वृद्धि तथा लाभ अर्जित करने के साथ बैंक की वित्तीय क्षमता को अधिक सुदृढ़ करके विवेकपूर्ण जोखिम तथा चल निधि प्रबन्धन नीतियों का अनुपालन करना".

वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक, थोक व्यवसाय पर कम-से-कम निर्भर होकर अल्प लागत वाली जमा राशियों पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ-साथ ऋण प्रवर्तन की प्रक्रिया में पूर्ण नियन्त्रण के साथ आस्ति गुणवत्ता संरक्षित करते हुए निरन्तर 'गुणवत्ता के साथ वृद्धि' करता रहेगा.

वर्ष 2009-10 के दौरान कार्पोरेट लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा घरेलू व विदेशी बाजार में नए व्यवसाय अवसरों को तलाशने के लिए बैंक की व्यवसाय योजना तथा व्यापक कार्यनीति निम्नानुसार होगी -

- ग्राहक सुविधा तथा ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाने के लिए अपनी प्रणाली एवं प्रक्रिया का पुनर्विन्यास करना.
- उच्च स्तरीय नैतिक मूल्यों के निर्धारण, पारदर्शिता और उत्कृष्टता प्राप्त करने के अनुशासित दृष्टिकोण के लक्ष्य के साथ बेहतर कार्पोरेट नियन्त्रण पद्धतियों का निर्माण करना.

- सतत एवं व्यापक आधार वाले संसाधन संग्रहण प्लान पर ध्यान केन्द्रित करना.
- प्रौद्योगिकी की सहायता से खुदरा ग्राहकों का आधार बढ़ाना और अनेक नई प्रौद्योगिकी पहलों की शुरुआत करना.
- बही ऋण का विविधीकरण तथा प्रभावी तरीके से ऋण जोखिम को नियन्त्रित करना.
- अब तक गैर बैंकिंग सुविधा वाले केन्द्रों / ग्राहक सेगमेंटों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना.
- गैर निधि आधारित व्यवसाय की आक्रामक रूप से कैनवासिंग करना ताकि शुल्क आधारित आय की हिस्सेदारी में सुधार हो सके.
- बैंक के शुद्ध ब्याज अंतर, जोखिम प्रोफाइल के प्रबन्धन और लागत आय अनुपात में सुधार करते हुए बैलेन्स शीट के कुल व्यवसाय व लाभांश के मध्य अच्छा संतुलन बनाए रखना.
- ग्राहक केन्द्रित संगठन के रूप में बैंक की छवि में वृद्धि करना.

वर्ष 2008-09 के दौरान, बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने अपने तुलन पत्र को सुदृढ़ किया है और प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान भी बेहतर परिणाम देने में अपनी क्षमता सिद्ध की है. बैंक, जोखिम प्रबन्धन, प्रौद्योगिकी, मार्केटिंग तथा ग्राहक केन्द्रित क्षेत्रों पर सतत रूप से आगे बढ़ा है और इसने भावी अवसरों का लाभ लेने के लिए अपने को सुसज्जित किया है.

हमारी इस यात्रा में, मैं आपके सतत सहयोग और समर्थन की अपेक्षा रखता हूं.

एम. डी. मल्या
एम. डी. मल्या

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशकों की रिपोर्ट

आपके निदेशक गण बैंक की 101वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष (वित्तीय वर्ष 09) के लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा और व्यवसाय एवं परिचालन संबंधी रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

कार्य निष्पादन की विशेषताएं :

- कुल कारोबार (जमा एवं अग्रिम) बढ़कर रु.3,36,383 करोड़ हो गए. इस प्रकार इनमें 30.01% की वृद्धि हुई.
- सकल लाभ एवं शुद्ध लाभ क्रमशः रु.4,305.01 करोड़ एवं रु.2,227.20 करोड़ रहे. शुद्ध लाभ में पिछले वर्ष की तुलना में 55.2% की वृद्धि हुई.
- ऋण जमा अनुपात पिछले 77.32% की तुलना में 82.36% रहा.
- खुदरा ऋणों में 16.3% की वृद्धि हुई और यह बैंक के वित्तीय वर्ष 09 के सकल घरेलू ऋणों का 17.8% रहा.
- शुद्ध ब्याज अंतर (एनआईएम) ब्याज अर्जक आस्तियों के प्रतिशत के रूप में 2.91% के स्तर पर रहा.
- शुद्ध गैर निष्पादक आस्तियां, शुद्ध अग्रिमों का 0.31% रहीं जबकि पिछले वर्ष यह 0.47% थी.
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) बासेल I के अनुसार 12.88% रहा जबकि बासेल II के अनुसार यह 14.05% रहा.
- शुद्ध मालियत सुधर कर रु.11,387 करोड़ हो गयी. इसमें 19.52% की वृद्धि दर्ज हुई.
- वर्ष के दौरान बही मूल्य रु.261.54 से बढ़कर रु.312.61 हो गया.
- वर्ष के दौरान प्रति कर्मचारी कारोबार रु.710 लाख से बढ़कर रु.914 लाख हो गया.

खंडवार कार्य निष्पादन :

वर्ष 2008-09 के रु.3,342.95 करोड़ के खंडवार परिणामों में राजकोषीय परिचालन (ट्रेजरी) का योगदान रु.1019.57 करोड़, होलसेल /कापॉरिट बैंकिंग का रु.845.22 करोड़, खुदरा बैंकिंग का रु.1406.50 करोड़ तथा अन्य बैंकिंग परिचालनों का योगदान रु.1769.39 करोड़ रहा. बैंक ने कराधान के बाद रु.2227.20 करोड़ का मुनाफा रु.1697.74 करोड़ के गैर आबंटित खर्च घटाने और रु.1115.75 करोड़ का करों के लिए प्रावधान करने के बाद कमाया.

लाभांश :

निदेशकों ने 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए 90% (रु.9 प्रति शेयर) का उच्च लाभांश प्रस्तावित किया है. इसमें कर सहित लाभांश के रूप में कुल व्यय रु.383.56 करोड़ होगा.

पूंजी पर्याप्तता अनुपात :

बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात काफी अच्छा है एवं 31 मार्च, 09 को यह बासेल II के अन्तर्गत 14.05% है. वर्ष के दौरान बैंक ने पूंजी आधार को रु.1500 करोड़ अप्रतिभूतित सबॉर्डिनेटेड बॉण्डों के माध्यम से मजबूत किया है और 300.20 करोड़ रुपए नवोन्मेषी दीर्घावधि बॉण्ड्स के माध्यम से जुटाए हैं.

31 मार्च, 09 को बैंक की शुद्ध मालियत रु.11387.19 करोड़ रही. इसमें इक्विटी पूंजी रु.363.53 करोड़ और प्रारक्षित राशि (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर) रु.11021.67 करोड़ शामिल है. रु.1843.65 करोड़ की राशि अर्जित लाभ में से प्रारक्षित राशि में अंतरित की गयी.

प्रमुख वित्तीय अनुपात

विवरण	2008-09	2007-08
औसत आस्तियों पर आय (आरओए) (%)	1.99	0.89
औसत ब्याज वहन करने वाली देयताएं (रु. करोड़ में)	1,71,666.55	1,37,324.72
निधियों की औसत लागत (%)	5.81	5.75
औसत ब्याज अर्जक आस्तियां (रु. करोड़ में)	1,75,818.59	1,34,896.47
औसत आय (%)	8.58	8.76
शुद्ध ब्याज मार्जिन (%)	2.91	2.90
आय विस्तार (%)	2.78	3.00
लागत-आय अनुपात (%)	45.38	50.89
प्रति शेयर बही मूल्य (रु.)	312.61	261.54
प्रति शेयर आय (रु.)	61.14	39.41

अन्य विवेकसम्मत उपाय :

विवेकसम्मत उपाय के रूप में बैंक ने उपदान में अंशदान के पेटे (रु.38.60 करोड़), पेंशन निधि के पेटे (रु.435 करोड़), अवकाश नकदी करण के पेटे (रु.37 करोड़) और अतिरिक्त सेवा निवृत्ति लाभ के पेटे (रु.40 करोड़) वास्तविक आधार पर प्रावधान किया है। इन चारों श्रेणियों में प्रावधान की कुल राशि वर्ष 2008-09 के दौरान रु.550.60 करोड़ रही। पिछले वर्ष यह राशि 421.43 करोड़ थी। वर्ष 2009 के अंत में बैंक के पास इन शीर्षों के तहत उपलब्ध कुल आधारभूत निधि हैं : रु.794.57 करोड़ (ग्रेच्युटि), रु.2629.00 करोड़ (पेंशन निधि) रु.300.40 करोड़ (अवकाश नकदीकरण) तथा रु.278.80 करोड़ (अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ)।

प्रबंधन विवेचन एवं विश्लेषण

2008-09 में आर्थिक परिदृश्य :

वर्ष 2003-04 से 2007-08 तक की अवधि के दौरान 8.9% की अच्छी वृद्धि देखने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2008-09 में पूरी दुनिया में आई मंदी के कारण मंदी का अनुभव किया। भारत सहित उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं ने मूलरूप से घटती निर्यात मांग, बाह्य वित्तपोषण की दिक्कतों को अनुभव किया। भारत में विकास की दर में मंदी, वित्त वर्ष 2008-09 की दूसरी छमाही में लगातार 5 महीनों में निर्यात में गिरावट तथा औद्योगिक गिरावट दर्ज की गयी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वार्षिक मौद्रिक नीति 2009-10 में वर्ष 2008-09 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5% से 6.7% की श्रेणी में रहने की प्रत्याशा दर्शायी है।

सेक्टर स्तर पर वर्ष 2008-09 के दौरान कृषि क्षेत्र का कार्य निष्पादन संतोषजनक रहा। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) ने कृषि एवं अनुषंगी क्षेत्र की विकास दर 2.6% रहने की आशा की है। सकल घरेलू उत्पाद के द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2008-09 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन वर्ष 2007-08 के 230.08 मिलियन टन की तुलना में वर्ष 2008-09 में 227.9 मिलियन टन होने की संभावना है।

तथापि, औद्योगिक क्षेत्र ने वर्ष 2008-09 में गति में कमी को अनुभव किया। वर्ष दर वर्ष 2007-08 में 8.5% की तुलना में 2.4% की वृद्धि हुयी। इसी प्रकार, स्थायी अथवा ढांचागत उद्योगों ने वर्ष 2007-08 में 5.9% की तुलना में वर्ष 2008-09 में 2.7% की निम्नतर वृद्धि रिकार्ड की। कोर सेक्टर के भीतर मंदी, स्टील सेक्टर एवं कच्चे तेल में ज्यादा रही। औद्योगिक मंदी में बड़ा योगदान निवेश में कमी एवं निजी उपभोक्ता मांग रहा। तथापि, वित्तीय प्रोत्साहन उपायों और वचन बद्ध खर्चों के कारण सरकारी उपभोग खर्च संतुलित रहा।

कार्पोरेट कार्यनिष्पादन भी वर्षभर धीमा रहा। यद्यपि वर्ष 2008-09 की तीसरी तिमाही बिक्री मात्रा एवं लाभप्रदता के लिहाज से सबसे खराब रही।

अगस्त 2008 में 13.0% (वर्ष दर वर्ष) के आसपास जाने के बाद हेडलाइन मुद्रास्फीति की दर (होलसेल मूल्य सूचकांक) 28 मार्च, 2009 को 0.26% पर आ गया। वस्तुओं के मूल्य में गिरावट एवं कमजोर घरेलू मांग के कारण आगामी छमाही में मुद्रा स्फीति की दर साधारण बनी रहने की संभावना है।

वैश्विक मंदी में गिरावट के कारण वर्ष 2008-09 में भारत की वस्तुओं का निर्यात

यू.एस. \$168.7 बिलियन रहा। इसमें 3.4% की साधारण वृद्धि हुई। एक वर्ष पहले यह \$163.00 बिलियन था। आयात में भी वर्ष दर वर्ष आधार पर 14.3% की साधारण वृद्धि दर्ज हुई। वर्ष 2008-09 का भारत का व्यापार घाटा एक वर्ष पहले \$ 88.52 बिलियन से यू.एस \$119.05 बिलियन हो गया। चालू खाता घाटा वर्ष 2008-09 में सकल घरेलू उत्पाद का 3% रहने का अनुमान है। यह मुख्यतः बढ़े तेल आयात बिल के कारण होने का अनुमान है (विशेष रूप से 2008-09 की प्रथम छमाही में)।

भारतीय अर्थव्यवस्था, घटी आवक एवं दीर्घावधि और अल्पावधि ऋणों में कमी तथा 2008-09 में पोर्टफोलियों आवक में वापसी के कारण, दबाव में रही। एक सकारात्मक बात यह है कि प्रत्यक्ष निवेश वर्ष 2008-09 में (यूएस \$ 27.38 बिलियन बरकरार रहा, जो यह दर्शाता है कि दीर्घावधि निवेश की दृष्टि से भारत आकर्षक बना रहेगा।

जहां भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मई, 2008 में \$315 बिलियन से गिरकर मार्च, 2009 की समाप्ति पर \$ 252.33 बिलियन रह गया, तथापि, वे देश की सकल वित्तीय आवश्यकताओं और आयातों की तुलना में पर्याप्त बने रहे। इसके अलावा भारत के बाह्य ऋणों, ऋण स्थायित्व संकेतक संतोषजनक स्तर पर बने रहे एवं बाह्य स्थायित्व सुनिश्चित करते रहे।

वैश्विक संकट के परिणामस्वरूप बेंच मार्क स्टॉक मार्केट इंडेक्स में 38% से अधिक की गिरावट वर्ष 2008-09 में रही तथा डॉलर की तुलना में रुपए का मूल्य 26.4% घट गया। वर्ष 2009-2010 के प्रारंभ में रुपया तथा स्टॉक मार्केट में काफी हद का स्थायित्व देखा गया।

वर्ष 2008-09 में, भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति, मुद्रा स्फीति की चिंताओं से हटकर वर्ष 2008-09 में वित्तीय स्थिरता रखने पर चली गयी और यह वित्तीय छमाही में विकास समन्वयन पर केन्द्रित रही। भारतीय रिज़र्व बैंक के उपायों, पॉलिसी दरों में कमी, कैश रिज़र्व रेशियो में कमी, सांविधिक तरलता अनुपात में कमी, पूंजी आवक पर नियंत्रणों में छूट से घरेलू तरलता दबावों में कमी आयी और अंतर बैंक मांग दरें घट गईं। भारतीय रिज़र्व बैंक के उपायों से वित्तीय प्रणाली में उपलब्ध संचयी प्रमुख तरलता सकल घरेलू उत्पाद का करीब 7% रही।

वैश्विक समस्या से निपटने के लिए सरकार ने भी तीन संजीवनी उपाय किए। जो ग्रामीण गरीबों के लिए सुरक्षा कार्यक्रमों, कृषि ऋण माफी पैकेज तथा छोटे वेतन आयोग के द्वारा दी गयी राशियों के अलावा थे। इन सभी उपायों का मिला जुला असर सकल घरेलू उत्पाद का 3% रहा।

भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना है। विशेष रूप से वैश्विक वित्तीय मंदी के संदर्भ में जैसे - सार्वजनिक एवं निजी निवेश मांग को बढ़ाना, उच्च सरकारी खर्चों को देखते हुए प्रणाली से पर्याप्त तरलता बनाए रखना, वित्तीय स्थायित्व बनाए रखना और सामान्य ब्याज दर परिवेश बनाए रखना आदि।

वर्ष 2008-09 में प्रारंभ किए गए मौद्रिक प्रोत्साहन उपायों तथा वस्तुओं के मूल्यों में कमी से अर्थव्यवस्था में घरेलू कार्यकलापों को स्थायित्व देकर गिरावट को रोकने में सहायता मिलेगी। तदनुसार, सामान्य मानसून के अनुमान के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2009-10 में सकल घरेलू उत्पाद में 6% की वृद्धि एवं वित्तीय वर्ष 2010 के अंत में 4% मुद्रा स्फीति (डब्ल्यूपीआई) का अनुमान किया है।

वर्ष 2008-09 में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का कार्य निष्पादन :

वर्ष 2008-09 के दौरान भारतीय बैंकिंग उद्योग के समक्ष वैश्विक वित्तीय बाजारों में कठिन बाजारगत तरलता के रूप में कई अनिश्चितताएं रही। भारतीय रिज़र्व बैंक के तात्कालिक एवं सम्बद्ध उपायों से भारतीय बैंकिंग उद्योग में पर्याप्त तरलता सुनिश्चित हो गयी, जिससे उत्पादन क्षेत्र को ऋणों का प्रवाह ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। फिर भी, कठिन वैश्विक मंदी के भारत पर प्रभाव के कारण वर्ष 2008-09 में वाणिज्यिक सेक्टर को बैंक ऋणों में कमी आयी। इसके अलावा भारतीय बैंकिंग उद्योग की शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियों का विस्तार काफी हद तक साधारण रहा।

वाणिज्यिक सेक्टर को बैंक ऋणों में वर्ष 2008-09 में 16.09% (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि हुई। एक वर्ष पहले यह 21% थी। वाणिज्यिक बैंकों के गैर खाद्यान्न ऋणों में 2008-09 की पहली दो तिमाहियों में पेट्रोलियम सेक्टर तथा कार्पोरेट्स द्वारा गैर बैंकिंग सेक्टर से लिए गए ऋणों के एवज़ में राशियां लेने के स्वरूप वृद्धि हुई। तथापि, मार्च 09 के अंत में गैर खाद्यान्न ऋणों में समग्र वर्ष की वृद्धि दर 17.5% रही, जबकि 1 वर्ष पहले यह 23% थी। 19.8% वर्ष-दर-वर्ष जमा राशियों के संग्रहण की तुलना में ऋणों में कम विस्तार के परिणामस्वरूप अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात (वर्ष-दर-वर्ष) में कमी आयी। मार्च, 2009 में यह 64.4% रहा जब कि मार्च, 08 में यह 73.6% था।

भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़े दर्शाते हैं कि बैंकिंग प्रणाली में जहां बैंक ऋणों में गिरावट रही, वहीं यह निजी एवं विदेशी बैंकों में तेज रही।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश उनकी शुद्ध मांग एवं मीयादी देयताओं की तुलना में मार्च 09 में बढ़कर 28.1% रहा। यह एक वर्ष पहले 27.8% था। यह कम ऋण विस्तार के कारण संभव हुआ है।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋणों का खंडवार नियोजन दर्शाता है कि वर्ष 2008-09 में वृद्धिशील ऋण विस्तार मूलतः इन्फ्रास्ट्रक्चर, पेट्रोलियम, कोल उत्पाद, न्यूक्लीयर फ्यूल, लोहा एवं इस्पात, इंजीनियरिंग, निर्माण और रसायन और रसायन उद्योगों में हुआ। जबकि ऋण विस्तार की गति छोटे उद्योगों एवं व्यक्तिगत ऋणकर्ताओं में सामान्य रही, वहीं कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई।

भारतीय बैंकों ने अपने वैश्विक समकक्षों की तुलना में सामान्य रूप से, वर्ष 2008-09 में चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद अच्छे वित्तीय परिणाम दर्शाये हैं। भारतीय बैंकों के लिए वित्त वर्ष 2009-10 का परिदृश्य, भारतीय रिज़र्व बैंक के कठोर विवेकशील विनियमों, स्वस्थ वित्तीय सूचकों और स्थायी राजनैतिक माहौल में सकारात्मक दिखायी पड़ता है।

जोखिम प्रबंधन :

विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिम उठाना बैंकिंग व्यवसाय का अभिन्न भाग है। बैंक ऑफ बड़ौदा के पास मजबूत एवं एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि अनुमानित जोखिम परिभाषित मानदंडों के अंदर हो तथा पर्याप्त रूप से प्रतिपूरित रहे। बैंक के जोखिम प्रबंधन ढांचों में, जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम प्रबंधन कार्यान्वयन और निगरानी प्रणाली शामिल है।

जोखिम प्रबंधन ढांचा

बैंक की जोखिम क्षमता और प्रभावी जोखिम प्रबंधन की समग्र जिम्मेदारी निदेशक मंडल और बैंक के शीर्ष प्रबंधन पर रहती है। निदेशक मंडल ने वित्तीय

जोखिम से संबंधित मुद्दों पर सहायता देने हेतु जोखिम प्रबंधन और एएलएम की उप समितियों का गठन किया है। बैंक के पास महाप्रबंधक के नेतृत्व में एक पूरा जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है जिसमें योग्य, अनुभवी, प्रशिक्षित स्टाफ सदस्यों को तैनात किया गया है। बैंक ने अलग-अलग समितियों का गठन, उच्च कार्यपालकों के नेतृत्व में संबंधित जोखिम कार्यों का पर्यवेक्षण करने के लिए किया है।

आस्ति, देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) मूलतः मार्केट जोखिम एवं तुलन पर प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। इसके पास जमा राशियों की दरें, ऋण की दरें, स्प्रेड अंतरण, मूल्य निर्धारण आदि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तय करने के प्रत्यायोजित अधिकार हैं।

ऋण नीति समिति (सीपीसी) के पास विभिन्न उद्यमवार ऋण जोखिम कार्ययोजना, ऋण नीति बनाने सहित योजनाएं तैयार करके उन्हें कार्यान्वित करने का अधिकार एवं जिम्मेदारी है तथा इसे नियमित आधार पर ऋण जोखिम प्रबंधन कार्यों की निगरानी भी करना है।

परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) के पास परिचालनगत जोखिम को, स्पष्ट परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया तैयार करने और उसका रखरखाव करने का अधिकार एवं जिम्मेदारी है।

जोखिम प्रबंधन नीति

बैंक के पास निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति एवं प्रक्रिया है जिससे बैंक के लिए विभिन्न जोखिमों का आकलन, प्रबंधन एवं समापन किया जा सके। सुलभ संदर्भ के लिए तथा बैंक में जोखिम प्रबंधन प्रणाली के विभिन्न कार्यप्रमुखों को सुलभ संदर्भ एवं मार्गदर्शन उपलब्ध करवाने की दृष्टि से बैंक के पास निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित आस्ति देयता प्रबंधन एवं ग्रुप जोखिम नीति, घरेलू ऋण नीति, मिड ऑफिस पॉलिसी, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर पॉलिसी, (घरेलू) बिज़नेस कान्टीन्यूटी प्लानिंग पॉलिसी, पिलर III, घोषणा नीति, स्ट्रेस टेस्ट पॉलिसी, स्ट्रेस टेस्ट फ्रेम वर्क, परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी), ऋण जोखिम समापन और संपार्श्विक प्रबंधन नीति हैं।

जोखिम प्रबंधन कार्यान्वयन एवं मॉनीटरिंग प्रणाली

वित्तीय सेवा उद्योग में बैंक के सामने सबसे बड़ा जोखिम तरलता जोखिम, ऋण जोखिम, मार्केट जोखिम और परिचालन जोखिम होता है।

तरलता जोखिम :

तरलता जोखिम वह जोखिम है जब बैंक के पास अपनी देयताओं एवं वचन बद्धताओं को पूरा करने के लिए या तो वित्तीय साधन उस समय उपलब्ध नहीं होते हैं, जब वे देय होते हैं अथवा बैंक को अधिक लागत पर उन्हें प्राप्त करना पड़ता है। वर्ष 2008-09 की दूसरी और तीसरी तिमाही में वैश्विक वित्तीय बाजार के अनुरूप भारतीय बाजार ने काफी अस्थिरता देखी जिसके कारण बाजार साझेदारों पर तरलता दबाव बढ़ा। वित्तीय प्रणाली में तरलता लाने के लिए भारत सरकार के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक ने विभिन्न आर्थिक और मौद्रिक उपायों की शुरुआत की।

बैंक की आस्ति देयताएं समिति (एलको) की संपूर्ण जिम्मेदारी है कि वह बैंक के तरलता जोखिम पर पूरी तरह से निगरानी रखे। तरलता जोखिम को संगठनात्मक

तरलता अंतराल रिपोर्टों द्वारा दैनिक आधार पर प्रवाह स्थिति और अगले तीन मास पखवाड़े की गतिशील अंतराल रिपोर्टों के माध्यम से गतिशील आधार पर आंका जाता है। स्टॉक स्थिति के अंतर्गत बैंक ने, दैनिक आधार पर उधार देने, दैनिक आधार पर उधार लेने की मांग, शुद्ध अल्पकालिक उधार एवं ग्राहक जमा राशियों के अनुपात में शुद्ध ऋण और प्रमुख आस्ति अनुपात आदि जैसी गतिविधियों के लिए अनेक सुरक्षात्मक उपाय किए हैं। जोखिम प्रबंधन विभाग के अंतर्गत कार्यरत आस्ति देयताएं प्रबंधन (ALM) कक्ष दैनिक आधार पर तरलता स्थिति की समीक्षा करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नकारात्मक तरलता अंतराल संबंधित समय अवधि में छूट सीमा से अधिक नहीं होता है। स्पेशलाइज्ड इंटीग्रेटेड ट्रेजरी शाखा, मुंबई, संपूर्ण विदेशी मुद्रा से संबंधित निवेशों के संबंध में देशीय तरलता का मूल्यांकन करती है। विदेशी परिचालन के संबंध में प्रत्येक टैरीटरी निर्धारित समय अवधि पर मुद्रावार तरलता स्थिति का मूल्यांकन करती है। नियमित अंतरालों पर आकस्मिकता के मामले में निधियों की आवश्यकताओं का भी आकलन करती है। नियमित अंतरालों पर आकस्मिकता के मामले में निधियों की आवश्यकताओं का भी आकलन किया जाता है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बैंक तैयार रह सके।

बैंक ने अपनी तरलता स्थिति की व्यवस्था, विभिन्न प्रकार के जमा आधार, बड़ी जमा राशि के स्तर पर नियंत्रण करके और बाजार की सामान्य स्थितियों के अंतर्गत थोक निधियां प्राप्त करके की है। बैंक के पास भारी मात्रा में विपणन योग्य प्रतिभूतियां हैं जिन्हें जरूरत के समय बेचा जा सकता है, निवेश किया जा सकता है या आवश्यकता के समय संपार्श्विक सम्पत्ति के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है।

ऋण जोखिम

ऋण जोखिम एक ऐसा जोखिम है जिसमें वित्तीय लेन-देनों का प्रति पक्ष अपने दायित्व को पूरा नहीं करता है जिसके परिणामस्वरूप बैंक को वित्तीय हानि होती है। ऋण जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया में पहचान परिमाण अनुप्रवर्तन और ऋण निवेश पर नियंत्रण शामिल है।

परिचालन पदाधिकारियों को स्पष्ट रूप से बताने के लिए बैंक के पास देशीय ऋण नीति, बैलेंस शीट में सम्मिलित न की जाने वाली निवेश-मद आदि जैसी विभिन्न नीतियां हैं जिनमें बैंक ने ऋण जोखिमों के लिए विभिन्न विवेकपूर्ण सुरक्षा उपाय किए हैं। बैंक ने औद्योगिक अध्ययन भी किए हैं ताकि उद्योगों के अंतर्गत, जहां बैंक ने भारी मात्रा में निवेश किया है, प्रचलित जोखिमों का पता लग सके और इससे उभरते हुए उद्योगों की पहचान भी हो सके। परिचालन पदाधिकारियों को इन औद्योगिक रिपोर्टों की सूचना भी दी गई है ताकि इन उद्योगों को उधार देते समय उन पर विचार किया जा सके।

बैंक ने विभिन्न ऋण रेटिंग मॉडल्स भी अपनाए हैं ताकि किसी भी विशेष ऋण के लेनदेन में समाहित ऋण जोखिम के स्तर को आंका जा सके। बैंक अधिकतर व्यावसायिक ऋणों (व्यक्तिगत ऋणों के अतिरिक्त) के ऋण जोखिम का पता लगाने के लिए विकसित, रोबस्ट मॉडल रेटिंग का उपयोग भी करता है। ये रेटिंग मॉडल अनुमानित चूक (पीडी) की संभावना चूक से होने वाली हानि (एलजीडी) और किसी विशेष परिसम्पत्ति से होने वाली अप्रत्याशित हानि का पता लगाने की क्षमता रखते हैं।

पीडी एवं एलजीडी का अनुमान लगाने के अलावा, ऋण क्रेडिट रेटिंग मॉडल बैंक की कुछ अन्य तरीकों से भी सहायता करेगा, जो इस प्रकार हैं :

जोखिम भारित परिसम्पत्तियों की गणना के लिए रेटिंग आधारित दृष्टिकोण को अपनाना।

निहित ऋण जोखिम को ध्यान में रखने हेतु विशेष ऋण सुविधा का मूल्यांकन।

समग्र ऋण जोखिम को मापना और उसका मूल्यांकन करना और अपेक्षित ऋण जोखिम संविभाग का मूल्यांकन करना।

प्रतिपक्ष के स्तर पर ऋण जोखिम का मूल्यांकन करने के अतिरिक्त बैंक के पास संविभाग स्तर पर ऋण जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त प्रक्रिया एवं पद्धति है। बैंक नियमित अंतरालों पर ऋण संविभाग की समीक्षा करता है ताकि ऋण संविभाग की गुणवत्ता में सुधार हो सके या निश्चित ऋणियों /क्षेत्रों /उद्योगों के प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सके।

बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार को प्रभावित करने वाली मर्दों अर्थात् ब्याज दरें, विनिमय दरें और अन्य परिसम्पत्ति मूल्यों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप वित्तीय लिखतों के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य बैंक की आय और इक्विटी के साथ तुलन-पत्र एवं संरचनात्मक स्थिति को क्षति पहुंचाने वाले अत्यधिक एक्सपोजर से बचने और वित्तीय लिखतों जैसे प्रतिभूतियों विदेश विनियम संविदाएं, इक्विटी तथा डेरीवेटिव लिखतों में निहित उतार-चढ़ाव में बैंक के एक्सपोजर को कम करना है। वित्तीय मध्यस्थ के रूप में बैंक के समक्ष मुख्य जोखिम, बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन कार्यकलापों के कारण ब्याज दर जोखिम हैं। बैंक के बाजार से सम्बद्ध अन्य जोखिमों में विदेशी मुद्रा स्थिति पर विदेशी मुद्रा जोखिम नकदी अथवा निधिगत जोखिम और ट्रेडिंग पोर्टफोलियों पर मूल्य जोखिम है।

बैंक ने बाजार जोखिम से बचने के लिए स्पष्ट समन्वित ट्रेजरी प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन नीति बनाई है। इन नीतियों में प्रबंधन नीतियों, प्रक्रियाओं, विवेकसम्मत ऋण सीमाओं, समीक्षा मैकेनिज्म और रिपोर्टिंग पद्धतियों का समावेश है। वित्तीय और बाजार स्थितियों में परिवर्तन के अनुरूप इन नीतियों में आवधिक रूप से संशोधन किया जाता है।

ब्याज दर जोखिम का आकलन ब्याज दर अस्थिरता अन्तर रिपोर्ट तथा जोखिम आय के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा बैंक, अवधि, संशोधित अवधि, निवेश पोर्टफोलियो हेतु जोखिम मूल्य, जिसमें स्थायी आय प्रतिभूतियां, इक्विटी तथा मासिक आधार पर विदेशी विनियम स्थिति की गणना करता है। बैंक, अल्प अवधि ब्याज दर जोखिम की मॉनटरिंग, शुद्ध ब्याज आय (एनआरआई) तथा दीर्घ अवधि ब्याज जोखिम की मॉनटरिंग इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) को ध्यान में रखते हुए करता है। ट्रेजरी के संदर्भ में वेल्यू एट रिस्क की गणना 99% कॉन्फिडेंस लेवल पर 10 दिन की होल्डिंग अवधि के आधार पर की जाती है। अस्थिरता विश्लेषण तथा इक्विटीज के माध्यम से स्थिर ब्याज निवेश पोर्टफोलियों की स्ट्रेस जांच परिस्थितिगत विश्लेषण के माध्यम से नियमित रूप से की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के आधार पर बैंक, इक्विटी प्रभाव के आर्थिक मूल्य का तिमाही आधार पर आकलन कर रहा है।

परिचालन जोखिम

परिचालन जोखिम एक ऐसा जोखिम है जिसमें अपर्याप्त अथवा असफल आंतरिक प्रक्रिया, लोग और पद्धति अथवा बाह्य तत्वों के कारण हानि होती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति वह प्राधिकारी है जिसकी बैंक के परिचालन जोखिम पर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी है। बैंक, अपनी आंतरिक पद्धतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करके और इनके विधिवत अनुपालन द्वारा परिचालन जोखिम पर नियंत्रण रखता है। बैंक छात्राधीन आधार पर विभिन्न अलग-अलग पेरामीटरों पर आधारित परिचालन जोखिम के डाटा का संग्रहण एवं विश्लेषण करता है और जहां कहीं जरूरी हो वहां सुधार के उपाय किए जाते हैं।

बासेल II का बैंक द्वारा अनुपालन

बैंक की भारतीय बैंकों के बीच उपस्थिति सबसे बड़ी विदेशी उपस्थितियों में से एक है और इसलिए 31 मार्च, 2008 से बासेल II दिशानिर्देशों को लागू करना जरूरी था। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखकर बैंक ने ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालन जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण और सीआरएआर की गणना हेतु बाजार जोखिम के अवधि दृष्टिकोण को अपनाया है। अतः बैंक ने बासेल -I तथा बासेल -II दिशानिर्देशों के तहत समानान्तर आधार पर जोखिम भारत आस्ति अनुपात (सीआरएआर) में पूंजी की गणना है। बैंक बासेल -II दिशा-निर्देशों के तहत परिचालन जोखिम हेतु अतिरिक्त पूंजी प्रभार का भी प्रावधान कर रहा है। बैंक के सीआरएआर को निम्नानुसार सारांशीकृत किया गया है :

	बासेल I	बासेल II
31.03.2008	12.91%	12.94%
31.03.2009	12.88%	14.05%

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बासेल II मानदंडों के अनुरूप ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम की गणना के उन्नत दृष्टिकोण के कार्यान्वयन हेतु समय-सीमा का निर्धारण किया है। बैंक विकसित पद्धतियों को अपनाने के लिए सज्जित हैं और बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप यथा समय कार्यवाही करेगा।

बासेल II के मानदंडों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के पिलर 2 के अनुपालन स्वरूप बैंक ने सम्भावित विभिन्न जोखिमों के परिप्रेक्ष्य में आंतरिक पूंजी का आकलन करने के लिए अपनी आंतरिक पूंजी आकलन प्रक्रिया नीति (आईसीएएपी) तैयार की है।

बैंक की वित्तीय और प्रबंधकीय क्षमता का आकलन करने के लिए बैंक द्वारा तनाव परीक्षण और परिवेश का मूल्यांकन निरपवाद रूप में लेकिन प्रभावी युक्तियुक्त परिचालन के लिए किया जाता रहेगा। इस प्रकार की स्थितियां आर्थिक, विधिक, राजनैतिक, परिवेशगत और सामाजिक कारणों से उत्पन्न हो सकती हैं। बैंक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित तनाव आकलन नीति है जिसमें संभाव्य संवेदनशीलताओं की पहचान करने की विभिन्न तकनीकों एवं बैंक द्वारा उनको वहन करने की क्षमता का वर्णन किया गया है। बैंक ने 30.09.2008 तथा 31.03.2009 को बैंक की आंतरिक पूंजी निर्धारण प्रक्रिया नीति में तनाव परीक्षण के साथ-साथ आंतरिक पूंजी निर्धारण प्रक्रिया की जांच करवाई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के बाजार अनुशासन दिशा-निर्देशों के पिलर 3 के अंतर्गत घोषणा 30.09.2008 तथा 31.03.2009 को की गई। 31.03.2009 को समाप्त वर्ष के लिए किया गया प्रकटीकरण वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग है और इसे बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। 30.09.2008 को समाप्त छात्राधीन के लिए किया गया प्रकटीकरण भी बैंक की वेब साइट पर प्रदर्शित किया गया है।

ऋण निगरानी कार्य

अग्रिम आस्तियों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर आधार पर ऋण निगरानी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। बैंक के पास आस्तियों की गुणवत्ता में गिरावट को रोकने और ऋण संविभाग की गुणवत्ता में समय पर सुधारात्मक कदम उठाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अग्रिम खातों की मासिक जांच के लिए व्यवस्थित पद्धति है।

कार्पोरेट स्तर पर महाप्रबंधक की देखरेख में ऋण निगरानी के लिए एक अलग से विभाग तथा अंचल व क्षेत्रीय स्तर पर ऋण निगरानी के लिए विभागों का गठन सितंबर, 2008 में किया गया है। सभी अंचलों /क्षेत्रीय स्तरों पर बैंक की घरेलू ऋण नीति के अनुरूप गिरावट की रोकथाम के लिए और सम्भावित रुग्ण खाते को निर्धारित शर्तों व दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्राथमिक स्तर पर रोकने के लिए सभी अंचल /क्षेत्रीय कार्यालयों में स्लिपेज निवारक कार्य-दलों का गठन किया गया है। बैंक ने आस्तियों की गुणवत्ता, विशेष ध्यान देने योग्य क्षेत्रों/शाखाओं के निर्धारण, कार्यनीति तैयार करने और समयबद्ध रूप में उसे लागू करने के लिए विशेष ध्यान दिया है।

कार्पोरेट स्तर पर ऋण निगरानी विभाग के मूल उद्देश्य निम्न प्रकार निर्धारित किए गए हैं :

- आरंभिक अवस्था में ऋण खाते की कमियों /सम्भावित चूक /शुरुआती अस्वस्थता को पहचानना।
- जब कभी भी किसी खाते में ऋण गुणवत्ता की क्षति अर्थात् ऋण रेटिंग में गिरावट, एलसी /गारंटी की देयताओं को पूरा करने में देरी करने और ब्याज /किस्तें आदि की अदायगी में विलम्ब होने के संकेत मिलते हैं तो उन्हें रोकने के लिए समय पर उपयुक्त एवं सुधारात्मक कदम उठाना।
- कड़ी अनुवर्ती कार्यवाही के माध्यम से आस्ति वर्गीकरण एवं ऋण रेटिंग में आने वाली गिरावट को रोकना।
- ऋण खातों की पुनः संरचना /पुनः समय निर्धारण /पुनः चरणबद्ध करने के लिए उपयुक्त मामलों तथा ऋणी के सहयोग प्रदान करने के आधार पर उपयुक्त एवं वास्तविक मामलों में आगे और वित्त प्रदान करने के मामलों की पहचान करना।
- खातों की समीक्षा एवं नियम तथा शर्तों के अनुपालन हेतु आवश्यक कदम उठाकर /नियमित रूप से अनुवर्ती कार्यवाही करके बैंक के ऋण संविभाग की गुणवत्ता में सुधार लाना।
- ऋण रेटिंग में सुधार करने के प्रयास करने के प्रयास करना।

अग्रिम खातों का पुनर्गठन

मंदा की सामना कर रहे वास्तविक ऋणकर्ताओं की मदद करने के लिए बैंक की नीति के भाग के रूप में बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने ऋणकर्ताओं के अनुरोध पर कुछेक ऋण खातों को पुनर्गठित किया है। इन खातों के विवरण निम्नानुसार हैं।

अग्रिम खातों की पुनःसंरचना (देशीय) 2008-09

(रु. करोड़ में.)

		सीडीआर मैकेनिज्म	एसएमई पुनःसंरचना	अन्य	कुल
पुनर्गठित मानक अग्रिम	ऋणियों की संख्या	3	6606	31600	38209
	बकाया राशि	199.91	819.47	1577.05	2596.44
पुनर्गठित अवमानक अग्रिम	ऋणियों की संख्या	1	187	1985	2173
	बकाया राशि	16.70	20.05	23.66	60.41
पुनर्गठित संदिग्ध अग्रिम	ऋणियों की संख्या	0	2	41	43
	बकाया राशि	0.00	0.97	0.74	1.72
कुल	ऋणियों की संख्या	4	6795	33626	40425
	बकाया राशि	216.61	840.50	1601.45	2658.56

इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय परिचालन में बैंक ने वर्ष 2008-09 के दौरान रु. 366.15 करोड़ की कुल बकाया राशि के 30 ऋण खातों का पुनर्गठन किया।

बैंक ने उच्च मूल्य वर्ग के अग्रिम खातों में बैंक ऋण संविभाग की आस्ति गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए खातों की शीघ्र समीक्षा, नियम एवं शर्तों का अनुपालन, ऋण रेटिंग आदि के उन्नयन को सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्ती कार्यवाही भी की है।

आर्थिक आसूचना इकाई

बैंक के कार्पोरेट कार्यालय में कार्यरत विशेष आर्थिक आसूचना इकाई, नीतिपरक व्यवसाय आयोजना, निवेशक संबंध एवं ऋण तथा बाजार जोखिम प्रबंधन जैसे नाजुक क्षेत्रों में उच्च प्रबंधन वर्ग को सहयोग देता है। यह इकाई नियमित रूप से उच्च प्रबंधन वर्ग तथा बैंक की विभिन्न परिचालन इकाइयों को समय-समय पर प्रमुख क्षेत्रों में जैसे औद्योगिक एवं संगठनात्मक विकास, मुद्रा-स्फीति, ब्याज दर, स्टॉक संचालन, ऋण विस्तार एवं बैंकिंग उद्योगों हेतु संसाधन जुटाना, तरलता एवं विनिमय दरों जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए आवधिक रूप से दृष्टिबोध कराता है। इकाई बैंक के आस्ति-देयता प्रबंधन फंक्शन को पूर्ण सहायता भी देती है।

व्यापक आर्थिक पहलुओं कार्पोरेट क्षेत्रों की स्थिति और वित्तीय क्षेत्रों की नीतियों की बेहतर समझ प्रदान करके, यह विभाग व्यावसायिक अवसरों को प्राप्त करने हेतु बैंक के प्रयासों में अपना सहयोग देता है और बाजार की गतिशीलता को जानकारी देता है।

आंतरिक नियंत्रण पद्धति

बैंक में एक सुव्यवस्थित **केंद्रीय निरीक्षण व लेखा परीक्षा प्रभाग** है जो कि पद्धतियों, नीतियों और प्रणालियों के अनुपालन की जांच में बैंक की मदद करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार, निदेशक मंडल तथा निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) से आंतरिक नियंत्रण के विभिन्न मामलों पर प्राप्त दिशा-निर्देश बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण पद्धति का एक हिस्सा बन गए हैं। केंद्रीय निरीक्षण व लेखा परीक्षा प्रभाग, अपने 10 अंचल निरीक्षण केंद्रों के माध्यम से निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा तय निर्धारित आवधिकता के अनुरूप शाखाओं/कार्यालयों का निरीक्षण करता है। केवाईसी /एएमएल (अर्थात नो योर कस्टमर्स तथा एंटी मनी लांडरिंग इत्यादि

विभिन्न आयामों सहित) जोखिम प्रबंधन एवं आंतरिक नियंत्रण की ऐसी पद्धतियों के पालन की जांच करता है।

नियमित शाखा निरीक्षण रिपोर्ट नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि यह परिचालन स्तर पर बैंक के मानदंडों के अनुपालन स्थिति से बैंक के उच्च प्रबंधन को विस्तृत फीडबैक प्रदान करती है। इसके अनुपालन की मॉनिटरिंग सुधार प्रमाण-पत्र के माध्यम से की जाती है।

सभी शाखाएं जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा के तहत कवर हैं। जोखिम तथा उनकी दिशा के स्तर का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित जोखिम मेट्रिक्स के अनुसार है, जो कि उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए छांटने में प्रबंधन की मदद करता है। शाखाओं के जोखिम वर्गीकरण की स्थिति की समीक्षा एसीबी द्वारा तिमाही आधार पर की जाती है।

शाखाओं के नियमित निरीक्षण के अतिरिक्त, बैंक में कई अन्य निरीक्षण जैसे अनुषंगियों, सहायक इकाइयों, कार्पोरेट, प्रधान कार्यालय, प्रशिक्षण केंद्रों, प्रशासनिक कार्यालयों तथा विदेशी शाखाओं के निरीक्षण भी किए जाते हैं। ये निरीक्षण उन केंद्रों पर नियुक्त बैंक के आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा किए जाते हैं तथा बैंक के नियंत्रक कार्यालयों, इसकी अनुषंगियों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की मैनेजमेंट ऑडिट की जाती है।

वर्ष 2008-09 के दौरान देशभर के अंचल निरीक्षण केंद्रों के निरीक्षण अधिकारियों ने घरेलू शाखाओं के 2374 निरीक्षण किये। विदेशों में तैनात आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा विदेशी शाखाओं के लगभग 447 निरीक्षण करने के साथ साथ यू.के. परिचालन, खाड़ी देशों और फिजी में प्रबंधन लेखा परीक्षा की गई। बैंक की समवर्ती लेखा परीक्षा में 508 शाखाओं का समावेश है जिसमें निधियों और निवेश प्रबंधन तथा बैंक की विदेशी मुद्रा परिचालनों का कार्य देखने वाली विशेष एकीकृत ट्रेजरी शाखा भी शामिल है।

केन्द्रीय निरीक्षण एवं लेखा परीक्षण प्रभाग द्वारा लेखा परीक्षण के माध्यम से ऋण जोखिम प्रबंधन का कार्य देखा जाता है। इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुरूप निधि आधारित और गैर निधि आधारित दोनों प्रकार के बड़े उधार खाते आते हैं। यह ऋण समीक्षा प्रणाली समयबद्ध जांच करने में सहायक होती है। ताकि खातों को गैर निष्पादित आस्तियों के रूप में स्लिप होने से बचा जा

सके. यह समय रहते चेतावनी संकेत के रूप में कार्य करती है. वर्ष 2008-2009 में, 2020 बड़े खातों का ऋण लेखा परीक्षण किया गया जोकि बकाया अग्रिमों का 63.54% कवर करते हैं.

ऋण लेखा परीक्षण हेतु वर्तमान वर्ष की सभी पात्र खातों की रिपोर्टों को देखा गया और अनुपालन / संबंधित अंचलों को आवश्यक निर्देश जारी करने के पश्चात उन्हें बंद किया गया.

समवर्ती लेखा परीक्षा में विदेशी मुद्रा डीलिंग तथा घरेलू निवेशों का 100% कारोबार के अलावा बैंक के कुल कारोबार का 63% शामिल है.

केन्द्रीय निरीक्षण तथा लेखा परीक्षा विभाग भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुरूप तिमाही आधार पर रिस्क प्रोफाइल टेम्पलेट का संकलन करता है. भारतीय रिज़र्व बैंक की रिस्क प्रोफाइल टेम्पलेट के अनुसार बैंक का समग्र जोखिम स्तर न्यून है तथा उसकी दिशा स्थिर है.

केन्द्रीय निरीक्षण एवं लेखा परीक्षण प्रभाग द्वारा अपने सूचना प्रणाली लेखा परीक्षण कक्षा के माध्यम से चयनित शाखाओं की सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा की गई और कोर बैंकिंग समाधान (CBS) में शिफ्ट हो रही शाखाओं का डाटा माइग्रेशन आडिट भी किया गया.

बैंक ने अंचल निरीक्षण केन्द्रों में कार्यरत निरीक्षण अधिकारियों हेतु सूचना सुरक्षा लेखा परीक्षण, डाटा माइग्रेशन लेखा परीक्षण तथा जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए. वर्ष के दौरान इसी तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम समवर्ती लेखा परीक्षकों हेतु भी आयोजित किए गए.

बोर्ड की लेखा परीक्षण समिति को समीक्षा हेतु प्रस्तुत कार्यसूची में बैंक के समग्र लेखा परीक्षण कार्य का समावेश है. बोर्ड की लेखा परीक्षण समिति के निर्देशों का अनुपालन की गई कार्रवाई रिपोर्टें (एटीआर) प्रणाली के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है. भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों की अनुपालन रिपोर्ट बोर्ड की लेखा परीक्षण समिति के समक्ष समीक्षा हेतु प्रस्तुत की जाती है.

परिचालन एवं सेवाएं

बैंक द्वारा 2008-09 में उठाए गए ग्राहकोन्मुख कदम

वर्ष 2008-09 के दौरान बैंक ने व्यक्तिगत एवं गैर व्यक्तिगत दोनों श्रेणियों के सभी प्रकार के जमा खाता खोलने के लिए नया प्रोफार्मा तथा एकरूपता वाली जमा पर्ची की शुरुआत की. बैंक ने ग्राहकों की सुविधा एवं उनमें जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से एक मार्गदर्शी नोट एवं सूचना पत्रिका भी तैयार की.

वरिष्ठ नागरिकों के खाते में निर्धारित राशि से कम न्यूनतम शेष रहने के मामले में पहली बार न्यूनतम शेष से कम शेष रहने पर कोई पेनल्टी न लगाने के वित्त मंत्रालय के निर्देशों का बैंक ने क्रियान्वयन किया. गुमशुदा व्यक्तियों के खाते में दावों के निपटान संबंधी नीति भी बैंक द्वारा तैयार की गई और यह वर्ष 2008-09 में कार्यान्वित की गई.

अनुपालन

बैंक ने कोड के बारे में अपने ग्राहकों एवं अपने स्टाफ सदस्यों में व्यापक जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से 'बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया' द्वारा निर्धारित मानकों को अंगीकार किया है. बैंक ने बीसीएसबीआई

कोड प्रत्येक ग्राहक तक पहुंचाने की व्यवस्था की तथा बैंक की वेबसाइट पर भी कोड को प्रदर्शित किया गया. शाखाएं, खाता खोलते समय ग्राहकों को जमा एवं अग्रिमों पर मार्गदर्शी नोट पेम्पलेट के रूप में इसे उपलब्ध करा रही हैं.

ग्राहक सेवा समितियां

1. निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति :

बैंक में ग्राहक सेवा के संबंध में निदेशक मंडल की एक उपसमिति कार्यरत है. 31.03.2009 को समिति के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1) श्री एम. डी. मल्ल्या | : अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |
| 2) श्री वी संतानरामन | : कार्यकारी निदेशक |
| 3) श्री राजीव कुमार बक्षी | : कार्यकारी निदेशक |
| 4) श्री ए. सोमसुंदरम् | : निदेशक |

निदेशक मंडल की उपसमिति के कार्यों में शामिल हैं - ग्राहक सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु नवोन्मेषी उपायों के सुझाव देना और उन्हें कार्यान्वित करना और सभी वर्गों के ग्राहकों की संतुष्टि के आधार को और हर समय अधिक विकसित करना. समिति के कार्यों में निम्नलिखित भी शामिल हैं -

- लोक सेवा संबंधी प्रक्रिया और कार्यनिष्पादन संबंधी लेखा परीक्षण की स्थायी समिति के कार्यों की देख रेख तथा ग्राहक सेवा की स्थाई समिति की सिफारिशों का अनुपालन करना.
- बैंकिंग लोकपाल द्वारा आदेश जो अवाई जारी करने की तारीख से 3 माह से अधिक अवधि होने पर कार्यान्वित नहीं किए गए तथा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में पाई गई कमियों की स्थिति की समीक्षा करना.
- मृतक जमाकर्ताओं / लॉकर धारकों/ सुरक्षित अभिरक्षा के जमाकर्ताओं से संबंधित ऐसे दावे, जो 15 दिनों से अधिक अवधि से निपटान हेतु लम्बित / बकाया रहे, उनकी समीक्षा करना.

31.03.2009 को समाप्त वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति की बैठकें 21.05.2008, 11.10.2008, 26.03.09 को आयोजित की गईं जिनमें उपस्थिति निम्नानुसार थी :

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें, जिनमें भाग लिया
श्री एम. डी. मल्ल्या	07.05.2008 से 31.03.2009	3	3
श्री वी. संतानरामन	01.04.2008 से 31.03.2009	3	3
श्री एस. सी. गुप्ता	01.04.2008 से 05.11.2008	2	2
श्री राजीव कुमार बक्षी	06.11.2008 से 31.03.2009	1	1
श्री ए. सोमसुंदरम्	01.04.2008 से 31.03.2009	3	3

2. ग्राहक सेवा संबंधी स्थायी समिति

निदेशक मंडल की उप समिति के अतिरिक्त, बैंक में ग्राहक सेवा संबंधी प्रक्रिया एवं निष्पादन लेखा परीक्षा की स्थायी समिति है। (भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुरूप) जिसमें बैंक के 4 महाप्रबंधक तथा सदस्यों के रूप में -3- प्रमुख सार्वजनिक प्रख्यात व्यक्ति शामिल हैं। बैंक के कार्यकारी निदेशक इसमें अध्यक्ष हैं।

यह समिति जनसाधारण को उपलब्ध बैंकिंग सेवाओं की अपर्याप्तता पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ साथ (i) वर्तमान सेवा का आधार (ii) समय-समय पर प्रगति की समीक्षा (iii) समय एवं गुणवत्ता में सुधार (iv) प्रौद्योगिकी प्रगति के कारण प्रक्रिया को अधिक संगत बनाना तथा (v) परिवर्तनों को सतत आधार पर सुग्राही बनाने हेतु उचित प्रोत्साहन का सुझाव देने के लिए गठित की गई है।

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) तथा काले धन को रोकने संबंधी उपाय

काले धन को रोकने संबंधी अधिनियम 2002 की शर्तों तथा भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल द्वारा के.वाई.सी.-ए.एम.एल. नीति विधिवत अनुमोदित की गई। यह नीति, जो कि के.वाई.सी. मानकों तथा काले धन को रोकने संबंधी उपायों को कार्यान्वित करने का आधार है, भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र के आधार पर मार्च 2009 में संशोधित की गई।

बैंक में के.वाई.सी.-ए.एम.एल. कार्यान्वयन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं -

- इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नकदी लेन देन रिपोर्ट जनरेट करना और कम्प्यूटर के माध्यम से उन्हें वित्तीय आसूचना इकाई को प्रस्तुत करना।
- प्रणाली आधारित संकेतों को जनरेट करने हेतु ए.एम.एल. सोल्यूशन का कार्यान्वयन।
- संदिग्ध लेन-देन रिपोर्टों का प्रणाली आधारित तरीके से पता लगाना और वित्तीय आसूचना इकाई को प्रस्तुत करना।
- बैंक ग्राहकों का प्रत्येक छमाही में प्रणाली आधारित जोखिम वर्गीकरण (ए.एम.एल. उपायों से) करना।
- जाली मुद्रा रिपोर्ट, वित्तीय आसूचना इकाई, नई दिल्ली को प्रस्तुत करना।

के.वाई.सी. के पूर्ण अनुपालन से स्टाफ के साथ-साथ ग्राहक शिक्षण बाध्यकारी हो जाता है जिसके लिए बैंक ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

- बैंक की वेबसाइट (www.bankofbaroda.com) पर ग्राहकों के लाभ के लिए के.वाई.सी. दस्तावेजों की पूरी सूची प्रदर्शित है।
- बैंक के इंटरनेट पर के.वाई.सी. पेज उपलब्ध कराया गया है जिस पर के.वाई.सी. से संबंधित संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराई गई है।
- बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों में के.वाई.सी. / ए.एम.एल. पर नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय बैंक संघ और राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान में वरिष्ठ अधिकारियों / कार्यपालकों हेतु बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

- बैंक के प्रधान कार्यालय में कार्पोरेट स्तर की जागरूकता दृष्टि निर्माण तथा शाखाओं का के.वाय.सी. आडिट हेतु सधन प्रयास किये जा रहे हैं।

सतर्कता

एक वित्तीय संस्था होने के नाते जनसाधारण के प्रति बैंक का यह विशेष दायित्व है कि वह उनके द्वारा कड़ी मेहनत से कमाए गए धन, जो कि उन्होंने बैंक में जमा/निवेशित किया है, की रक्षा सुनिश्चित करें। वर्षों से बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने इस क्षेत्र में विशेष प्रतिष्ठा अर्जित की है जो कि धन की सुरक्षा, चौकसी, सतर्कता के प्रति स्टाफ सदस्यों के कठिन परिश्रम और निजी कर्तव्यनिष्ठा को परिलक्षित करता है।

बैंक ने समय के अंतराल में प्रणालियां और प्रक्रियाएं विकसित की हैं जो कि समय के साथ खरी साबित हुई हैं। तथापि प्रौद्योगिकी से युक्त बैंकिंग के परिप्रेक्ष्य में अपराधियों द्वारा आधुनिक तरीके अपनाकर धोखाधड़ी के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे प्रयासों को असफल करने की प्रणालियों की समय समय पर समीक्षा की जाती है और स्टाफ सदस्यों की कुशलता को अधिक बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। जिसके फलस्वरूप वर्ष 2008-09 के दौरान रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामलों में शामिल राशि में तेज गिरावट आई है। बैंक ने कारोबार की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है।

यह उल्लेखनीय है कि परिचालन स्टाफ द्वारा प्रदर्शित असाधारण चौकसी और सतर्कता के कारण अराजक तत्वों द्वारा किए गए धोखाधड़ी के 60 प्रयास विफल कर दिए गए जिसके फलस्वरूप बैंक बहुत बड़ी वित्तीय हानि से बच गया। बैंक की खरीद एवं निविदा प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए निविदाएं आमंत्रित करने / बैंक द्वारा निविदाएं आदेशित करने के विवरण और टेंडर / संविदाओं का सारांश बैंक की वेबसाइट पर अधिकतम प्रचार देने की दृष्टि से प्रदर्शित किया जाता है। बैंक ने गृह एवं शिक्षा ऋणों के संबंध में स्थिति का पता लगाने के लिए ऑन लाइन आवेदन की भी व्यवस्था कार्यान्वित की है।

प्रणाली में उत्तम कोटि की सुरक्षा लाने और ग्राहकों को सुरक्षित परिवेश के प्रति आश्वस्त करने की दृष्टि से बैंक की सतर्कता मशीनरी द्वारा प्रभावी ढंग से कार्य किया जा रहा है।

कारोबार निष्पादन

2008-09 के दौरान व्यवसाय विकास के क्षेत्र में बैंक की प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

संसाधन संग्रहण तथा आस्ति विस्तार

31 मार्च, 2009 को कुल संसाधनों की तुलना में बैंक की जमा राशियों की अंशधारिता 84.60% रही। कुल जमा राशियों ₹.1,52,034.13 करोड़ के स्तर से बढ़कर ₹.1,92,396.95 करोड़ हो गई जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 26.55% की वृद्धि दर्शाती है। उसमें बचत बैंक जमा राशियां, जो कि निम्न लागत वाली जमा राशियों का महत्वपूर्ण घटक हैं, में 18.76% की वृद्धि हुई और ये ₹.35,776.38 करोड़ रूपए से बढ़कर ₹.42,487.28 करोड़ हो गई। कुल वैश्विक जमा राशियों में कम लागत वाली जमा राशियों (चालू एवं जमा) की अंशधारिता 29.59% रही और घरेलू जमा राशियों की तुलना में यह प्रतिशत 34.87% रहा। बैंकिंग उद्योग में वर्ष 2008-09 के दौरान ब्याज दरों में भी तेज वृद्धि को देखते हुए कम लागत वाली जमा राशियों की तुलना में मीयादी जमा राशियों के प्रति रुझान रहा।

वर्ष 2008-09 के दौरान घरेलू अग्रिम में 29.32% के विस्तार और विदेशी अग्रिम

में 56.3% के विस्तार से बैंक का वैश्विक अग्रिम बढ़कर 34.94% हो गया। यह उल्लेखनीय है कि विदेशी अग्रिम विस्तार में वर्ष 2008-09 के दौरान मुद्रा मूल्य ह्रास (यू एस डॉलर की तुलना में 26.9% के अनुक्रम में) का प्रभाव भी समाविष्ट है।

निधियों का मिश्रण - वैश्विक

विवरण	मार्च 2008 को समाप्त अवधि (₹. करोड़)	मार्च 2009 को समाप्त अवधि (₹. करोड़)	वृद्धि (%)
जमाराशियां	1,52,034.13	1,92,396.95	26.55
- घरेलू	1,22,479.35	1,51,408.99	23.62
- विदेशी	29,554.77	40,987.96	38.68
- उधार	3,927.05	5,636.08	43.52

वैश्विक अग्रिम

विवरण	मार्च 2008 को समाप्त अवधि (₹. करोड़)	मार्च 2009 को समाप्त अवधि (₹. करोड़)	वृद्धि (%)
अग्रिम	1,06,701.32	1,43,985.90	34.94
- घरेलू	84,503.30	1,09,283.00	29.32
- विदेशी	22,198.02	34,702.90	56.33

होलसेल बैंकिंग

हाल के वर्षों में भारत में बड़े निजी एवं विदेशी बैंकों में अपनाई जा रही आक्रामक व्यापारिक नीतियों के फलस्वरूप होलसेल बैंकिंग व्यवसाय एक प्रमुख एवं अत्यंत प्रतिस्पर्धी व्यवसाय के रूप में उभरा है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हमारे बैंक का ऋणों से संबंधित आधा कारोबार होलसेल बैंकिंग से ही अर्जित होता है, बैंक ने इस हेतु समय-समय पर विभिन्न व्यावसायिक मॉडलों, सेवा मानकों, त्वरित रिस्पांस तथा बेहतर पहुंच जैसी कार्यनीतियों को अपनाया है।

बैंक ने कार्पोरेट जगत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक में ही बड़े एवं मध्यम कार्पोरेट ग्राहकों के लिए होलसेल बैंकिंग शाखाओं की स्थापना की है तथा इससे अपेक्षित परिणाम भी हासिल हुए हैं। अपने ग्राहक आधार को और विस्तृत एवं सुदृढ़ करने के लिए नए ऋण प्रस्तावों हेतु स्वीकृति प्रक्रिया को और चुस्त बनाने के उद्देश्य से अलग से 'फास्ट ट्रैक' डेस्क स्थापित किया गया है तथा यह काफी सफल रहा है। वर्ष 2008-09 के दौरान 16,000 करोड़ रुपए के कुल अग्रिम स्वीकृत किए गए तथा हमें यह बताते हुए गर्व है कि हम बैंक के साथ लगभग 25-30 नए ग्राहक /समूह जोड़ने में सफल रहे हैं।

इसके अलावा बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था, मॉनिटरिंग, नियंत्रण तथा नया व्यवसाय अर्जित करने के लिए अंचल प्रमुखों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु बैंक की कार्पोरेट फाइनेंसियल शाखाओं को अपने-अपने अंचल प्रमुखों को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। बैंक के कार्पोरेट कार्यालय में कार्यरत कार्यपालकों ने सीएफएस शाखाओं /अंचल कार्यालयों में आवधिक अंतराल में दौरे करते हुए फील्ड में कार्यरत स्टाफ को प्रेरित करने की पहल की है ताकि नया व्यवसाय अर्जित किया जा सके तथा ऋण स्वीकृतियों के संदर्भ में शीघ्र निर्णय लिया जा सके।

निरंतर बदलते बैंकिंग परिवेश में बेहतर कौशल की महत्ता को समझते हुए क्रेडिट के क्षेत्र में इनहाउस प्रशिक्षण तथा स्टाफ सदस्यों को बाह्य प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण हेतु नामित कर दक्ष बनाने हेतु कारगर कदम उठाए गए हैं।

खुदरा व्यवसाय :

वर्ष 2008-09 के दौरान बैंक की कारोबारी उपलब्धियां हासिल करने के लिए रिटेल व्यवसाय प्रमुख क्षेत्र बना रहा। आस्तियों एवं देयताओं दोनों पहलुओं में निरंतर वृद्धि हेतु बैंक ने विशेष उत्पादों की शुरुआत के साथ-साथ अनेक ग्राहकोन्मुख उपाय भी किए हैं।

बैंक का समग्र रिटेल क्रेडिट मार्च, 2009 के अंत में रु.19,627.55 करोड़ रहा। इस प्रकार इसमें पिछले वर्ष की तुलना में रु.2735.23 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई। इस अवधि के दौरान बैंक का मुख्य ध्येय आस्तियों की गुणवत्ता को बनाए रखना अथवा इनमें सुधार करना और खुदरा ऋण पोर्टफोलियो को बेहतर बनाना रहा। इसलिए बड़ौदा कार लोन तथा मार्गेज आधारित उत्पादों यथा बड़ौदा होम लोन, बड़ौदा ट्रेडर्स लोन एवं बड़ौदा एडवांस अगेन्स्ट प्रॉपर्टी पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। अधिकाधिक युवाओं को अपने साथ जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान बड़ौदा शिक्षा ऋण की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया।

वर्ष के दौरान बैंक के आवास ऋण बढ़कर रु.983.67 करोड़ हो गए। इस प्रकार इनमें मार्च, 2008 की तुलना में 13.51% की वृद्धि हुई। मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के दौरान मार्गेज की एवज में अग्रिमों, शिक्षा ऋणों तथा कार ऋणों में क्रमशः 31.47%, 32.67% तथा 51.24% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

बैंक का हमेशा यह प्रयास रहा है कि बैंक के सभी मौजूदा उत्पादों की विशेषताओं आदि की नियमित समीक्षा की जाए तथा इनमें ग्राहकों की अपेक्षाओं के अनुरूप यथा स्थिति अपेक्षित सुधार किया जाए। समाज के विभिन्न वर्गों तथा अपने ग्राहकों की बैंकिंग आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान नए बैंकिंग उत्पादों की भी शुरुआत की गई।

नए खुदरा उत्पाद :

बैंक ने वर्ष 2008-09 के दौरान निम्नलिखित नए ऋण उत्पादों की शुरुआत की :

- बयाना जमा हेतु ऋण :** आवास /पलैट अथवा प्लॉट की बुकिंग हेतु एक आस्ति उत्पाद।
- अनिवासी भारतीयों के लिए बड़ौदा एडिशनल एश्योर्ड एडवांस :** यह सुविधा पूर्व में निवासी भारतीयों को उपलब्ध थी जिसे अब अनिवासी भारतीयों के लिए भी उपलब्ध करवा दिया गया है।
- बड़ौदा बचत मित्र :** मीयादी जमा रसीदों को गिरवी (जमानत) रखते हुए बचत बैंक खाते में ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करना।
- उच्च हैसियत वाले /कार्पोरेट ग्राहकों को बड़ौदा कार लोन :** कंपनी विशेष के केवल निदेशकों /कार्यपालकों के उपयोग हेतु उच्च हैसियत प्राप्त व्यक्तियों /कार्पोरेट ग्राहकों को अधिकतम रु.100 लाख तक की राशि की ऋण सीमा तक एक कार लोन उत्पाद की शुरुआत।
- स्वर्ण आभूषणों /आभूषणों /स्वर्ण सिक्कों की एवज में बड़ौदा एडवांस (पायलट आधार पर प्रारंभ) व्यक्तियों की व्यवसायगत /निजी जरूरतों की पूर्ति हेतु।**
- ऋणियों के लिए कुछ रियायतों एवं निःशुल्क बीमा कवर सुविधा वाले विशेष आवास ऋण पैकेज प्रारंभ किए गए हैं।**

उत्पादों में सुधार /संवर्धन :

1. आवास ऋणों तथा अन्य मार्गज आधारित ऋणों की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से आवास ऋणों में मार्जिन शर्तों को संशोधित किया गया है तथा अंचलों /क्षेत्रों को निर्धारित दिशा-निर्देशों में विचलन को निरुत्साहित करने के निर्देश दिए गए हैं.
2. अतिरिक्त एश्योर्ड अग्रिम (AAA) प्राप्त करने हेतु संपूर्ण अवधि के दौरान आवास ऋण की पात्रता के तीन गुणा से बढ़ाकर पांच गुणा कर दिया गया है.
3. अब तक मौजूद 26 रिटेल ऋण उत्पादों को घटाकर 9 प्रमुख उत्पादों के रूप में पुनः व्यवस्थित करना.

ऋण अभियान :

1. 1 अक्टूबर, 2008 से 9 नवंबर, 2008 तक की अवधि के लिए "खुदरा ऋण महोत्सव अभियान" चलाया गया तथा इस दौरान आवास ऋणों तथा कार ऋणों की ब्याज दरों में 0.25% की रियायत तथा प्रलेखन एवं प्रक्रियागत प्रभारों में 100% की छूट प्रदान की गई. अभियान अवधि के दौरान रु.347.67 करोड़ (कार ऋणों की रु.126.63 करोड़ की राशि सहित) का ऋण व्यवसाय किया गया.
2. बचत बैंक सेगमेंट के तहत दो बचत जमा अभियान चलाए गए. पहला अभियान 9 जून, 2008 से 2 अगस्त, 2008 के दौरान चलाया गया तथा इस अवधि में रु.2212 करोड़ संगृहीत किए गए जबकि लक्ष्य रु.1500 करोड़ का था. इसी प्रकार दूसरा अभियान 2 फरवरी, 2009 से 31 मार्च, 2009 तक चलाया गया तथा इस अवधि में रु.2195 करोड़ की बचत जमाएं संगृहीत की गई जबकि लक्ष्य रु.2000/- करोड़ का था.

ढांचागत परिवर्तन :

1. रिटेल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम को सुदृढ़ बनाने के लिए बैंक द्वारा वर्ष 2008 -09 के दौरान पर्वई मुंबई, आगरा, बरेली, भोपाल, नागपुर, एर्नाकुलम, जोधपुर तथा नोएडा में -8-नई शहरी रिटेल लोन फैक्ट्रियां (यूआरएलएफ) प्रारंभ की गई. इस प्रकार कुल शहरी रिटेल लोन फैक्ट्रियों की संख्या बढ़कर -23- हो गई.
2. जेन नेक्स्ट शाखाएं : युवा वर्ग पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से जेन नेक्स्ट शाखाओं की अवधारणा को मूर्त रूप देते हुए वर्ष 2007-08 के दौरान दो जेन नेक्स्ट शाखाएं खोली गई. वर्ष 2008-09 के दौरान -3- और जेन नेक्स्ट शाखाएं खोली गई. इस प्रकार इनकी संख्या बढ़कर -5- हो गई. ये शाखाएं आधुनिक युग में युवाओं द्वारा अपेक्षित सभी आधुनिक सुविधाओं एवं आधुनिक परिवेश से युक्त हैं.

अन्य प्रयास (पहलें) :

1. आवास ऋणों तथा अन्य मार्गज आधारित ऋणों में कमियों को दूर करने के उद्देश्य से पात्रता एवं मार्जिन शर्तों में सुधार हेतु प्रयास किए गए हैं तथा अंचलों /क्षेत्रों को निर्धारित दिशा-निर्देशों में विचलन को निरुत्साहित करने के भी अनुदेश दिए गए हैं.
2. ऑटो ऋणों में वृद्धि हेतु वर्ष 2008-09 के दौरान अनेक कार निर्माता कंपनियों यथा मारुति सुजुकी इंडिया लि., टाटा मोटर्स लि., हुंदई मोटर्स इंडिया लि., एवं महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि. के साथ समझौता करारों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए.

3. शिक्षा ऋण तथा आवास ऋण वाले ऋणियों को विशेष पैकेज के तहत स्वीकृत ऋणों हेतु जीवन बीमा कवर उपलब्ध करवाने के लिए मेसर्स कोटक महिन्द्रा ओल्ड म्युचुअल लाइफ इंश्योरेंस लि. के साथ "टाइ-अप" व्यवस्था की गई.
4. गैर निधि आधारित आय को बढ़ाने के लिए वर्ष 2007-08 के दौरान स्वर्ण सिक्कों की बिक्री प्रारंभ कर नई पहल की शुरुआत की गई. वर्ष 2008-09 के दौरान 354 बिक्री केंद्रों (POS) से स्वर्ण सिक्कों से बिक्री कर कुल रु.4.55 करोड़ की आय अर्जित की गई.
5. 20 जुलाई, 2008 से आवास ऋण आवेदन का स्टेटस ट्रेक करते हुए आवेदकों को ऑनलाइन आवास ऋण आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है.

संपदा प्रबंधन सेवाएं :

बैंक ने अपने आर्थिक दृष्टि से संपन्न (HNI) ग्राहकों को एक ही स्थान पर सभी बिक्री सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जून, 2004 से ग्राहक उन्मुख उपायों के रूप में संपदा प्रबंधन सेवाएं प्रारंभ की हैं. संपदा प्रबंधन सेवाओं के तहत बैंक विभिन्न साझेदारों के साथ टाइ-अप व्यवस्थाओं के अनुरूप अपनी शाखाओं के माध्यम से जीवन बीमा, गैर जीवन बीमा, जिसमें स्वास्थ्य बीमा शामिल हैं, म्युचुअल फण्ड्स एवं इक्विटी ट्रेडिंग जैसी अन्य पक्षीय उत्पादों की सेवाएं प्रदान कर रहा है. इन उत्पादों की बिक्री हेतु टाइ-अप व्यवस्था वाले साझेदारों में जीवन बीमा क्षेत्र में एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस क्षेत्र में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि., ई-ट्रेडिंग क्षेत्र में इण्डिया इन्फोलाइन लि. तथा म्युचुअल फण्ड उत्पादों के क्षेत्र में हमारे संयुक्त उपक्रम बड़ौदा पॉयनियर असेट मैनेजमेंट कंपनी लि. सहित छः प्रमुख असेट मैनेजमेंट कंपनियां शामिल हैं.

बैंक ने व्यवसाय की दृष्टि से -13- चयनित केन्द्रों पर स्थित शाखाओं में 'बड़ौदा गोल्ड लॉन्ज' की भी स्थापना की है. ये शाखाएं बैंक के सुविधा सम्पन्न (HNI) ग्राहकों को उत्कृष्ट निवेश परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित सेवा स्थल हैं. बैंक द्वारा संपदा प्रबंधन सेवाओं के रूप में की गई पहल से बैंक को उल्लेखनीय गैर ब्याज आय प्राप्त हो रही है जो इनकी स्थापना को सार्थक बनाता है.

एस.एम.ई. कारोबार

भारत में लघु एवं मध्यम उद्यम अर्थात एस.एम.ई क्षेत्र कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र है. आधिकारिक आंकड़े यह दर्शाते हैं कि एस.एम.ई. क्षेत्र कुल औद्योगिक इकाइयों के 95% भाग का प्रतिनिधित्व करता है जो कि कुल औद्योगिक उत्पादन का 40% है. ये इकाइयां विभिन्न क्षेत्रों में 8000 से अधिक उत्पादों जैसे फार्मास्यूटिकल्स, तैयार वस्त्र, टेक्सटाइल, ऑटो उद्योग से जुड़े उत्पाद, आभूषण तथा साफ्टवेयर का उत्पादन करती हैं. एस.एम.ई. सेगमेंट में सेवा क्षेत्र का योगदान विशेषतः सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं, अतिथि सत्कार सेवाएं, पर्यटन, कुरियर, ट्रान्सपोर्ट आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय है. एस.एम.ई. इकाइयां रोजगार सृजित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं.

बैंक लघुउद्यमियों के उत्थान में सदैव अग्रणी भूमिका निभाता रहा है तथा बैंक ने अपने एस.एम.ई. ग्राहकों के लिए सरल एवं व्यापक एस.एम.ई. पॉलिसी तैयार

की है। इसके अलावा भारत में उभरते लघु एवं मध्यम उद्यमियों की ओर विशेष ध्यान देने के लिए बैंक एस.एम.ई. इकाइयों के समतुल्य रू.100 करोड़ तक की टर्नओवर वाली अन्य वाणिज्यिक इकाइयों पर भी विचार करता रहा है।

एस.एम.ई. क्षेत्र के उत्थान के लिए बैंक ने विशेष एवं नवोन्मेषी डिलीवरी मॉडल यथा एस.एम.ई. लोन फैक्टरी की शुरुआत की है जो कि वर्तमान में -14- केन्द्रों पर सेवारत हैं और बाजार में इनकी एक अच्छी पहचान बनी है। एस.एम.ई. लोन फैक्टरी एस.एम.ई. ऋण प्रस्तावों को समय पर प्रोसेस करने एवं स्वीकृतियां प्रदान करने हेतु एक नवोन्मेषी प्रारूप है। इस प्रारूप / मॉडल में त्वरित मूल्यांकन तथा ऋण प्रस्तावों को नियत समय सीमा में स्वीकृत करने हेतु सेंट्रल प्रोसेसिंग सेल की स्थापना शामिल है। शहर के विभिन्न माइक्रो सेगमेंटों में स्थित हमारी शाखाओं में कार्यरत हमारे रिलेशनशिप प्रबंधकों की टीम स्वयं ग्राहकों के पास जाकर स्वीकृति पूर्व निरीक्षण सम्बंधी औपचारिकताएं पूरी करते हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई या असुविधा न हो। रिलेशनशिप प्रबन्धक इस दौरान न केवल बैंक के एस.एम.ई. उत्पादों के लिए मार्केटिंग करते हैं बल्कि वे इस दौरान अन्य उत्पादों एवं सेवाओं जिनमें अन्य पक्षीय उत्पाद जैसे जीवन बीमा, म्युचुअल फण्ड इक्टिविटी ट्रेडिंग आदि शामिल हैं, की भी मार्केटिंग करते हैं। उक्त प्रारूप / मॉडल क्रमिक संयोजन के सिद्धान्त तथा सरलीकृत प्रक्रिया पर आधारित है जिसमें अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है तथा इस कार्य को बैंक के कुशल एवं प्रशिक्षित स्टाफ सदस्य पूरा करते हैं।

31.03.2009 को सेवारत बैंक की कुल 34 एस.एम.ई. लोन फैक्ट्रियों में से -7- एस.एम.ई. लोन फैक्ट्रियां इस वर्ष स्थापित की गई हैं। बैंक की देशभर में सभी प्रमुख व्यावसायिक केन्द्रों पर एस.एम.ई. लोन फैक्ट्रियां सेवारत हैं। ये केन्द्र आगरा, अहमदाबाद, बेंगलूरु, बड़ौदा, भीलवाड़ा, भुवनेश्वर, बलसाड़, चैन्नै, कोयम्बतूर, देहरादून, 2 फैक्ट्रियां दिल्ली में, हैदराबाद, इन्दौर, जयपुर, जमशेदपुर, जामनगर, जोधपुर, कानपुर, कोल्हापुर, कोलकाता, लखनऊ, लुधियाना, 3 फैक्ट्रिया मुम्बई में, नागपुर, नाशिक, नोएडा, पुणे, राजकोट, रायपुर, सूरत एवं विशाखापट्टनम हैं।

इन एस.एम.ई. लोन फैक्ट्रियों ने मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के दौरान रू.8,508 करोड़ के कुल ऋण स्वीकृत किए जबकि पिछले वर्ष इस अवधि में रू.5,955 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए थे।

बैंक की वर्ष 2009-10 के दौरान -6- और एस.एम.ई. लोन फैक्ट्रियां स्थापित करने की योजना है।

एस.एम.ई. ऋणों में वृद्धि

नियामक परिभाषा के अनुरूप 31.03.2009 को एस.एम.ई. क्षेत्र में दिए गए कुल ऋणों की राशि रू.14,662 करोड़ है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एस.एम.ई. क्षेत्र में दिए गए ऋणों में हुई वृद्धि की स्थिति इस प्रकार है -

वित्तीय वर्ष	% वृद्धि
2006-07	31.40%
2007-08	31.11%
2008-09	24.18%

वर्ष 2008-09 के दौरान एस.एम.ई. कारोबार बढ़ाने हेतु किए गए नवोन्मेषी प्रयास :

- बैंक ने कुछ वाहन निर्माताओं के साथ समझौता करार किए हैं ताकि वे अपने डीलरों / सड़क परिवहन प्रचालकों, जो अपने वाहन खरीदने के इच्छुक हैं, को वित्तीय सुविधा प्रदान कर सकें।
- सी.जी.टी.एम.एस.ई. द्वारा प्रारम्भ जोखिम सहभागिता सुविधा योजना के अन्तर्गत रू.100 लाख तक की राशि के संपार्श्विक प्रतिभूति मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए सी.जी.टी.एम.एस.ई. के साथ समझौता करार किया।
- बैंक ने योजना के अन्तर्गत वित्तपोषण यथा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु व्यापारिक उद्यमी सहायता एवं विकास (ऊँडे) के लिए एम.एस.एम.ई मन्त्रालय के साथ समझौता करार भी किया।
- बैंक ने स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 7 नए क्षेत्र विशेष एवं ग्राहकोन्मुख उत्पाद प्रारम्भ किए हैं।



अंचल कार्यालय, जयपुर में एस.एम.ई. हैल्पलाइन का उद्घाटन करते हुए कार्यकारी निदेशक श्री आर. के. बक्षी।

- वैश्विक वित्तीय संकट के दृष्टिगत विभिन्न उत्पादों, सेवाओं और एहतियाती कदम उठाने के संबंध में एस.एम.ई. उधारकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए इसने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए।
- वैश्विक मंदी के कारण तनाव के तहत रहने वाले उधारकर्ताओं को सहायता प्रदान करने के लिए अनेक उपायों की घोषणा कर इसने प्रोएक्टिव उपाय किए।
- इसने प्रतिष्ठित व्यवसाय प्रबंधन संस्थान के साथ प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किए ताकि व्यवसाय के क्षेत्र में वर्तमान रुझानों के बारे में एस.एम.ई. ग्राहकों को परिचित कराया जा सके।
- इकोनामिक टाइम्स के सभी संस्करणों में एस.एम.ई. पृष्ठ का प्रायोजन किया ताकि एस.एम.ई. क्षेत्र के लिए तैयार किए गए विभिन्न उत्पादों को लोकप्रिय बनाया जा सके और एस.एम.ई. व्यवसाय में तेजी लाई जा सके।

ग्रामीण एवं कृषि उधार

अपनी 1,100 ग्रामीण शाखाओं और 649 अर्धशहरी शाखाओं के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण बाजार की विशाल क्षमताओं का दोहन करने में बैंक

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवं कृषि उधार के क्षेत्र में सर्वदा अग्रणी रहा है। वर्ष 2008-09 के दौरान बैंक ने ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में -30- नई शाखाएं खोली हैं।

बैंक उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों में **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** का संयोजक है। गुजरात राज्य (12), राजस्थान राज्य (12), उत्तर प्रदेश राज्य (14), उत्तरांचल राज्य (2), मध्यप्रदेश राज्य (2) और बिहार राज्य (2) के -44- जिलों में बैंक के पास अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी है।

बैंक ने विभिन्न राज्यों में -5- **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों** का प्रायोजन किया है जिसकी शाखाओं के नेटवर्क की संख्या 1201 है और मार्च-2009 को कुल व्यवसाय राशि रु.14000 करोड़ से अधिक है।

वर्ष 2008-09 के दौरान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का कार्यनिष्पादन :

बैंक का **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का अग्रिम** समाप्त मार्च, 2008 को रु.31,681 करोड़ था जो बढ़कर समाप्त मार्च, 2009 को रु.39,239.08 करोड़ हो गया तथा आदेशिती लक्ष्य के 40% के समक्ष समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी) 46.43% हो गया। बैंक का **कृषि अग्रिम** गत वर्ष की राशि से 28.0% बढ़कर समाप्त मार्च, 2009 को रु.16,964 करोड़ हो गया।

बैंक ने अपने प्रमुख कृषि ऋण उत्पाद "बड़ौदा किसान क्रेडिट" के तहत कृषकों को ऋण प्रदान करने के लिए वर्ष 2008-09 के दौरान लगभग 1,78,442 क्रेडिट कार्ड जारी किए। वर्ष 2008-09 के दौरान बैंक ने लगभग 2,11,948 **नए किसानों** को वित्तीय सुविधा प्रदान की है। अपने सूक्ष्म वित्तपोषण की नवोन्मेषी पहल के प्रयास के रूप में बैंक ने 19,120 **स्वयं सहायता समूहों** को वर्ष 2008-09 के दौरान रु.17 करोड़ की राशि वितरित की और इस प्रयास के फलस्वरूप स्वयं सहायता समूह ऋण सहबद्धता की कुल संख्या बढ़कर 90,731 और राशि रु.606 करोड़ हो गई।

व्यवसाय और सामाजिक पहलें

ग्रामीण एवं कृषि के उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए बैंक ने अनेक नवोन्मेषी पहलें / रणनीतियों की शुरुआत की।

कृषि अग्रिमों में तेजी लाने हेतु, बैंक ने फसली ऋण हेतु खरीफ अभियान और निवेश ऋण अभियान जैसे **विशेष अभियान** चलाए और क्रमशः रु.1,364.77 तथा रु.855.58 करोड़ की राशि संवितरित की।



उत्तर प्रदेश में आयोजित कृषि कर्ज माफी एवं ऋण राहत योजना संबंधी कार्यक्रम में राहत चेक प्रदान करते हुए श्री वी. संतानरामन, कार्यकारी निदेशक।

बैंक ने वर्ष 2008-09 के दौरान **2,702 ग्रामीण स्तरीय ऋण कैम्प** आयोजित किए और 1,42,351 ऋणकर्ताओं को रु.1,708.86 करोड़ की राशि संवितरित की। बैंक ने पूरे देश में **350 थ्रस्ट शाखाओं** का चयन किया है। जिसका प्रयोजन कृषि उधार में अभिवृद्धि करना है। बैंक ने समाप्त मार्च, 2009 को कुल कृषि उधार में 32% का योगदान किया है।

बैंक ने स्थानीय जरूरतों को, विशेष रूप से ऐसे स्थानों जहां चावल मिल, शीतगृह, मुर्गीपालन इकाई आदि अधिक संख्या में हैं, पूरा करने के लिए **क्षेत्र विशेष के अनुसार** टेलर मेड योजनाएं बनाईं। प्रतिस्पर्धा के बीच सफल रहने हेतु अधिकतम व्यवसाय प्राप्त करने के लिए इन योजनाओं के तहत ब्याज प्रभार में उपयुक्त छूट की अनुमति प्रदान की गई। कृषि उधार में वृद्धि करने के लिए -18- क्षेत्र - विशिष्ट योजनाओं का सूत्रपात किया गया।

ग्रामीण कृषि उधार के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के प्रभावी प्रयोग की दिशा में बैंक ने वित्तीय समावेशन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी सुविधायुक्त स्मार्ट कार्ड प्रारंभ किया है। वर्तमान में, स्मार्ट कार्ड आधारित वित्तीय समावेशन का कार्यान्वयन उत्तर प्रदेश के रायबरेली एवं सुल्तानपुर जिलों में प्रायोगिक आधार पर किया जा रहा है। अभी तक 18,000 स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। मौजूदा समय में, बैंक के 262 एटीएम ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में स्थित हैं और 225 ग्रामीण शाखाएं एवं 525 अर्धशहरी शाखाएं कोर बैंकिंग सोल्यूशन के तहत हैं।

बैंक ने "भीमथडी जात्रा", महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) द्वारा निर्मित उत्पाद से संबंधित नवम्बर, 2008 में पुणे में आयोजित एक **राज्य स्तरीय प्रदर्शनी** का सह प्रायोजन किया, जिसका उद्घाटन माननीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार द्वारा किया गया। कुल मिलाकर 1,359 स्वयं सहायता समूहों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई और प्रदर्शनी के दौरान रु.288 लाख की बिक्री राजस्व का सृजन किया। महाराष्ट्र राज्य के हमारे बैंक के लगभग -50- स्वयं सहायता समूहों ने प्रदर्शनी में भाग लिया।

बैंक ने **डुंगरपुर जिला (राजस्थान)** को संपूर्ण एकीकृत विकास और अपने कार्पोरेट सामाजिक दायित्व की दिशा में 100% वित्तीय समावेशन के लिए **अंगीकार** किया है जो मुख्यतः एक जनजातीय बाहुल्य जिला है और देश के सर्वाधिक पिछड़े जिलों में से एक है। इस परियोजना का शुभारंभ 1 अक्टूबर, 2007 को किया गया। बैंक ने डुंगरपुर जिले में 100% समावेशन की उपलब्धि प्राप्त कर ली है। अभी तक डेयरी विकास, उच्च लागत संबंधी फसलों की खेती, सब्जी की खेती आदि हेतु 10,720 ऋणकर्ताओं को रु.21.81 करोड़ की राशि संवितरित की गई है। इस परियोजना के तहत प्रशिक्षण, महिला विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति आदि जैसे अनेक अन्य कार्यकलाप भी किए जा रहे हैं।

बैंक ने संपूर्ण एकीकृत विकास एवं 100% वित्तीय समावेशन के लिए 101 गांवों (101 **बड़ौदा शताब्दी वर्ष गांव**) को -3- वर्ष की अवधि के लिए अंगीकार किया है। बैंक ने रु.45.84 लाख की राशि स्वीकृत कर -55- गांवों में सोलर लैम्प, बस स्टैंड शेल्डर, हैंड पम्प, सामुदायिक हाल आदि जैसी सामाजिक बुनियादी जरूरतों को भी उपलब्ध कराया है। बैंक ने इस प्रयोजन के लिए रु.2 करोड़ की राशि आबंटित की है।

बड़ौदा ग्रामीण परामर्श केन्द्र (बीजीपीके) - बैंक ने ग्रामीण समुदाय को ऋण के संबंध में परामर्श, वित्तीय शिक्षा और कृषि संबंधी उत्पादों की कीमतों के बारे में जानकारी, वैज्ञानिक खेती आदि जैसी अन्य सेवाओं के माध्यम से सहायता प्रदान करने के मामले में पहल की है। बैंक ने 31.03.2009 तक -52- बीजीपीके की स्थापना कर दी है।

वर्ष 2008-09 के दौरान 4 और अतिरिक्त **बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान**

(बीएसवीएस) केन्द्र खोल दिए जाने के पश्चात, बीएसवीएस की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। रायबरेली तथा अजमेर में खोले गए बीएसवीएस केन्द्र पूर्णतः महिला उद्यमियों के लिए हैं। बीएसवीएस ऐसे संस्थान हैं जिनका प्रयोजन स्वरोजगार उद्यम प्रारंभ करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षित एवं अपेक्षित कौशल के संबंध में ज्ञान प्रदान करना है। वर्ष 2008-09 के दौरान 8,274 युवा लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया जिनमें से 4,762 युवाओं ने स्वरोजगार उद्यम स्थापित कर लिए हैं। इन केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षित कुल 21,039 लाभार्थियों में से अब तक 11,569 लाभार्थियों ने अपना स्वरोजगार उद्यम स्थापित कर लिए हैं।

बैंक ने वित्तीय समावेशन की उपलब्धि प्राप्त करने के लिए नवोन्मेषी विविध उपाय प्रारंभ किए हैं। बैंक ने 100% वित्तीय समावेशन के लिए -500- गांवों का चयन किया है और सभी 500 ग्रामों में यह उपलब्धि प्राप्त कर ली है। बैंक ने अपने 12 अग्रणी जिलों में भी 100.0% वित्तीय समावेशन की उपलब्धि हासिल कर ली है। इन जिलों के नाम इस प्रकार हैं : डुंगरपुर (राजस्थान), प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश), नैनीताल, उधमसिंह नगर (उत्तराखंड), डांग, दोहाद, पंचमहाल (गुजरात) और शिवहेर (बिहार)। इसके अतिरिक्त, बैंक ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) द्वारा चयनित विभिन्न जिलों में स्थित 10,000 गांवों में 100.0% वित्तीय समावेशन की उपलब्धि भी हासिल कर ली है।

अपेक्षित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को त्वरित करने के साथ-साथ कृषि पोर्टफोलियो में और वृद्धि हेतु पूरे भारत में व्यवसाय सुविधा प्रदानकर्ता माडल को भी कार्यान्वयित किया गया है। व्यवसाय सुविधा प्रदानकर्ता मुख्यतः बैंक के लिए ऋण आवेदनों की कनवेंसिंग करेगा और उसे इस कार्य के लिए बैंक क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा। ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में हमारी पहुंच में सुधार लाने के लिए सेवानिवृत्त बैंक एवं सरकारी स्टाफ, गैर सरकारी संगठन (एनजीओ), कृषक क्लब और स्वयं सहायता समूह (एसजीएस) के साथ-साथ वैयक्तिक भी एजेंट के रूप में कार्य पर लगाए गए हैं। बैंक ने अभी तक -49- व्यवसाय सुविधा प्रदानकर्ताओं को कार्य पर लगाया है।

बैंक ने सीएमएफ (माइक्रो वित्तपोषण केन्द्र) के साथ भी सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जिसका उद्देश्य ग्रामीण और कृषि व्यवसाय हेतु माइक्रो वित्तपोषण कार्यक्रमों के लिए कौशल संवर्धन तथा गुणवत्तापरक कृषि क्लब, स्वयं सहायता समूह के गठन और सीएमएफ के माध्यम से उन्हें विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध पर ध्यान केन्द्रित करना है।

बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्यनिष्पादन

बैंक ने निम्नलिखित -5- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) प्रायोजित किए हैं :

- बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय, रायबरेली
- बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय, अजमेर
- बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय, भरुच
- नैनीताल-अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय, हल्द्वानी
- झाबुआ-धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय, झाबुआ

इन -5- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का व्यवसाय समाप्त मार्च, 2008 को रु.11,999.70 करोड़ से बढ़कर समाप्त मार्च, 2009 को रु.14,278.28 करोड़ हो गया और इस प्रकार इन्होंने 18.99% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की है।

इन -5- ग्रामीण बैंकों ने एक साथ मिलकर वर्ष 2007-08 के दौरान अर्जित शुद्ध लाभ रु.49.99 करोड़ के समक्ष समाप्त मार्च 2008-09 के दौरान रु.103.32

करोड़ का शुद्ध लाभ दिखाया। इन सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की "शुद्ध मालियत" और "प्रारक्षित एवं आधिक्य" एक साथ होने पर क्रमशः समाप्त मार्च, 2008 को रु.325.22 करोड़ से सुधरकर समाप्त मार्च, 2009 के अंत में रु.490.19 करोड़ और समाप्त मार्च, 2008 पर रु.208.69 करोड़ से सुधरकर समाप्त मार्च 2009 पर रु.272.35 करोड़ हो गई।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय

आर्थिक मंदी के परिणामस्वरूप वैश्विक परिवेश का बदतर होते जाना तथा परिणाममूलक नकदी संकट के फलस्वरूप वर्ष 2008-09, विदेशी व्यवसाय की वृद्धि के लिए एक कठिन समय था। ऐसे समय में वृद्धि दर्ज करते समय, तरलता को बनाए रखना, आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार लाना, लाभ में ठोस वृद्धि बनाए रखना तथा अनियमितताओं को नियंत्रण में रखना था। तथापि, इस संक्रमण अवधि में भी बैंक ने वृद्धि संवेग को बनाए रखा और सभी परिचालनगत मानदण्डों में प्रभावकारी वृद्धि दर्ज की। विश्वभर में भिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में कार्य करने का बृहद अनुभव, अच्छी आस्ति-देयता प्रबंधन और बैंक की सुदृढ़ व्यवसाय पद्धति के कारण यह सम्भव हो सका।

चूंकि बैंक की अल्पावधि संसाधनों पर निर्भरता सीमित थी, अतः तरलता संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय परिचालन भी बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुए। बैंक के सभी केन्द्र अच्छी तरह से पूंजीकृत हैं और संसाधनों की प्राप्ति के लिए उनके पास विस्तृत आधार वाला जमाकर्ताओं का आधार है। बैंक के ग्राहक-आधार में न केवल भारतीय कार्पोरेट, अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के लोग शामिल हैं अपितु जहां यह कार्यरत हैं वहां की जातीय जनसंख्या के लोग भी शामिल हैं।

तथापि, संकट ने प्राथमिक तौर पर संघीकृत ऋणों को प्रभावित किया क्योंकि भारतीय कार्पोरेटों ने अपने विदेशी "विलय एवं अर्जन" कार्यक्रमों और क्षमता विस्तार योजनाओं में थोड़ी कमी लाई।

वर्ष 2008-09 के दौरान बैंक ने अपने अंतर्राष्ट्रीय परिचालन को विदेशी शाखाओं में अतिरिक्त अनुभवी स्टाफ की पदस्थापना कर सुदृढ़ किया। विदेशी टेरेटरी में अतिरिक्त स्टाफ की पदस्थापना मुख्यतः मार्केटिंग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जोखिम प्रबंधन, विभागों में की गई। विदेशी शाखाओं के स्थानीय स्टाफ को भी उनके कार्यस्थल पर प्रशिक्षण सुविधा प्रदान की गई और कौशल विकास के लिए विभिन्न संस्थानों में भेजा गया।

बैंक ने वर्ष के दौरान अपनी विदेशी विस्तार योजना को जारी रखा तथा -4- नई शाखाएं / कार्यालय खोले (इसकी अनुषंगियों की शाखाएं भी इसमें शामिल हैं)। विभिन्न अन्य केन्द्रों पर भी शाखाएं खोलने के लिए कदम उठाए गए जो अनुमोदन के विभिन्न स्तरों पर हैं। वर्ष के दौरान, बैंक ने अपनी उपस्थिति का अहसास कराने तथा व्यवसाय की कनवेंसिंग के लिए मुद्रण एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ठलक्षित प्रचार-प्रसारण की शुरुआत की।

व्यवसाय एवं लाभ कार्यनिष्पादन

वर्ष 2008-09 के दौरान, बैंक की विदेशी शाखाओं ने कुल व्यवसाय (जमाराशि + अग्रिम) में 46.23% की वृद्धि दर्ज की। ग्राहक जमा राशि में 56.03%, कुल जमाराशि में 38.68% और अग्रिम में 56.22% की वृद्धि हुई। 31.03.2009 को बैंक के वैश्विक व्यवसाय में अंतर्राष्ट्रीय परिचालन ने 22.55% का योगदान प्रदान किया। जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय विस्तार में विकास संबंधी आंकड़े मुद्रा मूल्य-द्वारा के प्रभाव को आंशिक रूप से दर्शाते हैं।

कुल आस्ति :

अंतरराष्ट्रीय परिचालन की कुल आस्तियां रु.37,511 से बढ़कर रु.51,165 करोड़ हो गई और इस प्रकार गत वर्ष के मुकाबले 36.40% की वृद्धि दर्ज की।

शुद्ध लाभ :

अंतरराष्ट्रीय परिचालन का शुद्ध लाभ वर्ष के दौरान 23.17% (वर्ष-दर-वर्ष) से बढ़ा। निवेशों का "मार्क टू मार्केट" के कारण प्रावधानीकरण की बड़ी जरूरत के बावजूद भी यह स्थिति रही। बैंक के पास "सबप्राइम आस्तियों" का एक्सपोजर नहीं है। इसके अतिरिक्त, डेरीवेटिव्स के क्षेत्र में भी इसका एक्सपोजर प्रतिष्ठित भारतीय कार्पोरेटों के "ऋण सहबद्ध नोटों" (सीएलएनएस) में मात्र निवेश के जरिए ही है और वह भी ऐसे मामलों में जहां इसे मौजूदा ऋण गुणवत्ता के बारे में भरोसा है। निवेशों को जारीकर्ता, व्यापारी द्वारा भाव बताने के आधार पर ही "मार्क टू मार्केट" किया गया है क्योंकि मूल्यांकन पर प्रभाव महसूस किया गया और ऐसा भी इसलिए किया गया क्योंकि बाजार द्विगामी भाव बता रहे थे जिनमें बहुत भिन्नता होती थी। बैंक द्वारा चालू वर्ष में प्रावधानीकरण वर्तमान मूल्य (वैल्यू) में कमी आने के कारण किया गया और निवेशों की परिपक्वता हो जाने पर प्रत्यावर्तित कर दिए जाने की संभावना है। बैंक के वैश्विक शुद्ध लाभ में वर्ष 2008-09 के दौरान अंतरराष्ट्रीय परिचालन का योगदान 18.86% रहा।

आस्ति गुणवत्ता :

बैंक ने जटिल सीडीओ (संपार्श्विक ऋण बाध्यताओं) में जोखिम नहीं उठाया अपितु सीएलएनएस (ऋण संबद्ध नोटों) में बहुत सहज ढंग से केवल भारतीय कार्पोरेटों के मामले में ही भाग लिया। अतः मौजूदा संकट से बुरी तरह प्रभावित नहीं हुआ। बैंक ने स्लिपेज को नियंत्रित रखने के लिए आस्तियों की मानिटोरिंग बढ़ा दी और एनपीए खाते में वसूली संबंधी प्रयासों में तेजी लाई और इस प्रकार वर्ष 2008-09 के दौरान, अपने अंतरराष्ट्रीय परिचालन में सकल एनपीए और कुल अग्रिमों के अनुपात में कमी लाने में सफल रहा। गत वर्ष के 0.55% के समक्ष कुल अग्रिम का सकल एनपीए घटकर 0.51% हो गया। शुद्ध एनपीए को लगभग शून्य स्तर तक बनाए रखा गया।

अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति

बैंक की 25 देशों में इसकी 74 शाखाओं / कार्यालयों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय उपस्थित है :

बैंक की विदेशी शाखाएं	48
बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय	03
बैंक की विदेशी अनुषंगियों की शाखाएं	23
कुल	74

उपरोक्त के अतिरिक्त, बैंक की असोसिएट की जाम्बिया में 11 शाखाएं हैं।

विदेशी विस्तार

वर्ष 2008-09 के दौरान, बैंक ने -4- शाखाएं / कार्यालय खोले - गुआंगझोऊ (चीन) में शाखा, मुसफाह (यूएई) में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इकाई एवं अनुषंगियों की काम्पे (युगांडा) और नाकुरु (केन्या) में शाखाएं

भावी योजनाएं

शाखा नेटवर्क को और बढ़ाने की बैंक की महत्वाकांक्षी योजना है जिससे कि विश्व के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से व्यवसाय प्राप्त करने का लाभ उठाया जा सके तथा विश्वभर में फैले भारतीय कार्पोरेट / पीआईओ / एनआरआई को सेवाएं प्रदान की जा सकें। रूस, कनाडा, न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया, कतार एवं मोजम्बीक में शाखाएं खोलने हेतु स्वदेश के नियामकों को प्रस्तुत किए गए आवेदन प्रक्रियाधीन हैं। बैंक की योजना में यूएई, ओमान, यूके, यूएसए, ट्रिनिडाड एण्ड टोबागो, यूगांडा, केन्या आदि में भी शाखा नेटवर्क में और वृद्धि करना शामिल है ताकि अवसरों का लाभ उठाया जा सके। मलेशिया, सूरीनाम, यमन, कुवैत, सऊदी अरब, मालदीव आदि में भी शाखाएं खोलने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

समूहन केन्द्र

बैंक के लंदन और दुबई में समूहन केन्द्र है जिन्हें मुंबई में स्थित अंतरराष्ट्रीय प्रभाग के अन्तरराष्ट्रीय मर्चेट बैंकिंग कक्ष (आईएमबीसी) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। ये सामूहिक ऋण एवं सीएलएनएस के व्यवसाय पर ध्यान केन्द्रित करती हैं। सिंगापुर में स्थित अपतटीय बैंकिंग इकाई भी इस व्यवसाय की कन्वेसिंग करने में बहुत सक्रिय है और उस देश में वैश्विक समूहन केन्द्र खोलने की बैंक की योजना है ताकि उभरते अवसरों का लाभ उठाया जा सके।

विदेशी व्यवसाय में उत्पाद एवं सेवाएं

न्यूयार्क एवं ब्रूसेल्स को छोड़कर, सभी विदेशी केन्द्रों पर कोर बैंकिंग सोल्यूशन के कार्यान्वयन का प्रयोजन ठाअधुनिक प्रौद्योगिकी का अधिकतम लाभ उठाना तथा ग्राहकों को उत्पादों एवं सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराना था जो अंतरराष्ट्रीय बैंकों द्वारा प्रदान की जा रही सुविधा के समकक्ष हैं। प्रणाली की उपलब्धता होने के फलस्वरूप बैंक ने अनेक नए उत्पाद और सेवाओं का शुभारंभ किया तथा मौजूदा योजनाओं की विशेषताओं में वृद्धि की ताकि उन्हें केन्द्र विशिष्ट योजनाओं के समान बनाया जा सके।

विदेशी व्यवसाय में प्रौद्योगिकी उन्नयन

विदेशी ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए बैंक ने अनेक प्रौद्योगिकी पहलें शुरु की हैं। ये निम्नानुसार हैं :

- यूके, यूएई, बहमास एवं बहरीन में वैश्विक ट्रेजरी परियोजना का कार्यान्वयन
- यूएई, ओमान, फिजी, मारिशस सेशल्स, बोत्सवाना और तंजानिया में व्यू आधारित ई-बैंकिंग का शुभारंभ
- ग्राहकों को चौबीस घंटे निर्बाध सेवा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त एटीएम संस्थापित किए गए हैं।
- यूएई में पूर्ण फंक्शनल एटीएम संस्थापित करने का कार्य प्रक्रियाधीन है।
- लगभग सभी विदेशी केन्द्रों पर, रैपिड फंडस 2 इंडिया, आन लाइन धनप्रेषण उत्पाद, संस्थापित कर दिए गए हैं।
- मारिशस सेशिल्स, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और केन्या में भुगतान मेसेजिंग सोल्यूशन प्रारंभ कर दिया गया है।
- -14- विदेशी क्षेत्रों तथा -7- विदेशी अनुषंगियों में एएमएल इरेज एवं ऑनलाइन लिस्ट मैच सोल्यूशन लागू कर दिया गया है।

बैंक का एनआरआई व्यवसाय

स्वदेश छोड़ कर गई भारतीय जनसंख्या को सेवा प्रदान करने एवं भारतीय शाखाओं के लिए व्यवसाय कन्वेसिंग करने हेतु, बैंक ने उत्पादों एवं सेवाओं में और सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए। ग्राहकों को "कम लागत एवं तीव्र

प्रेषण" की सेवाएं प्रदान करना आदर्श वाक्य था. इसके अतिरिक्त ऑनलाइन आरटीजीएस / एनईएफटी धनप्रेषण सुविधा को लोकप्रिय बनाने के लिए, बैंक मोबाइल वैन के माध्यम से उनके घर के द्वार के करीब तक सेवाएं प्रदान करता है. भारतीय मूल बाहुल्य वाले इलाकों का दौरा करता है, श्रमिक जनसंख्या के लिए उपयुक्त कार्य समय का विस्तार करता है. द रैपिड फंडस 2 इंडिया का विस्तार नए केन्द्रों तक किया गया और इसके अतिरिक्त बैंक ने यूके में क्लिक फंड 2 इंडिया का शुभारंभ किया. अपनी पहुंच को और अधिक बढ़ाने के प्रयोजन से बैंक ने धनप्रेषण की सुविधा हेतु एक्सचेंज हाउसों के साथ टाई अप किया है. यह -7- एक्सचेंज हाउसों के साथ पहले से ही परिचालनगत कर दिया गया है और इसकी संख्या में और वृद्धि करने का कार्य चल रहा है.

विदेशी व्यवसाय में जोखिम प्रबंधन

वित्तीय लेन-देन के बढ़ते आकार एवं जटिलताओं के दृष्टिगत जोखिम प्रबंधन का संघटन अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है. वैश्विक वित्तीय संकट ने भी ठोस जोखिम प्रबंधन, प्रभावकारी आंतरिक नियंत्रण और वित्तीय संस्थाओं में सुदृढ़ कार्पोरेट गवर्नेन्स की आवश्यकता को रेखांकित कर दिया है.

बासल II की जरूरतों के अनुपालन एवं सभी विदेशी क्षेत्रों के आंकड़ों के एकीकरण तथा ऋण नियोजन से संबंधित विनियामक मानदण्डों के अनुपालन, आस्ति गुणवत्ता, जोखिम भारित आस्तियों के प्रावधानीकरण एवं निर्धारण के लिए भी बैंक ने अपने सभी विदेशी क्षेत्रों में चरणबद्ध ढंग से एस्क़्राम (आस्ति वर्गीकरण एवं ऋण मानिटरिंग) प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए योजना बनाई है. समाधान को मेजबान तथा होम कंट्री मानदण्डों के अनुसार जोखिम भारित आस्ति (आरडब्ल्यूए) की गणना और बैंक नीति के अनुसार वैश्विक आर. डब्ल्यू. ए. मास्टर समरी सृजित करने के लिए क्षेत्र विशेष की जरूरतों के दृष्टिगत ग्राहकोन्मुख बनाया जाएगा. एस्क़्राम का आरंभ अन्य एमआईएस प्रयोजनों और ऋण मानिटरिंग के लिए सहायक होगा.

विदेशी व्यवसाय में विनियमन अनुपालन

निवासी देश के विनियमनों का बैंक कड़ाई से हमेशा पालन करता है और सुनिश्चित करता है कि इस कारण से कोई अवेहलना नहीं हो. बैंक ने अपने सभी विदेशी परिचालनों में विनियम अनुपालनकर्ता बैंक एवं अच्छा कार्पोरेट नागरिक होने की ख्याति अर्जित की है.



बैंक ने पुणे स्थित दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी हाइ-टेक कार्डियाक एम्बुलेंस दान किया. हॉस्पिटल के न्यासी पंडित हृदयनाथ मंगेशकर को एम्बुलेंस की चाबी प्रदान करते हुए अंचल प्रमुख, महाराष्ट्र एवं गोवा अंचल.



बैंक ने कार्पोरेट सामाजिक दायित्वों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप मुंबई मैरथेन 2009 में शानदार उपस्थिति दर्ज की.

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

बैंक ने हमेशा समाज के लिए कार्य करने में विश्वास व्यक्त किया है. एक जिम्मेदार कार्पोरेट नागरिक के रूप में, अल्प सुविधा प्राप्त एवं कमजोर वर्गों का सामाजिक - आर्थिक विकास करके समुदाय को सशक्त करना बैंक विज़न रहा है. वर्ष 2008-09 के दौरान बैंक ने इस दिशा में अपने प्रयासों को और तेज़ कर दिया है. बैंक के अधिकांश सामाजिक कार्यकलाप ग्रामीण लोगों से संबद्ध हैं : जैसे कि बैंक ने पूरे भारत में 101 गांवों को अंगीकार किया है जिसका प्रयोजन उनका सर्वांगीण विकास एवं ग्रामीण पुस्तकालय, सामुदायिक हाल और सौर उर्जा प्रणाली जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है. बेरोजगार युवकों को लाभप्रद स्वरोजगार और उद्यम से संबंधित कौशल विकसित करने हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए **स्वरोजगार विकास संस्थान** की भी स्थापना की है. इसके फलस्वरूप उन्हें अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने एवं उनके निवास के केन्द्रों की स्थानीय आर्थिक स्थिति में बढ़ोत्तरी का अवसर प्राप्त होता है. बैंक ने -52- **बड़ौदा ग्रामीण परामर्श केन्द्रों** की स्थापना की है जिसका प्रयोजन संपूर्ण देश के ग्रामीण लोगों को ऋण के संबंध में परामर्श एवं वित्तीय शिक्षण प्रदान करना है. बैंक अपने सीएसआर कार्यकलापों का अपने सूक्ष्म वित्तपोषण एवं स्वयं सहायता समूह वित्तपोषण के साथ समन्वय करता है. बैंक ने 91,536 स्वयं सहायता समूहों के साथ संबंध विकसित किए हैं और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से रु.636.00 करोड़ की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई है जिसके द्वारा लाखों लोग वित्तीय समावेशन के लाभार्थी हो सके हैं. बैंक ने राजस्थान राज्य के डुंगरपुर जिले को संपूर्ण एकीकृत ग्रामीण विकास तथा 100% वित्तीय समावेशन के लिए अंगीकार किया है जिसका वर्णन पिछले अनुभाग में किया गया है.

बैंक ने सामाजिक दायित्वों और सामाजिक योगदान के प्रति श्रेष्ठ प्रबंधकीय पद्धति को अंगीकार किया है. इस हेतु बैंक ऐसी परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है जो नवीकरणीय संसाधनों को आपूर्ति स्टाक के रूप में इस्तेमाल करती हैं यथा पवनचक्की, हाइडल पावर, खोई आधारित बिजली परियोजनाएं, सौर उर्जा आदि जिससे ग्रीन हाउस गैस इमीशन में, जो कार्बन जमा होने के कारण हैं, में कमी आती है.

ट्रेजरी परिचालन

वित्तीय वर्ष 2008-09 ने विभिन्न आस्ति वर्गों में, वित्तीय बाजार में बहुत बड़ी अस्थिरता का अनुभव किया. सब प्राइम धराशायी होने से वित्तीय संकट के

परिणामस्वरूप विश्व के प्रमुख बैंकों द्वारा बृहद अवलेखन किया गया। पूरे विश्व में कार्पोरेट बाण्ड बाजार में तरलता संकट था क्योंकि निवेशकर्ता अधिक जोखिम उठाने के प्रतिकूल हो गए थे। अनेक विकसित एवं विकासशील देशों द्वारा न केवल निधियन ऋण सीमाओं में वृद्धि अपितु बैंकों में प्रत्यक्ष रूप से पूंजी लगाकर वित्तीय प्रणाली को संपूर्ण रूप से धराशायी होने से सुरक्षित किया गया। पुनः आत्मविश्वास पैदा करने के लिए दर में कमी करना केन्द्रीय बैंकों में एक मानदण्ड बन गया है।

भारतीय बाण्ड बाजार में वर्ष की प्रथम छमाही में तेल की कीमतों में आई अस्थिरता के कारण पैदा हुई चिन्ताओं के मद्देनजर और अधिक तेजी आई। अप्रैल से अगस्त 2008 के दौरान मुद्रास्फीति में उर्ध्वगामी प्रवृत्ति बनी रही और इसने 12.63% के अधिकतम स्तर को स्पर्श किया जो कच्चे तेल और वस्तुओं की उच्च कीमतों के कारण हुआ। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी जागरुकता दर्शाई और मुद्रास्फीति की सम्भावनाओं को शांत करने के लिए प्रमुख दरों में बढोत्तरी कर दी। बाण्ड प्रतिफल के क्षेत्र में प्रतिक्रिया हुयी जिसके फलस्वरूप 10 वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल ने जुलाई, 2008 में 9.54% के स्तर को स्पर्श किया जब कि 31 मार्च, 2008 को इसका स्तर 7.93% था। अक्टूबर-नवम्बर, 2008 के माह में ब्याज दर ने संतुलन के लक्षण प्रदर्शित किए जब मुद्रास्फीति में वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लचीला रवैया और भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नरमी के फलस्वरूप मुद्रास्फीति में कमी आना शुरु हुआ।

तथापि, वित्तीय वर्ष 2009 की द्वितीय छमाही के दौरान, बाजार अस्थिर बने रहे। सब प्राइम के कारण यूएसए में अवश्यम्भावी मंदी का भय बना रहा और जिसके परिणामस्वरूप इसके बेंचमार्क दर में फेड कटौती करनी पड़ी। फेड दरों में कटौती एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मौद्रिक नरमी के कारण बाण्ड बाजार में तेजी आ गई तथा प्रतिफल में तेजी से नरमी आई। **भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितम्बर के 9.00% की रेपो दर में कटौती कर 21 अप्रैल, 2009 को 4.75% कर दिया।** 10 वर्षीय प्रतिफल सितम्बर में 8.63% से घटकर दिसम्बर 2008 में 5.31% हो गया। तथापि, अंतिम तिमाही को अतिरिक्त उधार और वर्ष 2009-10 के लिए रिकार्ड उधार के कार्यक्रमों के कारण निचले स्तर पर प्रतिफल लम्बे समय तक बना नहीं रह सका। यह 31 मार्च, 2009 को 7.01% पर बंद हुआ। समाप्त 28 मार्च, 2009 के लिए मुद्रास्फीति 0.26% था। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने खुले बाजार परिचालनों के माध्यम से उधार कार्यक्रम का प्रबंधन करना जारी रखा।

कार्पोरेट बाण्ड बाजार ने तुलनीय सरकारी प्रतिभूतियों की तुलना में इस अन्तराल को बढ़ते देखा। पोर्टफोलियो के बचाव हेतु, बैंक ने वर्ष के प्रारंभ में एसएलआर प्रतिभूतियों को एएफएस से एचटीएम को स्थानांतरित कर दिया।

तथापि, भारत की समग्र आर्थिक शक्ति और लम्बी अवधि के उच्च ब्याज दरों को बनाए रखने के बारे में आशंका को देखते हुए, बैंक के ट्रेजरी डिवीजन ने लम्बी अवधि की प्रतिभूतियों को ऐसे समय में संचित करना प्रारंभ किया जब इन बाण्डों पर प्रतिफल 9.5% से 9.25% के बीच था। आक्रामक संचयन की प्राप्ति टी-बिल्स, कुछ अल्पावधि टेनर प्रतिभूतियों को प्रतिस्थापित तथा पोर्टफोलियों के आकार और अवधि में वृद्धि कर प्राप्त किया गया। बैंक ने ओआईएस और आईएनबीएम पर फिक्स्ड भी प्राप्त किए।

उपरोक्त रणनीति के फलस्वरूप बहुत अधिक लाभ तब प्राप्त होना शुरु हुआ जब प्रतिफल में कमी आना प्रारंभ हो गया। लम्बी तारीखों के सरकारी बाण्डों ने बहुत कम समय में ही हमें अधिकतम प्रतिफल प्रदान किया। इसके अतिरिक्त ये लाभ, मौजूदा पोर्टफोलियो के प्रतिफल को बिना गंवाए, सृजित किए जा सके। कम ब्याज-दरों के अवसर को और आगे नकदीकरण करने के लिए, ट्रेजरी डिवीजन ने लम्बी अवधि के बाण्डों को बेचकर पोर्टफोलियो की समयवधि में कमी लाई

और ओआईएस तथा आईएनबीएम के पर फिक्स्ड का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त, ट्रेजरी डिवीजन ने मुद्रा बाजार, सीबीएलओ, जी-सेक और यूएसडी / आईएनआर स्वैप्स के माध्यम से सृजित संसाधनों के बीच उपलब्ध अंतरपणन (आर्बिट्रेज) अवसरों को सक्रिय रूप से नकदीकरण करना जारी रखा।

इक्विटी मार्केट ने वर्ष के दौरान बहुत अधिक अस्थिरता तथा अधोगामी रुझान देखा। बेंच मार्क सेंसेक्स, जो 31 मार्च, 2008 को 15,644 था, में तेजी से गिरावट आई और 27 अक्टूबर, 2008 को निम्नतम के 7,697 स्तर को स्पर्श किया और इसका कारण था : वैश्विक आर्थिक मंदी की चिन्ता। आर्थिक मंदी को नियंत्रित रखने के लिए यूएस और यूरोप की सरकारों द्वारा घोषित संजीवनी पैकेज से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ना दिखने लगा और इसके फलस्वरूप, वैश्विक इक्विटी मार्केट पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। भारतीय बाजार ने भी उबरने की स्थिति दर्शाई और 31 मार्च, 2009 को सेंसेक्स 9,708 पर बंद हुआ। बैंक के इक्विटी डेस्क का परिचालन मंद बना रहा। तथापि, बाजार में स्थिरता स्थापित हो जाने के पश्चात सक्रिय परिचालन प्रारंभ हो गया और विवेकपूर्ण बाजार परिचालन के माध्यम से भरपूर आय अर्जित करने की आशा है।

विदेशी विनिमय बाजार में वर्ष के दौरान भारतीय रुपए में यूएस डालर के समकक्ष 26.44% का मूल्यहास हुआ। यह रु.40.12 प्रति यूएसडी से बढ़कर रु.50.73 यूएसडी हो गया और यह मुख्य रूप से वर्ष के दौरान विदेशी पूंजी की भारी मात्रा में बाह्य प्रवाह के कारण हुआ। यह यूएस डालर के समकक्ष रु.39.97 के निम्नतम स्तर और रु.52.18 के उच्चतम स्तर के बीच घटता-बढ़ता रहा। बैंक की एकीकृत ट्रेजरी यूएसडी/आईएनआर, ईयूआर/यूएसडी में बाजार निर्माता बनी रही। वर्ष के दौरान फोरेक्स बाजार सभी वित्तीय केन्द्रों पर सब प्राइम संकट के उत्तरोत्तर घटने या बढ़ने के प्रभाव के कारण, बहुत अधिक अस्थिर बना रहा। बैंक का विदेशी विनिमय डीलिंग कक्ष अस्थिरता का नकदीकरण करने में सफल रहा और बैंक के लिए अच्छा लाभ अर्जित किया।

मुंबई में स्थित बैंक का अत्याधुनिक डीलिंग कक्ष विदेशी विनिमय लेन-देन एवं डेरिवेटिव उत्पादों के समस्त कार्य को संपादित करता है। प्रोन्नत प्रौद्योगिकी परिवेश को बैंक द्वारा और विकसित किया जा रहा है ताकि हेजिंग लिखतों यथा ब्याज दर स्वैप, करेंसी स्वैप और ऑप्शन्स के माध्यम से अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्रदान किए जा सके। स्वचालित डीलिंग प्रणाली के माध्यम से, भारत में सभी प्राधिकृत शाखाओं में अपने ग्राहकों को बैंक स्वचालित सृजित वास्तविक समय विदेशी विनिमय मुद्रा के भाव की जानकारी कराता है और इससे उन्हें वास्तविक समय के बाजार का अहसास कराता है।

अपने व्यवसाय के पुनः संरचना के एक भाग के रूप में, बैंक, प्रमुख मनी (रुपया) केन्द्रों पर वैश्विक ट्रेजरी सोल्यूशन के कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है। इसे लंदन, दुबई, बहरीन एवं बहमास में सफलतापूर्वक पहले ही क्रियान्वित किया जा चुका है। अन्य केन्द्रों पर रोलआउट प्रगति में है। यह कार्यान्वित कर दिए जाने के पश्चात बैंक के पास बेहतर वैश्विक जोखिम प्रबंधन संरचना उपलब्ध हो जाएगी और बैंक संसाधनों के इष्टतम नियोजन की उपलब्धि प्राप्त कर सकता है।

बैंक ने अपनी ट्रेजरी शाखा में एक सक्रिय डेरिवेटिव डेस्क स्थापित किया है जो कार्पोरेट ग्राहकों को उनकी ब्याज दर और करेंसी दर हेजिंग करने संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्राहकोन्मुख उत्पाद प्रदान करता है।

ट्रेजरी डिवीजन का सभी सुविधाओं से सज्जित मिड आफिस, निदेशक मण्डल द्वारा वास्तविक समय आधार पर निश्चित की गई विभिन्न एक्सपोजर और ऋण

सीमाओं की मानदिरिंग करता है और इस हेतु प्रोन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करता है। वैल्यू एट रिस्क (वीएआर) के तरह के जोखिम प्रबंधन को सभी पोर्टफोलियो के संबंध में बाजार जोखिम का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, वीएआर नम्बर की बैंक टेस्टिंग प्रतिदिन की जाती है ताकि भविष्यवाणी की गई वैल्यू की सत्यता की पुष्टि की जा सके। सभी पोर्टफोलियो के स्ट्रेस का परीक्षण भी किया जाता है ताकि वीएआर विश्लेषण की पूर्ति की जा सके।

आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन :

वर्ष की द्वितीय छमाही में उद्योगों में बहुत अधिक अधोगामी रुझान के बावजूद बैंक ने 2008-09 में आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर कार्यनिष्पादन किया। सुव्यवस्थित समन्वय एवं सतत प्रयासों से, बैंक का वैश्विक सकल एनपीए स्तर एक वर्ष में 1.84% से घटकर 1.27% के स्तर पर और एनपीए का स्तर 0.47% से घटाकर 0.31% तक लाया जा सका।

यह उल्लेखनीय है कि न केवल सकल एनपीए और शुद्ध एनपीए का प्रतिशत घटाने में सफलता मिली अपितु समाप्त मार्च, 2009 तक ओपनिंग पोर्टफोलियो रु.1,981.33 करोड़ एवं रु.493.55 करोड़ से घटाकर क्रमशः रु.1,842.92 करोड़ एवं रु.451.15 करोड़ लाने में भी बैंक सफल रहा।

वर्ष 2008-09 के दौरान, आस्ति गुणवत्ता में पुनः सुधार हुआ और गत वर्ष के अंत में मानक अग्रिम 98.16% से बढ़कर वर्तमान समय में 98.73% के स्तर को स्पर्श कर सका। विवरण निम्नानुसार :

अग्रिम संवर्ग (सकल)	31 मार्च, 2009		31 मार्च, 2008	
	राशि	कुल %	राशि	कुल %
मानक	143001.94	98.73	105690.44	98.16
हानि	345.34	0.24	366.12	0.34
संदिग्ध	832.32	0.57	887.65	0.82
अवमानक	665.26	0.46	727.61	0.68
सकल एनपीए	1842.92	1.27	1981.38	1.84
कुल	144844.86	100.00	107671.82	100.00

बैंक का एनपीए कवरेज अनुपात 75.52% के सहज स्तर तक पहुंच सका। स्लिपेज में कमी लायी जा सकी और वर्ष 2007-08 के दौरान 1.21% के समकक्ष वर्ष के ओपनिंग अग्रिम का स्तर 0.95% तक नियंत्रित रखा गया।

वसूली तथा एनपीए प्रबन्धन में आक्रामक तथा केन्द्रित प्रयासों के फलस्वरूप एनपीए में रु.567.19 करोड़ की वसूली की गई। इसके अलावा संबंधित चुनौतीपूर्ण वर्ष के दौरान रु.168.20 करोड़ के खाते अपग्रेड किए गए।

यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि चालू वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण रूप से बड़े खाते डाले गए खातों में रु.263.15 करोड़ की ' वसूली ' की गई जिससे बैंक के लाभ में सीधे बढ़ोत्तरी हो गई।

वर्ष 2008-09 के दौरान बैंक ने रु.10/- लाख तक के बकाया लघु अग्रिम खातों में वसूली के लिए दिनांक 21.11.2008 से 'संकल्प' वसूली योजना की शुरुआत करके अन्य वसूली उपाय किए और बैंक ने इस अभियान के माध्यम से रु.63.09 करोड़ की वसूली की।

प्रौद्योगिकी परिवेश :

वर्ष 2005-06 में बैंक ने बैंकिंग उद्योग में गहराती प्रतिस्पर्धा के मद्देनज़र स्वयं को पुनः स्थापित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित व्यावसायिक

रूपान्तरण परियोजना प्रारंभ की। इस परियोजना के तहत आगामी 5 वर्षों के दौरान अर्थात् मार्च, 2010 तक इससे संबद्ध अनेक कार्य संपन्न करने का लक्ष्य सामने रखा गया। इससे बैंक को स्वयं को ग्राहकोन्मुख संगठन के रूप में रूपान्तरित करने तथा बैंक की सेवा लागत कम करने में मदद मिलेगी।

एकीकृत रूपान्तरण परियोजना को सहजतापूर्वक लागू करने के लिए बैंक ने 10 दिसम्बर, 2005 को अपना स्टेट ऑफ द आर्ट डाटा सेंटर स्थापित किया जो कि अपटाइम इंस्टीट्यूट टियर -3 मानकों के अनुरूप है। बैंक ने अपनी आपदा निवारण साइट (डिजास्टर रिकवरी साइट) स्थापित की है जो 500 कि.मी. की दूरी की अन्तरराष्ट्रीय आवश्यकताओं तथा विभिन्न भूकंपीय क्षेत्रों (सेस्मिक जोन) की अपेक्षाओं के अनुरूप है।

2008-09 में प्रौद्योगिकी प्रगति :

- **कोर बैंकिंग सोल्यूशन :** 31 मार्च 2009 को भारत में बैंक की 1922 शाखाएं तथा 28 विस्तार काउन्टर सीबीएस के तहत आ गई थीं। इस प्रकार 34 राज्यों / संघशासित प्रदेशों के एक हजार से ज्यादा केन्द्र बैंक के घरेलू व्यवसाय का लगभग 94% हिस्सा सीबीएस के तहत आ गया है। इसके अतिरिक्त 12 देशों की 43 शाखाएं तथा 7 विदेशी अनुषंगियों की 23 शाखाएं फिनाकल सीबीएस के तहत आ गई हैं। बैंक के कुल विदेशी व्यवसाय का लगभग 79% सीबीएस शाखाओं के तहत आ गया है।
- **व्यापक क्षेत्र नेटवर्क (WAN) :** सीबीएस व अन्य केन्द्रीकृत व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन लिए सुदृढ़ वाइड एरिया नेटवर्क (WAN) की जरूरत पड़ती है, जिसमें प्रत्येक स्तर पर पर्याप्त नेटवर्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की गई हो। बैंक की 2300 से अधिक शाखाओं / कार्यालयों के 99.9% से अधिक कार्यकलाप निश्चित समयावधि में व्यापक एरिया नेटवर्क (WAN) के तहत आ गए हैं।
- **इन्टरनेट बैंकिंग :** बैंक ने भारत में रिटेल तथा कार्पोरेट ग्राहकों के लिए संपूर्ण लेन देन आधारित इन्टरनेट बैंकिंग की शुरुआत की है। इस प्लेटफार्म के माध्यम से ग्राहक अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों का ऑन लाइन भुगतान, यूटिलिटी बिलों का भुगतान साथ ही रेल टिकट भी बुक कर सकते हैं। ग्राहक बैंक के भीतर अपने एक खाते से दूसरे खाते में निधियों का अंतरण कर सकते हैं। ग्राहक एनईएफटी/ आरटीजीएस का प्रयोग करके इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से निधियों के अंतर बैंक अन्तरण हेतु सेवा भी प्राप्त कर सकते हैं। कॉर्पोरेट ग्राहकों को सीधे सेलरी अपलोड की सुविधा हो गई है। भारत में इन्टरनेट बैंकिंग के ग्राहकों को एसएमएस एलर्ट की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इन्टरनेट बैंकिंग की सुविधा -7- विदेशी टैरीटरीज है - बोत्सवाना, फिजी, मॉरीशस, यूएई, ओमान, सेशल्स तथा तंजानिया में भी शुरू की गई है।
- **फोन बैंकिंग :** बैंक ने अभी हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए एक और डिलीवरी चैनल 'फोन बैंकिंग ' की शुरुआत की है। इस सुविधा से ग्राहक बैंक के उत्पादों की जानकारी, अपने खातों में बैलेन्स की जानकारी, चेक की स्थिति, फैंक्स या ई मेल के माध्यम से खाता विवरण के आदेश आदि प्राप्त कर सकते हैं।
- **आरटीजीएस / एनईएफटी :** बैंक की सभी सीबीएस शाखाएं आरटीजीएस तथा एनईएफटी के माध्यम से अन्तर बैंक प्रेषण कर सकती हैं। आरटीजीएस तथा एनईएफटी हमारे इन्टरनेट बैंकिंग के पोर्टल पर भी देखा जा सकता है। इससे हमारे ग्राहक इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन अन्तःबैंक धन अंतरण की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

- **ऑन लाइन धन अंतरण सेवा :** बैंक की यू ए ई , ओमन, यू.के, मॉरीशस, सेशल्स, बोत्सवाना, हांगकॉंग, फिजी, घाना, केनिया, गुआना, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, यूगान्डा, त्रिनीनाद तथा टोबेगो की हमारी शाखाओं में ऑन लाइन मनी ट्रांसफर सेवा - रेपिड फन्डस 2 इंडिया शुरू की गई है। इन प्रदेशों में रहनेवाले अनिवासी भारतीय इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। इसके द्वारा इन शाखाओं से भारत में किसी भी सीबीएस शाखा में लाभार्थी के खाते में आसानी से तत्काल धन जमा किया जा सकता है। यदि उनका खाता किसी दूसरे बैंक की शाखा में है तो वह आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से उसी दिन या अगले दिन जमा प्राप्त कर सकते हैं।
 - **नकदी प्रबन्धन सेवाएं (कैश मैनेजमेन्ट सर्विसेज):** बैंक ने कॉरपोरेट नकदी प्रबन्धन सेवाओं की शुरुआत मुंबई में दिसम्बर, 2008 में कर दी है। इस सेवा के माध्यम से हमारे कॉरपोरेट ग्राहक अपनी निधियों का प्रबन्धन दक्षतापूर्वक कर सकते हैं। ग्राहक थोक भुगतान सेवाएं , स्थानीय / बाहरी निधियों की वसूली, (कागजात आधारित या इलेक्ट्रॉनिक) के माध्यम से तथा निधि एकत्रीकरण सुविधा के जरिए चल निधि का प्रबन्धन कर सकते हैं।
 - **बेस 24 एटीएम स्विच :** बैंक ने बेस 24 एटीएम स्विच को सभी घरेलू एटीएम में तथा 5 विदेशी टैरीटरीज में कार्यान्वित किया है। यह नया एटीएम स्विच अधिक से अधिक एटीएम तथा संव्यवहार को सुगमता से संचालित करता है। फिलहाल 1179 घरेलू एटीएम तथा पांच विदेशी टैरीटरीज में 36 एटीएम संचालित हैं।
 - **रिटेल डिपोजीटरी सेवाएं :** हमारे ग्राहकों को 275 शाखाओं में रिटेल डिपोजीटरी सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। केन्द्रीयकृत डिपोजीटरी सेवाएं लागू होने के साथ ही शाखाएं अब एनएसडीएल तथा सीडीएसएल दोनों से डिपोजीटरी सेवाएं देने में समर्थ हैं। डिपोजीटरी ग्राहक अब हमारे 275 नामित शाखाओं में से किसी से भी यह सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इन सेवाओं का बैंक की सभी सीबीएस शाखाओं में विस्तार किया जाएगा।
 - **ग्लोबल ट्रेजरी :** ग्लोबल ट्रेजरी, यू.के., बहामाज, यू.ए.ई. तथा बहरीन और सिंगापुर, हांगकांग में कार्यान्वित की गई तथा भारत में ग्लोबल ट्रेजरी का कार्यान्वयन आगामी वर्ष में किया जाएगा।
 - **भुगतान संदेश (पेमेंट मैसेज) :** बैंक ने पेमेन्ट मैसेजिंग सोल्यूशन का कार्यान्वयन 5 विदेशी टैरीटरीज में किया है। पेमेन्ट मैसेज सोल्यूशन (पीएमएस) स्विफ्ट संदेश प्लेटफॉर्म है जो सीबीएस से स्वचालित संदेश भेजता है। यह सीबीएस से जेनरेट किए गए और ए एम एल जांच के माध्यम से भेजे गए स्विफ्ट स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) संदेशों को सुविधाजनक बनाता है। बैंक का सभी राज्यों में पीएमएस कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है इसमें विदेशी मुद्रा लेनदेन करने वाली घरेलू शाखाएं भी शामिल हैं।
 - **सिटी बैंक आफिस (सीबीओ) :** शाखाओं में बैंक आफिस कार्यकलापों का केन्द्रीयकरण कर कार्यान्वित कर दिया गया है ताकि शाखाओं के परिचालन स्टाफ को बैंक आफिस कार्यकलापों से राहत मिल सके तथा वे सेल्स एन्ड सर्विस पर ध्यान केन्द्रित कर सकें। 19 सेवा शाखाएं तथा 48 मुख्य कार्यालय सिटी बैंक आफिस मॉडल के रूप में कार्य कर रहे हैं।
 - **रीजनल बैंक आफिस (आरबीओ):** बड़ौदा में प्रथम रीजनल बैंक आफिस ने केन्द्रीयकृत खाता खोलने की प्रक्रिया के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। रीजनल बैंक ऑफिस 350-400 शाखाओं के समूह के बैंक ऑफिस कार्यकलापों जैसे खाता खोलना, हस्ताक्षर स्केनिंग, चेक बुक जारी करना, स्टेटमेन्ट प्रिन्टिंग, (एफडीआर) सावधि जमा रसीद का नवीकरण, टीडीएस सर्टिफिकेट तथा एमआईएस के कुछ कार्यों को संचालित करेंगे।
 - **काले धन को वैध बनाने पर रोक लगाना (धन शोधन निवारण) (एन्टी मनी लॉन्ड्रिंग) :** विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए बैंक ने धन शोधन निवारक प्रणाली भारत तथा 14 विदेशी टैरीटरीज अर्थात् ओमान, यू.एई, फिजी, मॉरीशस, सेशल्स, तंजानिया, बहामास, केन्या, यूगान्डा, गुयाना, हाँगकाँग, बोत्सवाना, यू.के तथा दक्षिण अफ्रीका में कार्यान्वित कर दी है।
 - **हैल्प -डेस्क :** बैंक के डाटा सेन्टर में एक 24x7x365 ग्लोबल हैल्प डेस्क कार्यरत है। बैंक ने रोजमर्रा के परिचालनात्मक मुद्दों को निपटाने के लिए सभी अंचल केन्द्रों पर लोकल हैल्प डेस्क की स्थापना की है , जिसका संचालन बैंक के प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। सभी लोकल हैल्प डेस्क प्रातः 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक कार्य कर रहे हैं। सभी शाखाओं को वीओआईपी फोन द्वारा ग्लोबल हैल्प डेस्क तथा लोकल हैल्प डेस्क से जोड़ा गया है।
 - **आई.एस.सिक्वोरिटी :** बैंक ने प्रौद्योगिकी को किसी भी आशंका के मद्देनजर सुरक्षित रखने के लिए बड़ी ही प्रभावशाली सूचना सुरक्षा प्रबन्ध व्यवस्था प्रणाली (आईएसएस) विकसित की है। बैंक ने एन्टीवायरस प्रोग्राम कार्यान्वित किया है। बैंक ने विभिन्न आई टी सुरक्षा क्षेत्रों के लिए व्यापक आई टी सुरक्षा पॉलिसी जैसे पासवर्ड पॉलिसी एक्ससैस कन्ट्रोल पॉ लिसी आदि तथा अन्य सहायक प्रणालियां विकसित की हैं।
 - **एचआरएनईएस :** बैंक ने, अपने कर्मचारियों द्वारा निर्णय लेने, पदोन्नति तथा चयन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के साथ साथ स्वयंचालित अन्य एच आर प्रक्रिया के लिए केन्द्रीय डाटाबेस तैयार करने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर कर्मचारियों की सेवा के लिए मानव संसाधन नेट वर्किंग (HNes) सफलता पूर्वक कार्यान्वित कर दिया है।
 - **केन्द्रीयकृत पे-रोल :** भारत में स्थित सभी शाखाओं के कर्मचारियों के लिए केन्द्रीयकृत पे रोल सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर दिया गया है। यह दक्षतापूर्वक तथा सही ढंग से कार्य कर रहा है।
 - **प्रशिक्षण :** बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों ने लगभग 15000 कर्मचारियों को सीबीएस मोड्यूल तथा अन्य प्रौद्योगिकी एप्लीकेशंस के लिए प्रशिक्षित किया है। इसके अलावा सप्ताहंत में रिफ्रेशर पाठ्यक्रम फिनाकेल तथा अन्य एप्लीकेशंस पर आधारित पाठ्यक्रम आयोजित किए गए।
 - **आपदा निवारण एवं सतत व्यवसाय(डिजास्टर रिकवरी एव बिजनेस कंटीन्यूटी):** बैंक ने हर पल सतत व्यवसाय सुनिश्चित करने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट डाटा सेन्टर के साथ आपदा निवारण साइट (डिजास्टर रिकवरी साइट) कार्यान्वित की है। नियमित अंतरालों पर ड्रिल संचालित की जाती है और परिचालन डीआर साइट को अंतरित किए जाते हैं तथा सतत परिचालन सुनिश्चित किया जाता है।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन संबंधी भावी योजनाएं :**
- कोर बैंकिंग सोल्यूसन तथा अन्य एप्लीकेशनों को भारत तथा विदेश की सभी शाखाओं में लागू किया जाएगा।
 - वर्ष 2009-10 के दौरान 3 डी सुरक्षा सहित बैंक के इन्टरनेट पेमेन्ट गेटवे

की शुरुआत की जाएगी.

- चार और केन्द्रों जयपुर, लखनऊ, भोपाल तथा कोयम्बतूर में रीजनल बैंक आफिस (RBO) शुरू किए जाएंगे.
- भारत तथा विदेशी केन्द्रों को कवर करते हुए सिंगल एकीकृत ग्लोबल ट्रेजरी पूरी की जाएगी.
- भारत में स्विफ्ट ग्लोबल हब स्थापित कर समग्र विश्व में स्विफ्ट परिचालनों को केन्द्रीयकृत किया जाएगा. इस प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रत्येक विदेशी टैरीटरी में दी जा रही अलग अलग स्विफ्ट बुनियादी सुविधाओं को बंद किया जाएगा और समग्र टैरीटरी में सारे स्विफ्ट परिचालनों को स्विफ्ट हब के माध्यम से संचालित किया जाएगा.
- डॉक्यूमेन्ट इमेजिंग एवं वर्क फ्लो ऑटोमेशन प्रोजेक्ट के भाग के रूप में बैंक, ऋण प्रोसेसिंग मॉड्यूल कार्यान्वित कर रहा है जिसकी सहायता से रिटेल लोन फैक्टरियां सेल्स लीड खोजने के साथ ऋणों की स्वीकृति से लेकर वितरण तक प्रस्तावों की प्रोसेसिंग की प्रगति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगी.
- वर्ष 2009-10 के दौरान बहुत से अन्य प्रोजेक्ट्स जैसे ग्राहक संबंध प्रबन्धन, ऑन लाइन ट्रेडिंग, डाटावेअर हाऊस, ज्ञान प्रबन्धन, केन्द्रीयकृत स्रोत और अधिप्राप्ति पद्धति, कार्यकलाप आधारित कार्यनिष्पादन प्रबन्धन तथा संतुलित स्कोर कार्ड, तथा केन्द्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सैल शुरू किए जाएंगे.

बैंक सूचना प्रौद्योगिकी आधारित व्यवसाय रूपान्तरण परियोजना के कार्यान्वयन से ग्राहकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार बैंकिंग सहूलियतों तथा विभिन्न उत्पादों के विस्तृत डिलीवरी चैनल प्रदान करता है. बैंक का मूल उद्देश्य यही है कि वह अपने ग्राहकों के लिए उच्च प्रौद्योगिकी आधारित बैंक तथा पहली पसंद का बैंक बने ताकि यह वैश्विक बाजार में प्रत्येक सिंगल पैरामीटर पर प्रौद्योगिकी सहित लीडर के रूप में उभर सकें .

मानव संसाधन :

ऐसे वातावरण में जहाँ प्रौद्योगिकी तथा व्यवसाय पूरक बन गए हैं तथा तदनुरूप व्यावसायिक परिस्थितियों का निर्माण किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में व्यावसायिक उत्कृष्टता हासिल करने के लिए व्यक्ति की भूमिका प्रमुख हो गई है. बैंक ने इन भावी परिस्थितियों को देखते हुए मानव संसाधन से जुड़े अनेक कार्य प्रारंभ किए हैं, जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बाह्य व्यक्तियों से कार्य लेना, कार्यनिष्पादन प्रबंधन तथा प्रतिभा चयन तथा कर्मचारियों से कार्य लेना आदि व्यवस्थाओं का स्थानीय एवं कार्पोरेट स्तर पर मानव संसाधन तथा व्यवसाय रूपांतरण की दृष्टि से तालमेल बैठाना इसका मुख्य उद्देश्य है. वर्ष के दौरान मानव संसाधन में प्रौद्योगिकी उन्नयन प्रमुख उपलब्धि रही.

कर्मचारी सेवाओं के लिए मानव संसाधन नेटवर्क (HRnes) तथा कर्मचारी वेतन प्रणाली (पे रोल सिस्टम):

कर्मचारी सेवाओं के लिए मानव संसाधन नेटवर्क (HRnes) वेब आधारित मानव संसाधन समाधान तथा कर्मचारी पे रोल सिस्टम का शुभारंभ 26.11.2007 को हुआ था और वर्ष के दौरान इसका रोल आउट पूरे देश में कर दिया गया. इसी क्रम में कर्मचारियों के लिए अनुकूल कार्यप्रणाली और जोड़ दी गई ताकि कर्मचारी अपने स्थानांतरण, शिकायत निवारण, पदोन्नति, चयन, आसित देयता विवरण,

आयकर घोषणा आदि के लिए ऑन लाइन आवेदन कर सकें. पे-रोल को भारत की सभी शाखाओं / कार्यालयों में कार्यान्वित कर दिया गया. इससे कर्मचारियों के वेतन की गणना, तथा वेतन खाते में जमा होना. पीएफ तथा कटौतियां स्वतः ही हो जाती हैं. इससे लागत कम हुई है.

नेतृत्व विकास - प्रोजेक्ट लीप :

वर्ष 2009 के बाद के प्रौद्योगिकी परिवेश, प्रतिस्पर्धात्मक अनिवार्यताओं, विदेशी बैंकों के प्रवेश, एम एण्ड ए से बैंकिंग का स्वरूप बदल जाएगा तथा इसके फलस्वरूप विभिन्न स्तरों पर एक नए प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता होगी. भावी नेतृत्वकर्ताओं के लिए इस बदले हुए परिवेश में वित्तीय सेवा संगठनों का नेतृत्व करना तथा इनका प्रबंधन एक चुनौती होगी.

इसके साथ-साथ बाजार के नेतृत्व के संचालन में बैंक का आंतरिक नेतृत्व अहम भूमिका अदा करेगा. इसी के मद्देनजर नेतृत्व निखार एवं ज्ञानवर्धन प्रक्रिया (लीप) प्रोजेक्ट को अपनाया गया. इसकी शुरुआत बैंक के कार्यपालकों को नेतृत्व कौशल और सक्षम बनाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई.

लगभग 300 कार्यपालकों को चरणबद्ध रूप में नेतृत्व सक्षमता हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है. इस प्रक्रिया में निम्नलिखित का समावेश है.

- बैंक के भावी नेतृत्वकर्ताओं का सक्षमता के आधार पर चयन
- कार्यपालकों को सक्षम बनाने तथा उन क्षेत्रों में जहां उनका विकास करना आवश्यक है उनका मनोविश्लेषण करना तथा तदनुरूप फीड बैक लेना.
- क्लासरूम प्रशिक्षण तथा एक्शन लर्निंग प्रोजेक्ट
- भावी योजना तैयार करना.

खोज के माध्यम से प्रतिभा पहचान तथा प्रशिक्षण :

खोज की शुरुआत वर्ष 2005 में बैंक की आंतरिक प्रतिभा चयन एवं विकास प्रक्रिया हेतु की गई थी. इसके माध्यम से स्व-विकास तथा कैरियर नियोजन की व्यवस्था की गई. चूंकि यह एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है जिसमें स्वयं महत्वाकांक्षी कर्मचारी चयन हेतु आवेदन करते हैं कि उन्हें उन क्षेत्रों, जिनमें उनकी रुचि है, अथवा वे स्वयं को बेहतर महसूस करते हैं, में प्रशिक्षित किया जाए.

इस पहल का व्यापक स्वागत होने तथा काफी मात्रा में आवेदन प्राप्त होने से उत्साहित होकर **'खोज'** प्रक्रिया वर्ष 2006 तथा 2007 में पुनः दोहराई गई. चयनित अभ्यर्थियों को उनकी इच्छाओं / चुने हुए परिचालन क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाता है तथा तदनुसार पदस्थापित किया जाता है. उनके विकास को ध्यान में रखते हुए उनमें से कई अभ्यर्थियों को बैंक द्वारा की गई नई पहलों में ' चेंज चेम्पियनों ' के रूप में चुना गया. बैंक ने उनके प्रशिक्षण का कार्य परामर्शदाताओं को सौंपा है.

'खोज' में चयनित व्यक्तियों के लिए एक्सक्लूसिव सम्मेलन आयोजित किए गए. अलग समूह, कैरियर विकास और पुरस्कार आदि हेतु उनके योगदान को पर्याप्त अहमियत देना, विशिष्ट कार्यदायित्व आदि खोज में चयनित व्यक्तियों की विशिष्ट व्यक्तियों के रूप में पहचान कराता है.

करियर विकास :

बैंक की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने तथा कर्मचारियों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए बैंक में विकास की अनेक संभावनाएं हैं. युवा कर्मचारियों को प्रमुख पदों पर पदस्थापित करने हेतु भी विशेष प्रयास किए गए

हैं. वर्ष के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारियों को उच्च ग्रेड / स्केल में पदोन्नत किया गया .

क.प्र.श्रे. / स्केल-I से म.प्र.ग्रेड / स्केल -II (अधिकारी से प्रबन्धक)	927
म.प्र.श्रे./स्केल-II से म.प्र.ग्रे / स्केल -III(प्रबंधन से वरिष्ठ प्रबंधक)	552
व.प्र. श्रे./ स्केल -III से व.प्र.ग्रेड /स्केल-IV(वरिष्ठ प्रबंधक से मुख्य प्रबंधक)	220
व.प्र. श्रे. / स्केल -IV से व.प्र.ग्रेड/स्केल -V(मुख्य प्रबंधक से सहायक महाप्रबंधक)	46
व.प्र. श्रे./ स्केल -V से उ.का. ग्रेड / स्केल-VI(सहायक महाप्रबंधक से उप महाप्रबंधक)	30
उ.का.श्रे./स्केल -VI से उ.का ग्रेड/स्केल-VII (उप महाप्रबंधक से महाप्रबंधक)	10

भर्ती :

बैंक बदलते व्यवसाय प्रोफाइल तथा प्रक्रियाओं की सतत पूर्ति के लिए और साथ ही बैंक सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों की रिक्तियों को फिर से भरने के लिए विभिन्न ग्रेड /स्केल में कर्मचारियों की भर्ती कर रहा है. इसलिए बैंक ने वर्ष के दौरान विभिन्न बिजनेस स्कूलों के कैम्पस से 76 अधिकारियों की भर्ती की. बैंक, 2000 लिपिकवर्गीय स्टाफ सदस्यों तथा 750 डीआरओ, 200 कृषि अधिकारियों व 382 विशिष्ट श्रेणी के अधिकारियों की भर्ती विभिन्न स्केल / ग्रेड में कर रहा है. यह प्रक्रिया जून, 2009 तक पूरी कर ली जाएगी. इसी क्रम में बैंक ने विभिन्न प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूलों से जैसे -- आईआईएमएस, एमडीआई, एक्सएलआरआई, आईआईटीज, एक्सआईएमबी, एनआईएमएस, एसपीजैन, जमनालाल बजाज, आईआईएसडब्ल्यूबीएम आदि से 200 विद्यार्थियों का चयन किया है. जो जून, 2009 में बैंक ज्वाइन कर रहे हैं.

प्रशिक्षण :

निरंतर बदलते व्यावसायिक परिवेश, उत्पाद प्रोफाइल, ग्राहकों की अपेक्षाओं, विभिन्न प्रौद्योगिकी विधियों तथा अनुपालन एवं नियंत्रण अपेक्षाओं में हो रहे नित नए बदलावों के चलते आज प्रशिक्षण की भूमिका अहम हो गई है.

बैंक ने वर्ष के दौरान सीबीएस के क्षेत्र में 342 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर 6234 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया. क्रेडिट तथा जोखिम प्रबन्धन के क्षेत्र में पर्याप्त ध्यान देने के लिए 193 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 3590 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया. वर्ष के दौरान अन्य कार्य क्षेत्रों में 256 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 4595 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया.

कर्मचारियों के लिए जिन कार्य क्षेत्रों में आन्तरिक प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध नहीं थी उनके लिए बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों तथा बिजनेस स्कूलों का सहारा लिया गया, तथा 741 अधिकारियों व कार्यपालकों ने विशिष्ट कार्यक्षेत्रों में बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों व प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूलों में प्रशिक्षण प्राप्त किया. साथ ही 20 अधिकारियों व कार्यपालकों ने विदेश में भी प्रशिक्षण लिया.

कर्मचारी सम्मेलन :

परिणाम हासिल करने का कार्पोरेट दृष्टिकोण तथा कार्यनीति की जानकारी परिचालन इकाई स्तरों तक पहुंचनी चाहिए. हमारी परिचालन इकाइयों का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक एवं विस्तृत होने के कारण इनकी सहज पहुँच अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है. कार्पोरेट दृष्टिकोण तथा कार्यनीतियों को प्रभावपूर्ण ढंग से अवगत कराने तथा तदनुसार व्यावसायिक परिणाम हासिल करने के लिए हमें सजग,

केन्द्रित, सुनियोजित ढंग से एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कारगर योजना संचालित करने की आवश्यकता होगी. इन चुनौतियों के प्रति खरा उतरने के लिए विभिन्न केन्द्रों पर शाखाओं के समूह बनाकर तथा इन शाखाओं के सभी स्टाफ सदस्यों को शामिल करते हुए कर्मचारी सम्मेलन आयोजित किए गए. कर्मचारी सम्मेलन विशिष्ट खंड के कर्मचारियों जैसे महिला कर्मचारी, डीआरओ, कैम्पस



मेहसाणा में आयोजित कर्मचारी सम्मेलन (Employee Conclave) का एक दृश्य.

से भर्ती किए गए स्टाफ के लिए भी आयोजित किए गए. इससे स्टाफ सदस्यों को बुद्धिकौशल बढ़ाने तथा योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए संयुक्त प्रयासों को गति मिली. इस पहल से सभी स्तरों पर कार्यनिष्पादन हेतु स्टाफ की सहभागिता, उत्सुकता, जागरूकता एवं उत्साह बढ़ाने में मदद मिली. सभी अंचलों में आयोजित कर्मचारी सम्मेलनों पर प्राप्त प्रतिक्रिया अत्यन्त उत्साहवर्धक थी तथा ये कार्यक्रम स्टाफ सदस्यों को उत्साहित करने वाले तथा उनमें सकारात्मक सोच विकसित करने वाले साबित हुए.

मानव संसाधन नीतियां :

'कर्मचारी पहले ' के बैंक के विश्वास में 'ग्राहक पहले ' के दर्शन को सुनिश्चित किया है जो 25 देशों में बैंक की 3000 से अधिक शाखाओं / कार्यालयों में व्यवसाय कार्य के रूप में फैला हुआ है.

कर्मचारियों की विभिन्न कैडरों में सेवा शर्तों को कूटबद्ध कर दिया गया है तथापि कर्मचारियों साथ ही साथ बैंक के लिए कुछ नाजुक क्षेत्र अभी भी चिन्ताजनक हैं. जहाँ पर नीतियां कर्मचारियों के संतुष्टि स्तर तथा व्यवसाय कार्यनिष्पादन बढ़ोत्तरी में गतिरोध पैदा करती हैं, तथापि कार्यनिष्पादन प्रबन्धन पद्धति तथा अधिकारियों के स्थानांतरण के नाजुक क्षेत्रों में परदर्शी नीतियां बनाई गई हैं इससे कार्यनिष्पादन में सुधार आया तथा कर्मचारियों को संतुष्टि मिलेगी.

इसी क्रम में भर्ती, पदोन्नति , विशिष्ट श्रेणी के अधिकारियों के कैरियर विकास, विदेशों के लिए चयन आदि के क्षेत्रों में मौजूदा नीतियों की समीक्षा की जा रही है और जहाँ ये विद्यमान नहीं हैं, वहां बनाई जा रही हैं.

स्टाफ स्थिति :

वर्ष के दौरान पूरे किए गए निर्माण प्रोजेक्ट और जिनका उपयोग हो रहा है।

इस संबंध में भांडूप, मुंबई में एक बिल्डिंग जिसका उपयोग सब-स्टाफ सदस्यों द्वारा किया जा रहा था, को अधिकारियों के लिए स्टूडियो टाइप फ्लैट में परिवर्तित कर दिया गया है।

साज सज्जा :

शाखाओं में सीबीएस के कार्यान्वयन के बाद, बैंक ने अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए अधिकतर शाखाओं की साज-सज्जा, अपग्रेडेशन, परिसर सुन्दर बनाने, नया स्वरूप प्रदान करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। वर्ष के दौरान 290 शाखाओं की साज-सज्जा की गई। बैंक ने शाखाओं तथा कार्यालयों की आन्तरिक साज-सज्जा के मानकीकरण हेतु महत्वपूर्ण उपाय किए हैं।

व्यवसाय प्रक्रिया विन्यास (बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग) के अन्तर्गत बैंक ने देश के विभिन्न केन्द्रों में रीजनल बैंक आफिस (आरबीओ) तथा सिटी बैंक आफिस (सीबीओ) स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं। जयपुर तथा बड़ौदा के क्षेत्रीय बैंक आफिस (ई) की आवश्यकतानुसार साज सज्जा पहले ही कर दी गई है तथा वे कार्य परिचालन हेतु तैयार हैं।

वर्ष के दौरान भावनगर तथा जामनगर में माइकर केन्द्र की साज सज्जा पूरी हो चुकी है। तथा ये कार्य कर रहे हैं।

विभाग की दक्षता में सुधार लाने के लिए आई टी के प्रयोग को बढ़ाना।

विभाग की दक्षता में सुधार लाने के लिए इसके रोजमर्रा के कामकाज में सूचना और प्रौद्योगिकी (आई टी) का प्रयोग बढ़ रहा है। संविदाओं (कॉन्ट्रैक्ट्स) को 'ई' टैन्डरिंग प्रक्रिया के माध्यम से अंतिम रूप दिया जाता है।

अन्य कार्यकलाप :

किरायाभार को कम करने के बैंक के सजग प्रयासों के अंग के रूप में यह प्रयास किए जा रहे हैं कि मौजूदा परिसरों का ही अधिकतम उपयोग किया जाए जिसके फलस्वरूप बैंक ने समीक्षाधीन वर्ष (2008-09) में लगभग 86786 वर्ग फीट पट्टाकृत क्षेत्र सरेन्डर कर दिया। बैंक की यह नीति है कि प्रत्येक वर्ष अधिक से अधिक परिसर सरेन्डर किए जाएं।

शाखा नेट वर्क : ग्राहकों की सुविधा के लिए शाखाओं की स्थिति (31 मई, 2009):

शाखा वर्गीकरण (भारत)	शाखाओं की संख्या	कुल शेयर %
मेट्रो	637	21.77
शहरी	540	18.46
अर्द्ध-शहरी	649	22.18
ग्रामीण	1100	37.59
कुल	2926	100.00
विदेशी	48	100.00

घरेलू अनुषंगियां तथा सहयोगी कंपनियां

वर्ष 2008-09 के दौरान बॉबकार्ड लिमिटेड को छोड़कर, जिसे आइआरएसी मानदण्डों (आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण संबंधी विवेकसम्मत मानदण्ड) को कड़ाई से लागू करने के कारण 11.42 करोड़ रूपए का घाटा हुआ था, बैंक की अनुषंगी कंपनियों तथा सहयोगी बैंक का कार्यनिष्पन्न अच्छा रहा। बड़ौदा पॉयनियर असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को भी मुख्यतः स्थापना संबंधी अधिक खर्चों के कारण 6.12 करोड़ रूपए का घाटा हुआ।

तथापि, बैंक की सभी अनुषंगियों के लिए विकास आयोजना का कार्य चल रहा है। बॉब कैपिटल लिमिटेड के लिए समग्र कार्यनीति निर्मित की जा रही है और वह जल्दी ही स्टॉक ब्रोकिंग परिचालन का शुभारंभ करेगी। बॉबकार्ड लिमिटेड के

लिए बैंक की सक्रिय सहभागिता के साथ एनपीए वसूली पर जोर देने तथा इसके परिचालन को सशक्त करने के लिए योजना का क्रियान्वयन हो रहा है।

(रूपए लाखों में)

प्रतिष्ठान (रजिस्ट्रेशन की तारीख के साथ)	देश	अपनी निधियां	कुल आस्तियां	शुद्ध लाभ	कार्यालय	स्टाफ
बॉब कैपिटल मार्केट लिमिटेड 11 मार्च 1996	भारत	11205.77	11206.01	967.94	01	10
बॉबकार्ड लिमिटेड 29 सितम्बर 1994	भारत	10379.49	21331.35	(-) 1141.81	37	143
सहयोगी बड़ौदा पॉयनियर असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड. 05 नवम्बर 1992	भारत	7381.79	7652.64	(-) 612.08	01	31
नैनीताल बैंक लिमिटेड 31 जुलाई 1922	भारत	17531.90	243923.18	3602.62	92	650

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन :

वर्ष 2008-09 के दौरान बैंक ने राजभाषा के प्रयोग एवं प्रचार प्रसार को बढ़ाने तथा विभिन्न सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। बैंक ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी लक्ष्यों को पूरा किया। इस दिशा में बैंक की उल्लेखनीय प्रगति को मान्यता देते हुए बैंक की विभिन्न स्तरों / मंचों पर सराहना की गई तथा बैंक को अखिल स्तर पर प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड से लगातार तीसरे वर्ष के लिए पुरस्कृत किया गया। बैंक ने इस प्रकार हैट्रिक बनाकर एक इतिहास रचा। आपके अध्यक्ष



महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील से इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड ग्रहण करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।

एवं प्रबंध निदेशक श्री एम.डी.मल्या ने दिनांक 14 सितम्बर, 2008 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित समारोह में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटील के हाथों पुरस्कार ग्रहण किया।

जयपुर तथा बड़ौदा में बैंक के संयोजन में कार्यरत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों ने अपने दायित्वों का बखूबी निर्वाह किया तथा सदस्य बैंकों को

समुचित मार्गदर्शन प्रदान किया। इन समितियों को उनके श्रेष्ठ कार्य-निष्पादन के लिए भारत सरकार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त, हमारे अंचल कार्यालय, पुणे, जयपुर और भोपाल तथा क्षेत्रीय कार्यालय गोवा को भी उनके कार्यक्षेत्र में आने वाले संबंधित क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन कार्यालय, गृह मंत्रालय द्वारा अपने परिचालन क्षेत्र में राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु पुरस्कृत किया गया।

वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने कर्मचारियों को यूनिकोड बहुभाषी पैकेज के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है ताकि दैनिक कार्यों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाया जा सके।

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति ने आप के बैंक के अंचल कार्यालय, नई दिल्ली, शाखा कार्यालय मंडपम (रामेश्वरम), हरिद्वार, अहमदनगर, क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा और क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर का दौरा किया तथा राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में किए गए प्रयासों / कार्यों की सराहना की।

बैंक की हिन्दी पत्रिका 'अक्षय्यम्' को हिन्दी पत्रिका श्रेणी के अन्तर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चतुर्थ पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त बैंक की गृह पत्रिका 'बाबमैत्री' को भी द्विभाषिक गृह पत्रिका प्रतियोगिता के तहत एबीसी आई, मुंबई द्वारा पुरस्कृत किया गया।

निदेशक मंडल

श्री एम.डी.मल्या को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 7 मई, 2008 से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम की धारा 9(3) (ए) के तहत अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया।

श्री एस.सी.गुप्ता, जिन्होंने युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति होने पर निदेशक का कार्यभार छोड़ दिया था, के स्थान पर श्री राजीव कुमार बक्षी को केन्द्रीय सरकार द्वारा 6 नवम्बर, 2008 से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम की धारा 9(3) (ए) के तहत कार्यकारी निदेशक के पद पर पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया।

श्री अमिताभ वर्मा, आई.ए.एस. को केन्द्रीय सरकार द्वारा 10 जून, 2008 से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम की धारा 9(3) (ए) के तहत भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में निदेशक नियुक्त किया गया। श्री वर्मा के नामित होने पर श्री जी. सी. चतुर्वेदी, आई.ए.एस. ने निदेशक का पदभार छोड़ दिया था।

श्रीमती मसरत शाहिद, जो कि भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (बी) के तहत नामित हुई थी, अपना कार्यकाल पूर्ण होने पर 14.09.2008 से निदेशक के पद पर नहीं रही।

श्री मोलिन ए. वैष्णव, जो कि भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (एच) के तहत नामित हुए थे, 28.11.2008 से त्यागपत्र देने पर निदेशक नहीं रहे।

श्री धर्मेन्द्र भण्डारी, श्री मनेष पी. मेहता और डॉ. दीपक बी. फाटक, जो कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (आय) के तहत केन्द्रीय सरकार से भिन्न शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक के रूप में नियुक्त हुए थे, अपना कार्यकाल पूर्ण होने पर 15.11.2008 से निदेशक नहीं रहे।

श्री धर्मेन्द्र भण्डारी, डॉ. दीपक बी. फाटक तथा श्री मोलिन ए. वैष्णव जो कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के तहत केन्द्रीय सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से निदेशक के रूप में चुने गये।

उनका चुनाव बैंक के शेयरधारकों की 23.12.2008 को आयोजित असाधारण सामान्य बैंक में हुआ और उन्होंने 24.12.2008 से तीन वर्ष की अवधि अर्थात् 23.12.2011 तक के लिए अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया।

निदेशकों के दायित्व सम्बंधी अभिकथन

निदेशक इस आशय की पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय :

- महत्वपूर्ण विसंगतियों, यदि कोई हो, के समुचित स्पष्टीकरण सहित लेखा मानकों का पूर्णतया पालन किया गया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार तैयार की गई लेखा नीतियों का निरंतर पालन किया गया है।
- वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक के कार्यकलापों की स्थिति तथा 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ की वास्तविक एवं सुस्पष्ट स्थिति प्रस्तुत करने की दृष्टि से तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन किए गए।
- भारत में बैंकों पर लागू नियमों संबंधी प्रावधानों के अनुरूप उचित लेखांकन रिकार्ड रखने के लिए समुचित तथा पर्याप्त ध्यान रखा गया है तथा
- 'लेखा' निरंतर आधार पर तैयार किए गए हैं।

आभार


बैंक ने प्रौद्योगिकी, मार्केटिंग तथा मानव संसाधन के क्षेत्र में हाल के वर्षों में कई नवोन्मेषी प्रयास किये हैं। इन नवोन्मेषी प्रयासों का कारोबार तथा आय वृद्धि में सफल रूपांतरण मुख्यतः बैंक के स्टाफ सदस्यों के कारण ही हुआ है जिन्होंने अपने उत्साहपूर्ण कार्यों के माध्यम से बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र में एक अग्रणी बैंक के रूप में उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। हम अपने स्टाफ सदस्यों की प्रतिबद्धता और बैंक के प्रति उनकी समर्पित सेवा भावना के लिए उनके आभारी हैं। हमारे ग्राहकों ने हमारे प्रयासों की

सफलता में सदैव अपना सहयोग दिया है। हमारी रूपांतरण प्रक्रिया के दौरान यदि हमारे कुछ ग्राहकों की असुविधा भी हुई किन्तु उन्होंने बड़े संयम तथा धैर्य से इसे सहन किया। हम ग्राहकों के सतत संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं :

हमारी प्रगति में हमारे शेयरधारक हमारे प्रमुख भागीदार रहे हैं। हम उनके सहयोग एवं समर्थन तथा हम पर किए गए विश्वास के लिए उनके आभारी हैं। बैंक का निदेशक मंडल भारत एवं विदेशों में अपने ग्राहकों, शेयरधारकों और हितैषियों से निरंतर प्राप्त समर्थन एवं सहयोग के लिए उनकी प्रशंसा करता है।

बोर्ड, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), अन्य नियामक प्राधिकारियों, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं, बैंकों तथा भारत एवं विदेश स्थित प्रतिनिधियों द्वारा समय-समय पर दिए गए सतत समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से


एम. डी. मल्या
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

मुंबई
 26 मई, 2009

बासेल II पिलर 3 प्रकटीकरण Basel II Pillar 3 Disclosures

भारतीय रिजर्व बैंक के नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल II) के अनुसार पिलर 3 के अंतर्गत प्रकटीकरण

Disclosures under Pillar 3 in terms of New Capital Adequacy Framework (Basel II) of Reserve Bank of India

I. अनुप्रयोग का क्षेत्र

- क. प्रकटीकरण का फ्रेमवर्क बैंक ऑफ़ बड़ौदा पर लागू होता है, जो कि समूह में सर्वोच्च बैंक है।
- ख. बैंक की निम्नलिखित घरेलू तथा विदेशी अनुषंगियां तथा सहायक इकाईयां, हैं :

I. Scope of application

- a. The framework of disclosures applies to Bank of Baroda, which is the top bank in the group.
- b. The Bank has following Subsidiaries and Associates both domestic and foreign:

क्रम संख्या Sr. No.	अनुषंगी का नाम	Name of the subsidiary	स्वामित्व की सीमा Extent of ownership
	अनुषंगी (घरेलू)	Subsidiary (Domestic)	
i.	नैनीताल बैंक लिमिटेड	Nainital Bank Limited	98.39%
ii.	बॉब कार्ड्स लिमिटेड	BOBCARDS Limited	100.00%
iii.	बॉब कैपिटल मार्केट लिमिटेड	BOB Capital Market Limited	100.00%
iv.	बॉब एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (20.06.2008 तक)	BOB Asset Management Company Ltd. (Upto 20/06/2008)	100.00%
	अनुषंगी (विदेशी)	Subsidiary (Foreign)	
v.	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यू. के.) लिमिटेड	Bank of Baroda (U.K.) Ltd	100.00%
vi.	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूगांडा) लिमिटेड	Bank of Baroda (Uganda) Ltd.	80.00%
vii.	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड	Bank of Baroda (Kenya) Ltd.	86.70%
viii.	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गयाना) आईएनसी	Bank of Baroda (Guyana) Inc.	100.00%
ix.	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्स्वाना) लिमिटेड	Bank of Baroda (Botswana) Ltd.	100.00%
x.	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तांज़ानिया) लिमिटेड	Bank of Baroda (Tanzania) Ltd.	100.00%
xi.	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (त्रिनिदाद एण्ड टोबेगो) लिमिटेड	Bank of Baroda (Trinidad & Tobago) Ltd.	100.00%
xii.	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (घाना) लिमिटेड	Bank of Baroda (Ghana) Ltd	100.00%
xiii.	बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि.	Baroda (New Zealand) Ltd.	100.00%
xiv.	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (हॉंग कॉंग) लिमिटेड (21.10.2008 तक)	Bank of Baroda (Hong Kong) Ltd. (Upto 21/10/2008)	100.00%

बैंक की निम्नलिखित घरेलू तथा विदेशी सहायक इकाईयां भी हैं।

The Bank also has following Associates both domestic and foreign:

क्रम संख्या Sr. No.	सहायक इकाई का नाम	Name of the associate	स्वामित्व की सीमा Extent of ownership
	सहायक इकाईयां (घरेलू)	Associate (Domestic)	
i.	बड़ौदा पायोनियर एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (21.06.2008 से)	Baroda Pioneer Asset Management Company Limited (From 21.06.2008)	49.00%
ii.	यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	UTI Asset Management Company Limited	25.00%
iii.	यूटीआई ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	UTI Trustee Company Pvt. Limited	25.00%
iv.	झाबुआ धार के जी बैंक	Jhabua Dhar K G Bank	35.00%
v.	नैनीताल अल्मोड़ा के जी बैंक	Nainital Almora K G Bank	35.00%
vi.	बड़ौदा गुजरात के जी बैंक	Baroda Gujarat K G Bank	35.00%
vii.	बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	Baroda Rajasthan Gramin Bank	35.00%
viii.	बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक	Baroda U P Gramin Bank	35.00%
	सहायक इकाईयां (विदेशी)	Associate (Foreign)	
ix.	इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड	Indo Zambia Bank Limited	20.00%

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सीए आई) के लेखा मानदंड क्रमशः 21 तथा 23 के अनुसार समेकित खाता विवरणी में अनुषंगियों तथा सहायक इकाइयों को पूर्णतः समेकित किया गया है।

ग. किसी अनुषंगी में पूंजी के मामले में कोई कमी नहीं है।

घ. बैंक का किसी बीमा संस्थान में कोई निवेश नहीं है।

II. पूंजीगत ढांचा

ए. बैंक की टियर - I पूंजी में शेयर पूंजी, नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई) तथा विभिन्न प्रकार की प्रारक्षित निधियां शामिल हैं. टियर - II पूंजी में पुनर्मूल्यांकन निधियां (भा.रि.बै.के. प्रावधानों के अनुसार ब द्वागत), सामान्य हानि निधि, मानक अस्तियों पर प्रावधान, उच्च टियर - II तथा निम्न टियर - II पूंजी शामिल हैं. उच्च टियर II पूंजी में विदेशी बाजार में जारी एमटीएन बॉण्ड भी शामिल हैं. बेजमानती प्रतिदेय ऋणों की शर्तें इस प्रकार हैं :

उच्च टियर 2 पूंजी

The Subsidiaries and Associates are consolidated in the Consolidated Statement of Accounts as per Accounting Standard 21 and 23 respectively of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

c. There is no deficiency of capital in respect of any subsidiary.

d. The bank does not have any investment in an insurance entity.

II. Capital structure

a. The Tier-I capital of the Bank consists of equity capital, Innovative Perpetual Debt Instrument (IPDI) and various types of reserves. The Tier-II capital consists of Revaluation Reserves (discounted as per provisions of RBI), General Loss Reserve and Provisions on Standard Assets, Upper Tier II Capital and Lower Tier II capital. Upper Tier II capital also consists of MTN Bonds issued in overseas market. The terms of unsecured redeemable debts are as under:

Upper Tier 2 Capital:

शृंखला	Series	ब्याजदर Interest Rate (%)	परिपक्वता की तारीख Date of maturity	राशि रूपए करोड़ में Amount in Rs. Crs.
शृंखला VII	Series VII	9.30	28.12.2022	500
शृंखला VIII	Series VIII	9.30	04.01.2023	1000
शृंखला IX	Series IX	9.15	04.03.2024	1000
डिबेंचर	Debenture	8.30	06.09.2009	20
एमटीएन टियर II बॉण्ड (विदेशी)	MTN Tier II Bonds (Overseas)	6.625	25.05.2022 (कॉल ऑप्शन के साथ with call option on 25.05.2017)	1522
कुल TOTAL				4042

निम्न टियर 2 पूंजी

Lower Tier 2 Capital:

शृंखला	Series	ब्याजदर Interest Rate (%)	परिपक्वता की तारीख Date of maturity	राशि रूपए करोड़ में Amount in Rs. Crs.
शृंखला II	Series II	14.30	09.04.2009	300
शृंखला IV	Series IV	5.85	02.07.2014	300
शृंखला V	Series V	7.45	28.04.2015	770
शृंखला VI	Series VI	8.95	15.05.2016	920
शृंखला X	Series X	8.95	12.04.2018	500
कुल TOTAL				2790

बी. बैंक की टियर - I पूंजी इस प्रकार है :

b. The Tier 1 capital of the bank is as under:

(राशि ₹. करोड़ में / Amount in Rs. Crore)

i	कुल टियर - I पूंजी जिसमें से	i	Total Tier I Capital	11687.39
ii	प्रदत्त शेयर पूंजी	ii	Out of which:	
iii	पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधियों के अलावा निधियां	iii	Paid up share capital	365.53
iv	नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत	iv	Reserves excluding revaluation reserves	11021.66
v	कटौतियां	v	Innovative Perpetual Debt Instrument	300.20
vi	पात्र टियर - I पूंजी	vi	Deductions	617.75
			Eligible Tier I Capital	11069.64

सी. बैंक की कुल टियर 2 पूंजी (टियर 2 पूंजी में से शुद्ध कटौती) 7244.12 करोड़ रूपए है.

c. The Total amount of Tier 2 capital of the bank (net of deduction from tier 2 capital) is Rs. 7244.12 Crore.

डी. उच्च टियर 2 पूंजी में समावेशन के लिए पात्र ऋण पूंजी लिखतें इस प्रकार हैं:

d. The debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier 2 capital are:

(₹. करोड़ में Rs in Crore)

बकाया कुल राशि	Total amount outstanding	4042
जिसमें से चालू वर्ष के दौरान वर्धित राशि	Of which amount raised during the current year	1000
पूंजी निधियों के रूप में गणना की जाने वाली पात्र राशि	Amount eligible to be reckoned as capital funds	4022

ई. निम्न टियर 2 पूंजी में समावेशन के लिए पात्र गौण ऋण पूंजी लिखतें इस प्रकार हैं :

e. Subordinated debt capital instruments eligible for inclusion in Lower Tier 2 capital are:

(₹. करोड़ में Rs in Crore)

बकाया कुल राशि	Total amount outstanding	2790
जिसमें से चालू वर्ष के दौरान वर्धित राशि	Of which amount raised during the current year	500
पूंजी निधियों के रूप में गणना की जाने वाली पात्र राशि	Amount eligible to be reckoned as capital funds	2490

एफ. पूंजी पर्याप्तता की गणना के लिए मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के संबंध में बैंक द्वारा दी गई अग्रिम वृद्धि गारंटी के लिए टियर II पूंजी में से 64.20 करोड़ रूपये की कटौती की गई है.

f. For computation of Capital Adequacy, a deduction of Rs. 64.20 Crore has been done from Tier II capital towards credit enhancement guarantee given by the bank in respect of securitization of standard assets.

जी. कुल पात्र पूंजी में निम्नलिखित शामिल हैं :

g. The total eligible capital comprises of:

(₹. करोड़ में Rs in Crore)

टियर - I पूंजी	Tier – I Capital	11069.64
टियर - II पूंजी	Tier – II Capital	7244.12
कुल	TOTAL	18313.76

III. पूंजी पर्याप्तता

क. जमाकर्ताओं तथा सामान्य ऋणदाताओं को हानियों से सुरक्षित रखने के लिए एक्सपोजरों, कारोबारों इत्यादि के मूल्य में हानि के जोखिम से बचने के लिए बैंक का स्तर बनाए रखती हैं, बैंक के पास नियामक तथा आर्थिक पूंजी दोनों के लिए एक एकीकृत जोखिम / पूंजी मॉडल तैयार करने हेतु ताकि सभी जोखिमों एवं उचित पूंजी आबंटन को व्यापक रूप से मूल्यांकित किया जा सके, एक सुपरिभाषित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन नीति (आईसीएएपी) है.

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने अग्रिम जोखिम,

III. Capital Adequacy

a. Bank maintains capital to cushion the risk of loss in value of exposure, businesses etc. so as to protect the depositors and general creditors against losses. Bank has a well defined Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) policy to comprehensively evaluate and document all risks and appropriate capital allocation so as to evolve a fully integrated risk/capital model for both regulatory and economic capital.

In line with the guidelines of the Reserve Bank of India, the Bank has adopted Standardised Approach for Credit

परिचालन जोखिम के लिए आधारभूत संकेतक पद्धति तथा सीआरआर की गणना के लिए बाजार जोखिम हेतु मानकीकृत आवधिक पद्धति अपनायी है।

पूँजीगत आवश्यकता आर्थिक परिवेश, नियामक ज़रूरतें तथा बैंक की गतिविधियों से होने वाले जोखिम से प्रभावित होती है। बैंक की पूँजीगत आयोजना का उद्देश्य आर्थिक परिस्थितियों के परिवर्तन के समय, यहां तक कि आर्थिक मंदी के दौर में भी पूँजी पर्याप्तता को सुनिश्चित करना है। पूँजीगत आयोजन की प्रक्रिया में बैंक निम्नलिखित की समीक्षा करता है:

- बैंक की मौजूदा पूँजीगत आवश्यकता।
- कारोबार रणनीति तथा जोखिम प्रवृत्ति के संदर्भ लक्षित तथा धारणीय पूँजी
- भविष्य की पूँजीगत आयोजना अगले तीन वर्ष को ध्यान में रखकर की जाती है।

पूँजीगत आयोजन को वार्षिक आधार पर संशोधित किया जाता है। बैंक की नीति आंतरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन नीति (न्यूनतम 12% पूँजी पर्याप्तता अनुपात या समय-समय पर बैंक के निर्णयानुसार) में निर्धारित पूँजी को बनाए रखना है, इसके साथ ही बैंक की नीति भविष्य में कारोबार वृद्धि के लिए पूँजी को बनाये रखना है ताकि आवश्यक न्यूनतम पूँजी को सतत आधार पर बनाए रखा जा सके। अनुमान के आधार पर बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से टियर - 1 या टियर - 2 में पूँजी उगाहता है। बैंक के निदेशक मंडल द्वारा तिमाही आधार पर बैंक की पूँजी पर्याप्तता स्थिति की समीक्षा की जाती है।

ख) 31.03.2009 तक बैंक के जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए), न्यूनतम पूँजीगत आवश्यकता तथा वास्तविक पूँजी पर्याप्तता की स्थिति निम्नानुसार है।

Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration Approach for Market Risk for computing CRAR.

The capital requirement is affected by the economic environment, the regulatory requirement and by the risk arising from bank's activities. The purpose of capital planning of the bank is to ensure the adequacy of capital at the times of changing economic conditions, even at the times of economic recession. In capital planning process the bank reviews:

- Current capital requirement of the bank
- The targeted and sustainable capital in terms of business strategy and risk appetite.
- The future capital planning is done on a three-year outlook.

The capital plan is revised on an annual basis. The policy of the bank is to maintain capital as prescribed in the ICAAP Policy (minimum 12% Capital Adequacy Ratio or as decided by the Bank from time to time). At the same time, bank has a policy to maintain capital to take care of the future growth in business so that the minimum capital required is maintained on continuous basis. On the basis of the estimation bank raises capital in Tier-1 or Tier-2 with the approval of its Board of Directors. The Capital Adequacy position of the bank is reviewed by the Board of the Bank on quarterly basis.

b. The position of Bank's Risk Weighted Assets (RWA), Minimum Capital requirement and Actual Capital Adequacy as on 31.03.2009 are as under:

(i) ऋण जोखिम के लिए पूँजीगत आवश्यकता	(i) Capital requirements for credit risk:	आरडब्ल्यूए (बासल - II)/पूँजी RWA(Basel-II) / Capital (राशि करोड़ में/ (Amount in Rs. Crore)
ऋण जोखिम के संबंध में संविभाग मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यधीन	Portfolios subject to standardised approach in respect of credit risk	113498.32
प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र	Securitisation exposures	NIL
ऋण जोखिम में कुल आरडब्ल्यूए	Total RWAs in Credit Risk	113498.32
आरडब्ल्यूए के 9.00% की दर से ऋण जोखिम के लिए न्यूनतम पूँजीगत आवश्यकता	Minimum Capital Requirement for Credit Risk @9.00% of the RWAs	10214.85
(ii) निम्न के संदर्भ में बाजार जोखिम के लिए पूँजीगत आवश्यकता	(ii) Capital requirements for market risk in respect of :	
ब्याज दर जोखिम	Interest rate risk	5999.20
विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित)	Foreign exchange risk (including gold)	193.57
इक्विटी जोखिम	Equity risk	2758.58
बाजार जोखिम के संबंध में कुल आरडब्ल्यूए	Total RWAs in respect of Market Risk	8951.35
आरडब्ल्यूए के 9.00% की दर से बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम पूँजीगत आवश्यकता	Minimum Capital Requirement for Market Risk @9.00% of the RWAs	805.62

(iii) परिचालन जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकता : आधारभूत संकेतक पद्धति आरडब्ल्यू के 9.00% की दर से परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजीगत आवश्यकता	(iii) Capital requirements for operational risk: Basic indicator approach Minimum Capital Requirement for Operational Risk @9.00% of the RWAs	7875.22 708.77
(iv) कुल आरडब्ल्यू, पूंजी एवं सीआरएआर	(iv) Total RWA , Capital & CRAR	
ऋण, बाजार तथा परिचालन जोखिम के संबंध में कुल आरडब्ल्यू	Total RWAs in respect of Credit, Market & operational Risk	130324.89
आरडब्ल्यू के 9.00% की दर से ऋण, बाजार तथा परिचालन जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकता	Minimum Capital Requirement for Credit Market & Operational Risk @9.00% of the RWAs	11729.24
वास्तविक स्थिति	Actual Position	
पात्र टियर I पूंजी	Eligible Tier I Capital	11069.64
पात्र टियर II पूंजी	Eligible Tier II Capital	7244.12
कुल पात्र पूंजी	Total Eligible Capital	18313.76
बैंक ऑफ़ बड़ौदा के लिए कुल पूंजीगत अनुपात	Total capital ratio for Bank of Baroda:	
सीआरएआर	CRAR	14.05%
कुल आरडब्ल्यू के लिए टियर I पूंजी	Tier I capital to Total RWA	8.49%
कुल आरडब्ल्यू के लिए टियर II पूंजी	Tier II capital to Total RWA	5.56%

IV. ऋण जोखिम के संदर्भ में सामान्य प्रकटीकरण

अ. बैंक की ऋण आस्तियों को वर्गीकृत करने के लिए बैंक की निम्नलिखित नीति है :

गैर निष्पादक आस्तियां (एनपीए) : गैर निष्पादक आस्तियां (एनपीए) एक ऐसा ऋण या अग्रिम है जहाँ

- मीयादी ऋण के संदर्भ में 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए मूलधन का ब्याज तथा / या किश्त अतिदेय हो जाती है.
- ओवर ड्राफ्ट / नकद उधार (ओ डी / सी सी) के संबंध में खाता आउट ऑफ़ आर्डर रहा है.
- खरीदे गए तथा बड़े खाते डाले गए 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए बकाया अतिदेय बिल
- अल्पावधि फसलों के लिए दो फसली मौसमों के लिए मूल राशि की किश्त अथवा उस पर बकाया ब्याज अतिदेय हो जाता है.
- लम्बी अवधि की फसलों के लिए एक फसली मौसम हेतु मूल राशि की किश्त अथवा उस पर बकाया ब्याज अतिदेय हो जाता है.

किसी भी खाते को 'खराब' खाते के रूप में माना जाएगा यदि खाते में स्वीकृत सीमा / आहरण सीमा से अधिक राशि निरन्तर रूप से बकाया रहती हो. ऐसे मामलों में, जहाँ मूल परिचालनगत खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा / आहरण सीमा से कम रहता हो लेकिन जहाँ तुलन-पत्र की तारीख को निरन्तर रूप से 90 दिनों के लिए अथवा उसी अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज की वसूली हेतु जमा राशि शेष नहीं हो तो ऐसे खातों को 'खराब' खाते की श्रेणी में माना जायेगा.

किसी भी ऋण सुविधा के अन्तर्गत बैंक को देय किसी भी राशि को 'अतिदेय' माना जायेगा यदि यह बैंक द्वारा निर्धारित देय तारीख को भुगतान नहीं की जाती है.

गैर निष्पादक निवेश (एन पी आई)

प्रतिभूतियों के संबंध में जहाँ ब्याज/मूलधन बकाया है, बैंक प्रतिभूतियों पर आय की गणना नहीं करता है तथा निवेश के मूल्य में मूल्यहास के

IV. General disclosures in respect of Credit Risk

a. **The policy of the bank for classifying bank's loan assets is as under:**

Non Performing Assets (NPA):

A non performing asset (NPA) is a loan or an advance where;

- interest and/ or instalment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
- the account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC),
- the bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
- the instalment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,
- the instalment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

An OD/CC account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

An amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

Non Performing Investments (NPI):

In respect of securities, where interest/principal is in arrears, the Bank does not reckon income on the

लए समुचित प्रावधान करता है।

गैर निष्पादक निवेश (एनपीआई) जो गैर निष्पादक अग्रिम (एनपीए) के समान ही है, उसे कहते हैं जहाँ :

- ब्याज / किश्त (परिपक्व प्राप्तियों सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक समय तक अदत्त रहता है।
- यह अधिमान शेरों पर जहाँ निर्धारित लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है, आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होता है।
- ईक्विटी शेरों के मामले में, जहाँ किसी कंपनी के शेरों के निवेश करने पर मूल्य प्रति कंपनी रु 1/- किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार अद्यतन तुलन पत्र की अनुपलब्धता के कारण उन ईक्विटी शेरों की गणना भी एनपीआई के रूप में की जाती है।
- यदि जारीकर्ता द्वारा प्राप्त की गई कोई ऋण सुविधा बैंक की बहियों में एनपीए है तो उस जारीकर्ता द्वारा जारी की गई किसी भी प्रतिभूति में निवेश को एनपीआई तथा विलोमतः माना जाएगा।
- डिबेंचर / बांड में निवेश जो कि अग्रिम के रूप में समझे जाते हैं, निवेश पर लागू होने वाले एनपीआई मानदंड से अध्यधीन हैं।

बैंक की गैर निष्पादक अस्तियों को आगे निम्नलिखित -3- श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

अवमानक अस्तियां

अवमानक अस्ति से अभिप्राय, ऐसी अस्तियों से है जो कि 12 महीनों की अवधि से कम अथवा उस के समतुल्य के लिए गैर निष्पादक अस्ति रही हो। सभी वसूली संबंधी उपाय-अवमानक अस्तियों से भी सम्बंधित हैं। यदि सम्पूर्ण अतिदेय नकद वसूली के रूप में प्राप्त हो जाते हैं तो खाते को तुरन्त ही मानक श्रेणी के अन्तर्गत अपग्रेड किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई खाता तकनीकी कारणों से एनपीए के रूप में वर्गीकृत हो जाता है तो खाते को तकनीकी कारणों के संबंध में 'क्लीयरेंस' प्राप्त होने पर अपग्रेड किया जायेगा।

संदिग्ध अस्तियां

किसी भी अस्ति को 12 महीनों के लिए अवमानक श्रेणी में बने रहने की स्थिति में उसे संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा। अवमानक अस्तियों को संदिग्ध अस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि खाते में प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य, जैसा बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अंतिम निरीक्षण के समय स्वीकार किया गया है, जैसी भी स्थिति हो खाते में बकाया राशियों के 50 प्रतिशत से कम है।

अवमानक तथा संदिग्ध खातों से अभिप्राय है, ऐसे खाते जिनकी अवधि का पुनर्निर्धारण किया जा सकता है, पुनःसारणी बद्ध हो सकते हो, उन्हें मानक श्रेणी के अन्तर्गत एक वर्ष की अवधि के पश्चात उस तारीख को जब ब्याज अथवा मूल राशि का प्रथम भुगतान किया गया हो, अवधि के दौरान संतोषजनक कार्यनिष्पादन के दृष्टिगत देय तारीख इनमें से जो भी पहले हो, को मानक श्रेणी में अपग्रेड किया जा सकता है।

हानि अस्तियां

हानि अस्ति से अभिप्राय ऐसी अस्ति से है जहाँ हानि बैंक अथवा आंतरिक अथवा बाह्य लेखा परीक्षकों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण द्वारा पता चली हो। हानि अस्तियों में उपलब्ध प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य बकाया शेष / देयों का 10% से अधिक नहीं होता है, चूंकि प्रतिभूति बेकअप उपलब्ध नहीं होता है। आवश्यक हो तो निर्धारण / पुनर्स्थापन पर अति सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है।

securities and makes appropriate provisions for the depreciation in the value of the investment.

A non-performing investment (NPI), similar to a non-performing advance (NPA), is one where:

- Interest/ installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
- This applies mutatis-mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid.
- In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at Re.1 per company on account of the non-availability of the latest balance sheet in accordance with the Reserve Bank of India instructions, those equity shares are also reckoned as NPI.
- If any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities issued by the same issuer is treated as NPI and vice versa.
- The investments in debentures / bonds which are deemed to be in the nature of advance are subjected to NPI norms as applicable to investments.

Non Performing Assets of the Bank are further classified in to three categories as under:

Sub standard Assets

A sub standard asset is one which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months. All the recovery measures are relevant in substandard assets also. If the entire overdues are recovered by way of cash recovery, the account can be upgraded to standard category immediately. Similarly, if an account is classified as NPA due to technical reasons, the account shall be upgraded on clearance of technical reasons.

Doubtful Assets

An asset would be classified as doubtful if it remained in the sub standard category for 12 months. A sub standard asset is straightaway classified as doubtful asset if the realizable value of security in the account, as assessed by the bank or accepted by RBI at the time of last inspection; as the case may be, is less than 50 percent of the outstanding in the account,.

Substandard and Doubtful accounts which are subjected to restructuring/ rescheduling, can be upgraded to standard category only after a period of one year after the date when first payment of interest or of principal, whichever is earlier, falls due, subject to satisfactory performance during the period.

Loss Assets

A loss asset is one where loss has been identified by the bank or by internal or external auditors or by RBI inspectors. In Loss assets, realizable value of security available is not more than 10% of balance outstanding/ dues. Since security back up is not available, the restructuring/ rehabilitation, if required, is considered with utmost care.

ख. कार्यनीति एवं प्रक्रियाएं

बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करते हुए पूर्ण रूप से परिभाषित ऋण नीति एवं निवेश नीति हैं जो निम्नानुसार हैं :

- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में एक्सपोजर सीमाएं, ऋणियों के विभिन्न प्रकार और उनके ग्रुप और उद्योग
- ऋण वितरण में उचित व्यवहार संहिता
- बैंक के प्रधिकारी के विभिन्न स्तरों के लिए ऋण प्रदान करने संबंधी विवेकाधिकार
- ऋण वितरण स्वीकृति पूर्व निरीक्षण, रद्द करना, मूल्यांकन, स्वीकृति, दस्तावेजीकरण, मानीटरिंग और वसूली के संबंध में प्रक्रियाएं
- मूल्य निर्धारण

ग. ऋण जोखिम दर्शन, बैंक की संरचना और प्रणाली निम्नानुसार हैं :

ऋण जोखिम दर्शन :

- बैंक के संसाधनों की सुरक्षा के साथ कार्पोरेट वृद्धि एवं समृद्धि सुनिश्चित करने के साथ यह सुनिश्चित करना कि शेयर धारकों के आर्थिक मूल्य में बढ़ोत्तरी हो तथा सभी हित धारकों के हित संरक्षित हो, इस दृष्टि से ऋण में वृद्धि करना तथा जोखिम न्यूनतम हो.
- बैंक अपने वित्तीय संसाधनों को क्रमिक रूप से सुव्यवस्थित और कारगर बनायें ताकि विभिन्न चैनलों को परस्पर जोड़ा जा सके तथा बैंक के सामान्य लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके.
- अर्थव्यवस्था की विभिन्न राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को योजनाबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए संस्थागत वित्त के अभिनियोजन द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में योजनाबद्ध ढंग से लक्ष्य प्राप्त किए जा सके.
- उद्यमवार ऋण संस्कृति विकसित करना और परिचालन स्टॉफ को सहयोग प्रदान करना.
- विभिन्न ऋण सेगमेंट को आवश्यकता पर आधारित और समय पर ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना.
- स्वीकृतिपूर्व, स्वीकृति उपरांत मानीटरिंग, पर्यवेक्षण और अनुवर्ती कदम उठाते हुए जैसी ऋण प्रबंधन की दक्षता को सुदृढ़ बनाना ताकि बैंक में कारगर ऋण संस्कृति विकसित की जा सके तथा ऋण संविभाग को गुणवत्ता युक्त बनाया जा सके.
- गुणवत्ता मूल्यांकन एवं गति के साथ विस्तृत मार्गनिर्देशों की पूर्ण अनुपातना अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से करते हुए ऋण प्रस्तावों पर कार्यवाही करना.
- विभिन्न विनियामक आवश्यकताओं की विशेष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक / अन्य प्राधिकारियों, निवेश मानदंडों, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के मानदंडों, आय पहचान और आस्ति वर्गीकरण मार्गनिर्देश, पूंजीगत पर्याप्तता, ऋण जोखिम प्रबंधन मार्गनिर्देशों आदि की अनुपालना करना.

बैंक की संरचना और प्रणालियां

- बैंक में जोखिम प्रबंधन कार्यकलापों की देखरेख तथा समन्वय कार्यों के लिए बोर्ड द्वारा निदेशकों की एक उपसमिति का गठन किया गया है.
- ऋण नीतियों सहित विभिन्न ऋण जोखिम नीतियों को तैयार करने और उन का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, ऋण प्रदान करने संबंधी नीतियों और बैंक की उद्यमवार जोखिम प्रबंधन कार्यों की नियमित देखरेख करने के लिए ऋणनीति समिति का गठन किया गया है.

b. Strategies and Processes:

The bank has a well defined Loan Policy & Investment Policy covering the important areas of credit risk management as under:

- Exposure ceilings to different sectors of the economy, different types of borrowers and their group and industry
- Fair Practice Code in dispensation of credit
- Discretionary Lending Powers for different levels of authority of the bank
- Processes involved in dispensation of credit – pre sanction inspection, rejection, appraisal, sanction, documentation, monitoring, and recovery.
- Fixation of pricing

c. The Credit Risk philosophy, architecture and systems of the bank are as under:

Credit Risk Philosophy:

- To minimize the risk and optimise the return envisaged in order that the Economic Value Addition to Shareholders is maximized and the interests of all the stakeholders are protected alongside ensuring corporate growth and prosperity with safety of bank's resources.
- To regulate and streamline the financial resources of the bank in an orderly manner to enable the various channels to incline and achieve the common goal and objectives of the Bank.
- To comply with the national priorities in the matter of deployment of institutional finance to facilitate achieving planned growth in various productive sectors of the economy.
- To instill a sense of credit culture enterprise-wide and to assist the operating staff.
- To provide need-based and timely availability of credit to various borrower segments.
- To strengthen the credit management skills namely pre-sanction, post-sanction monitoring, supervision and follow-up measures so as to promote a healthy credit culture and maintain quality credit portfolio in the bank.
- To deal with credit proposals more effectively with quality assessment, speedy delivery, in full compliance with extant guidelines.
- To comply with various regulatory requirements, more particularly on Exposure norms, Priority Sector norms, Income Recognition and Asset Classification guidelines, Capital Adequacy, Credit Risk Management guidelines etc. of RBI/ other Authorities.

Architecture and Systems of the Bank:

- A Sub-Committee of Directors has been constituted by the Board to specifically oversee and co-ordinate Risk Management functions in the bank.
- Credit Policy Committee has been set up to formulate and implement various credit risk strategy including lending policies and to monitor Bank's Enterprise-wide Risk Management function on a regular basis.

- ऋण प्रस्तावों के मानकों, वित्तीय प्रसंविदाओं, रेटिंग मानकों तथा बेंचमार्क के संबंध में मानक नीतियां तैयार करना.
- ऋण जोखिम प्रबंधन सेल निर्धारित सीमाओं के भीतर पहचान, माप, देखरेख तथा ऋण जोखिम नियंत्रण संबंधी कार्य देखता है.
- बोर्ड / नियामकों आदि द्वारा तैयार की गयी जोखिम पैरामीटर्स तथा संभावना सीमाओं को लागू करना तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित करना.
- जोखिम मूल्यांकन प्रणालियों को तैयार करना, एम आई एस का विकास करना और ऋण संविभाग की गुणवत्ता की देखरेख, समस्याओं की पहचान, कमी को पूरा करना.
- संविभाग मूल्यांकन करना, अर्थव्यवस्था उपयोग पर तुलनात्मक विवेचना तैयार करना, ऋण संविभाग पर लचीलेपन का परीक्षण करना.
- तैयार किए गए नियमों और मार्ग निर्देशों की पूर्ण रूप से अनुपालना के लिए ऋण सुपुर्दगी प्रणाली में सुधार लाना.
- Formulating of policies on standards for credit proposals, financial covenants, rating standards and benchmarks.
- Credit Risk Management cells deal with identification, measurement, monitoring and controlling credit risk within the prescribed limits.
- Enforcement and compliance of the risk parameters and prudential limits set by the Board/regulator etc.,
- Laying down risk assessment systems, developing MIS, monitoring quality of loan portfolio, identification of problems, correction of deficiencies.
- Evaluation of Portfolio, conducting comprehensive studies on economy, industry, test the resilience on the loan portfolio etc.,
- Improving credit delivery system upon full compliance of laid down norms and guidelines.

घ. जोखिम रिपोर्टिंग की संभावनाएं व प्रकृति और/अथवा आकलन पद्धति.

बैंक अपने ऋण जोखिम के लिए कड़ी ऋण जोखिम रेटिंग प्रणाली को शुरू करने जा रहा है. ऋण जोखिमों को कम करने के प्रभावी उपायों में किसी भी आस्ति विशेष में जोखिम की संभावनाओं का पता लगाना, सुदृढ़ आस्ति गुणवत्ता देखरेख, बैंक की समग्र कार्यनीति और ऋणनीति के अनुरूप अपेक्षित जोखिम रिटर्न पैरामीटर्स को पूरा करने के लिए कीमती आस्तियों में लोचनीयता बनाना शामिल हैं.

बैंक की कड़ी ऋण जोखिम रेटिंग प्रणाली अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाये जा रहे स्वरूप और विश्व की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं पर आधारित है और यह बैंक को ऋण आस्तियों के बीच चूक की संभावनाओं का निर्धारण करने तथा चूक की गंभीरता का पता लगाने में सहयोग करती हैं और इस प्रकार बैंक को पद्धति निर्माण तथा आस्ति गुणवत्ता को बरकरार रखने में मदद करती है.

इ. ऋण जोखिम के संबंध में मात्रात्मक स्थिति निम्नानुसार है.

d. The Scope and Nature of Risk Reporting and / or Measurement System:

The Bank has in place a robust credit risk rating system for its credit exposures. An effective way to mitigate credit risks is to identify potential risks in a particular asset, maintain a healthy asset quality and at the same time impart flexibility in pricing assets to meet the required risk-return parameters as per the Bank's overall strategy and credit policy.

The Bank's robust credit risk rating system is based on internationally adopted frameworks and global best practices and assists the Bank in determining the Probability of Default and the severity of default, among its loan assets and thus allow the Bank to build systems and initiate measures to maintain its asset quality.

e. The Quantitative Disclosures in respect of Credit Risk are as under:

(राशि करोड़ों में Amount in Rs. Crores)

उद्योग	Industry	निधि आधारित Fund Based	गैरनिधि आधारित Non Fund Based	कुल Total
(i) कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर (वैश्विक)	(i) Total gross credit risk exposures (global)	144843.88	22356.51	167200.39
(ii) जोखिम का भौगोलिक वितरण	(ii) Geographic distribution of exposures,			
• ओवरसीज	• Overseas	34866.85	3958.27	38825.12
• घरेलू	• Domestic	109977.03	18398.24	128375.27
(iii) घरेलू जोखिमों का उद्योग के रूप में वितरण	(iii) Industry type distribution of exposures (Domestic exposure)			
उद्योग	Industry			
कोयला	COAL	48.22	81.83	130.05
खनन	MINING	360.74	168.51	529.25
लोहा एवं इस्पात	IRON & STEEL	5371.14	2368.69	7739.83
अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	OTHER METALS & METAL PRODUCT	1118.98	406.64	1525.62
सभी इंजीनियरिंग	ALL ENGINEERING	2787.32	2178.44	4965.76

उद्योग	Industry	निधि आधारित Fund Based	गैरनिधि आधारित Non Fund Based	कुल Total
जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स	OF WHICH : ELECTRONICS	710.95	151.24	862.19
इलेक्ट्रीसिटी	ELECTRICITY (GEN. & TRANS.)	1289.46	0	1289.46
कॉटन टेक्सटाइल्स	COTTON TEXTILES	2141.22	92.92	2234.14
जूट टेक्सटाइल्स	JUTE TEXTILES	87.61	32.83	120.44
अन्य टेक्सटाइल्स	OTHERS TEXTILES	3374.56	375.53	3750.09
चीनी	SUGAR	356.38	7.34	363.72
चाय	TEA	19.53	0.10	19.63
फूड प्रोसेसिंग	FOOD PROCESSING	829.86	38.35	868.21
खाने का तेल (वनस्पति सहित)	VEGETABLE OILS (INCL.VANASPA	183.63	560.33	743.96
तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद	TOBACCO & TOBACCO PRODUCTS	14.56	3.56	18.12
कागज एवं कागज उत्पाद	PAPER & PAPER PRODUCTS	554.03	95.65	649.68
रबड़, एवं रबड़ उत्पाद	RUBBER & RUBBER PRODUCTS	210.73	34.97	245.70
केमिकल, डाई पेंटस एवं फर	CHEMICALS,DYES,PAINTS & PHAR	8525.59	1507.78	10033.37
इनमें से	OF WHICH :			
फर्टिलाइजर्स	FERTILIZERS	370.27	758.51	1128.78
पेट्रो केमिकल्स	PETRO-CHEMICLAS	5345.62	239.71	5585.33
ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स	DRUGS & PHARMACEUTI	1312.49	128.48	1440.97
सीमेंट	CEMENT	631.48	35.44	666.92
लैडर एवं लैडर उत्पाद	LEATHER & LEATHER PRODUCTS	189.62	13.83	203.45
जेम्स एवं ज्वेलरी	GEMS & JEWELLERY	497.45	1.68	499.13
निर्माण	CONSTRUCTION	1763.47	366.01	2129.48
पेट्रोलियम	PETROLIUM	2740.30	753.13	3493.43
ट्रक सहित ऑटोमोबाइल	AUTOMOBILES INCLUDING TRUCKS	1002.78	292.04	1294.82
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	COMPUTER SOFTWARE	229.43	17.78	247.21
आधारभूत सुविधाएँ	INFRASTRUCTURE	10401.57	1747.96	12149.53
इनमें से	OF WHICH:			
पॉवर	POWER	7070.13	248.66	7318.79
संचार	TELECOMMUNICATION	708.49	382.99	1091.48
सड़क	ROADS	1115.45	678.49	1793.94
बंदरगाह	PORTS	443.91	114.94	558.85
अन्य आधारभूत सुविधाएं	OTHER INFRASTRUCTURE	1063.59	322.88	1386.47
गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों	NBFCs	3698.21	2.35	3700.56
ट्रेडिंग	TRADING	6756.6	2186.12	8942.72
अन्य उद्योग	OTHER INDUSTRIES	2636.17	819.46	3455.63
जिसमें से : पेय पदार्थ	OF WHICH: BEVERAGES	135.56	5.27	140.83
लकड़ी	WOOD	148.95	25.88	174.83
ग्लास	GLASS	296.06	63.36	359.42
प्लास्टिक	PLASTIC	1245.49	239.80	1485.29
कुल	TOTAL	57820.64	14189.27	72009.91

ऑयन तथा स्टील क्षेत्र का कुल ऋण एक्सपोजर 7739.83 करोड़ रुपये है जबकि ऊर्जा क्षेत्र को यह 7318.79 करोड़ रुपये है जो कि बैंक के कुल ऋण एक्सपोजर का क्रमश 6.03% तथा 5.70% (अर्थात 5% से अधिक) है।

Total credit exposure (O/s) to Iron & Steel Sector is Rs. 7739.83 Crore and that to Power sector is Rs. 7318.79 Crore which constitute 6.03% and 5.70% respectively (i.e., more than 5%) of the total domestic credit exposure of the Bank.

च. अस्तियों की अवशिष्ट सांविदात्मक परिपक्वता का विश्लेषण

f. Residual contractual maturity breakdown of assets

(राशि रु. करोड़ में Amount in Rs. Crore)

समयावधि	Time bucket	अग्रिम Advances				निवेश Investments			विदेश मुद्रा आस्तियां Other Foreign Currency Assets			कुल आस्तियां Total Assets (A+B+C)	प्रतिशत %age
		Dom Rs	Dom FC	Overseas	Total	Dom	Overseas	Total	Dom	Overseas	Total		
		(A)				(B)			(C)				
1 दिन	1 D	1099.70	1.00	1355.27	2455.96	222.81	0	222.81	23.55	1429.07	1452.62	4131.4	1.92%
2-7 दिन	2-7 D	1126.06	81.07	304.16	1511.30	320.73	105.66	426.39	832.91	3936.09	4769.00	6706.70	3.12%
8-14 दिन	8-14 D	2146.25	43.16	775.18	2964.59	143.48	7.44	150.92	395.62	961.87	1357.49	4473.00	2.08%
15-28 दिन	15-28 D	1984.02	78.44	1278.44	3340.90	558.51	5.21	563.72	101.44	2152.71	2254.15	6158.77	2.86%
29 दिन-90दिन	29-90 D	14664.72	863.17	7047.26	22575.15	1692.86	99.43	1792.29	365.18	4479.49	4844.67	29212.11	13.57%
3 - 6 महीने	3 - 6 m	11167.43	935.21	5042.12	17144.76	1727.39	694.57	2421.96	0	1270.39	1270.39	20837.11	9.68%
6 महीने- 1 वर्ष	6 - 12 m	11356.78	514.56	5617.20	17488.54	5041.76	201.55	5243.31	0	516.61	516.61	23248.46	10.80%
1 वर्ष - 3 वर्ष	1 - 3 yr	33080.17	585.36	3531.26	37196.79	6668.57	1389.58	8058.15	0	1317.54	1317.54	46572.48	21.64%
3 वर्ष - 5 वर्ष	3 - 5 yr	9320.82	3.77	6971.42	16296.00	5665.69	1039.74	6705.43	0	3.85	3.85	23005.28	10.69%
>5 वर्ष	Over 5 yr	20228.94	2.37	2780.59	23011.91	26559.97	300.93	26860.90	0	994.37	994.37	50867.18	23.64%
	TOTAL	106174.88	3108.12	34702.90	143985.90	48601.78	3844.10	52445.88	1718.70	17061.99	18780.69	215212.47	100.00%

उपर्युक्त सारणी में प्रयुक्त किए गए संकेताक्षरों का विस्तार:

Expansion of Abbreviation used in above table:

डीओएम: घरेलू परिचालन, डीओएम एफसी : घरेलू विदेशी मुद्रा, विदेशी : अन्तरराष्ट्रीय परिचालन, डी : दिन, वाई आर : वर्ष
Dom: Domestic Operations, Dom FC: Domestic Foreign Currency, Overseas: International Operations, D: Day, Yr: Year

छ. गैर निष्पादक अग्रिमों एवं निवेशों के बारे में प्रकटीकरण:

g. Disclosures in respect of Non Performing Advances and Investments:

क्रमांक Sr. No.	आस्ति श्रेणी	Asset Category	राशि करोड़ रुपये में Amount in Rs. Crores
(i)	एनपीए (सकल)	NPAs (Gross):	
	अवमानक	Substandard	665.27
	संदिग्ध 1	Doubtful 1	429.84
	संदिग्ध 2	Doubtful 2	267.89
	संदिग्ध 3	Doubtful 3	134.58
	हानि	Loss	345.34
(ii)	शुद्ध एनपीए	Net NPAs	
	कुल	Total	451.15
(iii)	एनपीए अनुपात	NPA Ratios	
	सकल अग्रिमों में सकल एनपीए	Gross NPAs to gross advances	1.27%

क्रमांक Sr. No.	आस्ति श्रेणी	Asset Category	राशि करोड़ रुपये में Amount in Rs. Crores
	निवल अग्रिम में निवल एनपीए	Net NPAs to net advances	0.31%
(iv)	एनपीए (सकल) का मूवमेंट	Movement of NPA(Gross)	
	प्रारंभिक शेष	Opening balance	1981.38
	जोड़	Additions	1001.89
	घटाव	Reductions	1140.35
	अन्तिम शेष	Closing balance	1842.92
(v)	एनपीए के लिए प्रावधान का मूवमेंट	Movement of provisions for NPAs	
	प्रारंभिक शेष	Opening balance	894.22
	अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	Provisions made during the period	395.97
	बट्टे खाते	Write-off	481.24
	अन्तिम शेष	Closing balance	808.95
(vi)	गैर निष्पादक निवेश	Non Performing Investments	
	गैर निष्पादक निवेश राशि	Amount of Non-Performing Investments	189.62
	गैर निष्पादक निवेश के लिए रखे गये प्रावधान की राशि	Amount of provisions held for non-performing investment	181.63
(vii)	वर्ष के दौरान निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधानों का मूवमेंट	Movement of provisions for depreciation on investments during the year	
	प्रारंभिक शेष	Opening balance	439.08
	अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	Provisions made during the period	610.93
	बट्टे खाते	Write-off	132.68
	अन्तिम शेष	Closing balance	917.33

V. ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पोर्टफोलियो हेतु प्रकटीकरण

क. मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित सभी ईसीएआई (बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थान) यथा सीएआरई, क्रिसिल, फिट्स, और आइसीआरए की घरेलू ऋण एक्सपोजर हेतु रेटिंग को स्वीकार करता है। विदेशी ऋण एक्सपोजर के लिए बैंक स्टैंडर्ड एवं पूअर, मूडी, तथा फिट्स की रेटिंग स्वीकार करता है।

बैंक बड़े कार्पोरेट उधारकर्ताओं के ईसीएआई से रेटिंग लेने को प्रोत्साहित करता है और उसने जहाँ कहीं ऐसी रेटिंग उपलब्ध है। वहाँ जोखिम पर आस्तियों की गणना करने के लिए इन रेटिंगों का उपयोग किया है।

V. Credit risk: disclosures for portfolios subject to the standardised approach

a. Under Standardized Approach the Bank accepts rating of all RBI approved ECAI (External Credit Assessment Institution) namely CARE, CRISIL, Fitch (India), and ICRA for domestic credit exposures. For overseas credit exposures the Bank accepts rating of Standard & Poor, Moody's and Fitch.

The Bank encourages Corporate and Public Sector Entity (PSE) borrowers to solicit credit ratings from ECAI and has used these ratings for calculating risk weighted assets wherever such ratings are available.

राशि करोड़ रुपये में Amount in Rs. Cr.

जोखिम भार की श्रेणी	Category of Risk Weight	Outstanding Exposure
100% जोखिम भार से कम	Below 100 % risk weight	96265.10
100% जोखिम भार	100 % risk weight	45737.50
100% जोखिम भार से अधिक	More than 100 % risk weight	16103.09
कुल सीआरएम कटौती	Total CRM Deducted	9094.70
कुल एक्सपोजर	Total Exposure	167200.39

निम्नलिखित प्रमुख जोखिम समूहों में मानकीकृत दृष्टिकोण (मूल्यांकित और गैर मूल्यांकित) के अनुसार जोखिम कम करने के पश्चात, जोखिम राशियाँ इस प्रकार हैं।

VI. अग्रिम जोखिम न्यूनीकरण

क. बैंक अपने उधारकर्ताओं पर एक्सपोजर (निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित) को संरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियाँ (जो कि संपार्श्विक रूप में भी हो सकती हैं) प्राप्त करते हैं। सामान्यता विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियाँ (मुख्य प्रतिभूतियाँ अथवा संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ) ली जाती हैं।

- स्टॉक, चल मशीनरी इत्यादि जैसी चल आस्तियाँ।
- भूमि, बिल्डिंग, प्लांट तथा मशीनरी जैसी अचल अस्तियाँ।
- अनुमोदित सूची के अनुसार शेयर
- बैंक की स्वाधिकृत जमाराशियाँ।
- राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र, एलआईसी पॉलिसियाँ, केन्द्रीय/राज्य सरकारों आदि द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियाँ इत्यादि
- ऋण प्रतिभूतियाँ - कतिपय शर्तों के साथ अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी द्वारा रेटिंग प्राप्त
- ऋण प्रतिभूतियाँ कतिपय शर्तों के साथ बैंक द्वारा जारी की गई- गैर-रेटिंग प्राप्त
- म्यूचुअल फंडो की यूनिटें
- गैर निधि आधारित सुविधाओं के पेटे नकदी मार्जिन।
- स्वर्ण एवं स्वर्ण आभूषण

बैंक ने, बैंक को प्रभारित प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के संबंध में बेहतर नीति तैयार की है। बैंक ने ऊपर क्रम संख्या 4 से 10 पर उल्लिखित प्रतिभूतियों को ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण बासल-II के अन्तर्गत ऋण जोखिम कमी कारक के रूप में लिया है।

बैंक के ऋण जोखिम के विरुद्ध गारंटियों के प्रमुख प्रकार निम्नानुसार हैं :

- वैयक्तिक (व्यक्तिगत गारंटिया)
- कार्पोरेट्स
- केन्द्रीय सरकार
- ईसीजीसी
- सीजीटीएसआई

सीआरएम संपार्श्विक प्रमुखतः बैंक की स्वयं की जमा-राशियों के पेटे ऋणों में और सरकारी प्रतिभूतियों, एलआईसी पॉलिसियों के पेटे ऋणों में उपलब्ध होंगे।

सीआरएम प्रतिभूतियाँ, गैर निधि आधारित सुविधाओं जैसे गारंटियों और

The exposure amounts after risk mitigation subject to Standardised Approach (rated and unrated) in the following three major risk buckets are as under:

VI. Credit risk mitigation:

a. Bank obtains various types of securities (which may also be termed as collaterals) to secure the exposures (Fund based as well as Non-Fund based) on its borrowers. Generally following types of securities (whether as primary securities or collateral securities) are taken:

- Moveable assets like stocks, moveable machinery etc.
- Immoveable assets like land, building, plant & machinery.
- Shares as per approved list
- Bank's own deposits
- NSCs, KVPs, LIC policies, Securities issued by Central & State Governments etc.
- Debt securities - rated by approved credit rating agency- with certain conditions
- Debt securities- not rated- issued by a bank- with certain conditions
- Units of Mutual funds
- Cash Margin against Non-fund based facilities
- Gold and Gold Jewelry.

The bank has well-laid out policy on valuation of securities charged to the bank.

The securities mentioned at Sr. No. 4 to 10 above are recognized as Credit Risk Mitigants under Basel-II standardised approach for credit risk.

The main types of guarantors against the credit risk of the bank are:

- Individuals (Personal guarantees)
- Corporates
- Central Government
- State Government
- ECGC
- CGTSI

CRM collaterals are mostly available in Loans Against Bank's Own Deposit and Loans against Government Securities, LIC Policies.

CRM securities are also taken in non fund based facilities like Guarantees and Letters of Credit.

ऋण-पत्रों में भी ली जाती है।

बैंक के एक्सपोजर्स के संबंध में सीआरएम के रूप में उपलब्ध पात्र गारंटर्स (बासेल II के अनुसार) में केन्द्रीय/राज्य सरकार, ईसीजीसी, सीजीटीएसआई, कंटी पार्टी की अपेक्षा कम जोखिम भार वाले बैंक व प्राथमिक डीलर तथा अन्य संस्थाए (मुख्यतः परेंट, अनुषंगी तथा संबंध कंपनियों) जिन्हें एए (-) या बेहतर रेटिंग दी गई है, शामिल हैं।

दिनांक 31.3.2009 को बकाया एक्सपोजर्स से कटौती हेतु पात्र कुल ऋण जोखिम न्यूनताएं (मिटिजेंट्स) राशि रु. 9094.70 करोड़ है।

VII. प्रतिभूतिकरण :

बैंक की एक प्रतिभूति नीति है जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। नीति के अनुसार प्रतिभूत किये जाने वाले संविभाग की प्रकृति है रिटेल ऋण (आवास ऋण, ऑटो ऋण, परिसंपत्तियों के पेटे अग्रिम, वैयक्तिक ऋण तथा क्रेडिट कार्ड्स) एसएसआई एवं आधारभूत परियोजना ऋण।

दिनांक 31 मार्च, 2009 तक बैंक के पास अपनी आस्तियों को प्रतिभूत करने का कोई मामला नहीं है।

VIII. व्यापार बही में बाजार जोखिम

बैंक, बाजार जोखिम को ऐसी संभाव्य हानि में वर्गीकृत करता है जो बाजार मूल्यों में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हो सकती है।

- ब्याज दर जोखिम
- करेंसी जोखिम
- मूल्य जोखिम

जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक के निदेशक मंडल ने विभिन्न सीमाएं निर्धारित की हैं जैसे सकल निपटान सीमाएं, क्षति रोध सीमाएं, और जोखिम सीमाओं पर मूल्य आदि। जोखिम सीमाएं, खुली बाजारगत स्थितियों से उत्पन्न जोखिमों को नियंत्रित करती हैं। क्षति रोध हानि सीमा, वसूलीकृत और अवसूलीकृत हानियों के रूप में ली जाती है।

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यवसाय संविभाग पर बाजार जोखिम से संबंधित पूंजी प्रभार की गणना करने के लिए एक समुचित पद्धति तैयार की है अर्थात् मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण। इस प्रकार आकलित पूंजी प्रभार को जोखिम भारित आस्तियों में रूपांतरित किया गया है। ऋण जोखिम के लिए सकल जोखिम भारित आस्तियों, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम को सीआरएआर का निर्धारण करने के लिए हिसाब में लिया जाता है।

दिनांक 31 मार्च 2009 को बाजार जोखिम (मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण के अनुसार) संबंधी पूंजी प्रभार तथा जोखिम वाली आस्तियां निम्नानुसार हैं।

(रु. करोड़ों में Rs. in Crores)

		आरडब्ल्यूए RWAs	पूंजी प्रभार Capital Charge
व्याज दर जोखिम	Interest Rate Risk	5999.23	539.93
इक्विटी स्थिति जोखिम	Equity Position Risk	2758.56	248.27
विदेशी मुद्रा जोखिम	Foreign Exchange Risk	193.56	17.42
कुल पूंजी प्रभार	Total Capital Charge	8951.35	805.62

IX. परिचालन जोखिम

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक ने परिचालन जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताओं की संगणना करने की दृष्टि से आधारभूत सूचक दृष्टिकोण अपनाया है।

Eligible guarantors (as per Basel-II) available as CRM in respect of Bank's exposures are mainly Central/ State Government, ECGC, CGTSI, Banks & Primary Dealers with a lower risk weight than the counter party AND other entities (mainly parent, subsidiary and affiliate companies) rated AA(-) or better.

The total amount of Credit Risk Mitigants eligible for deduction from the outstanding exposures as on 31.03.2009 is Rs 9094.70 Crore.

VII. Securitisation:

The Bank has a Securitization Policy duly approved by its Board. As per the Policy the nature of portfolio to be securitized are retail loans (housing loans, auto loans, advance against properties, personal loans and credit cards) SSI and Infrastructure projects loans.

The Bank does not have any case of its assets securitised as on 31st March, 2009.

VIII. Market risk in trading book

The Bank defines market risk as potential loss that the Bank may incur due to adverse developments in market prices. The following risks are identified as Market risk:

- Interest Rate Risk
- Currency Risk
- Price risk

To manage risk, Bank's Board of Directors have laid down various limits such as Aggregate Settlement limits, Stop loss limits and Value at Risk limits. The risk limits, control the risks arising from open market positions. The stop loss limit takes in to account realized and unrealized losses.

Bank has put in place a proper system for calculating capital charge on Market Risk on Trading Portfolio as per RBI Guidelines, viz., Standardised Duration Approach. The capital charge thus calculated is converted into Risk Weighted Assets. The aggregated Risk Weighted Assets for credit risk, market risk and operational risk are taken in to consideration for arriving at the Bank's CRAR.

Risk Weighted Assets and Capital Charge on Market Risk (as per Standardised Duration Approach) as on 31st March 2009 is as under:

IX. Operational risk

In line with RBI guidelines, Bank has adopted the Basic Indicator Approach to compute the capital requirements for Operational Risk.

X. बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

क ब्याज दर जोखिम को दो दृष्टिकोणों के माध्यम से निर्धारित व मानीटर किया जाता है।

(i) जोखिम पर आय (पारंपरिक अन्तर विश्लेषण) (अल्पावधि)

बैंक की शुद्ध ब्याज आय पर ब्याज दरों में परिवर्तनों को इस दृष्टिकोण के तहत विश्लेषित किया गया है।

जोखिम पर आय को विभिन्न परिदृश्यों में निम्नानुसार विश्लेषित किया गया है।

1. आय रेखा जोखिम : आस्तियों और देयताओं के लिए 1% समानांतर परिवर्तन का अनुमान लगाया गया है।
2. आस्तियों के लिए श्रेणी-वार भिन्न आय परिवर्तनों का अनुमान लगाया गया है और ये देयताओं पर भी लागू होते हैं।
3. ऐतिहासिक प्रवृत्ति के अनुसार आधार जोखिम एवं समाहित विकल्प जोखिम का अनुमान लगाया गया है।

(ii) इक्विटी का आर्थिक मूल्य (अवधि अन्तर विश्लेषण) (दीर्घावधि)

यह कार्य आस्तियों एवं देयताओं की संशोधित अवधि की गणना करके किया जाता है ताकि इक्विटी की संशोधित अवधि का निर्धारण किया जा सके।

- यह दृष्टिकोण आय में दिए परिवर्तन हेतु आय रेखा में समान्तर शिफ्ट माना जाता है।
- इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव को जैसा भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्लेषित किया है, नियमित अंतरालों पर 200 आधार अंकीय दर हेतु विश्लेषित किया जाता है।
- संबंधित परिपक्वता के लिए बाजार संबंध आय को संशोधित अवधि की गणना में प्रयुक्त किया जाता है।

बैंकिंग बहियों में बैंक के ब्याज दर जोखिम का विश्लेषण दोनों घरेलू तथा विदेशी परिचालनों के लिए किया जाता है। घरेलू परिचालनों के लिए इक्विटी के आर्थिक मूल्य की माप तथा निगरानी तिमाही आधार पर की जाती है।

ख ब्याज-दरों में 100 आधार अंकीय मूवमेंट के पेटे बैंक की शुद्ध ब्याज आय पर शुद्ध प्रभाव घरेलू परिचालकों के लिए रु. 128.38 करोड़ है तथा रु 34.57 करोड़ अन्तरराष्ट्रीय परिचालनों के लिए है।

X. Interest rate risk in the banking book (IRRBB)

a. The interest rate risk is measured and monitored through two approaches:

(i) Earning at Risk (Traditional Gap Analysis) (Short Term):

The immediate impact of the changes in the interest rates on net interest income of the bank is analysed under this approach.

The Earning at Risk is analysed under different scenarios:

1. Yield curve risk: A parallel shift of 1% is assumed for assets as well as liabilities.
2. Bucket wise different yield changes are assumed for the assets and the same are applied to the liabilities as well.
3. Basis risk and embedded option risk is assumed as per historical trend.

(ii) Economic Value of Equity (Duration Gap Analysis) (Long term)

It is done by calculating modified duration of assets and the liabilities to finally arrive at the modified duration of equity.

- This approach assumes parallel shift in the yield curve for a given change in the yield.
- Impact on the Economic Value of Equity is also analysed for a 200 bps rate shock as indicated by RBI.
- Market linked yields for respective maturities are used in the calculation of the modified duration.

The analysis of bank's Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) is done for both the domestic and the overseas operations. The Economic value of equity for domestic operations is measured and monitored on a quarterly basis.

b. The net impact on Net Interest Income (NII) of the bank against 100 bps movement in interest rates is Rs. 128.38 Crore in the Domestic Operations (Rupee resources and deployment) and Rs. 34.57 Crore in International Operations.

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक - लाभप्रदता अनुपात
Key Financial Indicators - Profitability Ratios

क्र.सं. S.No.	विवरण Particulars	31.03.2005	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2008	31.03.2009
1	ब्याज आय / औसत कार्यशील निधियां (एडब्ल्यूएफ) Interest Income / Average Working Funds (AWF)	6.85%	6.59%	7.22%	7.63%	7.78%
2	ब्याज व्यय / एडब्ल्यूएफ Interest expenses / AWF	3.68%	3.65%	4.35%	5.10%	5.14%
3	शुद्ध ब्याज मार्जिन Net Interest Margin (NIM)	3.39%	3.20%	3.05%	2.90%	2.91%
4	ब्याज विस्तार / एडब्ल्यूएफ Interest spread / AWF	3.17%	2.93%	2.87%	2.53%	2.64%
5	गैर-ब्याज आय / एडब्ल्यूएफ Non-Interest Income / AWF	1.40%	1.12%	1.11%	1.32%	1.42%
6	परिचालन व्यय / एडब्ल्यूएफ Operating expenses / AWF	2.11%	2.25%	2.04%	1.96%	1.84%
7	लागत-आय अनुपात Cost Income Ratio	46.24%	55.43%	51.30%	50.89%	45.38%
8	सकल (परिचालन) लाभ / एडब्ल्यूएफ Gross (Operating) profit / AWF	2.45%	1.81%	1.94%	1.89%	2.22%
9	शुद्ध लाभ / एडब्ल्यूएफ Net profit / AWF	0.72%	0.78%	0.82%	0.93%	1.15%
10	शुद्ध मालियत पर प्रतिलाभ Return on Net Worth	12.55%	10.85%	12.17%	15.07%	19.56%
11	आस्तियों पर प्रतिलाभ Return on Assets	0.71%	0.73%	0.72%	0.80%	0.98%
12	औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ Return on Average Assets	0.75%	0.79%	0.80%	0.89%	1.09%
13	अग्रिमों पर प्रतिफल Yield on Advances	7.18%	7.43%	8.37%	9.53%	9.50%
14	जमाराशियों की लागत Cost of Deposits	4.23%	4.15%	4.77%	5.69%	5.71%
15	लाभांश भुगतान अनुपात (कारपोरेट लाभांश कर सहित) Dividend payout Ratio (including Corporate Dividend Tax)	24.67%	25.11%	24.59%	23.75%	17.22%
16	ऋण - जमा अनुपात Credit -- Deposit Ratio	55.82%	67.15%	74.35%	77.32%	82.36%
17	ऋण + गैर एसएलआर निवेश (अनुषंगी इकाइयों में निवेश को छोड़कर) - जमा अनुपात Credit + Non SLR Investment (excluding Investments in Subsidiaries) -- Deposit Ratio	63.96%	74.94%	80.21%	82.78%	87.86%
18	पूंजी पर्याप्तता अनुपात Capital Adequacy Ratio	12.61%	13.65%	11.80%	12.91%	12.88%
	टीयर Tier - I	8.21%	10.98%	8.74%	7.63%	7.79%
	टीयर Tier - II	4.40%	2.67%	3.06%	5.28%	5.09%

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक - कुशलता अनुपात

Key Financial Indicators - Efficiency Ratios

क्र.सं. S.No.	विवरण Particulars	31.03.2005	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2008	31.03.2009
1	कर्मचारी (संख्या) Employees (number)	39529	38774	38086	36774	36838
2	शाखाएं (संख्या) Branches (number)	2738	2743	2772	2899	2974
3	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (रु.करोड़ में) Business per employee (Rs. in crore)	3.16	3.96	5.48	7.04	9.13
4	प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय (रु.करोड़ में) Average Business per employee (Rs in crore)	2.97	3.51	4.64	5.94	7.57
5	प्रति कर्मचारी सकल लाभ (रु.लाखों में) Gross Profit per employee (Rs. in lakhs)	5.82	4.95	6.34	7.96	11.69
6	प्रति कर्मचारी निवल लाभ (रु. लाखों में) Net Profit per employee (Rs. in lakhs)	1.71	2.13	2.70	3.90	6.05
7	प्रति शाखा व्यवसाय (रु.करोड़ों में) Business per branch (Rs. in crore)	45.56	55.99	75.23	89.25	113.11
8	प्रति शाखा सकल लाभ (रु.करोड़ में) Gross Profit per branch (Rs. in crore)	0.84	0.70	0.87	1.01	1.45
9	प्रति शाखा शुद्ध लाभ (रु.करोड़ में) Net Profit per branch (Rs. in crore)	0.25	0.30	0.37	0.50	0.75
10	प्रति शेयर आय (रुपयों में) Earnings per share (Rupees)	23.08	27.10	28.18	39.40	61.14
11	प्रति शेयर बहीमूल्य (रुपयों में) Book Value per share (Rupees)	183.83	209.18	231.59	261.54	312.61

स्रोत : विविध वर्षों की वार्षिक रिपोर्टें (जहां समुचित हुआ, पिछले वर्षों के आंकड़ों को पुनर्समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है)

Source: Annual Reports of various years. (previous year's figures are regrouped and reclassified, where appropriate)

शब्दावली / Glossary

औसत कार्यशील निधियां (एडब्ल्यूएफ)	: कुल आस्तियों का पाक्षिक औसत;	Average Working Funds (AWF)	: Fortnightly Average of Total Assets
औसत जमाराशियां	: कुल जमाराशियों का पाक्षिक औसत;	Average Deposits	: Fortnightly Average of Total Deposits
औसत अग्रिम	: कुल अग्रिमों का पाक्षिक औसत;	Average Advances	: Fortnightly Average of Total Advances
औसत व्यवसाय	: औसत जमाराशियों और औसत अग्रिमों का योग;	Average Business	: Total of Average Deposits Plus Average Advances
औसत निवेश	: कुल निवेश का पाक्षिक औसत;	Average Investments	: Fortnightly Average of Total Investments
ब्याज आय/(एडब्ल्यूएफ)	: कुल ब्याज आय का औसत कार्यशील निधियों से विभाजन;	Interest Income/AWF	: Total Interest Income Divided by AWF
ब्याज व्यय/एडब्ल्यूएफ	: कुल ब्याज व्यय भाग दें एडब्ल्यूएफ;	Interest expenses/AWF	: Total Interest Expenses Divided by AWF
ब्याज विस्तार/एडब्ल्यूएफ	: (कुल ब्याज आय घटाएं : कुल ब्याज व्यय) एडब्ल्यूएफ से विभाजित करें;	Interest Spread/AWF	: (Total Interest Income minus Total Interest Expenses) Divided by AWF
गैरब्याज आय/एडब्ल्यूएफ	: कुल गैर ब्याज आय विभाजित करें औसत कार्य निधि से;	Non-Interest Income/AWF	: Total Non-Interest Income Divided by AWF
परिचालन व्यय	: कुल खर्च घटा ब्याज खर्च	Operating Expenses	: Total Expenses minus Interest Expenses
परिचालन व्यय/एडब्ल्यूएफ	: कुल परिचालन व्यय विभाजित करें औसत कार्यशील निधि से;	Operating Expenses/AWF	: Operating Expenses Divided by AWF
लागत आय अनुपात	: परिचालन व्यय विभाजित करें (गैरब्याज आय + ब्याज स्प्रेड) से;	Cost Income Ratio	: Operating Expenses Divided by (Non Interest Income plus Interest Spread)
सकल (परिचालन) लाभ/एडब्ल्यूएफ	: परिचालन लाभ विभाजित करें एडब्ल्यूएफ से;	Gross (Operating) Profit/AWF	: Operating Profit divided by AWF
शुद्ध लाभ/एडब्ल्यूएफ	: शुद्ध लाभ विभाजित करें एडब्ल्यूएफ;	Net Profit/AWF	: Net Profit Divided by AWF
शुद्ध मालियत पर प्रतिलाभ	: शुद्ध लाभ विभाजित करें शुद्ध मालियत (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित राशि को छोड़कर);	Return on Net Worth	: Net Profit Divided by Net Worth (excluding Revaluation Reserves)
आस्तियों पर प्रतिलाभ	: शुद्ध लाभ विभाजित करें कुल आस्तियों से;	Return on Assets	: Net Profit Divided by Total Assets
औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ	: शुद्ध लाभ भाग दें एडब्ल्यूएफ;	Return on Average Assets	: Net Profit Divided by AWF
अग्रिमों पर प्रतिफल	: अग्रिमों पर अर्जित ब्याज भाग दें औसत अग्रिम;	Yield on Advances	: Interest Earned on Advances Divided by Average Advances
जमाराशियों की लागत	: जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज भाग दें औसत जमाराशियां;	Cost of Deposits	: Interest paid on Deposits Divided by Average Deposits
लाभांश भुगतान अनुपात (कारपोरेट लाभांश कर सहित)	: लाभांश कारपोरेट लाभांश कर सहित; भाग दें शुद्ध लाभ से;	Dividend Payout Ratio (including Corporate Dividend Tax)	: Dividend including Corporate Dividend Tax Divided by Net Profit

ऋण जमा अनुपात ऋण + गैर सांविधिक तरलता अनुपात निवेश (अनुषंगी इकाइयों में निवेश को छोड़कर) जमाराशि - अनुपात;	: कुल अग्रिम भाग दें ग्राहकों की जमाराशियां (कुल जमाराशियां - घटायें अंतर बैंक जमा राशियां) (कुल अग्रिम + नॉन एस एल आर निवेश - घटायें अनुषंगी इकाइयों में निवेश) भाग दें ग्राहकों की जमायें से;	Credit - Deposit Ratio Credit + Non SLR Investments (excluding Investments in Subsidiaries) - Deposit Ratio	: Total Advances Divided by Customer Deposits (i.e., Total Deposits minus Inter Bank Deposits) (Total Advances Plus Non-SLR Investments minus Investments in Subsidiaries) Divided by Customer Deposits
प्रति कर्मचारी व्यवसाय	: कुल जमाराशियां + कुल अग्रिम भाग दें, कुल कर्मचारियों की संख्या से	Business Per Employee	: Total Deposits plus Total Advances Divided by Total No. of Employees
प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय	: औसत जमाराशियां औसत अग्रिम/भाग दें कुल कर्मचारी संख्या से	Average Business Per Employee	: Average Deposits plus Average Advances divided by Total No. of Employees
प्रति कर्मचारी सकल लाभ	: सकल लाभ को भाग दें, कुल कर्मचारी संख्या से;	Gross Profit Per Employee	: Gross Profit Divided by Total No. of Employees
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ	: शुद्ध लाभ को भाग दें, कर्मचारियों की संख्या से;	Net Profit Per Employee	: Net Profit Divided by total No. of Employees
प्रति शाखा कारोबार	: कुल जमाराशियां + कुल अग्रिम को भाग दें, शाखाओं की संख्या से;	Business Per Branch	: Total Deposits plus Total Advances divided by No. of Branches
प्रति शाखा सकल लाभ	: सकल लाभ को भाग दें, शाखाओं की संख्या से;	Gross Profit per Branch	: Gross Profit Divided by No. of Branches
प्रति शाखा शुद्ध लाभ	: शुद्ध लाभ भाग दें शाखाओं की संख्या से;	Net Profit per Branch	: Net Profit Divided by No. of Branches
प्रति शेयर आय	: शुद्ध लाभ को भाग दें, इक्विटी से X दस;	Earnings Per Share	: Net Profit divided by Equity Multiplied by Ten
प्रति शेयर बही मूल्य	: शुद्ध मालियत (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित राशि को छोड़कर) को भाग दें, इक्विटी से X दस.	Book Value Per Share	: Net Worth (excluding Revaluation Reserves) divided by Equity Multiplied by Ten.

31 मार्च, 2009 का तुलन-पत्र
Balance Sheet as on 31st March 2009

(Rs. In 000's)

	अनुसूची SCHEDULE	31 मार्च 2009 को As on 31st Mar, 2009 रु. Rs.	31 मार्च 2008 को As on 31st Mar, 2008 रु. Rs.
पूंजी और देयताएं	CAPITAL & LIABILITIES		
पूंजी	Capital	1	365,52,77
प्रारक्षित निधियां और अधिशेष	Reserves and Surplus	2	124700135
जमाराशियां	Deposits	3	1923969517
उधार ली गई राशियां	Borrowings	4	5636,08,59
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities and Provisions	5	16538,14,66
जोड़	T O T A L		<u>227406,72,54</u>
			<u>179599,51,62</u>
आस्तियां	ASSETS		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष रकम	Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	10596,34,35
बैंकों के पास शेष रकम तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	13490,77,35
निवेश	Investments	8	52445,87,58
अग्रिम	Advances	9	143985,89,61
अचल आस्तियां	Fixed Assets	10	2309,71,93
अन्य आस्तियां	Other Assets	11	4578,11,72
जोड़	T O T A L		<u>227406,72,54</u>
			<u>179599,51,62</u>
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	12	73386,09,83
वसूली के लिए बिल	Bills for Collection		13963,99,04
उल्लेखनीय लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	17	
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	18	

ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां तुलन-पत्र का एक अभिन्न भाग हैं।
The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

श्री एम.डी.मल्या
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री वी.सन्तानरामन
कार्यकारी निदेशक
श्री आर. के. बक्षी
कार्यकारी निदेशक
श्री एन.आर.बद्रीनारायणन
महाप्रबंधक
(कार्पो.खाते, कराधान एवं
अनुपालन अधिकारी-भा.रि.बैं.)
श्री वी.के.गुप्ता
उप महाप्रबंधक
(कार्पो.खाते एवं कराधान)

निदेशक

श्री ए. सोमसुन्दरम
श्री मिलिन्द एन. नाडकर्णी
श्री रणजीत कुमार चटर्जी
श्री अमरजीत चोपड़ा
डॉ. दीपक बी. फाटक
श्री मौलिन ए. वैष्णव

कृते बी.सी.जैन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(बी.सी. जैन)
भागीदार
M No. 005690
कृते एस के कपूर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(संजीव कपूर)
भागीदार
M No. 070487

लेखा परीक्षक
सम तारीख की हमारी संलग्न पृथक रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए. सचदेव एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(मनीष अग्रवाल)
भागीदार
M No. 078628
कृते अश्विनी एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
(अश्विनी कुमार)
भागीदार
M No. 80711
कृते गुप्ता नायर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(राजीव कुमार नायर)
भागीदार
M No. 085468
कृते एन सी बनर्जी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
(बी. के. बिस्वास)
भागीदार
M No. 055623

स्थान : मुंबई,
दिनांक : 27.04.2009

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा
Profit & Loss Account for the year ended 31st March 2009

(000's अनंकित omitted)

	अनुसूची SCHED- ULE	31 मार्च 2009 को Year ended 31st Mar 2009 रु. Rs.	31 मार्च 2008 को Year ended 31st Mar 2008 रु. Rs.
I. आय	I. INCOME		
अर्जित ब्याज	Interest Earned	13	15091,57,74
अन्य आय	Other Income	14	2757,65,80
जोड़	TOTAL		17849,23,54
II. व्यय	II. EXPENDITURE		
खर्च किया गया ब्याज	Interest Expended	15	9968,16,76
परिचालन व्यय	Operating Expenses	16	3576,06,17
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	Provisions and Contingencies		2077,80,43
जोड़	TOTAL		15622,03,36
III. लाभ	III. PROFIT		
वर्ष का शुद्ध लाभ	Net Profit for the Year		2227,20,18
विनियोजन हेतु उपलब्ध राशि	Available for Appropriation		2227,20,18
विनियोजन	Appropriations		
निम्नलिखित में अन्तरण :	Transfer to :		
क) सांविधिक प्रारक्षित निधि	a) Statutory Reserve		556,80,05
ख) पूंजीगत प्रारक्षित निधि	b) Capital Reserve		358,25,58
ग) राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां	c) Revenue and Other Reserves		
I) सामान्य प्रारक्षित निधि	I) General Reserve		707,41,44
II) विशेष प्रारक्षित निधि धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत	II) Special Reserve u/s 36 (1) (viii)		220,00,00
III) सांविधिक प्रारक्षित निधि (विदेशी)	III) Statutory Reserve (Foreign)		1,17,48
घ) प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित) अन्तरिम लाभांश	d) Proposed Dividend (including Dividend Tax)		383,55,63
जोड़	TOTAL		2227,20,18
प्रति शेयर मूल एवं न्यून अर्जन	Basic & Diluted Earnings per Share		61.14
उल्लेखनीय लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	17	
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	18	
The Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account.			
ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां लाभ व हानि लेखे का ही एक भाग है.			

M D Mallya
Chairman & Managing Director
V Santhanaraman
Executive Director
R K Bakshi
Executive Director
N R Badrinarayanan
General Manager (Corporate
A/cs. Taxation & Compliance
Officer - RBI)
V K Gupta
Dy. General Manager
(Corp. Accounts & Taxation)

DIRECTORS

Shri. A somasundaram
Shri Milind N Nadkarni
Shri Ranjit Kumar Chatterjee
Shri Amarjit Chopra
Dr. Deepak B Phatak
Shri Maulin A Vaishnav

AUDITORS

As per our separate report of even date attached

For B C Jain & Co. Chartered Accountants (B. C. Jain) Partner M No. 005690	For A. Sachdev & Co Chartered Accountants (Manish Agarwal) Partner M No. 078628	For Gupta Nayar & Co. Chartered Accountants (Rajiv Kumar Nayar) Partner M No. 085468
For S. K. Kapoor & Co. Chartered Accountants (Sanjiv Kapoor) Partner M No. 070487	For Ashwani & Associates Chartered Accountants (Ashwani Kumar) Partner M No. 80711	For N C Banerjee & Co Chartered Accountants (B. K. Biswas) Partner M No. 055623

Place: Mumbai
Date: 27.04.2009

तुलन-पत्र की अनुसूचियां Schedules to Balance Sheet

(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2009 को As on 31st Mar, 2009		31 मार्च, 2008 को As on 31st Mar, 2008	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची -1 पूंजी	SCHEDULE - 1 CAPITAL				
प्राधिकृत पूंजी	AUTHORISED CAPITAL				
प्रति रु. 10/- के 150,00,00,000 इक्विटी शेयर	150,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each		1500,00,00		1500,00,00
जारी की गयी तथा अभिदत्त पूंजी	ISSUED AND SUBSCRIBED CAPITAL				
प्रति रु. 10/- के 36,70,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष रु 10 के 36,70,00,000 इक्विटी शेयर)	36,70,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each (previous year 36,70,00,000/- equity shares of Rs. 10/- each)				
प्रति रु. 10/- के 36,42,66,500 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 36,42,66,400)	36,42,66,500 (Previous Year 36,42,66,400) Equity Shares of Rs.10 each including		367,00,00		367,00,00
19,60,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 19,60,00,000) इक्विटी शेयर जिनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित शेयर, जिनकी राशि रु. 196 करोड़ है, शामिल है.	19,60,00,000 Equity Shares (Previous year 19,60,00,000 Equity Shares) amounting to Rs.196 crores held by Central Government		364,26,65		364,26,64
जोड़ें : जप्त किए गए शेयर	Add : Forfeited Shares		1,26,12		1,26,13
जोड़	TOTAL		365,52,77		365,52,77
अनुसूची-2	SCHEDULE - 2				
प्रारक्षित निधियां तथा अधिशेष	RESERVES & SURPLUS				
I सांविधिक प्रारक्षित निधियां	I Statutory Reserves				
प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	2230,37,10		1871,49,06	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the Year	556,80,05	2787,17,15	358,88,04	2230,37,10
II प्रारक्षित पूंजी निधि	II Capital Reserves				
(पुनर्मूल्यांकित प्रारक्षित निधि सहित)	(including Revaluation Reserve)				
प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	1789,93,47		402,19,30	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन *	Additions / Adjustments during the Year*	362,05,56		85,07,80	
*(रुपये 37998 (गत वर्ष 4295) के विनिमय उतार चढ़ाव के समायोजन के बाद)	*[After adjustment of Exchange fluctuation of Rs.(37998) (Previous year 4295)]	2151,99,03		487,27,10	
परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के कारण वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year on account of revaluation of properties	-		1377,74,38	
कटौतियां :	Deductions:				
लाभ-हानि खाते में अंतरित पुनर्मूल्यांकित अचल आस्तियों पर मूल्य हास	Depreciation on revalued fixed assets transferred to Profit & Loss account	72,40,75	2079,58,28	75,08,01	1789,93,47

(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2009 को As on 31st Mar, 2009		31 मार्च, 2008 को As on 31st Mar, 2008	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची - 2	SCHEDULE - 2				
प्रारक्षित निधियां तथा अधिशेष	RESERVES & SURPLUS				
III शेयर प्रीमियम	III Share Premium				
प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	2273,88,53		2273,88,43	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Additions/Adjustments during the Year	3	2273,88,56	10	2273,88,53
IV राजस्व और अन्य प्रारक्षित निधियां	IV Revenue & Other Reserves				
क. सांविधिक प्रारक्षित निधियां (विदेशी)	a) Statutory Reserve (Foreign)				
प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	74,60,02		77,58,50	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Additions during the Year	1,17,48		70,30	
अन्य समायोजन	Other Adjustments	16,57,63		-3,68,78	
		92,35,13		74,60,02	
ख. आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधियां	b) Special Reserve u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act				
प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	-		-	
जोड़े : सामान्य प्रारक्षित निधियों से अंतरित	Add: Transferred from General Reserve	200,00,00		-	
जोड़े : वित्तीय वर्ष 2008-09 की दौरान परिवर्धन	Add: Additions during the year for FY 2008-09	220,00,00		-	
		420,00,00		-	
ग. अन्य प्रारक्षित निधियां	c) Other Reserves				
प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	4309,60,79		3659,25,71	
वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधियों को अंतरित	Transferred to Special Reserve u/s 36(1)(viii) for F.Y 2007-08	200,00,00		-	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Additions/Adjustments during the Year	707,41,44		650,35,08	
		4817,02,23		4309,60,79	
जोड़ IV (क, ख व ग)	TOTAL - IV (a, b & c)		5329,37,36		4384,20,81
जोड़ I से IV)	TOTAL (I to IV)		12470,01,35		10678,39,91

(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2009 को As on 31st Mar, 2009		31 मार्च, 2008 को As on 31st Mar, 2008	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची-3 जमाराशियां	SCHEDULE - 3 DEPOSITS				
क. I मांग-जमाराशियां	A. I Demand Deposits				
i) बैंकों से	i) From Banks	682,99,04		616,16,58	
ii) अन्य से	ii) From Others	13768,23,44	14451,22,48	11079,83,97	11696,00,55
II बचत बैंक जमाराशियां	II Savings Bank Deposits		42487,27,78		35776,38,18
III मीयादी जमाराशियां	III Term Deposits				
i) बैंकों से	i) From Banks	16887,48,83		13416,55,88	
ii) अन्य से	ii) From Others	118570,96,08	135458,44,91	91145,18,11	104561,73,99
जोड़ (I से III)	TOTAL (I to III)		<u>192396,95,17</u>		<u>152034,12,72</u>
ख. I भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां	B. I Deposits of branches in India	151408,98,64		122479,35,32	
II भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां	II Deposits of branches outside India	40987,96,53		29554,77,40	
जोड़ (I और II)	TOTAL (I & II)		<u>192396,95,17</u>		<u>152034,12,72</u>
अनुसूची - 4 उधार ली गयी राशियां	SCHEDULE - 4 BORROWINGS				
भारत में उधार ली गयी राशियां	Borrowings in India				
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	i) Reserve Bank of India		2700,00,00		-
ii) अन्य बैंक	ii) Other Banks		17,17,26		18,57,54
iii) अन्य संस्थान एवं एजेंसियां	iii) Other Institutions and Agencies		442,94,17		670,56,83
जोड़	TOTAL		<u>3160,11,43</u>		<u>689,14,37</u>
भारत के बाहर उधार ली गयीं राशियां	Borrowings outside India		2475,97,16		3237,90,43
जोड़ - उधार ली गई राशियां	Total - Borrowings		<u>5636,08,59</u>		<u>3927,04,80</u>
उपरोक्त में शामिल जमानती उधार राशियां	Secured Borrowings included in above		242,94,17		740,22,47

(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2009 को As on 31st Mar, 2009		31 मार्च, 2008 को As on 31st Mar, 2008	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची - 5	SCHEDULE - 5				
अन्य देयताएं और प्रावधान :	OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS				
I देय बिल	I Bills Payable		1203,41,49		1713,73,63
II अन्तर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	II Inter Office Adjustments (Net)		1110,94,74		-
III उपचित ब्याज	III Interest Accrued		1458,42,48		1193,82,74
IV टीयर - I पूंजी (नवोन्मेषी सतत बांड)	IV Tier - I Capital (Innovative Perpetual Bonds)				
श्रेणी संख्या	ब्याज दर % (प्रतिवर्ष)	परिपक्वता तारीख	Sr No	Interest Rate (%p.a.)	Date of Maturity
श्रेणी I	8.90 %	सतत	Series I	8.90%	Perpetual
"पहले 10 वर्ष के लिए 8.90 % व यदि 10 वर्ष पूरा होने व उसके बाद प्रत्येक वर्षगांठ पर मांग विकल्प नहीं दिया जाता है, 9.40 % प्रतिवर्ष "			"8.90% for first 10 yrs. & 9.40% p.a. thereafter if call option is not exercised on completion of 10th year & each anniversary thereafter"		
गैर जमानती प्रतिशोध्य (टीयर II पूंजी के लिए गौण ऋण कर्ज)			Unsecured Redeemable (Subordinated Debts for Tier-II Capital)		
श्रेणी	ब्याज दर	परिपक्वता की तारीख	Sr No	Interest Rate (%p.a.)	Date of Maturity
श्रेणी II (लोअर) विकल्प III	14.30%	09.04.2009	Series II (Lower) Option III	14.30%	09.04.2009
श्रेणी III (लोअर) विकल्प I	11.15 %	30.04.2008	Series III (Lower) Option I	11.15 %	30.04.2008
श्रेणी IV (लोअर)	5.85%	02.07.2014	Series IV (Lower)	5.85%	02.07.2014
श्रेणी V (लोअर)	7.45%	28.04.2015	Series V (Lower)	7.45%	28.04.2015
श्रेणी VI (लोअर)	8.95%	15.05.2016	Series VI (Lower)	8.95%	15.05.2016
श्रेणी VII (अपर)	9.30%	28.12.2022	Series VII (Upper)	9.30%	28.12.2022
पहले 10 वर्षों के लिए 9.30 % व शेष 5 वर्षों के लिए 9.80 % (यदि 10 वर्ष पूरे होने पर मांग विकल्प नहीं दिया जाता है तो)			"9.30% for first 10 yrs. & 9.80% for last 5 yrs. (If call option is not exercised on completion of 10th year)"		
श्रेणी VIII (अपर)	9.30%	4.01.2023	VIII(Upper)	9.30%	04.01.2023
पहले 10 वर्षों के लिए 9.30 % व अंतिम 5 वर्षों के लिए 9.80 % (यदि 10 वर्ष पूरे होने पर मांग विकल्प नहीं दिया जाता है तो)			"9.30% for first 10 yrs. & 9.80% for last 5 yrs. (If call option is not exercised on completion of 10th year)"		
			300,20,00		-
			300,00,00		300,00,00
			-		409,10,00
			300,00,00		300,00,00
			770,00,00		770,00,00
			920,00,00		920,00,00
			500,00,00		500,00,00
			1000,00,00		1000,00,00

(000's अनंकित omitted)

	31 मार्च, 2009 को As on 31st Mar, 2009		31 मार्च, 2008 को As on 31st Mar, 2008	
	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
श्रेणी IX (अपर) 9.15% 04.03.2024 पहले 10 वर्षों के लिए 9.15 % व अंतिम 5 वर्षों के लिए 9.65 % ((यदि 10 वर्ष पूरे होने पर मांग विकल्प नहीं दिया जाता है तो)	Series IX (Upper) 9.15% 04.03.2024 "9.15% for first 10 yrs. & 9.65% for last 5 yrs. (If call option is not exercised on completion of 10th year)"	1000,00,00	-	
श्रेणी X (लोअर) 8.95% 12.04.2018	Series X (Lower) 8.95% 12.04.2018	500,00,00	-	
डिबेन्चर्स (पूर्ववर्ती बीओबीएचएफ द्वारा जारी किए गए टीअर II बॉन्ड के लिए पात्र) 8.30% 06.09.2009	Debentures (eligible for Tier II Bonds issued by erstwhile BOBHFL) 8.30% 06.09.2009	20,00,00	20,00,00	
एमटीएन - टीअर II बॉन्ड 6.6250% 25.05.2022 (ओवरसीज) यदि 25-05-2017 को मांग विकल्प नहीं दिया जाता है तो ब्याज दर में 100 आधारभूत अंको की बढ़ोतरी	"MTN - Tier II Bonds 6.6250% 25.05.2022(Overseas)" Step up of 100 bps.in ROI if call option is not exercised on 25.05.2017	1521,62,05	7131,82,05	1203,61,90 5422,71,90
V मानक अग्रिमों की एवज में आकस्मिक प्रावधान	V Contingent Provision against Standard Advances		1141,60,67	1055,05,68
VI अन्य (प्रावधानों सहित)	VI Others (including provisions)		4491,93,23	3209,07,47
जोड़ (I से VI)	TOTAL (I to VI)		<u>16538,14,66</u>	<u>12594,41,42</u>
अनुसूची - 6 भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष	SCHEDULE - 6 CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA			
I हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	I Cash in hand (including foreign currency notes)		998,98,49	880,98,14
II भारतीय रिज़र्व बैंक के पास चालू खातों में शेष रकम	II Balances with Reserve Bank of India in Current Account		9597,35,86	8488,74,20
जोड़ (I और II)	TOTAL (I & II)		<u>10596,34,35</u>	<u>9369,72,34</u>

(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2009 को As on 31st Mar, 2009		31 मार्च, 2008 को As on 31st Mar, 2008	
		₹. Rs.	₹. Rs.	₹. Rs.	₹. Rs.
अनुसूची -7 बैंकों के पास शेष रकम तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	SCHEDULE - 7 BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE				
I भारत में	I In India				
i) बैंकों के पास शेष रकम	i) Balances with Banks				
क) चालू खातों में	a) in Current Accounts	321,72,90		311,13,03	
ख) अन्य जमा खातों में	b) in Other Deposit Accounts	1081,68,56	1403,41,46	1083,39,00	1394,52,03
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	ii) Money at call and short notice with				
क) बैंकों के पास	a) Banks	-		2773,00,00	
ख) अन्य संस्थानों के पास	b) Other institutions	-	-	160,00,00	2933,00,00
जोड़ (i और ii)	TOTAL (i and ii)		1403,41,46		4327,52,03
II भारत से बाहर	II Outside India				
i) चालू खातों में	i) in Current Accounts	1097,24,03		705,96,09	
ii) अन्य जमा खातों में	ii) in Other Deposit Accounts	3803,07,70		4354,70,06	
iii) बैंकों के पास मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	iii) Money at Call and Short Notice with Banks	7187,04,16		3541,38,15	
जोड़ (i, ii और iii)	TOTAL (i, ii and iii)		12087,35,89		8602,04,30
कुल जोड़ (I और II)	GRAND TOTAL (I and II)		13490,77,35		12929,56,33
अनुसूची -8 निवेश	SCHEDULE - 8 INVESTMENTS				
I भारत में निवेश (सकल)	I Investments in India (Gross)	491573804		406524939	
घटायें : मूल्यहास के लिए प्रावधान	Less: Provision for Depreciation	5555998		3383433	
भारत में शुद्ध निवेश	Net Investments in India		486017806		403141506
अलग-अलग विवरण	B R E A K - U P				
i) सरकारी प्रतिभूतियां (क्विलियरिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इंडिया में लॉज किए गए रु. 60 करोड़ के अंकित मूल्य (पिछले वर्ष रु. 30 करोड़) के रु. 57.88 करोड़ सहित (पिछले वर्ष रु. 30.35 करोड़) शामिल हैं	i) Government Securities [includes Rs.57.88 Crores (Previous year-Rs.30.35 Crores) face value of Rs.60.00 Crores (Previous year-Rs.30.00 Crores) lodged with Ctg. Corp. of India]	401346688		335479959	
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other Approved Securities	9666527		11526126	
iii) शेयर	iii) Shares	6060926		7758046	
iv) डिबेंचर और बांड	iv) Debentures and Bonds	30140400		26033403	
v) अनुषंगी इकाइयां और / या संयुक्त उद्यम (इसमें बैंक का, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अग्रिम के रूप में शेयर पूंजी अंशदान पेंडिंग अलाटमेंट रु. 101.27 करोड़) शामिल हैं. (पिछले वर्ष रु. 73.16 करोड़)	v) Subsidiaries and/or Joint Ventures [includes Bank's share of contribution as advance of Rs.101.27 Crores (Previous year Rs.73.16 Crores) towards Share Capital of RRBs pending allotment]	7352803		6873743	

(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2009 को As on 31st Mar, 2009		31 मार्च, 2008 को As on 31st Mar, 2008	
		₹. Rs.	₹. Rs.	₹. Rs.	₹. Rs.
vi) अन्य निवेश (वाणिज्यिक पत्रों, इंदिरा विकास पत्रों, किसान विकास पत्रों, यूटीआई यूनिटों, और अन्य म्यूच्युअल फंड, पास-थ्रू प्रमाण पत्र आदि में)	vi) Other Investments (Commercial Papers, I.V.P., KVP, Units of UTI & Other Mutual Funds, Pass Through Certificates etc.)	31450462		15470229	
		<u>486017806</u>		<u>403141506</u>	
II भारत के बाहर निवेश (सकल)	II Investments Outside India (Gross)	42058260		36566531	
घटाये : मूल्यहास के लिए प्रावधान	Less: Provision for Depreciation	<u>3617308</u>		<u>1007359</u>	
भारत के बाहर शुद्ध निवेश	Net Investments Outside India		38440952		35559172
अलग-अलग विवरण	B R E A K - U P				
I सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)	I Government Securities (Including Local Authorities)	7142785		7138147	
II विदेशों में अनुषंगियां और / या संयुक्त उद्यम	II Subsidiaries and/or joint ventures abroad	2844357		2282161	
III अन्य निवेश (डिबेंचर, बांड आदि)	III Other Investments (Debentures, Bonds etc.)	<u>28453810</u>		<u>26138864</u>	
		<u>38440952</u>		<u>35559172</u>	
जोड़ (I और II)	TOTAL (I and II)		<u>524458758</u>		<u>438700678</u>
अनुसूची-9 अग्रिम	SCHEDULE - 9 ADVANCES				
क. i) खरीदे और भुनाए गए बिल	A. i) Bills Purchased and Discounted		13948,38,31		8851,84,40
ii) नकद ऋण, ओवर ड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans Repayable on Demand		66814,64,74		48264,87,12
iii) मीयादी ऋण	iii) Term Loans		63222,86,56		49584,60,89
जोड़	TOTAL		<u>143985,89,61</u>		<u>106701,32,41</u>
ख. i) मूर्त आस्तियों द्वारा संरक्षित (बही-ऋण की एवज में अग्रिमों सहित)	B. i) Secured by Tangible Assets (includes advances against Book Debts)	94141,23,68		71088,83,56	
ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित	ii) Covered by Bank/ Government Guarantees	16143,47,59		7597,78,20	
iii) गैर-जमानती	iii) Unsecured	33701,18,34		28014,70,65	
जोड़	TOTAL	<u>143985,89,61</u>		<u>106701,32,41</u>	
ग. I भारत में अग्रिम	C. I Advances in India				
i प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i Priority Sector	38250,04,61		29474,54,36	
ii सार्वजनिक क्षेत्र	ii Public Sector	22347,68,17		13527,32,14	
iii बैंक	iii Banks	49,14,12		1644,21,99	
iv अन्य	iv Others	<u>48636,12,93</u>	109282,99,83	<u>39857,22,10</u>	84503,30,59
II भारत से बाहर अग्रिम	II Advances Outside India				
i बैंकों से प्राप्य	i Due from Banks	176,00,20		451,14,47	
ii अन्य से प्राप्य	ii Due from Others				
क) खरीदे और भुनाए गए बिल	a) Bills Purchased & Discounted	11346,72,05		6297,84,26	
ख) समूह ऋण	b) Syndicated Loans	7734,38,85		6140,69,85	
ग) अन्य	c) Others	<u>15445,78,68</u>	<u>34702,89,78</u>	<u>9308,33,24</u>	<u>22198,01,82</u>
जोड़ ग (I और II)	TOTAL C (I & II)		<u>143985,89,61</u>		<u>106701,32,41</u>

(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2009 को As on 31st Mar, 2009		31 मार्च, 2008 को As on 31st Mar, 2008	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची-10	SCHEDULE - 10				
अचल आस्तियां	FIXED ASSETS				
I परिसर	I Premises				
पिछले वर्ष के 31 मार्च को लागत/ पुनर्मूल्यांकित राशि पर	At cost/revalued amount as on 31st March of the preceding year	2373,53,76		960,21,66	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Additions/adjustments during the Year	45,29,13		1417,50,02	
		2418,82,89		2377,71,68	
अवधि के दौरान कटौतियां/समायोजन	Deductions/adjustments during the period	3,79,14		4,17,92	
		2415,03,75		2373,53,76	
घटाएँ: आज की तारीख पर मूल्यहास/परिशोधन (पुनर्मूल्यांकित राशि सहित)	Less:- Depreciation/ Amortisation to date (including on revalued amount)	460,23,26	1954,80,49	374,32,72	1999,21,04
II अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्सचर को मिलाकर)	II Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures) :				
पिछले वर्ष के 31 मार्च को लागत / मूल्यांकित राशि पर	At cost/valued amount as on 31st March of the preceding year	1413,60,71		1270,44,52	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Additions/adjustments during the Year	162,53,47		253,29,18	
		1576,14,18		1523,73,70	
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौतियां/ समायोजन	Less:- Deductions/ adjustments during the Year	37,04,90		110,12,99	
		1539,09,28		1413,60,71	
घटाएँ: आज की तारीख तक मूल्यहास	Less:- Depreciation to date	1184,17,84	354,91,44	985,80,94	427,79,77
III पट्टे पर दी गयी आस्तियां (अनुषंगी इकाई बंद करने पर अधिग्रहीत)	III Assets given on Lease (Acquired on winding up of a subsidiary)				
पिछले वर्ष के 31 मार्च की लागत / मूल्यांकित राशि पर	At cost/valued amount as on 31st March of the preceding year	13,95,89		13,95,89	
घटाएँ : आज की तारीख तक मूल्यहास	Less:- Depreciation to date	13,95,89	-	13,95,89	-
जोड़ (I से III)	TOTAL (I to III)		<u>2309,71,93</u>		<u>2427,00,81</u>

(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2009 को As on 31st Mar, 2009		31 मार्च, 2008 को As on 31st Mar, 2008	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची -11	SCHEDULE - 11				
अन्य आस्तियां	OTHER ASSETS				
I अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	I Inter-Office Adjustments (Net)		-		653,87,57
II उपचित ब्याज	II Interest Accrued		1736,53,51		1613,24,15
III अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर कर कटौती (प्रावधानों का शुद्ध)	III Tax paid in advance/tax deducted at source (net of provisions)		969,34,12		762,82,24
IV लेखन सामग्री और स्टाम्प	IV Stationery & Stamps		6,95,09		8,03,97
V अन्य	V Others		1865,29,00		1263,85,02
जोड़ (I से V)	TOTAL (I to V)		4578,11,72		4301,82,95
अनुसूची -12	SCHEDULE - 12				
आकस्मिक देयताएं	CONTINGENT LIABILITIES				
I बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया	I Claims against the Bank not acknowledged as Debts		1297,35,88		1233,29,20
II आंशिक चुकता निवेशों के लिये देयता	II Liability for partly paid Investments		19,63,09		207,49,98
III बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	III Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts		48186,85,96		56492,49,48
IV ग्राहकों की ओर से दी गयी गारंटियां:	IV Guarantees given on behalf of Constituents :				
क) भारत में	a) In India	6323,01,56		4768,26,79	
ख) भारत से बाहर	b) Outside India	3072,36,91	9395,38,47	2024,92,62	6793,19,41
V स्वीकृतियां, परांकन एवं अन्य दायित्व	V Acceptances, Endorsements and Other Obligations		8620,64,58		6790,49,40
VI अन्य मदें, जिनके लिए बैंक की आकस्मिक देयता हैं,	VI Other items for which the Bank is Contingently liable		5866,21,85		10845,35,36
जोड़ (I से VI)	TOTAL (I to VI)		73386,09,83		82362,32,83

लाभ हानि लेखे की अनुसूचियां
Schedules to Profit & Loss Account

(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2009 को Year ended 31st Mar, 2009		31 मार्च, 2008 को Year ended 31st Mar, 2008	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची-13	SCHEDULE - 13				
अर्जित ब्याज	INTEREST EARNED				
I अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	I Interest / Discount on Advances / Bills		11197,35,64		8412,97,27
II निवेशों पर आय	II Income on Investments		3310,66,69		2737,29,20
III भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष रकम और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	III Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds		401,45,94		553,66,22
IV अन्य	IV Others		182,09,47		109,54,98
जोड़ (I से IV)	TOTAL (I to IV)		<u>15091,57,74</u>		<u>11813,47,67</u>
अनुसूची -14	SCHEDULE - 14				
अन्य आय	OTHER INCOME				
I कमीशन, विनिमय शुल्क और दलाली	I Commission, Exchange and Brokerage		745,50,36		540,16,78
II निवेशों के विक्रय पर लाभ	II Profit on sale of Investments	919,76,71		550,64,52	
घटाएं : निवेशों की बिक्री पर हानि	Less: Loss on sale of Investments	<u>19,62,27</u>	900,14,44	<u>18,44,41</u>	532,20,11
III भूमि, इमारतों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ	III Profit on sale of Land, Buildings and Other Assets	1,31,68		1,37,37	
घटाएं : भूमि इमारतों और अन्य आस्तियों की बिक्री पर हानि	Less: Loss on sale of Land, Buildings and Other Assets	<u>1,36,07</u>	-439	<u>1,00,75</u>	36,62
IV विनिमय लेन-देन पर लाभ	IV Profit on Exchange Transactions	375,54,22		280,12,93	
घटाएं : विनिमय लेन-देन पर हानि	Less: Loss on Exchange Transactions	<u>3,15,32</u>	372,38,90	<u>1,34,16</u>	278,78,77
V विदेशों/भारत में अनुषंगी इकाइयों कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय	V Income Earned by way of Dividends etc. from Subsidiaries/Companies and/or Joint Ventures abroad/ in India		32,22,41		10,93,81
VI विविध आय	VI Miscellaneous Income		707,44,08		688,57,52
जोड़ (I से VI)	TOTAL (I to VI)		<u>2757,65,80</u>		<u>2051,03,61</u>

(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2009 को Year ended 31st Mar, 2009		31 मार्च, 2008 को Year ended 31st Mar, 2008	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची-15	SCHEDULE - 15				
खर्च किया गया ब्याज	INTEREST EXPENDED				
I जमाराशियों पर ब्याज	I Interest on Deposits		9187,50,48		7404,36,56
II भारतीय रिज़र्व बैंक/ अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	II Interest on Reserve Bank of India / Inter Bank Borrowings		292,33,83		105,64,22
III अन्य	III Others		488,32,45		391,66,28
जोड़(I से III)	TOTAL (I to III)		<u>9968,16,76</u>		<u>7901,67,06</u>
अनुसूची-16	SCHEDULE - 16				
परिचालन व्यय	OPERATING EXPENSES				
I कर्मचारियों को भुगतान और तत्संबंधी प्रावधान	I Payments to and Provisions for Employees		2348,13,33		1903,76,40
II किराया, कर और बिजली	II Rent, Taxes and Lighting		260,79,22		225,33,54
III छपाई और लेखन सामग्री	III Printing and Stationery		26,66,49		22,05,26
IV विज्ञापन एवं प्रचार	IV Advertisement and Publicity		39,96,92		33,17,86
V बैंक की सम्पत्ति पर मूल्यहास	V Depreciation on Bank's Property	302,91,00		307,07,65	
घटायें : अचल सम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के कारण प्रारक्षित पूंजी से समायोजित मूल्यहास	Less Depreciation adjusted from capital reserve on account of revaluation of immovable properties	72,40,75	230,50,25	75,08,01	231,99,64
VI निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्च	VI Directors' Fees, Allowances and Expenses		1,04,49		77,90
VII लेखा परीक्षकों की फीस और खर्च (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस एवं खर्च सहित)	VII Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors' Fees and Expenses)		31,08,61		23,52,09
VIII विधि प्रभार	VIII Law Charges		13,48,56		12,84,72
IX डाक, तार और टेलीफोन आदि	IX Postages, Telegrams, Telephones etc.		43,38,68		48,58,80
X मरम्मत और रखरखाव	X Repairs and Maintenance		104,81,32		58,86,87
XI बीमा	XI Insurance		139,82,88		115,42,15
XII अन्य खर्च	XII Other Expenditure		336,35,42		357,93,98
जोड़ (I से XII)	TOTAL (I to XII)		<u>3576,06,17</u>		<u>3034,29,21</u>



THE PRESENT IS PAST. AND THE FUTURE IS PRESENT.

Baroda Next: State-of-the-art, straight from the heart. Presenting tomorrow's technology today.

Baroda Next. Two humble words. Juxtaposed to each other. Brimming forth with possibilities. Answers. Solutions.

After all, it is not often that technology comes with a heart. Which means while our facilities are state-of-the-art in every way, you'll still be served by caring employees.

State-of-the-art, straight from the heart, that's what we call it. Over the last 100 years, Bank of Baroda has truly become India's International Bank.

We have innovated. Set examples. Baroda Next is another such initiative.

But don't just go by our words.

Experiencing is believing, after all. Come, get a feel of our anytime, anywhere banking, online fund transfer, ATM banking, Internet banking, RTGS/NEFT and phone banking.

BARODA next
STATE-OF-THE-ART. STRAIGHT FROM THE HEART.



**IN INDIA, LANGUAGES CHANGE
EVERY 400 MILES. THANKFULLY
YOUR BANK WON'T.**

USE YOUR CBS ACCOUNT FROM 1950+ BRANCHES.

Gone are the days of restricting your transactions to one branch only. New age banking should translate into anytime, anywhere banking. Because what good is **BARODA next**, if your banking needs cannot be fulfilled anywhere and anytime?

Toll Free No.: 1-800-22-4447
www.bankofbaroda.com

BARODA next
STATE-OF-THE-ART. STRAIGHT FROM THE HEART.

अनुसूची-17 : वर्ष 2008-2009 की उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां Schedule - 17 Significant Accounting Policies For The Year 2008-2009

1. तैयारी का आधार :

वित्तीय विवरणियां, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो, परम्परागत लागत आधार पर तैयार की गई हैं। ये भारत में सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांत के अनुसार हैं जिनमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक/मार्गदर्शी नोट्स तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित कार्यप्रणाली समाविष्ट हैं। विदेशी कार्यालयों के संदर्भ में संबंधित देशों के प्रचलित सांविधिक प्रावधानों और कार्यप्रणाली का अनुपालन किया गया है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में वित्तीय विवरण की तारीख को रिपोर्ट की गई आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्ट की गई अवधि हेतु आय एवं व्यय संबंधी राशि को रिपोर्ट करने हेतु प्रबंधन को कतिपय अनुमानों और आकलनों का सहारा लेना पड़ा है। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिए प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और उचित हैं।

2. विदेशी मुद्रा संव्यवहार :

2.1 विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित संव्यवहारों को "विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के परिवर्तन के प्रभाव" से संबंधित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखामानक (एस) 11 के अनुरूप किया गया है।

2.2 लेखा मानक - एस-11 के अनुसार बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को (क) एकीकृत परिचालनों एवं (ख) पृथक परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सभी विदेशी शाखाओं, ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों, विदेशी अनुषंगियों को पृथक परिचालन एवं विदेशी मुद्रों में घरेलू परिचालनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन के रूप में समझा जाता है।

2.3 एकीकृत परिचालनों के संबंध में अंतरण :

(क) संव्यवहारों को प्राथमिक तौर पर भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा सूचित की गई औसत साप्ताहिक दरों पर रिकार्ड किया गया है।

(ख) विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई क्लोजिंग स्पॉट दरों पर रिकार्ड किया गया है।

(ग) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना आय अथवा व्यय के रूप में की गई है तथा इसे तदनुसार लाभ हानि खाते में विनियोजित किया गया है। विदेशी मुद्रा आस्ति देयताओं संबंधी किसी भी भुगतान अथवा रिवर्सल को अगले सप्ताह की औसत क्लोजिंग दरों के आधार पर किया जाएगा तथा बकाया राशि एवं उस राशि, जिसके लिए भुगतान किया गया है/रिवर्सल किया गया है, के बीच के अंतर को लाभ हानि खाते में दर्शाया गया है।

2.4 पृथक परिचालनों के संबंध में अंतरण :

(क) आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई

1. Basis of Preparation:

The financial statements have been prepared under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards / guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions/ Accounting standards/principles and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

2. Foreign Currency Transactions:

2.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard (AS) 11, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

2.2 As stipulated in AS-11, the foreign currency operations of the Bank are classified as a) Integral Operations and b) Non Integral Operations. All Overseas Branches, Offshore Banking Units, Overseas Subsidiaries are treated as Non Integral Operations and domestic operations in foreign exchange and Representative Offices are treated as Integral Operations.

2.3 Translation in respect of Integral Operations:

a) The transactions are initially recorded on weekly average rate as advised by FEDAI.

b) Foreign Currency Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

c) The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit & Loss Account. Any reversals / payment of foreign currency assets & liabilities is done at the weekly average closing rate of the preceding week and the difference between the outstanding figure and the amount for which reversal / payment is made, is reflected in Profit and Loss Account.

2.4 Translation in respect of Non Integral Operations:

a) Assets and Liabilities (including contingent

द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई क्लोजिंग स्पॉट दरों पर अंतरित किया गया है।

- (ख) आमदनी एवं खर्चों को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई औसत तिमाही दरों पर अंतरित किया गया है।
- (ग) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना उस अवधि के लिए आय अथवा व्यय के रूप में नहीं की जाती है तथा इसे शुद्ध निवेशों के निस्तारण होने तक अलग से एक खाते "विदेशी मुद्रा अंतरण निधि" में रखा जाता है।

2.5 वायदा विनिमय करार

लेखामानक (एस-11 तथा भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) के दिशानिर्देशानुसार संविदा के अवशिष्ट परिपक्वता के लिए तदनुसूची वायदा दरों पर तुलन पत्र की तिथि को प्रत्येक मुद्रा में बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया है। पुनर्मूल्यांकित राशि तथा संविदा राशि के बीच के अंतर को यथास्थिति लाभ या हानि के रूप में रखा गया है।

3. निवेश :

- 3.1 बैंक के संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप निम्नानुसार किया गया है, जिसमें
- (क) "परिपक्वता तक धारित" में वे निवेश शामिल हैं जिन्हें परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है।
- (ख) "व्यापार हेतु धारित" में वे निवेश शामिल हैं, जिन्हें व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है।
- (ग) "बिक्री हेतु उपलब्ध" में वे निवेश शामिल हैं, जो उपरोक्त (क) तथा (ख) में शामिल नहीं हैं, अर्थात् जो न तो व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं और न ही परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं।
- 3.2 "परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत निवेशों को अर्जित लागत पर लिया गया है, बशर्ते वह अंकित मूल्य से अधिक हो, इस स्थिति में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक परिशोधित किया गया है।

"परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत निवेशों में ऐसे डिबेंचर/बांड शामिल हैं जिन्हें स्वरूप/प्रकृति की दृष्टि से अग्रिम माना जाएगा तथा जिनके लिए आर्स्टि वर्गीकरण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड तथा अग्रिमों पर लागू प्रावधान एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स, इंदिरा विकास-पत्र, किसान विकास पत्र और जमा प्रमाण-पत्र पर किए गए निवेश हेतु प्रावधान किया गया है और जिनके मूल्य का निर्धारण रखाव लागत पर किया जाएगा।

संयुक्त उद्यमों तथा अनुषंगियों में (भारत तथा विदेशों दोनों में), अस्थायी प्रकार के निवेशों को छोड़कर निवेशों का मूल्यांकन हास मूल्य को घटाकर अधिग्रहण लागत पर किया गया है।

23.08.2006 के पश्चात वीसीएफ की इकाइयों में बैंक के निवेश को प्रारंभिक 3 वर्षों की अवधि के लिए एचटीएम संवर्ग में वर्गीकृत किया गया था तथा लागत पर मूल्य रखा गया था। संवितण की तारीख से 3 वर्ष पश्चात, इन्हें एएफएस में शिफ्ट कर दिया गया तथा मानदण्डों

liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

- b) Income and Expense are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.
- c) The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.

2.5 Forward Exchange Contracts

In accordance with the guidelines of FEDAI and the provisions of AS-11, outstanding forward exchange contracts in each currency are revalued at the Balance Sheet date at the corresponding forward rates for the residual maturity of the contract. The difference between revalued amount and the contracted amount is recognised as profit or loss, as the case may be.

3. Investments:

- 3.1 The Investment portfolio of the Bank is classified, in accordance with the Reserve Bank of India guidelines, into:
- a. "Held to Maturity" comprising Investments acquired with the intention to hold them till maturity.
- b. "Held for Trading" comprising Investments acquired with the intention to trade.
- c. "Available for Sale" comprising Investments not covered by (a) and (b) above i.e. those which are acquired neither for trading purposes nor for being held till maturity.
- 3.2 Investments classified as "Held to Maturity" are carried at weighted average acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity.

Investments classified as "Held to Maturity" includes debentures / bonds which are deemed to be in the nature of / treated as advances (for which provision is made by applying the Reserve Bank of India prudential norms of assets classification and provisioning applicable to Advances), Investments in Regional Rural Banks, Treasury Bills, Commercial Papers, Indira Vikas Patras, Kisan Vikas Patras and Certificates of Deposit which have been valued at carrying cost.

Investments in subsidiaries and joint ventures (both in India and abroad) are valued at acquisition cost less diminution, other than temporary in nature

Bank's investments in units of VCFs made after 23.08.2006 will be classified under HTM category for initial period of three years and are valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-

- के अनुसार बाजार मूल्य को वहीं में अंकित किया गया है।
- 3.3 "परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत किए गए निवेशों की बिक्री पर लाभ/हानि, निवेश से संबंधित भारित औसत लागत/बही मूल्य के आधार पर लाभ/हानि लेखे में लिया जाता है तथा "परिपक्वता तक धारित" वर्गीकरण में निवेश की बिक्री पर समतुल्य लाभ (शुद्ध कर एवं सांविधिक निधि) के समान राशि पूंजीगत प्रारक्षित खाते में समायोजित की गई है।
- 3.4 "व्यापार के लिए धारित" एवं "बिक्री के लिए उपलब्ध" के रूप में वर्गीकृत निवेश बाजार रिक्रपवार चिन्हित किया जाता है और तुलन पत्र में घोषित परिणामी शुद्ध मूल्यहास यदि कोई हो, को "लाभ हानि खाते" के हिसाब में लिया जाता है, जबकि यदि कोई मूल्य वृद्धि हो तो उसे छोड़ दिया जाता है।
एचएफटी संवर्ग के तहत ट्रेजरी बिलों में पीडी द्वारा किया गया निवेश को घोषित एफआईएमडीए मूल्यों के आधार पर तिमाही आधार पर बाजार मूल्य को बही में अंकित किया गया है तथा शुद्ध डेप्रिेशिएशन, यदि कोई है तो, उसे लाभ तथा हानि खाते में दर्शाया गया है जबकि शुद्ध एप्रिशिएशन, यदि कोई है तो, नजर अंदाज कर दिया गया है।
- 3.5 गैर-निष्पादित प्रतिभूतियों के संबंध में आय को मान्यता नहीं दी गई है और इन प्रतिभूतियों के मूल्य में मूल्यहास के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार उपयुक्त प्रावधान किया गया है।
- 3.6 निवेश अधिग्रहण लागत प्राप्त प्रोत्साहनों तथा फ्रंट एंड फी और कमीशन का निवल है।
- 3.7 "व्यापार के लिए धारित" तथा "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी के निवेशों के मूल्यांकन के लिए बाजार स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत दरें, प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीडीएआई)/फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमडीए) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया गया है।
जिन निवेशों के लिए ऐसी दरें/उद्धृत दरें उपलब्ध नहीं हैं, उनका मूल्यन भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया गया है, जो निम्नानुसार हैं :-
- क) "परिपक्वता प्रतिफल" के आधार पर सरकारी/अनुमोदित प्रतिभूतियां
- ख) इक्विटी शेयरों, पीएसयू और ट्रस्टी शेयरों को अद्यतन तुलन-पत्र (12 माह से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार बही मूल्य पर अन्यथा रु.1/- प्रति कंपनी.
- ग) अधिमान शेयरों को "परिपक्वता के प्रतिफल" के आधार पर
- घ) पीएसयू बांडों को समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क अप के साथ परिपक्वता के प्रतिफल के आधार पर.
- इ) म्यूच्युअल फंड की यूनितें, फंड द्वारा प्रत्येक स्कीम के संबंध में घोषित अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य/एन.ए.वी. पर
- च) उद्यम पूंजी - लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार घोषित एनएवी या अलग-अलग एनएवी जो कि 18 माह से ज्यादा पुरानी न हो, यदि लगातार 18 माह से अधिक के एनएवी या लेखापरीक्षित वित्तीय आंकड़े उपलब्ध न हो तो प्रति उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) - 1/- रु.
- 3.8 निवेश उधार दी गई प्रतिभूतियों का निवल है और उसमें रिपो व्यवस्था
- to-market as per norms.
- 3.3 Profit / Loss on sale of Investments classified as "Held to Maturity" is recognized in the Profit & Loss Account based on the weighted average cost / book value of the related Investments and an amount equivalent of profit (Net of taxes and statutory reserve) on sale of Investments in "Held to Maturity" classification is appropriated to Capital Reserve Account.
- 3.4 Investments classified as "Held for Trading" and "Available for Sale" are marked to market scrip-wise and the resultant net depreciation if any, in each category disclosed in the Balance Sheet is recognized in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, is ignored.
Investments made by the PD in Treasury Bills under HFT category are to be marked-to-market on quarterly basis based on the FIMMDA prices declared and the resultant net depreciation if any, is recognized in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, is ignored.
- 3.5 In respect of non-performing securities, income is not recognised, and provision is made for depreciation in the value of such securities as per Reserve Bank of India guidelines.
- 3.6 Cost of acquisition of Investments is net of incentives, front-end fees and commission.
- 3.7 For the purpose of valuation of quoted investments in "Held for Trading" and "Available for Sale" categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) / Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA) are used.
Investments for which such rates / quotes are not available are valued as per norms laid down by Reserve Bank of India, which are as under:
- a Government / Approved securities - on Yield to Maturity basis.
- b Equity Shares, PSU and Trustee shares - at book value as per the latest Balance Sheet (not more than 12 months old), otherwise Re.1 per company.
- c Preference Shares- on Yield to Maturity basis.
- d PSU Bonds - on Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up.
- e Units of Mutual Funds - at the latest repurchase price / NAV declared by the Fund in respect of each scheme.
- f Venture Capital - Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re. 1/- per VCF.
- 3.8 Investments are net of securities lent and include

के अंतर्गत उधार ली गई प्रतिभूतियां शामिल हैं।

3.9 विदेशी शाखाओं के संबंध में, भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा उस देश के दिशा-निर्देशों को, जो भी ज्यादा सख्त हो, का पालन किया गया है। विदेशों में स्थित उन शाखाओं के मामले में जहां पर दिशा-निर्देश विनिर्दिष्ट नहीं हैं, वहां भा. रि. बैंक के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है।

3.10 इन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों के अंतरण की गणना, अंतरण की तारीख को उसकी अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, पर की जाती है और ऐसे अंतरण के फलस्वरूप आए मूल्यहास, यदि कोई है, के लिए प्रावधान किया जाता है।

3.11 पुनःखरीद/प्रत्यावर्तित पुनः खरीद
बैंक ने पुनः खरीद तथा प्रत्यावर्तित पुनः खरीद लेनदेनों को लेखांकित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बताई गई एक समान लेखा प्रणाली को अपनाया है। (भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलविधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत हुए लेनदेनों को छोड़कर)। तदनुसार, पुनःखरीद/प्रत्यावर्तित पुनः खरीद के अंतर्गत खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियों को एकमुश्त क्रय/विक्रय के रूप में माना जाता है तथा पुनः खरीद/प्रत्यावर्तित पुनः खरीद के अंतर्गत खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियों को एकमुश्त क्रय/विक्रय के रूप में माना जाता है तथा पुनः खरीद/प्रत्यावर्तित पुनः खरीद खातों में लेखांकित किया जाता है तथा सारी प्रविष्टियां परिपक्वता तिथि को रिवर्स कर दी जाती हैं। यथास्थिति अनुसार लागत तथा राजस्व की गणना ब्याज व्यय/आय के हिसाब से की गई। पुनः खरीद/प्रत्यावर्तित पुनः खरीद खाते में बैलेंस को निवेश खाते में बैलेंस के पेटे समायोजित किया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियां निवेश खाते में नामे/जमा की जाती हैं और संव्यवहार की परिपक्वता पर प्रत्यावर्तित की जाती हैं। खर्च किये ब्याज/उस पर अर्जित आय को व्यय/राजस्व के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

3.12 डेरिवेटिव्स :

बैंक वर्तमान में ब्याज दरों तथा मुद्रा डेरिवेटिव्स में डील करता है। बैंक द्वारा व्यवहारित ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज-दर स्वेप तथा फारवर्ड रेट एग्रीमेंट्स शामिल हैं। बैंक द्वारा व्यवहार में लाये जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स में ऑप्शन तथा मुद्रा स्वेप्स हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के आधार पर, डेरिवेटिव्स का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है :

व्यवस्था बचाव/गैर व्यवस्था बचाव (मार्केट मेकिंग) संव्यवहार अलग-अलग रिकार्ड किये जाते हैं। व्यवस्था बचाव डेरिवेटिव्स ठीक-ठीक आधार पर लेखांकित किये जाते हैं। ट्रेडिंग डेरिवेटिव पोजिशनस मार्केट टू मार्केट (एमटीएम) हैं तथा किसी भी प्रकार की हानि, लाभ-हानि खाते में दर्ज की जाती है। किसी भी प्रकार का लाभ दर्ज नहीं होता। ब्याज दर स्वैप से संबंधित आय तथा व्यय समझौता तिथि को दर्ज होता है। ट्रेडिंग स्वैप्स का समाप्ति पर लाभ/हानि समाप्ति तिथि पर आय/व्यय के रूप में दर्ज की जाती है।

4. ब्याज दर स्वैप्स :

4.1 हेजिंग के लिए ब्याज दर स्वैप कारोबारों को उपचित आधार पर

securities borrowed under Repo arrangements.

3.9 In respect of Investments at Overseas Branches, Reserve Bank of India guidelines or those of the host countries, whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of the Reserve Bank of India are followed.

3.10 The transfer of a security between these categories is accounted for at the acquisition cost / book value / market value on the date of transfer, whichever is the least, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

3.11 REPO / Reverse REPO

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of market Repo and Reverse Repo transactions [other than transactions under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI]. Accordingly, the securities sold / purchased under Repo / Reverse Repo are treated as outright sales / purchases and accounted for in the Repo / Reverse Repo Accounts and the entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be. Balance in Repo/ Reverse Repo Account is adjusted against the balance in the Investment Account.

Securities purchased/ sold under LAF with RBI are debited/ credited to Investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expended/ earned thereon is accounted for as expenditure/ revenue.

3.12 Derivatives

The Bank presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency interest rate swaps and forward rate agreements. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options and Currency swaps.

Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

The hedge / non-hedge (market making) transactions are recorded separately. Hedging derivative are accounted on an accrual basis. Trading derivative positions are marked-to-market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account. Profit, if any, is not recognized. Income and Expenditure relating to interest rate swaps are recognized on the settlement date. Gains / losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income / expenditure.

4. Interest Rate Swaps:

4.1 The interest rate swap transactions for hedging are

लेखांकित किया गया है तथा व्यापार के लिए कारोबारों को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पाक्षिक अंतरालों पर मार्केट मूल्य पर अंकित किया गया है।

- 4.2 मूल्यांकन के लिए, तुलन-पत्र की तिथि को स्वैप की वास्तविक मूल्य की उस राशि पर गणना की जाती है जो स्वैप करारों के कारोबार समाप्ति पर प्राप्य या देय होंगे, कुल होने वाली हानियों, यदि हों, के लिए पूर्णतः प्रावधान किया गया है, जबकि लाभों को छोड़ दिया गया है।

5. अग्रिम :

- 5.1 भारत में अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध या हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा इसके लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। विदेशी शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार अथवा उस देश, जिसमें अग्रिम दिए गए हैं, में विद्यमान मानदंडों में से जो भी कड़े मानदंड हों, के अनुरूप वर्गीकृत किया गया है।
- 5.2 अग्रिम, ऋणों पर हानि के प्रावधानों, उंचत ब्याज, दावा दायर किए गए एवं विविध जमा एवं दावे खाते के संबंध में रखी गयी राशि का नेट है।
- 5.3 पुनर्निधारित/पुनर्गठित खातों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार मौजूदा मूल्य शर्तों में आंके गये ब्याज हानियों के लिए प्रावधान किया गया है। उस प्रावधान को "अन्य देयतायें" शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- 5.4 आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी) /प्रतिभूतिकरण (सिक्वोरिटाइजेशन) कंपनी (एससी) को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में, यदि बिक्री शुद्ध बही मूल्य से कम मूल्य पर की गई हो तो हानि (कमी) को लाभ हानि खाते में नामे किया जाता है। यदि बिक्री मूल्य बही मूल्य से ज्यादा है तो अतिरिक्त प्रावधान राशि को रिवर्स नहीं किया जाता है बल्कि इसे अन्य गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों की बिक्री करने पर कमी/हानि को पूरा करने के लिए उपयोग में लिया जाता है।

6. अचल आस्तियां :

- 6.1 परिसर व अन्य अचल आस्तियां पुनर्मूल्यांकित परिसरों को छोड़कर, सामान्यतः परम्परागत मूल्य पर ली गयी हैं। पुनर्मूल्यांकन पर हुई मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, को पूंजीगत प्रारक्षित निधि में जमा किया गया है। ऐसी बढ़ी हुई लागत पर मूल्यहास के लिए किए गए प्रावधान की, इसमें से कटौती की जाती है।
- 6.2 परिसर में भूमि एवं निर्माणाधीन परिसरों को शामिल किया गया है।

7. प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष :

राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में प्रचलित स्थानीय कानूनों के अनुसार विदेशी शाखाओं द्वारा निर्मित सांविधिक प्रारक्षित निधियों को शामिल किया गया है।

8. राजस्व का निर्धारण :

- 8.1 आय को उपचय आधार पर जब तक कि अन्यथा अपेक्षित हो, लेखांकित किया गया है। विदेशी कार्यालयों के मामले में आय को

accounted for on accrual basis and transactions for trading are marked to market at monthly intervals in line with the Reserve Bank of India guidelines.

- 4.2 For the purpose of valuation, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the transactions of the swap agreements as on the Balance Sheet date. Losses arising therefrom, if any, are fully provided for while the profits, if any, are ignored.

5. Advances:

- 5.1 Advances in India are classified as Standard, Sub-standard, Doubtful or Loss assets and Provision for losses are made on these assets as per the Prudential Norms of the Reserve Bank of India. In respect of Advances made in overseas branches, Advances are classified in accordance with stricter of the Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India or local laws of the host country in which advances are made.
- 5.2 Advances are net of specific loan loss provisions, interest suspense, amount received and held in suit-filed Sundry Deposits and Claims Received.
- 5.3 In respect of Rescheduled / Restructured accounts, Provision is made for the sacrifice of interest measured in present value terms as per Reserve Bank of India guidelines. The said provision is included under the head 'Other Liabilities'.
- 5.4 In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitization Company (SC), if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the Profit and Loss account. If the sale value is higher than the NBV, the surplus provision is not reversed but is utilised to meet the shortfall /loss on account of Sale of other non-performing financial assets.

6. Fixed Assets:

- 6.1 Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost except those premises, which have been revalued. The appreciation on such revaluation is credited to Capital Reserve and the depreciation provided thereon is deducted therefrom.
- 6.2 Premises include building under construction and land.

7. Reserves and Surplus:

Revenue and other Reserves include Statutory Reserves created by foreign branches as per applicable local laws of the respective countries.

8. Revenue Recognition:

- 8.1 Income / expenditure is recognised on accrual basis, unless otherwise stated. In case of foreign offices, income is recognised as per the local laws

उस देश के कानून के अनुसार गिना जाएगा, जहां पर विदेशी कार्यालय स्थित है।

- 8.2 गैर निष्पादित आस्तियों तथा आय के संग्रह की अनिश्चितता की दृष्टि से, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ऐसी आय सिर्फ वसूल होने पर ही लेखांकित होती है।
- 8.3 शुल्कों से प्राप्त आय सरकारी कारोबारों को छोड़कर कमीशन, विनिमय, दलाली, खरीदे गए बिलों पर बट्टा तथा अतिदेय बिलों/अग्रिम बिलों पर ब्याज को वास्तविक वसूली पर हिसाब में लिया गया है।
- 8.4 अनुषंगियों, संयुक्त उपक्रमों तथा सहयोगी कंपनियों के शेयरों पर डिविडेंड वास्तविक प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिए जाएंगे।

9. कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ :

- 9.1 भविष्य निधि खाते में किए गए अंशदान को लाभ-हानि खाते में लिया गया है।
- 9.2 मान्यता प्राप्त ग्रेच्युटी फंड में तथा पेंशन फंड में अंशदान और संचित अवकाशों के नकदीकरण एवं अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभों के प्रावधानों को उपचित आधार पर लेखांकित किया गया है तथा उन्हें लाभ हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

10. मूल्यहास :

- 10.1 कंप्यूटर एवं ए टी एम को छोड़कर, अचल आस्तियों पर मूल्यहास, कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर मूल्यहासित बही-मूल्य पद्धति के अंतर्गत प्रदान किया गया है।
- 10.2 भारत से बाहर अचल आस्तियों पर, कंप्यूटर के अलावा मूल्यहास स्थानीय कानूनों या संबंधित देश में प्रचलित परम्पराओं के अनुसार किया गया है।
- 10.3 कंप्यूटरों पर मूल्यहास भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्ट्रेट लाइन विधि से 33.33% की दर से प्रदान किया गया है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर का अनिवार्य अंग नहीं है, का मूल्यहास खरीद वर्ष के दौरान ही कर दिया गया है।
- 10.4 एटीएम पर मूल्यहास स्ट्रेट लाइन पद्धति से 20% दर से प्रदान किया गया है।
- 10.5 परिवर्द्धनों पर मूल्यहास का संपूर्ण वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है जबकि बिक्री/निपटान के वर्ष में मूल्यहास का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- 10.6 पट्टे पर धारित जमीन की लागत पट्टा अवधि में चुकता (एमोर्टाईज) की जाती है।

11. आस्तियों का अनर्जन :

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर अनर्जक हानियों (यदि कोई हो) को आस्तियों के अनर्जन के संबंध में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 28 ("आस्तियों का अनर्जन") के अनुसार मान्य किया गया है।

12. आय पर कर :

इसमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) के लेखांकन मानदंड 22 के अनुसार निर्धारित (सम्बद्ध अवधि के लिए लेखा आय तथा कर योग्य आय के बीच भिन्नता से करों के प्रभाव को दर्शाते हुए) आयकर के लिए प्रावधान, फ्रिज बेनिफिट कर एवं आस्थगित कर अथवा क्रेडिट शामिल हैं।

of the country in which the respective foreign office is located.

- 8.2 In view of uncertainty of collection of income in cases of Non-performing Assets / Investments, such income is accounted for only on realisation in terms of the RBI guidelines.
- 8.3 Income from Fees, Commission other than on Government business, Commission on Guarantees, Exchange, Brokerage, Interest on Overdue Bills / Advance Bills are accounted on actual realisation.
- 8.4 Dividend on shares of Subsidiaries, joint ventures and associates are accounted on actual realisation basis.

9. Retirement Benefits to Employees:

- 9.1 Contribution to the Provident Fund is charged to Profit and Loss account.
- 9.2 Contribution to recognised Gratuity Fund and Pension Fund and the provision for encashment of accumulated leave and additional retirement benefits are made on actuarial basis and charged to Profit and Loss Account. .

10. Depreciation:

- 10.1 Depreciation on Fixed Assets in India except Computers and ATMs, is provided under the written down value basis at the rates prescribed in Schedule XIV to the Companies Act, 1956.
- 10.2 Depreciation on Fixed Assets outside India except Computers is provided as per local laws or prevailing practices of the respective countries.
- 10.3 Depreciation on Computers is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33%, as per the guidelines of Reserve Bank of India. Computer software not forming an integral part of hardware is depreciated fully during the year of purchase.
- 10.4 Depreciation on ATMs is provided on Straight Line Method at the rate of 20%.
- 10.5 While depreciation on additions is provided for full year, no depreciation is provided in the year of sale / disposal.
- 10.6 Cost of leasehold land is amortised over the period of lease.

11. Impairment of Assets:

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised in accordance with the Accounting Standard-28 ("Impairment of Assets") issued by the Institute of Chartered Accountants of India and charged off to Profit and Loss Account.

12. Taxes on Income:

This comprise of provision for Income tax, fringe benefit tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with Accounting Standard 22 of ICAI.

आस्थगित कर के लिए प्रावधान को, आमदनी एवं खर्च की उन मदों के संबंध में, जो किसी एक अवधि में निर्धारित होती है और जो एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में प्रत्यावर्तन योग्य हैं, विवेकपूर्ण नीति के अध्यक्षीन हिसाब में लिया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं पर कर की गणना अधिनियमित कर दरों पर उन वर्षों की अपेक्षित दरों पर की जाती है जिन वर्षों में इनकी प्राप्ति, रिवर्सल अथवा निस्तारण की संभावना होती है। आस्थगित कर देयताओं एवं आस्तियों पर कर की दरों में परिवर्तन के प्रभाव को उस अवधि की आय विवरणी, जिसमें ऐसे परिवर्तन को अधिनियमित किया गया हो, में हिसाब में लिया जाता है।

13. प्रति शेयर अर्जन :

बैंक द्वारा अपने बेसिक एवं डाइल्यूटेड प्रति इक्विटी शेयर अर्जन को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के इस संबंध में जारी लेखा मानक 20 के अनुसार रिपोर्ट किया जाता है। बेसिक प्रति शेयर अर्जन की गणना शुद्ध आय को उस अवधि के लिए बकाया भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित कर की जाती है। डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की गणना शुद्ध आय को उस अवधि के लिए बकाया भारित औसत इक्विटी शेयरों एवं उस अवधि के दौरान डाइल्यूटेड इक्विटी शेयरों की संख्या में से गणना कर दी गई है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां :

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के इस संबंध में जारी लेखा मानक 29 (आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान) के अनुसार बैंक द्वारा आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान विगत में हुई किसी घटना के लिए उत्पन्न हुए वर्तमान दायित्व के लिए किया जाता है। यह संभव है कि इस दायित्व के निस्तारण के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता हो और तब इस दायित्व हेतु राशि का विश्वसनीय मूल्यांकन किया जा सके।

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरण में हिसाब में नहीं लिया जाता है, क्योंकि इससे प्राप्त होने वाली आय की वसूली कभी भी संभव नहीं हो सकती है।

Deferred tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and liabilities are measured using enacted tax rates expected to apply to taxable income in the years in which the timing differences are expected to be received, settled or reversed. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognised in the income statement in the period of enactment of the change.

13. Earnings Per Share:

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the Accounting Standard 20 ("Earnings Per Share") issued in this regard by the Institute of Chartered Accountants of India. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share has been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

14. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

As per Accounting Standard 29 ("Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets") issued in this regard by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

अनुसूची-18 लेखों पर टिप्पणियां
Schedule –18 Notes on Accounts
क. भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार प्रकटीकरण
A. Disclosure in terms of RBI requirements
1. पूंजी
1. Capital

मद	Items	चालू वर्ष Current Year		पिछला वर्ष Previous Year	
		बेसल I Basel I	बेसल II Basel II	बेसल I Basel I	बेसल II Basel II
i) सी आर ए आर (%)	i) CRAR (%)	12.88%	14.05%	12.91%	12.94%
ii) सी आर ए आर - टियर I पूंजी (%)	ii) CRAR - Tier I Capital (%)	7.79%	8.49%	7.63%	7.64%
iii) सी आर ए आर - टियर II पूंजी (%)	iii) CRAR - Tier II Capital (%)	5.09%	5.56%	5.28%	5.30%
iv) बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	iv) Percentage of the shareholding of the Government of India in bank	53.81%	53.81%	53.81%	53.81%
v) टियर II पूंजी के रूप में ली गई गौण पूंजी (वर्ष के दौरान)	Amount of subordinated debt raised as Tier-II capital (during the year)	Rs. 1500 Crores		Rs. 2704 Crores	

2. निवेश
2. Investments
(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

मद	Items	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(1) निवेशों का मूल्य	(1) Value of Investments		
(i) निवेशों का कुल मूल्य	(i) Gross Value of Investments		
(क) भारत में	(a) In India	49157.38	40652.49
(ख) भारत से बाहर	(b) Outside India,	4205.83	3656.65
(ii) मूल्यहास के लिए प्रावधान	(ii) Provisions for Depreciation		
(क) भारत में	(a) In India	555.60	338.34
(ख) भारत से बाहर	(b) Outside India,	361.73	100.74
(iii) निवेशों का निवल मूल्य	(iii) Net Value of Investments		
(क) भारत में	(a) In India	48601.78	40314.15
(ख) भारत से बाहर	(b) Outside India.	3844.10	3555.92
(2) निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधानों में संचलन	(2) Movement of provisions held towards depreciation on investments		
(i) आरंभिक शेष	(i) Opening balance	439.08	446.84
(ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	(ii) Add: Provisions made during the year	611.02	94.65
(iii) घटाएं : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का बटुटाकरण/पुनरांकन	(iii) Less: Write-off / write-back of excess provisions during the year	132.77	102.41
(iv) अंतिम शेष	(iv) Closing balance	917.33	439.08

2.1 रिपो संव्यवहार
2.1 Repo Transactions
(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

		वर्ष के दौरान न्यूनतम शेष Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम शेष Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत शेष Daily Average outstanding during the year	31 मार्च 2009 को As on March 31, 2009
रिपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां	Securities sold under repos	200	4500	627.74	900
रिवर्स रिपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां	Securities purchased under reverse repos	400	3000	185.69	-

2.2 गैर - एस एल आर निवेश पोर्टफोलियो

i) गैर - एस एल आर निवेशों के जारीकर्ता घटक

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

सं. No.	जारीकर्ता Issuer	राशि Amount	निजी प्लेसमेंट की सीमा Extent of Private Placement	निवेश ग्रेड के नीचे प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' Securities	गैर मूल्यांकित प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unrated' Securities	असूचीबद्ध प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	पीएसयू	1393.12	795.72	67.07	8.31	54.90
(ii)	एफआई	1589.40	913.04	78.47	0.00	111.64
(iii)	बैंक	3640.03	1473.79	125.46	16.23	319.40
(iv)	निजी निगम	1036.10	363.09	103.94	108.79	199.73
(v)	अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम	*1019.72	1019.72	0.00	0.00	311.74
(vi)	अन्य	#3598.08	10.14	120.00	781.65	1303.96
(vii)	मूल्यहास संबंधित प्रावधान	-909.67	-0.71	-11.75	-29.37	-40.17
	कुल	11366.78	4574.79	483.19	885.61	2261.20

विदेशी अनुषंगियों में रु.284.44 करोड़ का निवेश शामिल है
भारत सरकार नॉन एसएलआर ऑईल बॉन्ड में 20.41 करोड़ का
निवेश शामिल है

* Includes Investments in Overseas subsidiary of Rs. 284.44 Crores.

Includes Investments in GOI NON SLR Oil Bond Rs. 20.41 Crores.

ii) नॉन-परफॉर्मिंग-नॉन-एल एल आर निवेश

ii) Non-performing Non-SLR investments

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current year	पिछला वर्ष Previous year
आरंभिक शेष	Opening balance	174.78	186.00
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year since 1st April	1.23	9.39
उपरोक्त अवधि के दौरान कटौतियां	Reductions during the above period	18.21	20.61
अंतिम शेष	Closing balance	157.80	174.78
कुल धारित प्रावधान	Total provisions held	154.99	173.78

2.3 डेरीवेटिव्स

2.3 Derivatives

2.3.1 फॉरवर्ड दर समझौते / ब्याज दर स्वैप

2.3.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

विवरण	Items	चालू वर्ष Current year	पिछला वर्ष Previous year
i)	स्वैप समझौते का नोशनल प्रिंसिपल	4135.42	6186.53
ii)	समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को काउंटर पार्टियों द्वारा पूरा न करने पर होने वाली हानियां	120.37	84.34
iii)	स्वैप मानने पर बैंक द्वारा जरूरी कोलैटरल	-	-
iv)	स्वैप से उत्पन्न क्रेडिट रिस्क कंसंट्रेशन	217.36	175.11
v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	139.11	47.88

बाजार निर्माण, एफ सी एन आर (बी) डिपोजिट पोर्टफोलियो की, डिपोजिट्स तथा कॉल लेंडिंग तथा हेजिंग मार्केट मेकिंग एक्सपोजर तथा बैंक टीयर II बॉण्ड्स की हेजिंग के लिए वायदा दर समझौता/ब्याज दर स्वैप्स लिए गए थे.

हेज संबंधित सभी वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप्स "रिसीव फिक्स्ड तथा पे फ्लोटिंग पर आधारित थे."

2.3.2 एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स :

Forward rate Agreement/Interest Rate Swaps were undertaken for market making, hedging of FCNR (B) Deposit portfolio, deposits and call lending and hedging market making exposures and for hedging Bank's Tier II Bonds.

All the forward rate agreement/interest rate swaps undertaken to hedge were on the basis of "Receive fixed and pay floating".

2.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives:

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

सं. क्र. Sr. No.	विवरण	Particulars	राशि Amount
(i)	वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स की नोशनल प्रिंसिपल राशि (लिखतवार)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	शून्य NIL
	क	a)	
	ख	b)	
	ग	c)	
(ii)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स की नोशनल प्रिंसिपल राशि 31 मार्च 2008 के अनुसार (लिखतवार)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2008 (instrument-wise)	शून्य NIL
	क	a)	
	ख	b)	
	ग	c)	
(iii)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स की नोशनल प्रिंसिपल राशि अत्यधिक प्रभावी नहीं (लिखतवार)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	शून्य NIL
	क	a)	
	ख	b)	
	ग	c)	
(iv)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर की मार्क-टू-मार्केट कीमत डेरीवेटिव्स बकाया और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं (लिखतवार)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	शून्य NIL
	क	a)	
	ख	b)	
	ग	c)	

2.3.3 डेरीवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक की ट्रेजरी नीति में डेरीवेटिव्स लेन देनों के कार्य के लिए सभी प्रकार की वित्तीय डेरीवेटिव्स लिखतों के प्रकार, विस्तार एवं उपयोग, अनुमोदन प्रक्रिया तथा ओपन पोजीशन लिमिट, स्टाप लॉस लिमिट तथा काउन्टर पार्टी एक्सपोजर लिमिट जैसी लिमिटें निर्धारित की गई हैं.

बैंक अपने ऑन और ऑफ बैलेन्स शीट एक्सपोजरों की हेजिंग के लिए तथा मार्केट मेकिंग के लिए वित्तीय डेरीवेटिव्स लेन देनों का उपयोग करता है, मूलतः ये उत्पाद, हेजिंग जोखिम लागत कम करने तथा ऐसे लेन देनों में प्रतिफल बढ़ाने के एवं प्रोपराइटी ट्रेडिंग के लिए उपयोग में लाए जाते हैं.

बैंक को जिन जोखिमों का खतरा रहता है, वे हैं : बाजार जोखिम, देशीय जोखिम और परिचालन जोखिम. बैंक की जोखिम प्रबंधन नीतियां (बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित) हैं. जो एमटीएम, वीएआर तथा पीवी01 के माध्यम से लेन देनों की वित्तीय जोखिमों को मापने तथा उचित जोखिम सीमाएं तय करने के लिए तैयार की गई हैं. इनको बैंक के जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा

2.3.3 Disclosures on risk exposure in derivatives- Qualitative Disclosure

The Treasury Policy of the bank lays down the types of financial derivative instruments, scope of usages, approval procedures and the limits like open position limits, stop loss limits and counter party exposure limits for undertaking derivative transactions.

The Bank uses financial derivative transactions for hedging its on or off balance sheet exposures as well as for market making. Basically, these products are used for hedging risk, reducing cost and increasing the yield in such transactions and for proprietary trading.

The types of risk to which the bank is exposed to are credit risk, market risk, country risk and operational risk. The Bank has risk management policies (approved by Board of Directors of the Bank), which is designed to measure the financial risks for transactions in the trading book on a regular basis, by way of MTM, VaR and PV01, and to set appropriate risk limits. These are monitored by means of reliable and up to date

समय-समय पर विश्वसनीय एवं अद्यतन प्रबंधन सूचना प्रणालियों द्वारा मॉनीटर किया जाता है तथा इस बारे में बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता वाली निदेशकों की जोखिम प्रबंध समिति को अवगत कराया जाता है।

लेन देनों की काउंटर पार्टियां, बैंक तथा कार्पोरेट प्रतिष्ठान हैं। अनुमोदित एक्सपोजर सीमाओं के अंतर्गत डील की जाती है। डेरिवेटिव्स उत्पादों पर ऋण जोखिम मापने के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मौजूदा एक्सपोजर पद्धति को अपनाया है, जिसके अनुसार बैंक कुल प्रतिस्थापन लागत का योग, (सभी संविदाओं को सकारात्मक मूल्य सहित मार्क-टु-मार्केट द्वारा प्राप्त करने अर्थात् जहां बैंक को काउंटर पार्टी से धन प्राप्त करना है) तथा ऋण जोखिम में भविष्य में होने वाले संभाव्य परिवर्तनों की राशि, जिसकी गणना संविदा की कुल कल्पित मूल राशि शेष परिपक्वता के अनुसार संबंधित क्रेडिट कंनवर्जन के साथ गुणा करके परिकल्पित की जाती है, निम्नानुसार है :-

कल्पित मूल राशि पर लागू किया जाने वाला रुपांतरण घटक

अवशिष्ट परिपक्वता	Residual Maturity	ब्याज दर संविदा Interest Rate Contract	विनिमय दर संविदा Exchange Rate Contract
एक वर्ष से कम	Less than one year	0.50%	2.00%
एक वर्ष और अधिक	One year and above	1.00%	10.00%

हेज तथा गैर-हेज (मार्केट मेकिंग) लेन देनों को अलग से दर्ज किया जाता है। हैजिंग डेरिवेटिव्स वास्तविक आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं। ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स पोजिशन (एमटीएम) को मार्क की जाती है और परिणामस्वरूप लाभ-हानि खाते में यदि कोई हानि हो, हिसाब में ली जाती है। लाभ, यदि कोई हो, नहीं माना जाता है, ब्याज दर स्वैप्स से संबंधित ब्याज और व्यय निपटान की तारीख पर मान्य किए जाते हैं। ट्रेडिंग स्वैप के समाप्त होने पर लाभ /हानि समाप्ति की तारीख पर आय /व्यय में दर्ज किए जाते हैं।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

सं. क्र. Sr. No.	विवरण	Particulars	करेंसी डेरिवेटिव्स Currency derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव्स Interest rate derivatives
(i)	डेरिवेटिव्स (कल्पित मूल राशि)	Derivatives (Notional Principal Amount)	773.13	4066.80
	क) हैजिंग के लिए	a) For hedging	378.04	3046.08
	ख) ट्रेडिंग के लिए	b) For trading	395.09	1020.72
(ii)	मार्केड टू मार्केट पोजिशन (1)	Marked to Market Positions [1]	-128.33	271.58
	क) आस्तियां (+)	a) Asset (+)	3.04	272.66
	ख) देयताएं (-)	b) Liability (-)	-131.37	-1.08
(iii)	क्रेडिट एक्सपोजर (2)	Credit Exposure [2]	69.51	188.31
(iv)	ब्याज दर में 1% होने वाले परिवर्तन का प्रभाव (100*पीवी01)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)	1.08	121.11
	क) हैजिंग डेरिवेटिव्स पर	a) On hedging derivatives	1.08	120.18
	ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स पर	b) On trading derivatives	NIL	0.93
(v)	वर्ष के दौरान देखे गए (100*पीवी01) न्यूनतम तथा अधिकतम	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year	4.40&1.078	150.97&92.24
	क) हैजिंग पर	a) On hedging	4.40&1.078	148.51&91.31
	ख) ट्रेडिंग पर	b) On trading	NIL	2.46&0.93

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

Management Information Systems by the Risk Management Department of the Bank from time to time who, in turn, appraises the risk profile to the Risk Management Committee of Directors, which is presided over by the Bank's Chairman and Managing Director.

The counter parties to the transactions are banks and corporate entities. The deals are done under approved exposure limits. The bank has adopted the current exposure method prescribed by Reserve Bank of India for measuring Credit Exposure on Derivative products as per which the bank sums the total replacement cost (obtained by mark to market of all its contracts with positive value i.e. when the bank has to receive money from the counter party) and an amount for potential future changes in credit exposure calculated on the basis of the total notional principal amount of the contract multiplied by the relevant credit conversion factors according to the residual maturity as detailed herein under:-

Conversion factor to be applied on notional principal amount

The hedge/non-hedge (market making) transactions are recorded separately. Hedging derivatives are accounted for on an accrual basis. Trading derivative positions are marked-to-market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account. Profit, if any, is not recognized. Income and Expenditure relating to interest rate swaps are recognized on the settlement date. Gains/losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/expenditure.

Quantitative Disclosures

2.4 आस्ति गुणवत्ता
2.4 Asset Quality
2.4.1 अनर्जक आस्तियां
2.4.1 Non-Performing Asset
(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

मर्दे	Items	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(i) शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए (%)	(i) Net NPAs to Net Advances (%)	0.31%	0.47%
(ii) एनपीए का संचलन (सकल)	(ii) Movement of NPAs (Gross)		
(क) आरंभिक शेष	(a) Opening balance	1981.38	2092.14
(ख) वर्ष के दौरान जोड़े गए	(b) Additions during the year	1001.89	1002.15
(ग) वर्ष के दौरान घटाए गए	(c) Reductions during the year	1140.35	1112.91
(घ) अंतिम शेष	(d) Closing balance	1842.92	1981.38
(iii) शुद्ध एनपीए का संचलन (फ्लोटिंग प्रावधान का नेट)	(iii) Movement of Net NPAs (net of floating provisions)		
(क) आरंभिक शेष	(a) Opening balance	493.55	501.67
(ख) वर्ष के दौरान जोड़े गए	(b) Additions during the year	680.47	729.75
(ग) वर्ष के दौरान घटाए गए	(c) Reductions during the year	722.87	737.87
(घ) अंतिम शेष	(d) Closing balance	451.15	493.55
(iv) एनपीए हेतु प्रावधान का संचलन (मानक आस्तियों पर प्रावधान और फ्लोटिंग प्रावधानों को छोड़कर)	(iv) Movement of provisions for NPAs (other than floating provision and provisions on standard assets)		
(क) आरंभिक शेष	(a) Opening balance	894.22	991.45
(ख) वर्ष के दौरान जोड़े गए	(b) Provisions made during the year	395.97	262.72
(ग) अधिक्य प्रावधानों का राइट ऑफ / राइट बैक	(c) Write-off/ write-back of excess provisions	481.24	359.95
(घ) अंतिम शेष	(d) Closing balance	808.95	894.22

2.4.2 पुनर्गठन के अधीन ऋण आस्तियों की जानकारी
2.4.2 Details of Loan Assets subjected to Restructuring.
क) 26.08.2008. तक पुनर्गठन के अधीन ऋण आस्तियों की जानकारी
अ) Details of Loan Assets subjected to Restructuring up to 26.08.2008.
(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

विवरण	Item	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(i) पुनर्गठन, पुनर्निर्धारण, पुनः समझौते के अधीन ऋण आस्तियों की कुल राशि;	(i) Total amount of loan assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation;	237.35	357.28
- जिसमें से सी डी आर के तहत	- - Of which under CDR	160.98	208.93
- जिसमें से एस एम ई के तहत	- - Of which under SME	31.18	33.01
(ii) पुनर्गठन, पुनर्निर्धारण, पुनः समझौते के अधीन स्टैंडर्ड आस्तियों की राशि;	(ii) The amount of Standard assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation;	233.35	356.90
- जिसमें से सी डी आर के तहत	- - Of which under CDR	160.98	208.81
- जिसमें से एस एम ई के तहत	- - Of which under SME	27.18	32.75
(iii) पुनर्गठन, पुनर्निर्धारण, पुनः समझौते के अधीन सब-स्टैंडर्ड आस्तियों की राशि;	(iii) The amount of Sub-Standard assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation;	4	-
- जिसमें से सी डी आर के तहत	- - Of which under CDR	-	-
- जिसमें से एस एम ई के तहत	- - Of which under SME	4	-
(iv) पुनर्गठन, पुनर्निर्धारण, पुनः समझौते के अधीन संदेहास्पद आस्तियों की राशि;	(iv) The amount of Doubtful assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation;	-	0.38
- जिसमें से सी डी आर के तहत	- - Of which under CDR	-	0.12
- जिसमें से एस एम ई के तहत	- - Of which under SME	-	0.26
टिप्पणी : [(i) = (ii)+(iii)+(iv)]	Note: [(i) = (ii)+(iii)+(iv)]		

ख) 27.08.2008. से पुनर्गठन के अधीन ऋण आस्तियों की जानकारी

b) Details of Loan Assets subjected to Restructuring from 27.08.2008.

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

			सीडीआर कार्यप्रणाली CDR Mechanism	एसएमई ऋण पुनर्गठन SME Debt Restructuring	अन्य Others	
पुनर्गठित किए गए मानक अग्रिम	ऋण कर्ताओं की संख्या	Standard advances restructured	No. of Borrowers	1	6590	31272
	बकाया राशि		Amount outstanding	38.93	792.29	1531.86
	छूट (उचित मूल्य के कमी)		Sacrifice (diminution in the fair value)	4.77	11.80	44.40
पुनर्गठित किए गए अवमानक अग्रिम	ऋण कर्ताओं की संख्या	Sub standard advances restructured	No. of Borrowers	1	186	1985
	बकाया राशि		Amount outstanding	16.70	16.05	23.66
	छूट (उचित मूल्य के कमी)		Sacrifice (diminution in the fair value)	0.22	0.14	1.13
पुनर्गठित किए गए संदिग्ध अग्रिम	ऋण कर्ताओं की संख्या	Doubtful advances restructured	No. of Borrowers		2	41
	बकाया राशि		Amount outstanding		0.97	0.74
	छूट (उचित मूल्य के कमी)		Sacrifice (diminution in the fair value)		0.05	0.04
जोड़	ऋण कर्ताओं की संख्या		No. of Borrowers	2	6778	33298
	बकाया राशि	TOTAL	Amount outstanding	55.63	809.32	1556.26
	छूट (उचित मूल्य के कमी)		Sacrifice (diminution in the fair value)	4.99	11.99	45.57

नोट : भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार बैंक ने रु. 1/- करोड़ से कम एक्सपोजर वाले पुनर्गठित किए गए खातों के संबंध में मौजूदा मूल्य में छूट राशि को कवर करने के लिए तदर्थ आधार पर 5 % का प्रावधान किया है।

ग. पुनर्गठित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण (जिसे प्रबन्धन ने प्रमाणित किया है लेकिन लेखा परिक्षकों ने सत्यापित नहीं किया)

Note: In accordance with RBI guidelines, the Bank has made a provision of 5% on ad-hoc basis to cover the sacrifice amount in present value terms in respect of restructured accounts with exposure less than Rs. 1 crore.

c) Additional disclosures regarding restructured accounts (as certified by the Management and not verified by the Auditors).

S.No.	प्रकटीकरण	Disclosures	Number	Amount (in Rs.Crore)
1	31 मार्च 2009 उन खातों के संबंध में जो 1 सितम्बर 2008 तक मानक थे, पुनर्गठन हेतु प्राप्त हुए आवेदन पत्र	Application received up to March 31, 2009 for restructuring, in respect of accounts which were standard as on September 1, 2008.	39406	3976.28
2	31 मार्च 2009 तक अनुमोदित तथा कार्यान्वित किए गए (1) के प्रस्ताव और इस प्रकार ये विशेष विनियामक व्यवहार के लिए पात्र हो गये और तुलन पत्र की तारीख को मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किए गए.	Of (1), proposals approved and implemented as on March 31, 2009 and thus became eligible for special regulatory treatment and classified as standard assets as on the date of the balance sheet.	37859	2359.94
3	31 मार्च 2009 तक अनुमोदित तथा कार्यान्वित किए (1) के प्रस्ताव किन्तु जिन्हें मानक श्रेणी में अपग्रेड नहीं किया जा सका	Of (1), proposals approved and implemented as on March 31, 2009 but could not be upgraded to the standard category.	4	3.14
4	प्रक्रिया/कार्यान्वयन के अधीन (1) के प्रस्ताव जो 31 मार्च 2009 को मानक थे	Of(1),proposals under process/implementation which were standard as on March 31, 2009.	1540	1551.80
5	प्रक्रिया/कार्यान्वयन के अधीन (1) के प्रस्ताव जो 31 मार्च 2009 तक एनपीए हो चुके हैं तथापि उम्मीद है कि पैकेज के पूर्ण कार्यान्वयन पर इन्हें मानक अस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है.	Of(1),proposals under process/implementation which turned NPA as on March 31, 2009 but are expected to be classified as standard assets on full implementation of the package.	3	61.40

2.4.3 प्रतिभूतिकरण/पुनर्गठन कंपनी को आस्ति पुनर्गठन के लिए बेची गयी वित्तीय आस्तियों की जानकारी
2.4.3 Details of financial assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction
(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

मदें	Item	चालू वर्ष Current Year *	पिछला वर्ष Previous Year
(i) खातों की संख्या	(i) No. of accounts	34	103
(ii) एससी/आरसी को बेचे गए खातों की कुल कीमत (प्रावधानों का नेट)	(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC / RC	-	167.86
(iii) कुल प्रतिफल	(iii) Aggregate consideration	41.86	269.79
(iv) आरंभिक वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल	(iv) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	-	-
(v) कुल लाभ/(हानि) शुद्ध बही मूल्य पर	(v) Aggregate gain / (loss) over net book value.	41.86	101.93

* वित्तीय परिसंपत्तियों में कारपोरेट स्तर पर बट्टे खाते डाले गए ऋण भी शामिल हैं

* Financial assets also include the debts written off at corporate level.

2.4.4 खरीदी गई / बेची गई गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों का विवरण
2.4.4 Details of non-performing financial assets purchased/sold
क. खरीदी गई गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण :
A. Details of non-performing financial assets purchased:

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने किसी भी गैर निष्पादक आस्ति की खरीद नहीं की.

During The financial year bank has not purchased any non-performing assets.

ख. बेची गई गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों का विवरण :
B. Details of non-performing financial assets sold:
(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1. बेचे गए खातों की संख्या	1. No. of accounts sold	34	103
2. सकल बकाया	2. Aggregate outstanding	207.60	634.24
3. सकल प्रतिफल प्राप्ति	3. Aggregate consideration received	41.86	269.79

2.4.5 मानक आस्तियों पर प्रावधान
2.4.5 Provisions on Standard Asset
(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

मदें	Item	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
आरबीआई नियमों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provisions towards Standard Assets as per RBI norms	591.26	504.71
मानक आस्तियों के लिए अन्य आकस्मिक प्रावधान	Other contingent provision towards Standard Assets	122.95	68.03

2.5 व्यावसायिक अनुपात
2.5 Business Ratio

मदें	Items	चालू वर्ष Current year	पिछला वर्ष Previous Year
(i) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के तौर पर ब्याज आय	(i) Interest Income as a percentage to Average Working Funds	7.78%	7.63%
(ii) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के तौर पर गैर-ब्याज आय	(ii) Non-interest income as a percentage to Average Working Funds	1.42%	1.32%
(iii) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के तौर पर परिचालन लाभ	(iii) Operating Profit as a percentage to Average Working Funds	2.22%	1.96%
(iv) आस्तियों पर प्रतिफल	(iv) Return on Assets	1.09%	0.89%
(v) प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा तथा अग्रिम) (रु. लाख में)	(v) Business (Deposits plus advances) per employee (Rs. in Lac)	914	710
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (रु. लाख में)	(vi) Profit per employee (Rs. in Lac)	6.05	3.94

2.6 आस्ति देयता प्रबंधन

आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता आधार (प्रबंधन द्वारा समेकित किया गया व लेखापरीक्षकों द्वारा भरोसा जताया गया)

2.6 Asset Liability Management

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities (As compiled by the Management and relied upon by the auditors)

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

		1 दिन 1 day	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 28 दिन 15 to 28 days	29 दिन से 3 माह 29 days to 3 months	3 महीनों से ज्यादा तथा 6 महीनों तक Over 3 months & up to 6 months	6 महीनों से ज्यादा तथा 1 वर्ष तक Over 6 months & up to 1 year	1 वर्ष से ज्यादा तथा 3 वर्ष तक Over 1 year & up to 3 years	3 वर्ष से ज्यादा तथा 5 वर्ष तक Over 3 years & up to 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	कुल Total
जमा राशियां	Deposits	4037.94	5819.08	5932.57	5952.98	22165.57	28900.31	43289.11	37265.38	6506.50	32527.51	192396.95
अग्रिम	Advances	2482.18	1540.05	3009.64	3403.21	22893.77	17330.94	17709.17	37010.03	15980.25	22626.66	143985.90
निवेश	Investments	222.81	437.13	151.68	564.25	1802.39	2424.92	5263.79	8198.54	6523.73	26856.63	52445.87
उधार	Borrowings	32.91	70.16	138.49	205.98	699.32	2476.45	210.03	1792.17	8.46	2.12	5636.09
विदेशी मुद्रा आस्तियां	Foreign Currency assets	2790.71	4439.87	1792.32	3521.53	12488.53	7887.75	6860.76	6980.20	7867.23	3927.59	58556.49
विदेशी मुद्रा देयताएं	Foreign Currency liabilities	6492.48	2655.83	2982.86	4275.34	10904.51	9220.03	7658.72	7137.39	6051.11	4151.20	61529.47

2.7 संवेदनशील क्षेत्र को ऋण

2.7 Lending to Sensitive Sector

2.7.1 रियल एस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजर

2.7.1 Exposure to Real Estate Sector

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

श्रेणी	Category	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
क) प्रत्यक्ष एक्सपोजर	a) Direct exposure		
(i) आवासीय बंधक -	(i) Residential Mortgages -	8276.17	6744.90
आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्ण सुरक्षित कर्ज देना जो कर्जदार के स्वामित्व में है/होगी या तो किराए पर है.	Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented;		
- जिसमें से व्यक्तिगत आवास ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों के लिए पात्र है	- of which individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances	6662.86	5861.64
(ii) वाणिज्यिक रियल एस्टेट	ii) Commercial Real Estate -	3869.23	4030.10
वाणिज्यिक रियल एस्टेट पर बंधक द्वारा सुरक्षित कर्ज (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, मल्टी-पर्पज कमर्शियल परिसर, बहुपरिवार आवासीय भवन, बहु-किराएदार कमर्शियल परिसर, औद्योगिक या चेयर हाउस स्पेस, होटल, जमीन, अधिग्रहण, विकास तथा निर्माण कार्य आदि) प्रकटीकरण में ऋणों में गैर निधि आधारित (एन एफ बी) सीमाएं शामिल हैं.	Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure includes non-fund based (NFB) limits.		
(iii) बंधक युक्त प्रतिभूतियों में निवेश (एम बी एस) तथा अन्य प्रतिभूतित प्रकटीकरण -	(iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures -		
क. आवासीय	a. Residential,	13.99	18.10
ख. वाणिज्यिक रियल एस्टेट	b. Commercial Real Estate.	-	-
ख) अप्रत्यक्ष एक्सपोजर	b) Indirect Exposure		
निम्नपर निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित एक्सपोजर -	Fund based and non-fund based exposures on -		
i) नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) तथा	i) National Housing Bank (NHB)	19.62	19.92
ii) आवासीय वित्तीय कंपनियों (एचएफसी)	ii) Housing Finance Companies (HFCs).	3633.07	2916.65

2.7.2 पूंजी बाजार में ऋण जोखिम
2.7.2 Exposure to Capital Market

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

विवरण	Items	चालू वर्ष Current year	पिछला वर्ष Previous Year
(i) इक्विटी शेयर्स, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों में ऐसे प्रत्यक्ष निवेशों जिनका कार्पोरेट ऋण में अलग से निवेश नहीं किया गया है.	(i) Direct Investments in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt	875.11	769.26
(ii) शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों में निवेश के लिए शेयरों/बांडों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों अथवा फोलियों को क्लीन ऋण की एवज में दिए गए अग्रिम	(ii) Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds;	-	49.99
(iii) किन्हीं अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए ऋण जहां शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है.	(iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	2.94	-
(iv) किन्हीं अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए ऋण, जोकि शेयरों की संपाश्रिक बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड, जहां कि शेयरों/परिवर्तनीय बांडों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंडों के अलावा ली गयी प्राथमिक प्रतिभूति पूरी रूप से अग्रिमों को शामिल नहीं कर पायी है, को सीमा तक अभिरक्षित अग्रिम	(iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances	6.01	-
(v) स्टॉक ब्रोकरों को जमानती तथा गैर जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकर की ओर से जारी गारंटियां	(v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers	168.88	127.46
(vi) कार्पोरेट को शेयरों/बांडों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों अथवा अपने संसाधनों के बढ़ने की प्रत्याशा में नयी कंपनियों की इक्विटी को प्रमोटर के अंशदान के लिए निर्बंध आधार पर स्वीकृत किए गए अग्रिम	(vi) Loans sanctioned to corporates against security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources	-	-
(vii) संभावित इक्विटी प्रवाह/मुद्दों की एवज में कंपनियों को ब्रिज ऋण	(vii) Bridge loans to companies against expected equity flows/issues	-	-
(viii) शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड के प्राथमिक मुद्दों के बारे में बैंकों द्वारा लिए हामीदारी करार	(viii) Underwriting commitments taken up by banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds/debentures or units of EOMF	-	-
(ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त प्रदान करना	(ix) Financing to stockbrokers for margin trading	0.06	-
(x) पूंजीकृत तथा गैर पूंजीकृत संयुक्त पूंजी निधियों का एक्सपोजर इक्विटी के समतुल्य माना जायेगा और इसतरह पूंजीगत मार्केट एक्सपोजरकी सीमाओं (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों) के साथ अनुपालन के लिए गिना जायेगा.	(x) all exposures to venture capital funds (both registered and unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will be reckoned for compliance with the capital market exposure ceilings (both direct and indirect)	289.40	172.71
पूंजी बाजार में कुल ऋण जोखिम (i+ii+iii+iv+v+vi+vii+viii+ix+x)	Total Exposure to Capital Market (i+ii+iii+iv+v+vi+vii+viii+ix+x)	1342.40	1119.42

पूंजी बाजार में रुपये 1342.40 करोड़ का ऋण जोखिम कुल ऋण जोखिम की सीमा राशि रुपये 4554.88 करोड़ के भीतर है. (अर्थात बैंक की शुद्ध मालियत रुपये 11387.19 करोड़ का 40%). पूंजी बाजार में प्रत्यक्ष ऋण जोखिम रुपये 1167.51 करोड़ है और बैंक की निवल मालियत (रुपये 2277.44 करोड़) की 20% है.

The exposure to Capital Market Rs 1342.40 Crores is within the limit of Rs 4554.88 Crores (i.e. 40% of Bank's Net worth Rs 11387.19 Crores). The direct exposure to Capital Market is Rs 1167.51 Crores and is within 20% of the Bank's Net Worth (Rs 2277.44 Crores).

2.7.3 जोखिम श्रेणीवार : देशीय एक्सपोजर

2.7.3 Risk Category wise Country Exposure

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

जोखिम श्रेणी	Risk Category	31 मार्च 2009 को ऋण जोखिम (नेट) Exposure (net) as at 31st March 09	31 मार्च 2009को प्रावधान Provision held as at 31st March 09	31 मार्च 2008 को ऋण जोखिम (नेट) Exposure (net) as at 31st March 08	31 मार्च 2008 को प्रावधान Provision held as at 31st March 08
अ-महत्वपूर्ण	Insignificant	10844.32	6.47	8412.56	-
न्यून	Low	6581.10	8.28	4692.52	4.44
मध्य न्यून	Moderately Low	752.84	-	1180.66	-
मध्य	Moderate	47.78	-	316.68	-
मध्य उच्च	Moderately High	1204.31	-	1322.70	-
ऊंचा	High	1.13	-	15.05	-
अधिक उच्च	Very High	4.25	-	7.99	-
कुल	Total	19435.73	14.75	15948.16	4.44

2.7.4 बैंक द्वारा एकल ऋणी सीमा (एसजीएल) समूह ऋणी सीमा (जीबीएल) में आधिक्य की जानकारी

2.7.4 Details of Single Borrower Limit (SGL) and Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank.

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

कर्जदार का नाम	Name of the borrower	एकल कर्जदार प्रकटीकरण सीमा Single borrower exposure limit	कुल निर्धारित सीमा Total Limit sanctioned	31.3.2009 को शेष Balance as on 31.3.2009
नेशनल एवियेशन कं. ऑफ इंडिया लि.	National Aviation Company of India Ltd	2157.18	2532.58	1924.85
कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया	Cotton corporation of India	1797.65	2516.72	1722.19
रिलायन्स इन्डस्ट्रीज लि.	Reliance Industries Ltd	2157.18	2653.64	1184.16

2.8 विविध

2.8 Miscellaneous

2.8.1 वर्ष के दौरान आयकर हेतु किए गए प्रावधान की राशि

2.8.1 Amount of Provisions made for Income-tax during the year

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous year
आयकर हेतु प्रावधान	Provision for Income Tax	1150.34	831.08
घटाएं : पिछले वर्ष से संबंधित आयकर का रिवर्सल	Less reversal of Income Tax provisions relating to previous years	34.60	67.33
आयकर के लिए नेट प्रावधान	Net Provision for Income Tax	1115.74	763.75

2.8.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

2.8.2 Disclosure of penalties imposed by RBI

वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान, बैंक पर अधिनियम के किसी भी प्रावधानों की अवहेलना अथवा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की किसी भी अन्य अपेक्षा की गैर अवहेलना पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिनियम के अधीन विशेषीकृत किसी नियम अथवा स्थिति के लिए कोई दंड राशि नहीं लगायी गयी है।

During the financial year 2008-09, the Bank has not been subjected to any penalty for contravention or non-compliance with any requirement of the Banking Regulation Act, 1949, or any rules or conditions specified by the Reserve Bank of India in accordance with the said Act.

3. एसएलआर निवेश

3. SLR Investments

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

विवरण	Particulars	31.3.2009 को As on 31.3.2009		31.3.2008 को As on 31.3.2008	
		Book Value बही मूल्य	Market Value मार्केट मूल्य	Book Value बही मूल्य	Market Value मार्केट मूल्य
सरकारी प्रतिभूतियां - एसएलआर (सीजी, एसजी व टीबी)	Government Securities --SLR (CG, SG & TB)	40114.31	40114.26	33392.62	33354.64
अनुमोदित प्रतिभूतियां - एसएलआर	Approved Securities -- SLR	972.45	966.65	1165.05	1152.61

4. प्रावधानों व आकस्मिकताओं का ब्रेक अप

4. Break up of Provisions and Contingencies

4.1 लाभ व हानि खाते में आने वाले प्रावधान व आकस्मिकताओं का विवरण इस प्रकार है:

4.1 The break-up of provisions and contingencies appearing in Profit & Loss Account is as under:

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान	Provision for depreciation on investment	536.75	41.76
बड़ेखाते में डाले गए अशोध्य ऋणों/एनपीए के लिए प्रावधान	Bad debts written off / Provision made towards NPA	268.60	435.98
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	Provision for standard assets	75.47	108.80
कर हेतु प्रावधान (आस्थगित करों, अनुषंगी लाभ और संपदा कर सहित)	Provision for taxes (including deferred taxes, Fringe Benefit and Wealth tax)	1115.74	771.63
अन्य प्रावधान तथा आकस्मिकताएं	Other Provision and Contingencies -		
पुनर्गठित मानक व अवमानक खातों में ब्याज की छूट हेतु प्रावधान	Provision towards sacrifice of interest in restructured standard and sub-standard accounts	68.98	89.90
कंट्री रिस्क प्रबंधन हेतु प्रावधान	Provision for Country Risk Management		-6.87
कर्मचारी कल्याण खर्च हेतु प्रावधान)	Provision for staff welfare expenses	15	15
अन्य	Others	-2.74	136.83
कुल	Total	2077.80	1593.03

4.2 अस्थायी प्रावधान - व्यापक प्रकटीकरण

4.2 Floating Provisions – Comprehensive Disclosures

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
क. अस्थायी प्रावधान खाते में अथशेष	a. Opening balance in the floating provisions account	550.35	450.35
ख. लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधान की मात्रा	b. The quantum of floating provisions made in the accounting year	-	100
ग. लेखा वर्ष के दौरान किए गए ड्रा डाउन की राशि	c. Amount of draw down made during the accounting year	-	-
घ. अस्थायी प्रावधान खाते में इति शेष	d. Closing balance in the floating provisions account.	550.35	550.35

4.3 आरक्षित निधियों में गिरावट (डाउन)

वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान आरक्षित निधियों में कोई गिरावट नहीं आई.

5 शिकायतों का प्रकटीकरण

क. ग्राहक शिकायत

(क) वर्ष के शुरू में लंबित शिकायतों की संख्या	(a) No. of complaints pending at the beginning of the year	97
(ख) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	(b) No. of complaints received during the year	3806
(ग) वर्ष के दौरान निवारित शिकायतों की संख्या	(c) No. of complaints redressed during the year	3828
(घ) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	(d) No. of complaints pending at the end of the year	75

ख. बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए निर्णय

(क) वर्ष के शुरू में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	(a) No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	1
(ख) वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित निर्णयों की संख्या	(b) No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	-
(ग) वर्ष के दौरान कार्यान्वित निर्णयों की संख्या	(c) No. of Awards implemented during the year	-
(घ) वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	(d) No. of unimplemented Awards at the end of the year *	1

* बैंकिंग लोकपाल के निर्णय के खिलाफ समुचित प्राधिकारी के पास अपील दायर की गई है.

*An appeal has been filed against the award of the Banking Ombudsman with the appropriate authority.

6. चुकौती आश्वासन पत्र

क. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)

बैंक द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी/देशीय नियंत्रकों द्वारा अपनी अनुषंगियों की स्थापना / शाखाओं को खोलने संबंधी अपने अनुमोदन प्राप्त करते समय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया गया है. आश्वासन पत्र न्यूजीलैंड के रिजर्व बैंक को जारी किया गया था लेकिन कोई राशि निर्धारित की गयी थी क्योंकि अभी लाइसेंस आना बाकी है.

ख. 31.3.2009 को बकाया चुकौती आश्वासन पत्रों की संचयी स्थिति

बैंक के पास विदेशी / देशीय नियंत्रकों द्वारा उन की अनुषंगियों की स्थापना/ शाखाओं को खोलने के उद्देश्य संबंधी उपरोक्त (क) के अलावा कोई भी चुकौती आश्वासन पत्र जारी करना बाकी नहीं है.

ख. इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी एकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स (एएस) के संबंध में प्रकटीकरण

1. अवधि के लिए शुद्ध लाभ अथवा हानि, अवधि पूर्व मदें तथा एकाउंटिंग नीतियों में परिवर्तन (ए.एस.-5)

1.1 रु. 95.01 करोड़ की अपवादात्मक मदें (कर रु. 62.70 करोड़ का शुद्ध) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (हॉंगकॉंग) लि. बैंक की एक अनुषंगी कंपनी को बंद करने पर तथा बॉब एम सी लि. की 51% अंशधारिता की बिक्री पर लाभ प्रस्तुत करती हैं.

1.2 पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर मूल्यहास कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार बटटाकृत मूल्य न कि अस्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल पर प्रदान किया गया है.

4.3 Draw Down from Reserves:-

During the financial year 2008-09 there has been no draw down of the Reserves.

5. Disclosure of complaints

A. Customer Complaints

B. Awards passed by the Banking Ombudsman

6. Status of Letters of Comfort

A. Letters of Comfort (LOC's) issued during the Current Financial Year.

During the current financial year Bank has issued only one Letter of Comfort to meet the requirements of the overseas / domestic regulators while seeking their approval for establishing subsidiaries / opening of branches. The Letter of Comfort was issued to Reserve Bank of New Zealand but no amount is quantified as the licence is yet to come.

B. Cumulative position of LOC's outstanding on 31.03.2009.

Bank has no outstanding Letter of Comfort issued in favour of the foreign / domestic regulators for the purpose of establishing subsidiaries / opening of branches except as mentioned in A above.

B. Disclosure in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India:

1 Net Profit or Loss for the Period, prior period items and changes in accounting policies (AS-5)

1.1 Exceptional items of Rs. 95.01 Crores (Net of Tax Rs. 62.70 Crores) represents profit on winding up of Bank of Baroda (Hongkong) Ltd, a subsidiary of the Bank. and Profit on sale of 51% holding in BOB AMC Ltd.

1.2 Depreciation on revalued assets has been provided on written down value as per the Companies Act, 1956 and not on the basis of the remaining useful life of the assets.

2. कर्मचारी लाभ (ए.एस.-15)

बैंक ने आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक (ए.एस.-15) को अपनाया है और जो कि दिनांक 07.12.2006 से लागू हैं . ये मानक दिनांक 17.12.2007 को संशोधित एवं अधिसूचित किए गए हैं . ए.एस.-15 में दिए गए प्रावधानों के तहत बैंक 5 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए अपने लाभ एवं हानि खाते में पारवहन देयता को चार्ज करने के लिए एक खर्च राशि के रूप में डालने के लिए विकल्प प्रदान करता है . बैंक ने इस विकल्प को अपनाया है तथा तदनुसार वित्तीय वर्ष 2007-08 से कर्मचारी के हितों में कुल अंतरीय देयताओं के 1/5 भाग तक नकदीकरण तथा सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ के लिए वृद्धिशील प्रावधान किए गए हैं जो कि रुपये 901.00 करोड़ के वास्तविक मूल्य के बराबर हैं .

ग्रेच्युटी :

बैंक अपने ऐसे कर्मचारियों को, जो कि बैंक सेवा से सेवानिवृत्त अथवा सेवात्याग करते हैं, ग्रेच्युटी का भुगतान करता है. बैंक प्रत्येक वर्ष भुगतान की जाने वाली इस ग्रेच्युटी को एकत्रित करने की एवज में एक आंतरिक न्यास को अंशदान राशि प्रदान करता है . ग्रेच्युटी निधि के नियमों के अनुरूप ब्याज दर, वेतन वृद्धि, मृत्यु दर और परिलक्षित इकाई ऋण वास्तविक पद्धति के अनुसार स्टॉफ की कमी के बारे में कुछ एक परिकल्पनाओं के आधार पर ग्रेच्युटी देयता की वास्तविक मूल्य की गणना की जाती है .

निधियों का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है .

भुगतान की जाने वाली ग्रेच्युटी की गणना 3 विभिन्न योजनाओं के तरीके से की जाती है तथा इसके लिए कर्मचारियों के लिए पात्रता जो अधिक लाभकारी हो, उसके आधार पर की जाती है.

पेंशन :

बैंक ऑफ़ बड़ौदा अपने ऐसे कर्मचारियों, जिन्होंने पेंशन का विकल्प चुना है और ऐसे कर्मचारियों को, जिन्होंने 29.09.1995 को अथवा उसके पश्चात् बैंक सेवा में कार्यभार संभाला है, उन्हें विनिर्दिष्ट लाभ तथा आस्थगित सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत पेंशन का भुगतान करता है . यह योजना कर्मचारियों को मासिक आधार पर उन कर्मचारियों के वेतन तथा बैंक में उनकी सेवाकाल की अवधि वर्षों के आधार पर उनके बैंक को छोड़ने के पश्चात् पेंशन प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध कराता है . बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 के अंतर्गत शामिल कर्मचारी भविष्य निधि में बैंक के अंशदान के लिए पात्र नहीं है.

पेंशन निधि का प्रबंधन बैंक के अंतरिम न्यासियों द्वारा किया जाता है.

भविष्य निधि :

बैंक ऑफ़ बड़ौदा को अपने कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति लाभों के एक भाग के रूप में भविष्य निधि की देखरेख सांविधिक आवश्यकता है. इस निधि का प्रबंधन अंतरिम न्यासियों द्वारा किया जाता है. प्रत्येक कर्मचारी द्वारा उसके मूल वेतन का 10% अंशदान किया जाता है और बैंक ऑफ़ बड़ौदा उस राशि के बराबर राशि इस निधि में अंशदान करता है. इस निधि का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है.

छुट्टी का नकदीकरण :

कोई भी कर्मचारी अपनी अधिवर्षिता /स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति/मृत्यु की तारीख पर उसके खाते में जमा हुई छुट्टियों में से अधिकतम 240 दिनों तक की अर्जित छुट्टियों का नकदीकरण प्राप्त करने का हकदार है.

2. Employee Benefits (AS-15)

Bank has adopted the Accounting Standard (AS-15) issued by ICAI and effective from 07.12.2006. The standard has been revised and notified on 17.12.2007. The provisions contained in AS-15 gives option to the bank, to charge the transitional liability as an expense in its Profit and Loss Account spread over a period of 5 years. Bank has exercised this option and accordingly made an incremental provision for employee benefits such as pension, gratuity, leave encashment and other retirement benefits to the extent of 1/5th of the total transitional liability commencing from financial year 2007-08, which is crystallized on Actuarial valuation at Rs. 901.00 Crores.

Gratuity:

The Bank pays gratuity to employees who retire or resign from Bank's service. The Bank makes contributions to an in-house trust, towards funding this gratuity, payable every year. In accordance with the gratuity fund's rules, actuarial valuation of gratuity liability is calculated based on certain assumptions regarding rate of interest, salary growth, mortality and staff attrition as per the projected unit credit actuarial method.

The investment of the funds is made according to investment pattern prescribed by the Government of India.

The gratuity payable is worked out by way of 3 different schemes and the entitlement is based on what is most beneficial to employees.

Pension

Bank of Baroda pays pension, a defined benefit and deferred retirement plan covering the employees who have opted for pension and also to the employees joining the bank's service on or after 29.9.1995. The plan provides for a pension on a monthly basis to these employees on their cessation from Bank's service based on the respective employee's salary and years of qualifying service with the Bank. Employees covered under Bank of Baroda (Employees') Pension Regulations, 1995 are not eligible for Bank's contribution to Provident Fund.

Pension fund is managed by in-house trustees.

Provident Fund

Bank of Baroda is statutorily required to maintain a provident fund as a part of its retirement benefits to its employees. This fund is managed by in-house trustees. Each employee contributes 10% of his or her basic salary and Bank of Baroda contributes an equal amount to the fund. The investment of the fund is made according to investment pattern prescribed by the Government of India.

Leave Encashment

An employee is entitled to encash privilege leave standing to his/her credit subject to a maximum of 240 days on the date of superannuation/Voluntary Retirement/death.

तथापि, सेवा त्याग की स्थिति में, कर्मचारी जमा अर्जित छुट्टियों में अधिकतम 120 दिनों तक छुट्टियों की 50% राशि का नकदीकरण प्राप्त करने का हकदार है .

अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ

अतिरिक्त सेवा निवृत्ति लाभ के लिए योजना के अंतर्गत कोई अधिकारी अपनी सेवानिवृत्ति /स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति /मृत्यु पर 6 महीनों की परिलब्धियां अतिरिक्त सेवा निवृत्ति लाभ के रूप में पाने का हकदार होगा बशर्ते कि उसने बैंक में 25 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो .

ठीक इसी तरह, अवार्ड स्टॉफ सदस्य सेवा निवृत्ति /स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति /मृत्यु होने पर अतिरिक्त सेवा निवृत्ति लाभ पाने के लिए हकदार होंगे बशर्ते उसने बैंक सेवा में 30 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो .

तथापि, बर्खास्तगी, सेवा मुक्ति, सेवा समाप्ति, अनिवार्य सेवा निवृत्ति और सेवा त्याग की स्थिति में सेवा काल के वर्षों की संख्या को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सेवा निवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं किया जाएगा..

However, on resignation, an employee is entitled to get encashment 50% of the privilege leave standing to the credit subject to a maximum of 120 days.

Additional Retirement Benefit

The scheme for additional retirement benefit provides that an officer on his Retirement/ Voluntary retirement/ death shall be eligible for payment of 6 months emoluments as additional retirement benefit, provided he had completed 25 years of service in the Bank.

In the same manner, award staff member on Retirement / Voluntary Retirement / Death shall be eligible for additional retirement benefit, provided he had completed –30- years of service in Bank.

However, in case of dismissal, discharge, termination, compulsory retirement and resignation additional retirement benefit shall not be payable, irrespective of any number of years of service.

मूल बीमांकिक अवधारणाएं (वैटेंज औसत के रूप में अभिव्यक्त)

Principal Actuarial Assumptions [Expressed as Weighted Averages]

		योजना का प्रकार TYPE OF PLAN			
		पेंशन PENSION	अवकाश नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	ग्रेच्युटी GRATUITY	अति. सेवा लाभ ARB
डिस्काउंट दर	Discount rate	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%
वेतन वृद्धि दर	Salary Escalation Rate	4.00%	8.00%	8.00%	8.00%
ह्रास दर	Attrition Rate	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
योजनागत आस्तियों पर संभावित रिटर्न रेट	Expected Rate of Return on plan Assets	8.00%	0	8.00%	0

देयताओं के प्रारंभ और समाप्ति पर शेष का समाधान (रुपये करोड़ों में)

Reconciliation of Opening and Closing Balance of Liability

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

		योजना का प्रकार TYPE OF PLAN				
		पेंशन PENSION	अवकाश नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	ग्रेच्युटी GRATUITY	अति. सेवा लाभ ARB	
क)	1/4/2008 को पीवीओ	a) PVO as at 1/4/2008	2079.00	395.00	840.00	375.00
ख)	ब्याज की लागत	b) Interest Cost	160.74	30.88	65.21	29.48
ग)	चालू सेवा लागत	c) Current Service Cost	171.80	21.95	32.73	18.85
घ)	प्रदत्त लाभ	d) Benefits Paid	-139.40	-18.12	-49.74	-13.03
ङ)	दायित्व पर बीमांकिक हानि / लाभ (-)	e) Actuarial loss/gain(-) on obligation	396.05	-11.71	15.37	4.70
च)	31.03.2009 को पीवीओ	f) PVO as at 31.03.2009	2668.19	418.00	903.57	415.00

योजना आस्तियों के उचित मूल्य के प्रारंभिक एवं अंतिम शेष का समाधान
Reconciliation of Opening & Closing Balance of Fair Value of Plan Assets

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

		योजना का प्रकार TYPE OF PLAN				
		पेंशन PENSION	अवकाश नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	ग्रेच्युटी GRATUITY	अति. सेवा लाभ ARB	
क)	1/4/2008 को योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	a) Fair Value of plan assets as on 1/4/2008	2032.95	0	693.43	0
ख)	योजनागत आस्तियों का संभावित रिटर्न	b) Expected Return on Plan Assets	175.96	0	56.53	0
ग)	अंशदान	c) Contributions	472.57	18.12	76.20	13.03
घ)	प्रदत्त लाभ	d) Benefits Paid	-139.40	-18.12	-49.74	-13.03
ङ)	बीमांकिक लाभ / (-) हानि	e) Actuarial gain/(-)loss	87.11	0	14.35	0
च)	31.03.2009 को योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	f) Fair Value of Plan Assets as on 31.03.2009	2629.19	0	790.77	0

तुलन-पत्र में मान्य राशि
Amount Recognised in the Balance Sheet

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

		प्लान का प्रकार TYPE OF PLAN				
		पेंशन PENSION	अवकाश नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	ग्रेच्युटी GRATUITY	अति. सेवा लाभ ARB	
क)	दायित्व का पीवी	a) PV of obligation	2668.19	418.00	903.57	415.00
ख)	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	b) Fair value of plan assets	2629.19	0	790.77	0
ग)	अन्तर	c) Difference	39.00	418.00	112.80	415.00
घ)	गैर मान्य लेनदेन देयता	d) Unrecognised transitional liability	-39.00	-117.60	-112.80	-136.20
ङ)	बीएस में मान्य देयता	e) Liability Recognised in the BS	0	300.40	0	278.80

लाभ-हानि खाते में मान्य राशि
Amount Recognised in the Profit And Loss Account

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

		योजना का प्रकार TYPE OF PLAN				
		पेंशन PENSION	अवकाश नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	ग्रेच्युटी GRATUITY	अति. सेवा लाभ ARB	
क)	चालू सेवा लागत	a) Current Service Cost	171.80	21.95	32.73	18.85
ख)	ब्याज लागत	b) Interest Cost	160.74	30.88	65.21	29.48
ग)	योजनागत आस्ति पर संभावित रिटर्न	c) Expected Return on Plan Assets	-175.96	0	-56.53	0
घ)	शुद्ध बीमांकिक हानि/लाभ (-)	d) Net Actuarial Loss/gain(-)	308.94	-11.71	1.02	4.70
ङ)	वर्ष दौरान मानी गायी संक्रमणशील बीमांकिक देयता	e) Transitional liability recognised in the year	13.00	39.20	37.60	45.40
	लाभ हानि में मान्य खर्च	Expenses Recognised in Profit and Loss Account	478.52	80.32	80.03	98.43

3. सेगमेंट रिपोर्टिंग (ए.एस.-17) :
भाग - क : बिजनेस सेगमेंट

3. Segment Reporting (AS-17)
Part A – Business Segments

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

बिजनेस सेगमेंट	Business Segments	ट्रेजरी Treasury		कार्पोरेट/होलसेल बैंकिंग Corporate / Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल Total	
		Current Yr चालू वर्ष	Prev Year पिछला वर्ष	Current Yr चालू वर्ष	Prev Year पिछला वर्ष	Current Yr चालू वर्ष	Prev Year पिछला वर्ष	Current Yr चालू वर्ष	Prev Year पिछला वर्ष	Current Yr चालू वर्ष	Prev Year पिछला वर्ष
राजस्व	Revenue	4442.29	3576.98	5247.37	4156.59	5383.10	3960.40	2776.48	2170.54	17849.24	13864.51
परिणाम	Result	1019.57	788.79	845.23	175.14	1406.50	937.37	1769.39	1500.22	5040.69	3401.52
अनाबंटित खर्च	Unallocated Expense									1697.74	1194.37
परिचालनगत लाभ	Operating Profit									3342.95	2207.15
आयकर	Income taxes									1115.75	771.63
विशिष्ट लाभ/हानि	Extra-ordinary Profit/loss										
शुद्ध लाभ	Net Profit									2227.20	1435.52
अन्य सूचना	Other Information										
सेगमेंट आस्तियां	Segment Assets	61492.10	56945.78	57141.55	52061.82	49647.20	32441.49	56217.01	35572.60	224497.86	177021.69
अनाबंटित आस्तियां	Unallocated Assets									2908.87	2577.83
कुल आस्तियां	Total Assets									227406.73	179599.52
सेगमेंट देयताएं	Segment Liabilities	58021.30	53444.07	53916.29	48860.44	46844.97	30446.60	53043.95	33385.18	211826.51	166136.29
अनाबंटित देयताएं	Unallocated Liabilities									15580.22	13463.23
कुल देयताएं	Total Liabilities									227406.73	179599.52

भाग - ख : भौगोलिक सेगमेंट :

Part B – Geographic Segments

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

सेगमेंट	Segments	घरेलू Domestic		अंतर्राष्ट्रीय International		कुल Total	
		समाप्त वर्ष Year Ended	समाप्त वर्ष Year Ended	समाप्त वर्ष Year Ended	समाप्त वर्ष Year Ended	समाप्त वर्ष Year Ended	समाप्त वर्ष Year Ended
राजस्व	Revenue	31.03.09	31.03.08	31.03.09	31.03.08	31.03.09	31.03.08
आस्तियां	Assets	15465.20	11895.14	2384.04	1969.37	17849.24	13864.51
		177106.26	142520.03	50300.47	37079.49	227406.73	179599.52

सेगमेंट रिपोर्टिंग पर टिप्पणी :

- लेखा मानकों की अनुपालना में भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सेगमेंट रिपोर्टिंग पर ए.एस.-17 के साथ अनुपालना के उद्देश्य के लिए ट्रेजरी परिचालन थोक, खुदरा और अन्य बैंकिंग परिचालनों को प्राथमिक बिजनेस सेगमेंट के रूप में तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय को द्वितीय/भौगोलिक सेगमेंट के रूप में ग्रहण किया है .

Notes on Segment Reporting:

- As per guidelines of RBI on compliance with Accounting Standards, Bank has adopted "Treasury Operations", Wholesale, Retail and "Other Banking Operations" as Primary business segments and "Domestic" and "International" as secondary / geographic segments for the purpose of compliance with AS-17 on Segment Reporting issued by ICAI.

2. सेगमेंट परिणाम तय करते समय, बैंक ने निधि अंतरण मूल्य निर्धारण प्रणाली को अपनाया है।
3. सेगमेंट राजस्व बाह्य ग्राहकों से प्राप्त राजस्व का प्रतिनिधित्व करता है।
4. प्रत्येक सेगमेंट के लिए लगायी गयी पूंजी सेगमेंट की आस्तियों को अनुपातिक आधार पर आबंटित कर दी गयी है।

2. In determining the segment results, the funds transfer price mechanism followed by the bank has been used.
3. Segment revenue represents revenue from external customers.
4. Capital employed for each segment has been allocated proportionate to the assets of the segment.

4. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एस-18)

संबंधित पार्टियों के नाम एवं बैंक के साथ उनके संबंध

4. Related Party Disclosures (AS - 18)

Names of the Related Parties and their relationship with the Bank:

क) अनुषंगियां :

- i) बॉब कैपिटल मार्केट लिमिटेड
- ii) बॉब कार्ड्स लिमिटेड
- iii) नैनीताल बैंक लिमिटेड
- iv) बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्सवाना) लिमिटेड
- v) बैंक ऑफ बड़ौदा (केनिया) लिमिटेड
- vi) बैंक ऑफ बड़ौदा (युगांडा) लिमिटेड
- vii) बैंक ऑफ बड़ौदा (हांगकांग) लिमिटेड
- viii) बैंक ऑफ बड़ौदा (गुयाना) आईएनसी.
- ix) बैंक ऑफ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड
- x) बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड
- xi) बड़ौदा कैपिटल मार्केट्स (युगांडा) लिमिटेड (बैंक ऑफ बड़ौदा युगांडा लिमिटेड की अनुषंगी)
- xii) बॉब त्रिनिदाद व टोबागो लि.
- xiii) बैंक ऑफ बड़ौदा (घाना) लि.
- xiv) बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि.

(a) Subsidiaries:

- i) BOB Capital Markets Limited
- ii) BOB Cards Limited
- iii) The Nainital Bank Limited
- iv) Bank of Baroda (Botswana) Limited
- v) Bank of Baroda (Kenya) Limited
- vi) Bank of Baroda (Uganda) Limited
- vii) Bank of Baroda (Hong Kong) Limited
- viii) Bank of Baroda (Guyana) Inc.
- ix) Bank of Baroda (UK) Limited
- x) Bank of Baroda (Tanzania) Limited
- xi) Baroda Capital Markets (Uganda) Limited. (Subsidiary of Bank of Baroda Uganda Ltd.)
- xii) BOB Trinidad & Tobago Ltd.
- xiii) Bank of Baroda (Ghana) Ltd.
- xiv) Baroda (New Zealand) Ltd.

(ख) सहयोगी :

- i) बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
- ii) नैनीताल - अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- iii) बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक
- iv) बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक
- v) झाबुआ-धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- vi) इंडो जांबिया बैंक लिमिटेड
- vii) यूटीआई एसेट मैनेजमेन्ट कंपनी प्रा. लि.
- viii) यूटीआई ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
- ix) बड़ौदा पायोनियर एसेट मैनेजमेंट कं. लि.

(b) Associates:

- i) Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank
- ii) Nainital-Almora Kshetriya Gramin Bank
- iii) Baroda Rajasthan Gramin Bank
- iv) Baroda Gujarat Gramin Bank
- v) Jhabua-Dhar Kshetriya Gramin Bank
- vi) Indo Zambia Bank Limited
- vii) UTI Asset Management Company Ltd.
- viii) UTI Trustee Company Pvt. Limited
- ix) Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd.

(ग) प्रमुख प्रबंधन अधिकारी :

- i) श्री. एम. डी मल्या, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (दिनांक 07.05.2008 से)
- ii) डॉ. अनिल के. खंडेलवाल, (भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)
- i) श्री वी. सन्तानरामन, कार्यकारी निदेशक
- ii) श्री सतीश चन्द्र गुप्ता, कार्यकारी निदेशक (दिनांक 05.11.2008 तक)
- iii) श्री राजीव कुमार बक्षी, कार्यकारी निदेशक (दिनांक 06.11.2008 से)

(c) Key Management Personnel:

- i) Mr. M.D. Mallya, CMD (From 07.05.2008 onwards)
- ii) Dr. A.K.Khandelwal (Ex-CMD)
- i) Mr.V.Santhanaraman, ED
- ii) Mr. Satish C. Gupta, ED (Upto 05.11.2008)
- iii) Mr. Rajiv Kumar Bakshi, ED (From 06.11.2008 onwards)

प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों को 38.12 लाख रुपये, कुल पारिश्रमिक भुगतान (पिछले वर्ष 17.60 लाख रुपये)

Aggregate Remuneration paid to Key Management Personnel Rs. 38.12 lac (Previous year Rs. 17.60 lac)

संबंधित पार्टी प्रकटीकरण:-

Related Party Disclosures-

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

मद /संबंधित पार्टी :	Items / Related Party	अनुषंगियां Subsidiaries	सहयोगी संयुक्त उद्यम Associates/ Joint Ventures	प्रमुख प्रबंधन अधिकारी Key Management Personnel	प्रमुख प्रबंधन अधिकारी के रिश्तेदार Relatives of Key Management Personnel	जोड़ Total
उधार :	Borrowings :					
31.03.2009 को बकाया	Outstanding as on 31.3.09					
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	Maximum Outstanding during the year					
जमा :	Deposit					
31.03.2009 को बकाया	Outstanding as on 31.3.09	419.96	2800.71			3220.67
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	Maximum Outstanding during the year	531.17	2834.71			3371.88
जमा राशियों का स्थापन	Placement of Deposits					
31.03.2009 को बकाया	Outstanding as on 31.3.09					
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	Maximum Outstanding during the year					
अग्रिम	Advances					
31.03.2009 को बकाया	Outstanding as on 31.3.09	59.81	134.73			194.54
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	Maximum Outstanding during the year	150.33	388.18			538.51
निवेश	Investments					
31.03.2009 को बकाया	Outstanding as on 31.3.09	693.02	326.63			1019.65
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	Maximum Outstanding during the year	693.02	326.63			1019.65
गैर निधि प्रतिबद्धताएं	Non-funded commitments					
31.03.2009 को बकाया	Outstanding as on 31.3.09	6.32	0.05			6.37
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	Maximum Outstanding during the year	6.37	0.05			6.42
प्राप्य लीजिंग / एचपी प्रबंध व्यवस्थाएं	Leasing/HP arrangements availed					
31.03.2009 को बकाया	Outstanding as on 31.3.09					
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	Maximum Outstanding during the year					
लीजिंग /उपलब्ध एचपी प्रबंध व्यवस्थाएं	Leasing/HP arrangements provided					
31.03.2009 को बकाया	Outstanding as on 31.3.09					
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	Maximum Outstanding during the year					
अचल आस्तियों की खरीद	Purchase of fixed assets					
अचल आस्तियों की बिक्री	Sale of fixed Assets	0.04				0.04
प्रदत्त ब्याज	Interest paid	23.34	170.76			194.10
प्राप्त ब्याज	Interest received	4.83	15.03			19.86
सेवाएं प्रदान करना	Rendering of services	3.52	0.05	0.05		3.62
सेवाओं की प्राप्ति	Receiving of services	15.93	0.01			15.94
प्रबंधन संविदाएं	Management contracts	3.50				3.50

5. प्रति शेयर अर्जन (एएस-20)

5. Earning Per Share (AS-20)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
इक्विटी शेयर धारकों हेतु कर के बाद शुद्ध लाभ (रु. करोड़ में)	Net Profit after tax available for equity shareholders (Rs. in Crores)	2227.20	1435.52
इक्विटी शेयर्स की वेटेड औसत संख्या	Weighted Average Number of Equity shares	364266500	364266400
प्रति शेयर बुनियादी व डायल्यूटेड अर्जन	Basic & Diluted earning per share	61.14	39.41
प्रति इक्विटी शेयर अंकित कीमत	Nominal value per equity share	Rs. 10.00	Rs. 10.00

6. आय कर की गणना (एस-22)

आईसीएआई द्वारा जारी आय पर कर की गणना हेतु एस-22 की जरूरतों का बैंक ने पालन किया है तथा तदनुसार आस्थगित कर आस्तियां तथा देयताएं निर्धारित की गई हैं। 31 मार्च, 2009 को आस्थगित कर का नेट बैलेंस रु.43.69 करोड़ था (पिछले साल रु.56.22 करोड़ का डीटीए) जिसमें निम्नांकित शामिल है।

		31.03.2009		31.03.2008	
		आस्तियां Asset	देयता Liability	आस्ति Asset	देयता Liability
अचल आस्तियों पर आयकर कानून के तहत बुक मूल्यहास तथा मूल्यहास में अंतर	Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act on fixed assets		47.78		51.77
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत कटौती	Deduction under section 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961		74.78		
संदेहास्पद कर्ज व अग्रिम (विदेशी) हेतु प्रावधान	Provision for doubtful debts and advances (foreign)	51.00	-	36.46	-
आयकर अधिनियम की धारा 40(a)(ia) गैर अनुमन्य राशि	Amount Disallowable U/S 40(a)(ia) of the IT Act	16.86			
अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	Provision for leave encashment	98.39	-	71.53	-
जोड़	Total:	166.25	122.56	107.99	51.77
शुद्ध आस्थगित कर आस्तियां	Net Deferred Tax Asset	43.69	-	56.22	-

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए रु. 12.53 करोड़ की नेट डेफर्ड कर आस्तियों में वृद्धि (पिछले वर्ष रु. 3.12 करोड़ की वृद्धि) को लाभ व हानि खाते में निर्धारित किया गया है।

6. Accounting for Taxes on Income (AS-22)

The Bank has complied with the requirements of AS 22 on Accounting for Taxes on Income issued by ICAI and accordingly deferred tax assets and liabilities are recognized. The net balance of deferred tax assets as on 31st March 2009 amounting to Rs. 43.69 Crores (Previous Year DTA of Rs.56.22 Crores) consists of the following:

7. परिचालन बंद करना (एस 24)

वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान बैंक द्वारा अपनी किसी भी शाखा को बंद करने संबंधी कार्यवाही नहीं की है, फलस्वरूप देयताओं को कम करने तथा आस्तियों की वसूली की जा सकी है और संपूर्ण बैंक स्तर पर अपने परिचालन में किसी कार्यवाही की समाप्ति, जिससे उपरोक्त प्रभाव पड़े, संबंधी निर्णय नहीं लिया गया है।

7. Discontinuing operations (AS24)

During the financial year 2008-09 the bank has not discontinued the operations of any of its branches, which resulted in shedding of liability and realization of the assets and no decision has been finalized to discontinue an operation in its entirety, which will have the above effect.

8. आस्तियों का इंपेयरमेंट (एस-28)

लेखा मानक-28 "आस्तियों का इंपेयरमेंट" को खंड 5 से खंड 13 - के अंतर्गत मटेरिअल इंपेयरमेंट दृष्टिगोचर न होने कारण चालू वित्तीय वर्ष में अचल संपत्ति का कोई भी इंपेयरमेंट जरूरी नहीं है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अचल आस्तियों के इंपेयरमेंट की आवश्यकता नहीं है।

8. Impairment of Assets (AS-28)

In view of the absence of indication of material impairment within the meaning of clause 5 to clause 13 of Accounting Standard-28 "Impairment of Assets", no impairment of fixed assets is required for in respect of current financial year.

9. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां (एस-29)

9.1 देयताओं के लिए प्रावधानों का संचलन (अन्यों के लिए प्रावधानों को छोड़कर)

9. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (AS-29)

9.1 Movement of provisions for Liabilities (excluding provisions for others)

(रु. करोड़ों में / Rs. in Crores)

विवरण	Particulars	मुकदमों / आकस्मिकताएं Legal Cases / contingencies
1 अप्रैल 2008 को शेष	Balance as on 1st April 2008	13.43
वर्ष के दौरान प्रदत्त	Provided during the year	-
31 मार्च 2009 को शेष	Balance as at 31st March 2009	13.43
आउटफ्लो/अनिश्चितताएं का समय	Timing of outflow / uncertainties	सेटलमेंट / क्रिस्टलाइजेशन पर आउटफ्लो Outflow on settlement/crystallization

बैंक ने एक नीति निर्धारित की है जिसके अनुसार बैंक के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है।

The Bank has provided for claims against the bank which have not been acknowledged as debt as per a policy framed by it.

9.2 आकस्मिक देयताएं :

तुलनपत्र के शेड्यूल 12 की क्र सं. (I) से (VI) में उद्धृत ऐसी देयताएं अदालत के निर्णय, पंच फैसले, अदालत के बाह्य निस्तारण, अपील का निपटारा, मांगी गई राशि, अनुबंधन दायित्वों के संबंध में, क्रमशः संबंधित पार्टियों द्वारा की गई मांगों पर निर्भर करती हैं। ऐसे मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

ग. लेखों पर अन्य टिप्पणियां

1. बहियों का मिलान एवं समाधान

- 1.1 कुछ शाखाओं में अनुषंगी बहियों /रजिस्ट्रों का नियंत्रक लेखों से मिलान /समाधान का कार्य अभी चल रहा है।
- 1.2 अंतर कार्यालय समायोजन के अंतर्गत लेखों के विभिन्न शीर्षों में नामे एवं जमा की बकाया प्रविष्टियों के प्रारंभिक मिलान का कार्य समाधान के प्रयोजन हेतु 31.12.2008 तक कर लिया गया है। आगे का कार्य चल रहा है।
- 1.3 बैंकों के साथ खातों, नॉस्ट्रो, देय ड्राफ्ट/टीटी, उचन्त, लाभांश/ब्याज/ अदा किए गए धन वापसी आदेश इंटर एसओएल इत्यादि से संबंधित लेखों के मिलान का कार्य अभी भी चल रहा है।
लाभ व हानि लेखे तथा तुलन-पत्र का प्रभाव, यदि कोई हो, जो प्रबंधन की राय में हालांकि निर्धारणीय नहीं है, नहीं लिया जाएगा।
- 1.4 रु.441.09 करोड़ का शुद्ध क्रेडिट जो विदेशी मुद्रा समनुदेशित पूंजी मे रुपान्तरण, अप्रेषित लाभ, संचित हानियां तथा प्रधान कार्यालय ब्याज मुक्त, जिनके लिए मिलान विचाराधीन है, के कारण अन्य देयताएं प्रस्तुत करता है उसे अन्य देअताओं के शामिल किया गया है।

2. पूंजीगत प्रारक्षित निधि

- 2.1 पूंजीगत प्रारक्षित निधि में अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप होने वाली मूल्यवृद्धि तथा लघु /मध्यम उद्योगों के लिए निर्यात विकास परियोजनाओं /औद्योगिक निर्यात परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक की योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार की अंशदान राशि शामिल है।
- 2.2 चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी 2 विदेशी अचल परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन 0.59 करोड़ रुपये किया है। पुनर्मूल्यांकन की राशि अचल आस्तियों में वृद्धि के रूप में दर्शायी गयी है और इन्हे प्रारक्षित और अधिशेष के भाग रूप में पूंजीगत प्रारक्षित के अंतर्गत पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित खाते में जमा किया गया है।

3. निवेश

- 3.1 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक ने "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी में विद्यमान सरकारी प्रतिभूतियों (एसएलआर) के एक भाग को "परिपक्वता धारित" श्रेणी में अंतरित कर दिया। 38.22 करोड़ रुपए (गत वर्ष 37.08 करोड़ रुपए) के परिणामी मूल्यहास को लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित कर दिया गया।
- 3.2 'परिपक्वता धारित' श्रेणी के तहत रखे गये निवेश की बिक्री पर लाभ राशि 723.64 करोड़ रु को लाभ एवं हानि खाते मे लिया गया है और उसके बाद रु 358.26 करोड़ को पूंजीगत प्रारक्षित निधि में करों को शुद्ध में समायोजित कया गया है तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 17 के अन्तर्गत सांविधिक प्रारक्षित निधि को अंतरित किया गया है।

4. करों के लिए प्रावधान

- 4.1 आयकर का प्रावधान, अपीलीय प्राधिकारियों के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए व अधिवक्ता के परामर्श से किया गया है।
- 4.2 "अन्य आस्तियां" शीर्षक के अंतर्गत दर्शायी अग्रिम कर अदायगी / स्रोत पर कर की कटौती राशि में विवादास्पद कर मांगों के संबंध में बैंक द्वारा भुगतान की गई /विभाग द्वारा समायोजित राशि

9.2 Contingent Liabilities:

Such liabilities as mentioned at Serial No (I) to (VI) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon, the outcome of court, arbitration, out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties respectively. No reimbursement is expected in such cases.

C. Other Notes to Accounts

1. Balancing of Books and Reconciliation

- 1.1 The balancing / Reconciliation of control accounts with subsidiary ledgers / registers is in progress in certain branches.
- 1.2 Initial matching of debit and credit outstanding entries in various heads of accounts included in Inter office Adjustments has been completed up to 31.12.2008, the reconciliation of which is in progress.
- 1.3 Reconciliation of accounts with banks, Nostro, Drafts / TTs payable, Suspense, dividend / Interest / refund orders paid / payable etc. is in progress.
The impact, if any, on the Profit and Loss Account and the Balance Sheet, though not quantified, in the opinion of the management will not be material.
- 1.4 Net credit of Rs. 441.09 crores representing other liabilities on account of foreign currency translation of assigned capital, unremitted profit, accumulated loss and head office interest free funds, for which reconciliation is pending, has been included under other liabilities.

2. Capital Reserves

- 2.1 Capital Reserve includes appreciation arising on revaluation of immovable properties and amount subscribed by Government of India under the World Bank's Scheme for Export Development Projects / Industrial Export Projects for small / medium scale industries.
- 2.2 During the current financial year, the Bank has revalued two foreign immoveable properties by an amount of Rs. 0.59 Crores. The amount of revaluation has been shown as an addition to Fixed Assets and credited to Revaluation Reserve Account under Capital Reserves as part of Reserves and Surplus.

3. Investments

- 3.1 In terms of RBI Guidelines, during the year, the bank has transferred a portion of Government Securities (SLR) kept in "Available for Sale" category to "Held to Maturity" category. The resultant depreciation of Rs.38.22 Crores (previous year Rs. 37.08 Crores) has been charged to the Profit & Loss Account.
- 3.2 Profit on sale of investments held under "Held to maturity" category amounting to Rs.723.64 Crores has been taken to the Profit and Loss Account and thereafter an amount of Rs.358.26 crores has been appropriated to the Capital Reserve, net of taxes and transfer to Statutory Reserve under section 17 of the Banking Regulation Act, 1949

4. Provision for Taxes.

- 4.1 Provision for Taxes are arrived at after due consideration of decisions of the appellate authorities and advice of counsels.
- 4.2 Tax paid in advance / tax deducted at source appearing under "Other Assets" amounting to Rs. 1019.84 Crores (previous year Rs 1092.51 Crores)

- रु.1019.84 करोड़ (पिछले वर्ष रु.1092.51 करोड़) शामिल है। आयकर की विवादास्पद मांगों के लिए न्यायिक निर्णयों और / या कानूनी परामर्श अधिकारी की राय को ध्यान में रखते हुए इस मद के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किये गये परिवर्तन / मनाही बनाये रखने लायक नहीं है।
- 4.3 बैंक ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अन्तर्गत पात्र व्यवसाय के संबंध में, जो उक्त धारा में विनिर्दिष्ट है, कटौती हेतु दावा किया है। तदनुसार 220 करोड़ रु विशेष प्रारक्षित निधि खाते में अन्तर्गत कर दिए हैं। बैंक ने पिछले वर्ष के लिए 200 करोड़ रु की राशि सामान्य प्रारक्षित खाते से विशेष प्रारक्षित खाते में अन्तर्गत कर दी है।
5. बैंक ने वर्ष के दौरान 100 ईक्विटी शेयरों(गतवर्ष 400 ईक्विटी शेयर) जब्त करके उन्हें अभिशून्य कर दिया।
6. **परिसर**
- 6.1 बैंक की कुल 79.72 करोड़ रु. (मूल लागत) - (पिछले वर्ष 78.74 करोड़ रु.) की कुछ संपत्तियों के संबंध में हस्तांतरण विलेख का निष्पादन होना बाकी है।
- 6.2 बैंक की कुछ संपत्तियों की पुनर्मूल्यांकित राशि का उल्लेख किया गया है। वर्ष के अंत में परिसर शीर्ष के अंतर्गत कुल 1766.66 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 1765.99 करोड़ रु.) पुनर्मूल्यांकित राशि को शामिल किया गया है। शुद्ध मूल्यहास के संबंध में पुनर्मूल्यांकित राशि 1448.34 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 1519.09 करोड़ रु.) है।
- 6.3 परिसर के अंतर्गत निर्माणाधीन /कब्जे में ली जानेवाली 74.79 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 87.48 करोड़ रु.) की संपत्तियां शामिल हैं।
7. 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के दौरान 409.10 करोड़ रु. की राशि के टीयर बॉन्ड II पुनःशोधित किए गए हैं तथा 300.20 करोड़ रु की राशि के टीयर I बॉन्ड और 1500 करोड़ रु की राशि टीअर II बॉन्ड (पिछले वर्ष रु 2703.62 करोड़ रु. जिसमें यू.एस. डॉलर 300 मिलियन की तदनुसूची राशि 1203.62 करोड़ रु शामिल हैं जो मीडियम टर्म लोन के माध्यम से) लगायी गयी।
8. अन्य आरक्षित निधि में आयकर अधिनियम की आवश्यकताओं के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि के कारण 673.95 करोड़ रुपये (गत वर्ष 253.95 करोड़ रुपये) की राशि समाविष्ट है।
9. वर्ष के दौरान बैंक ने 1 नवम्बर, 2007 से देय अधिकारियों और अवार्ड स्टॉफ के वेतन संशोधन के लिए अनुमानित आधार पर 325.00 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 100 करोड़ रु.) की राशि का प्रावधान किया है।
10. बॉब फिस्कल सर्विसेज लिमिटेड (बॉब एफ एस एल), पूर्व में पूर्ण रूप से बैंक ऑफ़ बड़ौदा की अनुषंगी द्वारा 24.09.1990 को कंपनी को स्वैच्छिक रूप से समाप्त करने का विशेष संकल्प पारित किया गया और उसके लिए एक परिसमापक की नियुक्ति कर दी गयी। बॉब एफ एस एल ने बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ एक समझौता किया जिसके तहत दिनांक 28.02.1991 से बॉब एफ एस एल की संपूर्ण आस्तियां एवं देयताएं बैंक ऑफ़ बड़ौदा को उसका पूर्ण व्यवसाय के समापन में एक चालू संस्था/बिक्री के रूप में स्थानांतरित कर दिए गए। चूंकि कंपनी विचाराधीन कानूनी मामले के कारण पूर्ण रूप से परिसमाप्त नहीं की जा सकती थी अतः दिनांक 30 मार्च 2007 को बॉब एफ एस एल की वार्षिक सामान्य बैठक में बॉब एफ एस एल को बैंक ऑफ़ बड़ौदा में शामिल करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए कानूनी औपचारिकताएं प्रक्रियागत हैं और ऐसी लंबित औपचारिकताओं के कारण किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
11. भारत सरकार द्वारा बनाई गई कृषि ऋण माफी राहत योजना - 2008 के अनुसार बैंक ने 506.04 करोड़ रु. का अनंतिम दावा दायर किया है जिसमें से 208.91 करोड़ रु की राशि प्राप्त हो चुकी है।
12. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां जरूरी समझा गया, अंकों को पुनर्समूहित/पुनर्गठित किया गया है।
- represents amounts adjusted by the department / paid by the Bank in respect of disputed tax demands for various assessment years. No provision is considered necessary in respect of the said demands as in the bank's view, duly supported by counsels' opinion and / or judicial pronouncements, additions / disallowances made by the Assessing Officer are not sustainable.
- 4.3 The Bank has claimed deduction under section 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961 in respect of the eligible business as specified in the said section and has accordingly transferred a sum of Rs.220 Crores to the corresponding Special Reserve account. The Bank has also transferred a sum of Rs.200 Crores from the General Reserve to Special Reserve account for the previous year.
5. During the year, the bank has annulled the forfeiture of 100 equity shares (previous year 400 equity shares).
6. **Premises-**
- 6.1 Execution of conveyance deeds is pending in respect of certain properties aggregating to Rs 79.72 Crores (Previous year Rs.78.74 Crores) – (original cost).
- 6.2 Certain properties of the Bank are stated at revalued amounts. The gross amount of the revaluation included in premises as at the year-end is Rs.1766.66 Crores (Previous Year Rs.1765.99 Crores) and net of depreciation the revaluation amounts to Rs. 1448.34 Crores (Previous year Rs.1519.09 Crores).
- 6.3 Premises include assets under construction / acquisition amounting to Rs.74.79 Crores (Previous year Rs.87.48 Crores).
7. During the year ended March 31, 2009, Tier II Bonds amounting to Rs. 409.10 Crores have been redeemed and Tier I Bonds amounting to Rs. 300.20 crores and Tier II Bonds amounting to Rs. 1500.00 Crores (Previous year Rs.2703.62 Crores including Rs.1203.62 Crores corresponding to US \$ 300 Million issued by way of Medium Term Loans) were raised.
8. Other Reserves include an amount of Rs.673.95 Crores (previous year Rs.253.95 Crores) on account of special reserves created under requirements of Income Tax Act.
9. Bank has made a provision of Rs. 325.00 Crores (Previous year Rs 100 Crores) on an estimated basis for salary revision of officers & award staff due w.e.f. November 1, 2007.
10. BOB Fiscal Services Limited (BOBFSL), erstwhile wholly owned subsidiary of Bank of Baroda, had passed a special resolution for voluntary winding up of the company on 24.09.1990 and the liquidator was appointed for the same. BOBFSL entered into an agreement with Bank of Baroda pursuant to which entire assets and liabilities of BOBFSL were transferred to BOB as a going concern / as sale in liquidation of the entire business w.e.f. 28.2.1991. As the company could not be liquidated due to pending legal cases; a decision to merge BOBFSL with Bank of Baroda was taken in the Annual General Meeting of BOBFSL held on 30th March 2007. The legal formalities for the same are under process and pending such formalities; no impact of the same is given in accounts.
11. In terms of Agricultural Debt Waiver Relief Scheme 2008, framed by the Government of India, the Bank has lodged a provisional claim of Rs 506.04 Crores out of which a sum of Rs. 208.91 crores has already been received by it.
12. Previous year figures have been regrouped / rearranged wherever considered necessary.

31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण
Statement of Cash Flow for the year ended 31st March, 2009

(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2009	31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2008
क. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह :	A. Cash flow from operating activities:		
कर से पूर्व शुद्ध लाभ	Net Profit before taxes	3342,94,47	2207,15,63
निम्नलिखित के लिए समायोजन :	Adjustments for:		
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	Depreciation on fixed assets	232,60,44	231,99,64
निवेशों पर मूल्य हास (परिपक्व ऋणपत्रों सहित)	Depreciation on investments (including on Matured debentures)	536,74,56	41,75,67
बड़े खाते डाले गए अशोध्य ऋण / गैर निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान	Bad debts written-off/Provision in respect of non-performing assets	337,58,36	525,87,59
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for Standard Assets	75,47,47	108,80,00
अन्य मदों के लिए प्रावधान (निवल)	Provision for Other items (Net)	12,25,75	144,96,12
अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ/(हानि) (निवल)	Profit/(loss) on sale of fixed assets (Net)	4,39	(36,62)
गौण ऋणों पर ब्याज हेतु भुगतान/प्रावधान, (अलग से लिया गया)	Payment/provision for interest on subordinated debt (treated separately)	466,86,88	350,45,06
अनुषंगी इकाइयों/अन्य से प्राप्त लाभांश (अलग से लिया गया)	Dividend received from subsidiaries/ others (treated separately)	(32,22,41)	(10,93,81)
उप-जोड़	Sub total	4972,29,91	3599,69,28
निम्नलिखित के लिए समायोजन :	Adjustments for:		
निवेशों में (वृद्धि) /कमी	(Increase)/Decrease in investments	(9008,42,80)	(8900,50,67)
अग्रिमों में (वृद्धि) /कमी	(Increase)/Decrease in advances	(37622,15,56)	(23606,33,02)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) /कमी	(increase)/Decrease in other assets	(157,50,11)	963,97,02
उधार राशियों में वृद्धि /(कमी)	Increase/(Decrease)in borrowings	1709,03,79	2784,48,64
जमा राशियों में वृद्धि / (कमी)	Increase/(Decrease) in deposits	40362,82,45	27118,14,79
अन्य देयताओं तथा प्रावधानों में वृद्धि /(कमी)	Increase/(Decrease) in other liabilities and provisions	2192,01,51	616,37,14
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड की निवल राशि)	Direct taxes paid (Net of Refund)	(1322,62,48)	(422,49,64)
परिचालन कार्यकलापों से शुद्ध नकदी (क)	Net cash from operating activities (A)	1125,46,71	2153,33,54

(000's अनंकित omitted)

ख. निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	B. Cash flow from investing activities:		
अचल आस्तियों की खरीद	Purchase of fixed assets	(207,82,60)	(293,04,82)
अचल आस्तियों की बिक्री	Sale of fixed assets	40,79,65	114,67,53
व्यापार संबंधी निवेशों में परिवर्तन (अनुषंगी एवं अन्य)	Changes in Trade related investments (Subsidiaries & others)	(104,12,56)	(67,69,03)
अनुषंगी इकाइयों/अन्यों से प्राप्त लाभांश	Dividend received from subsidiaries/ others	32,22,41	10,93,81
निवेश संबंधी कार्यकलापों से शुद्ध नकदी (ख)	Net cash used in investing activities (B)	(238,93,10)	(235,12,51)
ग. वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह :	C. Cash flow from financing activities:		
शेयर पूँजी	Share Capital	0	1
शेयर प्रीमियम	Share premium	3	10
गैर जमानती गौण बांड	Unsecured Subordinated Bonds	1709,10,15	2703,61,90
लाभांश कर सहित प्रदत्त लाभांश	Dividend paid including dividend tax	(340,93,88)	(252,45,84)
गैर जमानती गौण बांडों पर प्रदत्त / देय ब्याज	Interest paid / payable on unsecured subordinated bonds	(466,86,88)	(350,45,06)
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी (ग)	Net cash from financing activities (C)	901,29,42	2100,71,11
नकदी एवं नकदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि (क)+(ख)+(ग)	Net increase in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)	1787,83,03	4018,92,14
वर्ष के प्रारंभ में नकदी व नकदी समतुल्य	Cash and cash equivalents as at the beginning of the year	22299,28,67	18280,36,53
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी समतुल्य	Cash and cash equivalents as at the end of the year	24087,11,70	22299,28,67

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

Auditors' Report

सेवा में,

शेयरधारक,

हमने बैंक ऑफ़ बड़ौदा के 31 मार्च 2009 के तुलन-पत्र तथा उसके साथ संलग्न उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखे नकद प्रवाह विवरण की लेखा परीक्षा की है जिसमें हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित 20 शाखाएं, अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित 2555 शाखाएं और स्थानीय लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित 46 विदेशी शाखाएं की विवरणियां शामिल हैं। हमारे द्वारा और अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा की गई शाखाओं का चुनाव बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया है। तुलन पत्र तथा लाभ-हानि खाते में 350 शाखाएं की विवरणियां भी शामिल की गई हैं, जिनकी लेखा-परीक्षा नहीं की गयी है। ये अ-लेखापरीक्षित शाखाएं 0.73 प्रतिशत अग्रिम, 2.35 प्रतिशत जमाराशियां, 0.43 प्रतिशत ब्याज-आय और 1.84 प्रतिशत ब्याज-व्यय से संबंधित हैं। ये वित्तीय विवरणियां बैंक प्रबंधन का उत्तरदायित्व हैं। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा-परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणियों पर विचार व्यक्त करना है।

हमने लेखा परीक्षा भारत में स्वीकार्य सामान्य लेखा परीक्षा मानकों के आधार पर की है। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम लेखा परीक्षा इस तरह से सुनियोजित और संपन्न करें कि हमें यह तर्कसंगत आश्वासन मिले कि ये वित्तीय विवरणियां किसी प्रकार की महत्वपूर्ण गलतियों से मुक्त हैं। वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों के साक्ष्यों एवं प्रकटीकरण की जांच करना लेखा परीक्षा में शामिल है। लेखा परीक्षा में, प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निर्धारण और लेख सिद्धांतों का आकलन भी शामिल है। इसमें समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा की गयी लेखा परीक्षा हमारी राय का तर्कसंगत आधार है।

इसमें सूचित लेखा-परीक्षा और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के आधार पर और उनके अंतर्गत प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन हम यह रिपोर्ट देते हैं कि :

1. तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा, बैंककारी कंपनी अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के फार्म 'ए' और 'बी' में बनाए गए हैं।
2. अनुसूची 18 पर नोट सी 1 का संदर्भ लें। इसमें उल्लिखित बकाया मदों के समाधान, समाशोधन से उत्पन्न समायोजनों के संबंध में प्रभाव को निर्धारित नहीं किया जा सकता।
3. अनुसूची 18 में प्रतिशेयर अर्जन (नोट बी 4) तथा पूंजी पर जोखिम आस्ति अनुपात (नोट ए 1) उपरोक्त पैरा (2) में दी गयी हमारी टिप्पणियों के अधीन है।
4. उपरोक्त अनुच्छेद (2) और (3) की टिप्पणियों के अधीन और उल्लेखनीय लेखा नीतियों और लेखा संबंधी टिप्पणियों के दृष्टिगत हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:-

अ) हमने अपने अधिकतम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार लेखा-परीक्षा हेतु आवश्यक सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं तथा उन्हें संतोषजनक पाया है।

To,

The Shareholders,

We have audited the attached Balance Sheet of Bank of Baroda as at 31st March 2009 and also the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement annexed thereto for the year ended on that date in which are incorporated the returns of 20 branches audited by us, 2555 branches audited by other auditors and 46 foreign branches audited by local auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 350 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 0.73 percent of advances, 2.35 percent of deposits, 0.43 percent of interest income and 1.84 percent of interest expenses. These financial statements are the responsibility of the Bank's Management. Our responsibility is to express an opinion on these Financial Statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement(s). An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting to the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

Subject to the limitations of the audit indicated herein above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

1. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
2. Reference is invited to Note C1 in Schedule 18 regarding adjustments arising from reconciliations/ clearance of outstanding items stated therein; the consequential effect of which is not ascertainable.
3. Earnings per share (Note B4) and Capital to Risk Assets Ratio (Note A1) in schedule 18 are subject to our observations in para '2' above.
4. Subject to our observations in Para 2 & 3 above and read with the Significant Accounting Policies and Notes On Accounts, we further report that:
 - a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.

- ब) बैंक के संव्यवहारों की जो जानकारी हमारे सामने आयी है, वे बैंक के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही हैं।
- स) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियां लेखा-परीक्षा हेतु सामान्यतः पर्याप्त पायी गयीं, केवल कुछ मामलों में, प्राप्त विवरणियों में भरे गए विवरण अपूर्ण /अपर्याप्त थे. ऐसे मामलों में प्रबंध तंत्र द्वारा दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण पर हमने भरोसा किया है.
- द) हमारी राय और हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों एवं बैंक की लेखाबहियों में दर्शाए गए अनुसार :
- नोट के साथ पठित यह तुलन-पत्र पूर्ण और सही है, जिसमें आवश्यक विवरण दिए गए हैं और यथोचित ढंग से बनाया गया है, जिससे कि, भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ समरूपता में नोट के साथ पठित बैंक के 31 मार्च, 2009 के क्रियाकलापों का सही एवं यथायोग्य चित्र सामने आ सके.
 - लाभ-हानि लेखा, भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ समरूपता में कवर खाते के वर्ष के लिए बैंक के सही लाभ शेष को दर्शाता है.
 - नकदी प्रवाह-विवरण वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह का सही एवं स्पष्ट विवरण देता है.
- b) The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank.
- c) The returns received from the offices and branches of the Bank have generally been found adequate for the purpose of our audit and the management has provided us information and explanations, on which we have placed reliance, where the particulars, in the returns received, were incomplete/ inadequate.
- d) In our opinion, as shown by books of bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:
- The Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March 2009 in conformity with accounting principles generally accepted in India;
 - The Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and
 - The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

कृते बी.सी.जैन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
For B.C.JAIN & CO.
Chartered Accountants
(बी. सी. जैन)
(B.C. Jain)
भागीदार / Parter
(M.No. 005690)

कृते मेसर्स ए. सचदेव एण्ड कं
सनदी लेखाकार
For A. SACHDEV & CO.
Chartered Accountants
(मनीष अग्रवाल)
(Manish Agarwal)
भागीदार / Parter
(M.No. 078628)

कृते मेसर्स गुप्ता नायर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
For GUPTA NAYAR & CO.
Chartered Accountants
(राजीव कुमार नायर)
(Rajiv Kumar Nayar)
भागीदार / Parter
(M.No. 085468)

कृते एस.के.कपूर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
For S.K. KAPOOR & CO.
Chartered Accountants
(संजीव कपूर)
(Sanjiv Kapoor)
भागीदार / Parter
(M.No. 070487)

कृते अश्वनी एण्ड असोसिएट्स
सनदी लेखाकार
For ASHWANI & ASSOCIATES
Chartered Accountants
(अश्विनी कुमार)
(Ashwani Kumar)
भागीदार / Parter
(M.No. 80711)

कृते मेसर्स एन.सी.बैनर्जी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
For N.C. BANERJEE & CO.
Chartered Accountants
(बी. के. बिस्वास)
(B. K. Biswas)
भागीदार / Parter
(M.No. 055623)

स्थान/Place : Mumbai

दिनांक/Date : 27.04.2009



**YOU SEE 100 HOUSES
BEFORE CHOOSING ONE.
THEN, SOMEONE ELSE
BECOMES ITS OWNER.**

HOME LOAN IN 6 DAYS.

Finding the house of your dreams is not easy. And a delayed home loan should certainly not come between you and the house your heart is set on. That's why we have an assembly-line Home Loan Factory. Because what good is **BARODA next**, if you can't be the owner of the house you fall in love with?

Toll Free No.: 1-800-22-4447
www.bankofbaroda.com

BARODA next
STATE-OF-THE-ART. STRAIGHT FROM THE HEART.



**SHOPPING SHOULD ONLY
BE ABOUT HEAVY BAGS.
NOT HEAVY HEARTS.**

INTERNATIONAL DEBIT CARD.

Our Debit Card is accepted at over 32,000 ATMs in India, 10 lac VISA ATMs worldwide, 3.5 lac merchant outlets in India and around 290 lac globally. Because what good is **BARODA NEXT**, if you can't shop to your heart's content?

Toll Free No.: 1-800-22-4447
www.bankofbaroda.com

BARODA next
STATE-OF-THE-ART. STRAIGHT FROM THE HEART.

समेकित वित्तीय विवरणियां
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

31 मार्च 2009 का समेकित तुलन-पत्र
Consolidated Balance Sheet as on 31st March 2009

(000'S अनंकित Rs. In 000's)

	अनुसूची SCHEDULE	31 मार्च 2009 को As on 31st Mar, 2009 रु. Rs.	31 मार्च 2008 को As on 31st Mar, 2008 रु. Rs.
पूंजी और देयताएं	CAPITAL & LIABILITIES		
पूंजी	Capital	1	365,52,77
प्रारक्षित निधियां और अधिशेष	Reserves & Surplus	2	12914,98,95
मायनोरिटी इन्टरेस्ट	Minority Interest	2A	46,42,54
जमाराशियां	Deposits	3	196608,43,67
उधार ली गई राशियां	Borrowings	4	5644,84,91
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities & Provisions	5	16730,97,07
जोड़	T O T A L		<u>232311,19,91</u>
आस्तियां	ASSETS		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष रकम	Cash and balances with Reserve Bank of India	6	10901,20,65
बैंकों के पास शेष रकम तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	14301,41,14
निवेश	Investments	8	53626,57,95
ऋण एवं अग्रिम	Loans & Advances	9	146293,98,48
अचल आस्तियां	Fixed Assets	10	2375,50,64
अन्य आस्तियां	Other Assets	11	4628,38,89
समेकन पर गुडविल	Goodwill on Consolidation		184,12,16
जोड़	T O T A L		<u>232311,19,91</u>
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	12	73730,70,57
वसूली के लिए बिल	Bills for Collection		14047,38,50
महत्वपूर्ण लेखा-नीतियां	Significant Accounting Policies	18	
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	19	
ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां तुलन-पत्र का एक अभिन्न भाग हैं. The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.			

श्री एम.डी.मल्या
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री वी.सन्तानरामन
कार्यकारी निदेशक
श्री आर. के. बक्षी
कार्यकारी निदेशक
श्री एन.आर.बद्रीनारायणन
महाप्रबंधक
(कार्पो.खाते, कराधान एवं
अनुपालन अधिकारी-भा.रि.बैं.)
श्री वी.के.गुप्ता
उप महाप्रबंधक
(कार्पो.खाते एवं कराधान)

निदेशक

श्री अमिताभ वर्मा
श्री ए. सोमसुन्दरम
श्री मिलिन्द एन. नाडकर्णी
श्री रणजीत कुमार चटर्जी
श्री अमरजीत चोपड़ा
डॉ. अतुल अग्रवाल
डॉ. धर्मेन्द्र भंडारी
श्री मौलिन ए. वैष्णव

लेखा परीक्षक

सम तारीख की हमारी संलग्न पृथक रिपोर्ट के अनुसार

कृते बी.सी.जैन एण्ड कं. सनदी लेखाकार (रंजीत सिंह) भागीदार M No. 073488	कृते ए. सचदेव एण्ड कं. सनदी लेखाकार (मनीष अग्रवाल) भागीदार M No. 078628	कृते गुप्ता नायर एण्ड कं. सनदी लेखाकार (सुरेंद्र नरुका) भागीदार M No. 091740
कृते एस के कपूर एण्ड कं. सनदी लेखाकार (वी. बी. सिंह) भागीदार M No. 73124	कृते अश्विनी एण्ड एसोसिएट सनदी लेखाकार (अरविंद जैन) भागीदार M No. 097549	कृते एन सी बनर्जी एण्ड कं. सनदी लेखाकार (एम सी कोडाली) भागीदार M No. 056514

स्थान : मुंबई
तारीख : 26.5.2009

31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ व हानि लेखा

Consolidated Profit & Loss Account for the year ended 31st March 2009

(000'S अनंकित omitted)

		अनुसूची SCHEDULE	31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए Year ended 31st Mar 2009 रु. Rs.	31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए Year ended 31st Mar 2008 रु. Rs.
I. आय	I. INCOME			
अर्जित ब्याज	Interest Earned	13	15547,56,10	12164,24,51
अन्य आय	Other Income	14	2845,36,05	2142,42,25
जोड़	T O T A L		<u>18392,92,15</u>	<u>14306,66,76</u>
II. व्यय	II. EXPENDITURE			
ब्याज व्यय	Interest Expended	15	10167,34,91	8062,86,78
परिचालन व्यय	Operating Expenses	16	3712,35,72	3152,55,91
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	Provisions and Contingencies		2181,94,95	1573,10,29
जोड़	T O T A L		<u>16061,65,58</u>	<u>12788,52,98</u>
माइनारिटी इन्टरेस्ट से पूर्व समेकित लाभ और सहयोगी इकाइयों में आय का अंश	Consolidated Profit before Minority Interest and share of earning in Associates		2331,26,57	1518,13,78
सहयोगी इकाइयों में आय का अंश	Share of earnings in Associates	17	63,65,64	39,85,13
माइनारिटी इन्टरेस्ट काटने से पूर्व वर्ष के लिए समेकित शुद्ध लाभ	Consolidated Net Profit for the year before deducting Minority interest		<u>2394,92,21</u>	<u>1557,98,91</u>
घटाएं : माइनारिटी इन्टरेस्ट	Less : Minority Interest		10,84,32	9,61,34
वर्ष के लिए ग्रुप का समेकित लाभ	Consolidated Profit for the year attributable to the group		2384,07,89	1548,37,57
आगे लाई गई लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि	Balance in Profit and Loss A/c brought forward		61,79,31	33,13,47
विनियोग हेतु उपलब्ध राशि	Amount available for appropriation		2445,87,20	1581,51,04
III. विनियोग	III. APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षित निधि को अन्तरण	Transfer to Statutory Reserve		566,58,22	365,66,47
राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों को अन्तरण	Transfer to Capital Reserves		358,25,58	84,64,85
धारा 36(1) (VIII) के तहत विशेष आरक्षित निधि को अन्तरण	Transfer to Special Reserve u/s 36 (1)(viii)		220,00,00	0
राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों को अन्तरण	Transfer to Revenue & Other Reserves		846,90,41	728,46,53
प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित)	Proposed Dividend (Including Dividend Tax)		383,55,63	340,93,88
समेकित बेलेंसशीट में आगे ले जाया गया शेष	Balance carried over to consolidated Balance Sheet		70,57,36	61,79,31
जोड़	T O T A L		2445,87,20	1581,51,04
प्रतिशेयर आय (बेसिक व डायल्यूटेड) रु. में	Earnings per Share (Basic & Diluted)		65.45	42.51
महत्वपूर्ण लेखा-नीतियां	Significant Accounting Policies	18		
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	19		
उपर दर्शाई गई अनुसूचियां लाभ एवं हानि लेखे का ही एक भाग हैं The Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account.				

M D Mallya

DIRECTORS

Chairman & Managing Director
V Santhanaraman

Shri Amitabh Verma

Executive Director
R K Bakshi

Shri. A somasundaram

Executive Director
N R Badrinarayanan

Shri Milind N Nadkarni

Shri Ranjit Kumar Chatterjee

Shri Amarjit Chopra

General Manager (Corporate
A/cs. Taxation & Compliance
Officer - RBI)

Dr. Atul Agarwal

Dr. Dharmendra Bhandari

Shri Maulin A Vaishnav

V K Gupta

Dy. General Manager

(Corp. Accounts & Taxation)

For B C Jain & Co.

Chartered Accountants

(Ranjeet Singh)

Partner

M No. 073488

For S. K. Kapoor & Co.

Chartered Accountants

(V B Singh)

Partner

M No. 73124

AUDITORS

As per our separate report of even date attached

For A. Sachdev & Co

Chartered Accountants

(Manish Agarwal)

Partner

M No. 078628

For Ashwani & Associates

Chartered Accountants

(Arvind Jain)

Partner

M No. 097549

For Gupta Nayar & Co.

Chartered Accountants

(Surendra Naruka)

Partner

M No. 091740

For N C Banerjee & Co

Chartered Accountants

(M. C. Kodali)

Partner

M No. 056514

Place: Mumbai

Date: 26.05.2009

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियां
Schedules to Consolidated Balance Sheet

(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2009 को As on 31st March 2009		31 मार्च, 2008 को As on 31st March 2008	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची - 1 पूंजी	SCHEDULE - 1 CAPITAL				
प्राधिकृत पूंजी (प्रत्येक रु. 10/- के 150,00,00,000 इक्विटी शेयर)	AUTHORISED CAPITAL (150,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each)		1500,00,00		1500,00,00
जारी की गयी तथा अभिदत्त पूंजी (प्रत्येक रु. 10/- के 36,70,00,000 इक्विटी शेयर) -	ISSUED & SUBSCRIBED CAPITAL (36,70,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each)		367,00,00		367,00,00
मांगी गई पूंजी प्रत्येक रु. 10/- के 36,42,66,500 (पिछले वर्ष 36,42,66,400) इक्विटी शेयर जिसमें प्रत्येक रु. 10/- के 1960,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 1960,00,000) शामिल हैं, जिसकी कुल राशि रु.196 करोड़ केन्द्र सरकार द्वारा धारित है.	CALLED UP CAPITAL 36,42,66,500 (previous year 36,42,66,400) Equity shares of Rs.10/- each including 1960,00,000 equity shares (previous year 1960,00,000 equity shares) of Rs.10/- each amounting to Rs.196 crores held by Central Government.	364,26,65		364,26,64	
जोड़ें : जब्त शेयर	Add: Forfeited Shares	1,26,12	365,52,77	1,26,13	365,52,77
जोड़ें	TOTAL		<u>365,52,77</u>		<u>365,52,77</u>
अनुसूची - 2	SCHEDULE - 2				
प्रारक्षित निधियां और अधिशेष	RESERVES & SURPLUS				
i सांविधिक प्रारक्षित निधियां	i Statutory Reserves				
आरंभिक शेष	Opening Balance	2268,33,53		1904,76,99	
जोड़ें : लाभ एवं हानि से अंतरित	Add: Transfer from P&L	566,58,22		365,66,47	
जोड़ें : वर्ष के दौरान समायोजन	Add : Adjustments during the year	78,19		62,79	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां / समायोजन	Less: Deductions/ Adjustments during the year	4,17,38	2831,52,56	2,72,72	2268,33,53
ii क) पूंजीगत प्रारक्षित निधियां	ii a) Capital Reserves				
आरंभिक शेष	Opening Balance	1803,19,77		416,75,44	
जोड़ें : लाभ एवं हानि से अंतरित	Add: Transfer from P&L	358,25,58		84,64,85	
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	Add: Additions/Adjustments during the year	4,14,79		1393,59,31	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां / समायोजन	Less: Deductions/ Adjustments during the year	72,60,58	2092,99,56	91,79,83	1803,19,77
ख) समेकन पर पूंजीगत प्रारक्षित निधियां	b) Capital Reserve on Consolidation				
आरंभिक शेष	Opening Balance	9,36,81		6,74,07	
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	Add: Additions/Adjustments during the year	28,01,42		2,62,74	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां / समायोजन	Less: Deductions/ Adjustments during the year	-	37,38,23	-	9,36,81
iii शेयर प्रीमियम	iii Share Premium				
आरंभिक शेष	Opening Balance	2273,88,53		2273,88,43	
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	Add: Additions/Adjustments during the year	3		10	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां / समायोजन	Less: Deductions/ Adjustments during the year	-	2273,88,56	-	2273,88,53
iv राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां	iv Revenue & Other Reserves				

(000's अनंकित omitted)

	31 मार्च, 2009 को As on 31st March 2009		31 मार्च, 2008 को As on 31st March 2008	
	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
क. धारा 36 (1) (viii) के तहत विशेष प्रारक्षित निधियां प्रारंभिक शेष	a. Special Reserves u/s 36 (1) (viii) Opening Balance			
जोड़े: सामान्य प्रारक्षित निधियों से अंतरण	Add: Trf from General Reserves		-	
जोड़े: वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Add: Additions/Adjustments during the year		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां/समायोजन	Less: Deductions/Adjustments during the year		-	
ख. प्रारक्षित निधियां प्रारंभिक शेष	b. Revenue Reserves Opening Balance		-	
जोड़े : लाभ और हानि से अंतरण	Add: Transfer from P&L		-	
घटाएं: विशेष प्रारक्षित निधियों को अंतरण	Less: Trf to Special Reserve		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां/समायोजन	Less: Deductions/Adjustments during the year		-	
v लाभ/हानि खाते में शेष	v Balance in P&L A/c		-	
कुल प्रारक्षित निधियां और अधिशेष (i से v)	Total Reserves & Surplus (I to v)		-	
अनुसूची - 2 ए- माइनारिटी इन्टरेस्ट	SCHEDULE - 2A- Minority Interest			
प्रारंभिक शेष	Opening Balance			
जोड़े : वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	Add: Additions / Adj. during the year			
कुल माइनारिटी इन्टरेस्ट	Total Minorities Interest			
अनुसूची - 3 जमा राशियां	SCHEDULE - 3 DEPOSITS			
क. I मांग जमा राशियां	A. I Demand Deposits			
i) बैंकों से	i) From Banks			
ii) अन्यो से	ii) From Others			
II बचत बैंक जमा राशियां	II Savings Bank Deposits			
III मीयादी जमा राशियां	III Term Deposits			
i) बैंकों से	i) From Banks			
ii) अन्यो से	ii) From Others			
जोड़ (I, II एवं III)	TOTAL (I,II and III)			
ख. I भारत में शाखाओं की जमा राशियां	B. I Deposits of branches in India			
II भारत से बाहर शाखाओं की जमा राशियां	II Deposits of branches outside India			
जोड़ (I एवं II)	TOTAL (I & II)			
अनुसूची - 4 उधार राशियां	SCHEDULE - 4 BORROWINGS			

(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2009 को As on 31st March 2009		31 मार्च, 2008 को As on 31st March 2008	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
I भारत में उधार राशियां	I Borrowings in India				
i) भारतीय रिजर्व बैंक	i) Reserve Bank of India	2700,00,00		-	
ii) अन्य बैंक	ii) Other Banks	17,17,26		18,57,54	
iii) अन्य संस्थाएं और एजेंसियां	iii) Other Institutions and Agencies	431,02,43	3148,19,69	692,18,52	710,76,06
II भारत से बाहर उधार राशियां	II Borrowings outside India		2496,65,22		3251,41,01
जोड़ (I एवं II)	TOTAL (I & II)		5644,84,91		3962,17,07
ऊपर I एवं II में शामिल जमानती उधार राशियां	Secured Borrowings included in I & II above		256,03,05		762,75,97
अनुसूची - 5	SCHEDULE - 5				
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS				
I देय बिल	I Bills Payable		1254,28,42		1759,60,01
II उपचित ब्याज	II Interest Accrued		1469,85,37		1214,91,48
III अन्तर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	III Inter office Adjustments (Net)		1088,89,09		-
IV टीयर I नवोन्मेष बेमीयादी ऋण	IV Tier-I Innovative perpetual debt		300,20,00		-
V गैर जमानती प्रतिशोध्य (टीयर II पूंजी के लिए गौण ऋण (केवल मूल कंपनी के लिए))	V Unsecured Redeemable (Subordinated Debts for Tier II Capital (of Parent only))				
	श्रेणी ब्याज दर परिपक्वता की तारीख				
	Series Interest Rate Date of Maturity				
श्रेणी II	Series II				
विकल्प III	Option III 14.30% 09.04.09	300,00,00	300,00,00	298,00,00	298,00,00
श्रेणी III	Series III				
विकल्प I	Option I 11.15% 30.04.08	-	-	409,10,00	409,10,00
श्रेणी IV	Series IV 5.85% 02.07.14		300,00,00		300,00,00
श्रेणी V	Series V 7.45% 28.04.15		770,00,00		770,00,00
श्रेणी VI	Series VI 8.95% 15.05.16		920,00,00		920,00,00
श्रेणी VII	Series VII 9.30% 28.12.22		500,00,00		500,00,00
श्रेणी VIII	Series VIII 9.30% 03.01.23		1000,00,00		1000,00,00
श्रेणी IX	Series IX 9.15% 04.03.24		1000,00,00		-
श्रेणी X	Series X 8.95% 12.04.18		500,00,00		-
एम टी एन-टीयर II बांड (ओवरसीज)	MTN-Tier II Bonds (Overseas)		1521,62,05		1203,61,90
डिबेंचर (टीयर II बांड के लिए पात्र)	Debentures (eligible for Tier II Bonds)		20,00,00		20,00,00
VI अग्रिमों के पेटे आकस्मिक प्रावधान	VI Contingent Provisions against Advances		1146,24,68		1056,81,60
VII अन्य (प्रावधानों सहित)	VII Others (including provisions)		4639,87,46		3374,85,62
कुल (I, II, III, IV, V, VI & VII)	TOTAL (I, II, III, IV, V, VI & VII)		16730,97,07		12826,90,61
अनुसूची - 6	SCHEDULE - 6				
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष	CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA				
I नकदी शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	I Cash in hand (including foreign currency notes)		1042,94,53		918,13,26
II भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष	II Balances with Reserve Bank of India :				
i) चालू खाते में	i) in Current Account	9775,50,45		8669,47,89	
ii) अन्य खातों में	ii) in Other Accounts	82,75,67	9858,26,12	29,72,55	8699,20,44
जोड़ (I एवं II)	Total (I & II)		10901,20,65		9617,33,70

(000's अनंकित omitted)

	31 मार्च, 2009 को As on 31st March 2009		31 मार्च, 2008 को As on 31st March 2008	
	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची - 7	SCHEDULE - 7			
बैंक के पास शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE			
I भारत में	I In India			
i) बैंकों के पास शेष रकम	i) Balances with Banks			
(क) चालू खातों में	a) in Current Accounts			
(ख) अन्य जमा खातों में	b) in Other Deposit Accounts			
	355,50,25		343,23,06	
ii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय	ii) Money at call and short notice			
(क) बैंकों के पास	a) with Banks			
(ख) अन्य संस्थाओं के पास	b) with Other Institutions			
	32,84,00		2785,35,00	
	-	32,84,00	160,00,00	2945,35,00
जोड़ (i एवं ii)	Total (i and ii)		1863,13,80	4652,32,96
II भारत से बाहर	II Outside India			
i) चालू खातों में	i) in Current Accounts			
ii) अन्य जमा-राशि खातों में	ii) in Other Deposit Accounts			
iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	iii) Money at Call and Short Notice			
	1120,65,06		811,14,19	
	4011,74,86		4479,33,75	
	7305,87,42		3609,96,57	
जोड़ (i,ii एवं iii)	Total (i, ii and iii)		12438,27,34	8900,44,51
कुल जोड़ (I एवं II)	Grand Total (I and II)		14301,41,14	13552,77,47
अनुसूची - 8 निवेश	SCHEDULE - 8 INVESTMENTS			
I भारत में निवेश	I Investments in India in			
i) सरकारी प्रतिभूतियां	i) Govt Securities			
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other Approved Securities			
iii) शेयर	iii) Shares			
iv) डिबेंचर एवं बांड	iv) Debentures and Bonds			
v) सहयोगी इकाइयों में निवेश (इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शेयर पूंजी के रूप में बैंक के अग्रिम अंशदान, जो आवंटन हेतु लम्बित हैं, रु.101.27 करोड़ शामिल हैं.) (पिछले वर्ष रु. 73.16 करोड़)	v) Investment in Associates [includes Bank's share of contribution as advance of Rs.101.27 crores (Previous Year Rs. 73.16 crores) towards Share Capital of RRBs pending allotment]			
	40580,66,70		33945,32,09	
	968,14,15		1154,14,56	
	606,13,45		775,89,22	
	3045,87,92		2642,65,28	
vi) अन्य	vi) Others			
	3229,35,07		1606,52,36	
जोड़ (i से vi)	Total (i to vi)		48806,59,10	40377,71,33
II भारत से बाहर निवेश	II Investments Outside India in			
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i) Govt Securities (incl. Local authorities)			
ii) सहयोगी इकाइयों में निवेश	ii) Investment in Associates			
iii) अन्य	iii) Others			
	1876,61,35		1629,33,31	
	30,85,46		33,85,68	
	2912,52,04		2616,85,58	
जोड़ (i से iii)	Total (i to iii)		4819,98,85	4280,04,57
कुल जोड़ (I एवं II)	Grand Total (I & II)		53626,57,95	44657,75,90

(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2009 को As on 31st March 2009		31 मार्च, 2008 को As on 31st March 2008	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
III भारत में निवेश	III Investments in India				
निवेशों का सकल मूल्य	Gross value of Investments	49363,71,39		40718,59,24	
घटाएं: मूल्यहास हेतु प्रावधानों का जोड़	Less: Aggregate of Provisions for Depreciation	557,12,29		340,87,91	
शुद्ध निवेश	Net Investments	<u>48806,59,10</u>		<u>40377,71,33</u>	
IV भारत से बाहर निवेश	IV Investments outside India				
निवेशों का सकल मूल्य	Gross value of Investments	5181,71,93		4380,78,79	
घटाएं: मूल्यहास हेतु प्रावधानों का जोड़	Less: Aggregate of Provisions for Depreciation	361,73,08		100,74,22	
शुद्ध निवेश	Net Investments	<u>4819,98,85</u>	<u>53626,57,95</u>	<u>4280,04,57</u>	<u>44657,75,90</u>
अनुसूची - 9 अग्रिम	SCHEDULE - 9 ADVANCES				
क. i) खरीदे और भुनाए गए बिल	A. i) Bills Purchased and Discounted		13960,27,73		8860,68,25
ii) नकदी ऋण, ओवर ड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans Repayable on Demand		67879,76,91		49498,78,66
iii) मीयादी ऋण	iii) Term Loans		64453,93,84		50219,50,52
जोड़ (i से iii)	Total (i to iii)		<u>146293,98,48</u>		<u>108578,97,43</u>
ख. i) मूर्त आस्तियों द्वारा संरक्षित (बही ऋण की एवज में अग्रिमों सहित)	B. i) Secured by Tangible Assets (Includes advances against book debts)	96287,21,14		72800,74,63	
ii) बैंकों/सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित	ii) Covered by Bank/ Government Guarantees	16145,80,85		7598,95,71	
iii) गैर-जमानती	iii) Unsecured	33860,96,49		28179,27,09	
जोड़ (i से iii)	Total (i to iii)	146293,98,48		108578,97,43	
ग. I भारत में अग्रिम	C. I Advances in India				
i प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i Priority Sector	38878,53,43		30014,85,54	
ii सार्वजनिक क्षेत्र	ii Public Sector	22291,50,30		13455,37,67	
iii बैंक	iii Banks	52,99,37		1644,21,99	
iv अन्य	iv Others	<u>49240,54,47</u>	<u>110463,57,57</u>	<u>40458,83,14</u>	<u>85573,28,34</u>
II भारत से बाहर अग्रिम	II Advances Outside India				
i बैंकों से प्राप्य	i Due from Banks	172,60,23		442,11,55	
ii अन्यो से प्राप्य	ii Due from Others				
क. खरीदे गए और भुनाए गए बिल	a) Bills purchased & Discounted	11352,42,51		6301,26,79	
ख. समूह ऋण	b) Syndicated Loans	7744,64,87		6140,69,85	
ग. अन्य	c) Others	16560,73,30	35830,40,91	10121,60,90	23005,69,09
जोड़ (ग I + ग II)	Total (C.I + C.II)		<u>146293,98,48</u>		<u>108578,97,43</u>

(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2009 को As on 31st March 2009		31 मार्च, 2008 को As on 31st March 2008	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची-10	SCHEDULE - 10				
अचल आस्तियां	FIXED ASSETS				
I परिसर	I Premises				
विगत वर्ष की 31 मार्च की लागत / पुनर्मूल्यांकित राशि पर	At cost as on 31st March of the preceding year	2412,95,13		1006,44,13	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	Additions/Adjustments during the year	50,50,68		1418,89,74	
		2463,45,81		2425,33,87	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	Less : Deductions during the year	3,79,14		123,874	
		2459,66,67		2412,95,13	
आज की तारीख को मूल्य ह्रास	Depreciation to date	468,30,66	1991,36,01	379,45,11	2033,50,02
II अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्सचर सहित)	II Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures) :				
विगत वर्ष की 31 मार्च को लागत पर	At cost as on 31st March of the preceding year	1478,15,22		1335,49,29	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	Additions/Adjustments during the year	171,28,10		265,07,66	
		1649,43,32		1600,56,95	
वर्ष के दौरान कटौतियां	Deductions during the year	38,28,40		119,49,83	
		1611,14,92		1481,07,12	
तुलन-पत्र की तारीख तक मूल्यह्रास	Depreciation to date	1227,00,29	384,14,63	1024,42,34	456,64,78
क पट्टे पर दी गई आस्तियां (अनुषंगी को बंद करने पर अर्जित)	II A Leased Assets [Acquired on winding up of a subsidiary]				
लागत पर	At cost	13,95,89		13,95,89	
तुलन-पत्र की तारीख तक मूल्य ह्रास	Depreciation to date	13,95,89	-	13,95,89	-
जोड़ (I, I क, II एवं II क)	Total (I, II and IIA)	2375,50,64		2490,14,80	
III पूंजी-कार्य प्रगतिपर (पट्टे पर ली गयी आस्तियां) प्रावधान का शुद्ध	III Capital-Work-in progress (Leased Assets) net of Provisions		-		37,32
कुल (I, II, IIA and III)	Total (I, II, IIA and III)	2375,50,64		2490,52,12	

(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2009 को As on 31st March 2009		31 मार्च, 2008 को As on 31st March 2008	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
अनुसूची - 11	SCHEDULE - 11				
अन्य आस्तियां	OTHER ASSETS				
I अन्तर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	I Inter-Office Adjustments (Net)		-		666,33,03
II उपचित ब्याज	II Interest Accrued		1767,75,97		1644,98,20
III अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर कर कटौती	III Tax paid in advance/tax deducted at source		995,37,91		787,92,21
IV अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर कर कटौती	IV Stationery and Stamps		7,30,57		8,53,28
V आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)	V Deferred Tax assets (Net)		44,59,26		53,41,78
VI अन्य	VI Others		1813,35,18		1236,31,06
जोड़ (I से VI)	Total (I to VI)		<u>4628,38,89</u>		<u>4397,49,56</u>
अनुसूची - 12	SCHEDULE - 12				
आकस्मिक देयताएं	CONTINGENT LIABILITIES				
I दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया	I Claims not acknowledged as debts		1313,47,59		1239,50,84
II आंशिक चुकता निवेशों के लिए देयता	II Liability for partly paid Investments		19,63,09		207,49,98
III बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	III Liability on account of outstanding forward exchange contracts		48186,85,96		56492,49,48
IV ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां	IV Guarantees given on behalf of constituents :				
क) भारत में	a) In India	6338,74,76		4785,97,53	
ख) भारत से बाहर	b) Outside India	<u>3253,00,34</u>	<u>9591,75,10</u>	<u>2158,73,87</u>	<u>6944,71,40</u>
V स्वीकृतियां, परांकन और अन्य दायित्व	V Acceptances, Endorsements and Other Obligations		8752,76,98		6865,70,06
VI आकस्मिक देयता की अन्य मदें	VI Other items of contingent liability		5866,21,85		10845,35,36
जोड़ (I से VI)	Total (I to VI)		<u>73730,70,57</u>		<u>82595,27,12</u>

समेकित लाभ व हानि लेखे की अनुसूचियां

Schedules to Consolidated Profit & Loss Account

(000's omitted)

		Year Ended 31st March, 2009		Year Ended 31st March, 2008	
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
अनुसूची - 13 अर्जित ब्याज एवं लाभांश	SCHEDULE - 13 INTEREST AND DIVIDENDS EARNED				
I अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	I Interest/Discount on Advances/ Bills		11480,86,74		8621,97,26
II निवेश पर आय	II Income on Investments		3416,69,57		2850,96,20
III भारतीय रिजर्व बैंक शेष और अन्य अन्तर बैंक निधियों पर शेष पर ब्याज	III Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds		468,38,36		590,01,59
IV अन्य	IV Others		181,61,43		101,29,46
जोड़	TOTAL		15547,56,10		12164,24,51
अनुसूची - 14 अन्य आय	SCHEDULE - 14 OTHER INCOME				
I कमीशन, विनिमय एवं दलाली	I Commission, Exchange and Brokerage		796,82,42		588,56,89
II भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	II Profit on sale of Land, Buildings and Other Assets (Net)		(2,99)		39,66
III विनिमय लेन-देन पर लाभ (शुद्ध)	III Profit on Exchange Transactions (Net)		376,72,46		282,53,68
IV निवेश की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	IV Profit on sale of Investments (Net)		901,39,10		532,95,85
V निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ (शुद्ध)	V Profit on revaluation of Investments (Net)		(31,03)		-
V विविध आय	V Miscellaneous Income		770,76,09		737,96,17
जोड़	TOTAL		2845,36,05		2142,42,25
अनुसूची - 15 ब्याज व्यय	SCHEDULE - 15 INTEREST EXPENDED				
I जमा राशियों पर ब्याज	I Interest on Deposits		9405,94,09		7574,66,72
II भारतीय रिजर्व बैंक/ अन्तर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	II Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank Borrowings		292,32,57		111,70,72
III अन्य	III Others		469,08,25		376,49,34
जोड़	TOTAL		10167,34,91		8062,86,78

(000's omitted)

		Year Ended 31st March, 2009		Year Ended 31st March, 2008	
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
अनुसूची - 16	SCHEDULE - 16				
परिचालन व्यय	OPERATING EXPENSES				
I कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	I Payments to and Provisions for Employees		2408,85,70		1951,27,08
II किराया, कर एवं विद्युत	II Rent, Taxes and Lighting		274,49,13		237,05,35
III मुद्रण एवं स्टेशनरी	III Printing and Stationery		28,90,48		24,15,33
IV विज्ञापन एवं प्रचार	IV Advertisement and Publicity		42,73,82		35,11,49
V क) पट्टाकृत आस्तियों के अलावा बैंक की संपत्तियों पर मूल्यहास	V a) Depreciation on Bank's Property other than Leased Assets	239,01,35		240,70,83	
ख) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यहास	b) Depreciation on Leased Assets	42,43	239,43,78	-	240,70,83
VI निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय	VI Directors' Fees, Allowances and Expenses		2,04,28		3,15,84
VII लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय (शाखा लेखा-परीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित)	VII Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors' Fees and Expenses)		31,84,37		24,28,54
VIII विधि प्रभार	VIII Law Charges		14,28,46		13,39,34
IX डाक व्यय, तार एवं दूरभाष आदि	IX Postages, Telegrams, Telephones etc.		47,06,73		52,88,04
X मरम्मत एवं रख रखाव	X Repairs and Maintenance		108,83,32		61,87,77
XI बीमा	XI Insurance		144,21,59		118,81,93
XII अन्य व्यय	XII Other Expenditure		369,64,06		389,84,37
जोड़	TOTAL		<u>3712,35,72</u>		<u>3152,55,91</u>
अनुसूची - 17	SCHEDULE - 17				
सहयोगी इकाइयों में आय का अंश	SHARE OF EARNINGS IN ASSOCIATES				
I आरआरबी	I RRB's		47,39,93		14,66,60
II अन्य	II Others		16,25,71		25,18,53
जोड़	Total		<u>63,65,64</u>		<u>39,85,13</u>

अनुसूची 18: 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणियों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां: Schedule 18 : Significant Accounting Policies on the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March 2009

1. समेकित वित्तीय विवरणियां और तैयार करने का आधार :

- 1.1 बैंक (मूल), इसकी अनुषंगियों और सहयोगी इकाइयों की समेकित वित्तीय विवरणियां परम्परागत लागत के आधार पर बनाई गई हैं और सभी वास्तविक पहलुओं के संदर्भ में, भारत में भारत की शाखाओं/कार्यालयों के विषय में और विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के विषय में प्रचालित सांविधिक प्रवधानों एवं विधाओं के अनुरूप हैं, जब तक कि कोई अन्यथा उल्लेख न किया गया हो.
- 1.2 वित्तीय विवरणों को तैयार करने में वित्तीय विवरण की तारीख को रिपोर्ट की गई आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्ट की गई अवधि हेतु आय एवं व्यय संबंधी राशि को रिपोर्ट करने हेतु प्रबंधन को कतिपय अनुमानों और आकलनों को आधार बनाना पड़ता है. प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिए प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और उचित है.

2. समेकन प्रक्रिया :

- 2.1 समेकित वित्तीय विवरणियां, इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी लेखांकन मानक (ए एस)-21 "समेकित वित्तीय विवरणियां" के अनुरूप तैयार की गई हैं. बैंक तथा इसकी अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियां क्रमानुसार (लाइन बॉय लाइन) विभिन्न शीर्षों को परस्पर जोड़ते हुए जैसे आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय का जोड़, समेकित की गई हैं. उक्त समेकन इन्ट्रग्रुप शेषों/संव्यवहारों एवं परिणामतः वसूल न किए गए लाभ/हानि को कम करते हुए किया गया है.
- 2.2 लेखांकन नीतियों में अन्तर होने की स्थिति में अनुषंगियों एवं सहयोगी इकाइयों की वित्तीय विवरणियों को, जहां कहीं आवश्यक हो, मूल की लेखा-नीतियों के अनुरूप समायोजित किया गया है.
- 2.3 सहयोगी संस्थाओं में निवेश का लेखांकन लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणियों के आधार पर आईसीएआई द्वारा जारी "अकाउंटिंग फॉर इनवेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कनसालिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स" ए एस 23 इक्विटी प्रणाली के अनुरूप किया गया है.
- 2.4 समेकित वित्तीय विवरणियों के माइनोरिटी इन्टरेस्ट में अनुषंगियों की शुद्ध इक्विटी में माइनोरिटी शेयरधारकों के अंश समाहित है.
- 2.5 मूल संस्था द्वारा इसकी अनुषंगियों में किए गए निवेश की लागत और अनुषंगियों में इक्विटी में मूल संस्था के हिस्से की लागत अंतर को गुडविल/प्रारक्षित पूंजी के रूप में माना गया है.

3. विदेशी मुद्रा संव्यवहार :

- 3.1 विदेशी मुद्रा से संबंधित संव्यवहारों का लेखाकरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तनों के प्रभाव पर जारी लेखा मानक 11 के अनुरूप किया गया है.
- 3.2 लेखा मानक एस-11 के प्रयोजन के लिए बैंक के मूल एवं अनुषंगी विदेशी मुद्रा परिचालनों को (क) एकीकृत परिचालन एवं (ख) पृथक परिचालनों

1. Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements:

- 1.1 Consolidated Financial Statements (CFS) of the Bank (Parent), its subsidiaries and associates are drawn up on historical cost basis and conform in all material aspects to statutory provisions and practices prevailing in India in respect of Indian offices / branches and respective foreign countries in respect of foreign offices / branches, unless otherwise stated.
- 1.2 The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

2. Consolidation Procedure:

- 2.1 The Consolidated Financial Statements are prepared in accordance with Accounting Standard (AS)-21 "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The financial statements of the Parent and its subsidiaries are combined on a line by line basis by adding together sums of assets, liabilities, income and expenses, after eliminating intra-group balances / transactions and resulting unrealized profit / loss.
- 2.2 In case of difference in accounting policies, the Financial Statements of Subsidiaries and Associates are adjusted, wherever necessary, to conform to the Accounting Policies of the Parent.
- 2.3 Investments in Associates are accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard (AS) -23 "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by ICAI based on the audited Financial Statements of the associates.
- 2.4 Minority interest in the CFS consists of the share of the minority shareholders in the net equity of the subsidiaries.
- 2.5 The difference between cost to the Parent of its investment in the subsidiaries and the Parent's portion of the equity of the subsidiaries is recognized as goodwill/ capital reserve.

3. Foreign Currency Transactions:

- 3.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard 11, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by The Institute of Chartered Accountants of India.
- 3.2 As stipulated in AS-11, the foreign currency operations of the Parent and its Subsidiaries are classified as

के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मूल संस्था की सभी विदेशी शाखाओं, ऑफ़शोर बैंकिंग इकाइयों, अनुषंगियों को पृथक परिचालन एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन के रूप में माना गया है।

3.3 एकीकृत परिचालनों के संबंध में संव्यवहार

- संव्यवहारों को प्राथमिक तौर पर फेडाई द्वारा सूचित की गई औसत साप्ताहिक दरों पर रिकार्ड किया गया है।
- विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई क्लोजिंग स्पाट दरों पर रूपांतरित किया गया है।
- परिणामी विनिमय अंतरों की गणना आय अथवा व्यय के रूप में की गई है तथा इन्हें तदनुसार लाभ हानि खाते के द्वारा लेखांकन किया गया है। विदेशी मुद्रा आस्ति देयताओं संबंधी किसी भी भुगतान अथवा रिवर्सल को पिछले सप्ताह की औसत क्लोजिंग दरों के आधार पर किया गया है तथा बकाया राशि एवं उस राशि जिसके लिए भुगतान किया गया है/रिवर्सल किया गया है के बीच के अंतर को लाभ हानि खाते में दर्शाया गया है।

3.4 पृथक परिचालनों के संबंध में संव्यवहार

- आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई क्लोजिंग स्पाट दरों पर रूपांतरित किया गया है।
- आमदनी एवं खर्चों को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई औसत तिमाही दरों पर रूपांतरित किया गया है।
- परिणामी विनिमय अंतरों की गणना उस अवधि के लिए आय अथवा व्यय के रूप में नहीं है तथा इसे शुद्ध निवेशों के निस्तारण होने तक अलग से एक खाते "विदेशी मुद्रा रूपांतरण प्रारक्षित निधि" में रखा गया है।

3.5 वायदा विनिमय संविदाएं

भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) के दिशानिर्देशों तथा एस-11 के प्रावधानों के अनुरूप प्रत्येक मुद्रा की बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का संविदा की अवशिष्ट परिपक्वता हेतु तदनुसारी वायदा दरों पर तुलनपत्र की दिनांक का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन राशि तथा संविदा राशि में अंतर को यथा स्थिति लाभ या हानि के रूप में दर्शाया जाता है।

4. निवेश

4.1 मूल संस्था तथा इसकी घरेलू अनुषंगियों के निवेश पोर्टफोलियो को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

- "परिपक्वता तक धारित" निवेश राशियों में परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त निवेश शामिल हैं।
 - "व्यापार हेतु धारित" में वे निवेश शामिल हैं जिन्हें व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है।
 - "बिक्री हेतु उपलब्ध" में वे निवेश शामिल हैं जो उपरोक्त "क" तथा "ख" में शामिल नहीं हैं अर्थात् जो न तो व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं और न ही परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं।
- 4.2 "परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत निवेशों को भारित औसत अर्जित लागत पर लिया गया है, बशर्ते वह अंकित मूल्य से अधिक हों, इस

a) Integral Operations and b) Non Integral Operations. All Overseas Branches, Offshore Banking Units, Subsidiaries of Parent are treated as Non Integral Operations; and Domestic Operations in Foreign Exchange and Representative Offices are treated as Integral Operations.

3.3 Translation in respect of Integral Operations:

- The transactions are initially recorded on weekly average rate as advised by FEDAI.
- Foreign Currency Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.
- The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit & Loss Account. Any reversals / payment of foreign currency assets & liabilities is done at the weekly average closing rate of the preceding week and the difference between the outstanding figure and the amount for which reversal / payment is made, is reflected in Profit and Loss Account.

3.4 Translation in respect of Non Integral Operations:

- Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.
- Income and Expense are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.
- The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" under the head "Revenue Reserve", till the disposal of the net investment.

3.5 Forward Exchange Contracts

In accordance with the guidelines of FEDAI and the provisions of AS-11, outstanding forward exchange contracts in each currency are re-valued at the Balance Sheet date at the corresponding forward rates for the residual maturity of the contract. The difference between re-valued amount and the contracted amount is recognised as profit or loss, as the case may be.

4. Investments:

4.1 The Investment portfolio of the Parent and its domestic subsidiaries is classified in accordance with Reserve Bank of India guidelines into:

- "Held to Maturity" comprising investments acquired with the intention to hold them till maturity.
- "Held for Trading" comprising investments acquired with the intention to trade.
- "Available for Sale" comprising investments not covered by (a) and (b) above i.e. those which are acquired neither for trading purposes nor for being held till maturity.

4.2 Investments classified as "Held to Maturity" are carried at weighted average acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is

स्थिति में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक परिशोधित किया गया है।

“परिपक्वता तक धारित” के रूप में वर्गीकृत निवेशों में ऐसे डिबेंचर/बांड्स शामिल हैं जिन्हें स्वरूप/प्रकृति की दृष्टि से अग्रिम माना जाएगा तथा जिनके लिए अग्रिमों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में, ट्रेजरी बिलों, कमर्शियल पेपर्स, इंदिरा विकास-पत्र, किसान विकास पत्र और जमा प्रमाण पत्र, जो संबद्ध राशि पर मूल्यांकित किए जाते हैं, में निवेशों पर लागू आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड लागू करते हुए प्रावधान किया गया है।

अनुषंगियों तथा संयुक्त उद्यमों (भारत तथा विदेश में) में निवेश को अधिग्रहण लागत में से मूल्यहास (अस्थायी प्रकृति के अलावा) राशि को कम कर मूल्यांकित किया जाता है।

23.08.2006 के पश्चात वीसीएफ की इकाइयों में बैंक के निवेश को प्रारंभिक 3 वर्षों की अवधि के लिए एचटीएम संवर्ग में वर्गीकृत किया गया था तथा लागत पर मूल्य रखा गया था। संवितण की तारीख से 3 वर्ष पश्चात, इन्हें एफएस में शिफ्ट कर दिया गया तथा मानदण्डों के अनुसार बाजार को मार्क किया गया है।

- 4.3 “परिपक्वता पर धारित” के रूप में वर्गीकृत निवेशों की बिक्री पर लाभ/हानि को संबंधित निवेशों की भारत औसत लागत/बही मूल्य के आधार पर लाभ एवं हानि खाते में अंकित किया जाता है एवं “परिपक्वता पर धारित” वर्गीकरण में संबंधित निवेशों के बही मूल्य के समतुल्य लाभ (शुद्ध कर एवं सांविधिक निधि) को प्रारक्षित पूंजी खाते में विनियोजित किया जाता है।
- 4.4 “व्यापार के लिए धारित” एवं “बिक्री के लिए उपलब्ध” के रूप में वर्गीकृत निवेश बाजार स्क्रिपवार चिह्नित किया गया है तथा तुलन पत्र में प्रत्येक श्रेणी में दर्शाए गए परिणामी शुद्ध मूल्यहास यदि कोई है, को लाभ हानि खाते में स्थान दिया गया है। जब कि शुद्ध मूल्यवृद्धि यदि कोई हो, को छोड़ दिया गया है।
- 4.5 एचएफटी संवर्ग के तहत ट्रेजरी बिलों में पीडी द्वारा किया गया निवेश को घोषित एफआईएमएडीए मूल्यों के आधार पर तिमाही आधार पर बाजार मूल्य को बही में अंकित किया गया है तथा शुद्ध डेप्रिेशिएशन, यदि कोई है तो, उसे लाभ तथा हानि खाते में दर्शाया गया है जबकि शुद्ध एप्रिशिएशन, यदि कोई है तो, नजर अंदाज कर दिया गया है।
- 4.6 गैर निष्पादित प्रतिभूतियों के सम्बंध में आय को मान्य नहीं किया जाता है और इन प्रतिभूतियों के मूल्य में हास के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार उपयुक्त प्रावधान किया गया है।
- 4.7 निवेश की अधिग्रहण लागत, प्राप्त प्रोत्साहन राशि तथा फ्रंट एंड फी कमीशन, दलाली, स्टाम्प ड्यूटी के बाद की लागत है।
- 4.8 “व्यापार के लिए धारित” तथा “बिक्री के लिए उपलब्ध” श्रेणी के निवेशों के मूल्यांकन के लिए बाजार स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत दरें प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (पीडीएआई) फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एण्ड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमएडीए) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया गया है।

जिन निवेशों के लिए ऐसी दरें / उद्धृत दरें उपलब्ध नहीं हैं, उनका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया गया है जो निम्नानुसार हैं :-

- क. सरकारी/अनुमोदित प्रतिभूतियां - परिपक्वता प्रतिफल के आधार पर
- ख. इक्विटी शेयर, पीएसयू एवं ट्रस्टी शेयर - अद्यतन तुलनपत्र (12 माह

amortized over the period remaining to maturity.

Investments classified as “Held to Maturity” includes debentures / bonds which are deemed to be in the nature of / treated as advances, for which provision is made by applying the Reserve Bank of India prudential norms of assets classification and provisioning applicable to advances, and Investments in Regional Rural Banks, Treasury Bills, Commercial Papers, Indira Vikas Patras, Kisan Vikas Patras and Certificates of Deposit which have been valued at carrying cost.

Investments in subsidiaries and joint ventures (both in India and abroad) are valued at acquisition cost less diminution, other than temporary in nature.

Bank’s investments in units of VCFs made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and are valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it is shifted to AFS and marked-to-market as per norms.

- 4.3 Profit / Loss on sale of investments classified as “Held to Maturity” is recognized in the Profit & Loss account based on the weighted average cost / book value of the related investments and an amount equivalent of profit (Net of taxes and statutory reserve) on sale of investments in “Held to Maturity” classification is appropriated to Capital Reserve Account.
- 4.4 Investments classified as “Held for Trading” and “Available for Sale” are marked to market, scrip-wise and the resultant net depreciation if any in each category disclosed in the Balance Sheet is recognized in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, is ignored.
- 4.5 Investments made by the PD in Treasury Bills under HFT category are to be marked-to-market on quarterly basis based on the FIMMDA prices declared and the resultant net depreciation if any, is recognized in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, is ignored.
- 4.6 In respect of non-performing securities, income is not recognized and appropriate provision is made for depreciation in the value of such securities as per Reserve Bank of India guidelines.
- 4.7 Cost of acquisition of Investments is net of incentives, front-end fees and commission.
- 4.8 For the purpose of valuation of quoted investments in “Held for Trading” and “Available for Sale” categories, the market rates/quotes on the Stock exchanges, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) / Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA) are used.

Investments for which such rates / quotes are not available are valued as per norms laid down by Reserve Bank of India, which are as under: -

- a Government / Approved securities - On Yield to Maturity basis.
- b Equity Shares, PSU and Trustee shares - At book value as per the latest Balance Sheet

- से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार बही मूल्य पर अन्यथा रु.1 प्रति कंपनी
- ग. अधिमान शेयर - परिपक्वता प्रतिफल के आधार पर
- घ. पीएसयू बॉन्ड - समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप के साथ परिपक्वता प्रतिफल के आधार पर
- ङ. म्युचुअल फंड की यूनिटें - फंड द्वारा प्रत्येक स्कीम के संबंध में घोषित अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य/शुद्ध आस्ति मूल्य एनएवी पर
- च. उद्यम पूंजी - लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार घोषित एनएवी जोकि 18 माह से ज्यादा पुरानी न हो, यदि लगातार 18 माह से अधिक के एनएवी या लेखा परीक्षित वित्तीय आंकड़े उपलब्ध न हों तो प्रति उद्यम पूंजी निधि (वीएसएफ) रु.1/-
- (not more than 12 months old), otherwise Re.1 per company.
- c Preference Shares - On Yield to Maturity basis.
- d PSU Bonds - On Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up.
- e Units of Mutual Funds - At the latest repurchase price / NAV declared by the Fund in respect of each scheme.
- f Venture Capital- Declared NAV or break up NAV as per audited Balance Sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re. 1/- per VCF.
- 4.9 “निवेश “ प्रतिभूतियों के रूप में उधार दी गई राशियों का निवल भाग है और इसमें रेपो व्यवस्थाओं के अंतर्गत उधार दी गई प्रतिभूतियां शामिल हैं.
- 4.10 विदेशी शाखाओं में निवेश के सम्बंध में भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा मेजबान देशों के दिशा-निर्देशों का, दोनों में से जो अधिक कठोर हों का अनुपालन किया जाता है. ऐसी शाखाओं के मामले में जो ऐसे देशों में स्थित हैं जहां कोई विशिष्ट दिशानिर्देश नहीं है, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है.
- 4.11 इन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों के अंतरण की गणना, अंतरण की तारीख को उसकी अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/ बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, पर की गई है और ऐसे अंतरण के फलस्वरूप आए मूल्यहास, यदि कोई है, के लिए प्रावधान किया गया है.
- 4.12 पुनःखरीद/प्रत्यावर्तित पुनः खरीद
बैंक ने पुनः खरीद तथा प्रत्यावर्तित पुनः खरीद लेनदेनों को लेखांकित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बताई गई एक समान लेखा प्रणाली को अपनाया है. रेपो / रिवर्स रेपो खाते में शेष राशि को निवेश खाते में शेष राशि की एवज में समायोजित की गई है। (भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चल निधि समायोजन योजना (एलएएफ) के अंतर्गत हुए लेनदेनों को छोड़कर). तदनुसार, पुनःखरीद/प्रत्यावर्तित पुनः खरीद के अंतर्गत खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियों को एकमुश्त क्रय/विक्रय के रूप में माना जाता है तथा पुनः खरीद/प्रत्यावर्तित पुनः खरीद के अंतर्गत खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियों को एकमुश्त क्रय/विक्रय के रूप में माना जाता है तथा पुनः खरीद/प्रत्यावर्तित पुनः खरीद खातों में लेखांकित किया जाता है तथा सारी प्रविष्टियां परिपक्वता तिथि को रिवर्स कर दी जाती हैं. यथास्थिति अनुसार लागत तथा राजस्व की गणना ब्याज व्यय/आय के हिसाब से की गई.
- भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत खरीदी / बिक्री की गई प्रतिभूतियां निवेश खाते में नामे / जमा की जाती हैं तथा इन्हें संव्यवहार की परिपक्वता पर रिवर्स कर दिया जाता है. इन पर व्यय / अर्जित किया गया ब्याज को व्यय / लागत के रूप में लेखांकित किया जाता है.
- 4.13 डेरिवेटिव्स :
बैंक वर्तमान में ब्याज दरों तथा मुद्रा डेरिवेटिव्स में डील करता है. बैंक द्वारा व्यवहारित ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याजदर स्वैप तथा फारवर्ड रेट एग्रीमेंट्स शामिल हैं. बैंक द्वारा व्यवहार में लाये जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स में ऑप्शन तथा मुद्रा स्वेप्स हैं.
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर, डेरिवेटिव्स का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है :
- व्यवस्था बचाव/गैर व्यवस्था बचाव (मार्केट मेकिंग) संव्यवहार अलग-अलग रिकार्ड किये जाते हैं. व्यवस्था बचाव डेरिवेटिव्स ठीक-ठीक आधार पर लेखांकित किये जाते हैं. ट्रेडिंग डेरिवेटिव पोजिशनस मार्क टू मार्केट (एमटीएम
- 4.9 Investments are net of securities lent and include securities borrowed under repo arrangements.
- 4.10 In respect of Investments at Overseas Branches, RBI guidelines or those of the host countries, whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of the Reserve Bank of India are followed.
- 4.11 The transfer of a security between these categories is accounted for at the acquisition cost / book value / market value on the date of transfer, whichever is the least, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.
- 4.12 REPO / Reverse REPO
The Parent has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of Repo and Reverse Repo transactions [other than transactions under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI]. Accordingly, the securities sold / purchased under Repo / Reverse Repo are treated as outright sales / purchases and accounted for in the Repo / Reverse Repo Accounts and the entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be. Balance in Repo/ Reverse Repo Account is adjusted against the balance in the Investment Account.
Securities purchased/ sold under LAF with RBI are debited/ credited to Investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expended/ earned thereon is accounted for as expenditure/ revenue.
- 4.13 Derivatives
The Parent presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Parent are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency interest rate swaps and forward rate agreements. Currency Derivatives dealt with by the Parent are Options and Currency swaps.
Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:
The hedge / non-hedge (market making) transactions are recorded separately. Hedging derivative are accounted on an accrual basis. Trading derivative positions are marked-to-market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account. Profit, if any, is not recognized. Income and Expenditure

हैं तथा किसी भी प्रकार की हानि, लाभ-हानि खाते में दर्ज की जाती है। किसी भी प्रकार का लाभ दर्ज नहीं होता। ब्याज दर स्वैप से संबंधित आय तथा व्यय समझौता तिथि को दर्ज होता है। ट्रेडिंग स्वैप्स की समाप्ति पर लाभ/हानि, समाप्ति तिथि पर आय/व्यय के रूप में दर्ज की जाती है।

5 ब्याज दर स्वैप

- 5.1 हेजिंग के लिए ब्याज दर स्वैप कारोबारों को उपचित आधार पर लेखांकित किया गया है तथा व्यापार के लिए लेनदेनों को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप पाक्षिक अंतरालों पर मार्केट मूल्य पर अंकित किया गया है।
- 5.2 मूल्यांकन के लिए, स्वैप की वास्तविक मूल्य की उस राशि पर गणना की जाती है जो तुलन-पत्र की तिथि को स्वैप करारों के लेनदेन के समाप्त होने पर प्राप्त या देय होंगे, कुल होने वाली हानियों, यदि कोई है, की समूची राशि के लिए प्रावधान किया गया है, जबकि लाभों को छोड़ दिया गया है।

6 अग्रिम

- 6.1 मूल संस्था तथा इसकी घरेलू सहयोगी संस्थाओं के अग्रिम मानक, अवमानक, संदिग्ध एवं हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं और अवमानक, संदिग्ध एवं हानि आस्तियों पर प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों अथवा मेजबान देश जिसमें अग्रिम दिया गया है, जहां कही लागू हो, के स्थानीय नियमों में से जो अधिक कठोर हों, के अनुरूप किया गया है।
- 6.2 अग्रिम राशि, उचन्त खाते के ब्याज, वादग्रस्त विविध जमा खातों में प्राप्त एवं रखी गई राशि, प्राप्त क्लेम और गैर निष्पादित अग्रिमों के लिए किए गए प्रावधान के बाद की राशि है।
- 6.3 पुनर्निर्धारित/पुनर्गठित खातों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्ग निर्देशों के अनुसार मौजूदा मूल्य शर्तों में आंके गये ब्याज हानियों के लिए प्रावधान किया गया है। उस प्रावधान को "अन्य देयतायें" शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- 6.4 आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/जांच कंपनी (एससी) को बेची गई आस्तियों के मामले में यदि बिक्री शुद्ध बही मूल्य (एनबी वी) (अर्थात बही मूल्य घटाएं धारित प्रावधान) से कम मूल्य पर की गई हो तो हानि (कमी) को लाभ हानि खाते में नामे किया जाता है। यदि बिक्री मूल्य, शुद्ध बही मूल्य से ज्यादा है तो अतिरिक्त प्रावधान राशि को रिवर्स नहीं किया जाता है। अपितु इसका उपयोग दूसरी गैर निष्पादक आस्तियों की बिक्री के फलस्वरूप कमी / घाटे को पूरा करने के लिए किया जाता है।

7 अचल आस्तियां

- 7.1 पुनर्मूल्यांकित परिसरों को छोड़कर, परिसर व अन्य अचल आस्तियां सामान्यतः परम्परागत लागत पर ली गई हैं, पुनर्मूल्यांकन पर हुई वृद्धि को पूंजीगत प्रारक्षित निधि में जमा किया गया है। ऐसी बढ़ी हुई राशि पर मूल्यहास हेतु किए गए प्रावधान को इसमें से घटा दिया जाता है।
- 7.2 "परिसर" में भूमि तथा निर्माणाधीन भवन का समावेश है।

8 प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष

राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में सम्बद्ध देशों में प्रचलित स्थानीय कानूनों के अनुसार विदेशी शाखाओं द्वारा निर्मित सांविधिक प्रारक्षित निधियों को शामिल किया गया है।

relating to interest rate swaps are recognized on the settlement date. Gains / losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income / expenditure.

5. Interest Rate Swaps:

- 5.1 The interest rate swap transactions for hedging are accounted for on accrual basis and transactions for trading are marked to market at fortnightly intervals in line with the Reserve Bank of India guidelines.
- 5.2 For the purpose of valuation, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the transactions of the swap agreements as on the Balance Sheet date. Losses arising therefrom, if any are fully provided for while the profits, if any, are ignored.

6 Advances:

- 6.1 Advances of the Parent and Subsidiaries are classified as Standard, Sub-standard, Doubtful or Loss assets and Provision for losses are made on these assets as per Prudential Norms of Reserve Bank of India. In respect of Advances made in overseas branches and overseas subsidiaries, Advances are classified in accordance with stricter of the Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India or local laws of the host country in which advances are made.
- 6.2 Advances are net of specific loan loss provisions, interest suspense, amount received and held in suit-filed Sundry Deposit and Claims Received.
- 6.3 In respect of Rescheduled / Restructured accounts, Provision is made for the sacrifice of interest measured in present value terms as per Reserve Bank of India guidelines. The said provision is included under the head 'Other Liabilities'.
- 6.4 In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitization Company (SC), if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the Profit and Loss Account. If the sale value is higher than the NBV, the surplus provision is not reversed but is utilised to meet the shortfall /loss on account of Sale of other non-performing financial assets.

7. Fixed Assets:

- 7.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost except those premises, which have been re-valued. The appreciation on such revaluation is credited to Capital Reserve and the depreciation provided thereon is deducted therefrom.
- 7.2 Premises includes building under construction and land.

8. Reserves and Surplus:

Revenue and other Reserves include Statutory Reserves are created by foreign branches as per applicable local laws of the respective countries.

9 राजस्व का निर्धारण :

- 9.1 जब तक अन्यथा उल्लेखित न हो, आय का निर्धारण उपचय आधार पर किया जाता है. विदेशी कार्यालयों के मामले में सम्बद्ध देश जहां विदेशी कार्यालय स्थित है, स्थानीय नियमों के तहत आय का निर्धारण किया जाता है.
- 9.2 गैर निष्पादित अग्रिमों तथा निवेशों के मामलों में आय की वसूली की अनिश्चितता के कारण ऐसी आय भारतीय रिज़र्व बैंक मार्गनिर्देशों के अनुसार केवल वसूल होने पर ही लेखांकित की गई है.
- 9.3 शुल्कों से प्राप्त आय सरकारी कारोबार को छोड़कर कमीशन, विनिमय, दलाली, खरीदे गये बिलों पर बट्टा तथा अतिदेय बिलों/अग्रिम बिलों पर ब्याज को वास्तविक वसूली पर हिसाब में लिया गया है.
- 9.4 अनुषंगियों संयुक्त उद्यम तथा सहयोगी इकाइयों के शेयरों पर डिविडेंड वास्तविक प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिए जाएंगे.

10 कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति लाभ :

- 10.1 भविष्य निधि खाते में किए गए योगदान को लाभ-हानि खाते में लिया गया है.
- 10.2 मान्यता प्राप्त ग्रेच्युटी फंड में तथा पेंशन फंड में अंशदान तथा संचित अवकाशों के नकदीकरण एवं अतिरिक्त सेवा-निवृत्ति लाभों के प्रावधानों को उपचित आधार पर लाभ एवं लेखांकित किया गया है.

11 मूल्यहास :

- 11.1 भारत में, कम्प्यूटर तथा एटीएम को छोड़कर, अचल आस्तियों पर मूल्यहास कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर मूल्यहासित बही मूल्य पद्धति के अन्तर्गत प्रदान किया गया है.
- 11.2 कंप्यूटरों को छोड़कर भारत से बाहर अचल आस्तियों पर मूल्यहास मेजबान देश की मौजूदा पद्धति एवं स्थानीय कानूनों के अनुसार प्रदान किया गया है.
- 11.3 कम्प्यूटरों पर मूल्यहास भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार स्टेट लाइन विधि से 33.33% की दर से प्रदान किया गया है. कंप्यूटर साफ्टवेयर जोकि हार्डवेयर का अनिवार्य अंग नहीं है, का मूल्यहास खरीद वर्ष के दौरान ही कर दिया गया है.
- 11.4 एटीएम पर मूल्यहास 20% की दर से स्टेट लाइन विधि से प्रदान किया जाता है.
- 11.5 परिवर्द्धनों पर मूल्यहास का संपूर्ण वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है. जब कि बेचे गए/निस्तारित किए गए वर्ष में मूल्यहास का कोई प्रावधान नहीं किया गया है.
- 11.6 पट्टा भूमि का पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधन किया गया है.

12 आस्तियों की हानि :

अचल आस्तियों पर हानि, यदि कोई हो (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) का निर्धारण भारतीय सनदी लेखकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक 28 (आस्तियों की क्षति) के अनुसार किया जाता है.

13 आय पर कर :

इसमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) के लेखांकन मानदंड 22 के अनुसार निर्धारित (सम्बद्ध अवधि के लिए लेखा आय तथा करयोग्य आय के बीच भिन्नता से करों के प्रभाव को दर्शाते हुए) आयकर के लिए प्रावधान, फ्रिज बेनिफिट कर और आस्थगित कर अथवा क्रेडिट शामिल

9. Revenue Recognition:

- 9.1 Income / expenditure is recognised on accrual basis, unless otherwise stated. In case of foreign offices, income is recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located.
- 9.2 In view of uncertainty of collection of income in cases of non-performing assets/ Investments, such income is accounted for only on realization in terms of RBI guidelines.
- 9.3 Income from Fees, Commission other than on Government business, Commission on Guarantees, Exchange, Brokerage and interest on Overdue Bills/ Advance Bills are accounted for on actual realization.
- 9.4 Dividend on shares in Subsidiaries, joint ventures and associates is accounted on actual realisation basis.

10 Retirement Benefits to Employees:

- 10.1 Contribution to the Provident Fund is charged to Profit & Loss Account.
- 10.2 Contribution to recognized Gratuity Fund, Pension Fund and Provision for Encashment of accumulated leave and additional retirement benefits are made on actuarial basis and charged to Profit & Loss Account.

11 Depreciation:

- 11.1 Depreciation on Fixed Assets in India except Computers and ATMs, is provided under the written down value basis, at the rates prescribed in Schedule-XIV of the Companies Act, 1956.
- 11.2 Depreciation on Fixed Assets outside India except Computers is provided as per local laws or prevailing practices of the respective countries.
- 11.3 Depreciation on Computers is provided on Straight-Line Method at the rate of 33.33%, as per the guidelines of Reserve Bank of India. Computer software not forming an integral part of hardware is depreciated fully during the year of purchase.
- 11.4 Depreciation on ATMs is provided on Straight Line Method at the rate of 20%.
- 11.5 While depreciation on additions is provided for full year, no depreciation is provided in the year of sale / disposal.
- 11.6 Cost of leasehold land is amortized over the period of lease.

12 Impairment Of Assets:

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognized in accordance with the Accounting Standard 28 ("Impairment of Assets") issued in this regard by the Institute of Chartered Accountants of India and charged off to Profit and Loss Account.

13 Taxes on Income:

This comprise of provision for Income tax, fringe benefit tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with Accounting Standard 22 of ICAI.

हैं। आस्थगित कर के लिए प्रावधान को, आमदनी एवं खर्च की उन मदों के संबंध में जो किसी एक अवधि में निर्धारित होती है और जो एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में प्रत्यावर्तन योग्य हैं पर विवेकपूर्ण नीति के अध्यधीन हिसाब में लिया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं पर कर की गणना अधिनियमित कर दरों पर, उन वर्षों की अपेक्षित दरों पर की जाती है जिन वर्षों में इनकी प्राप्ति, रिवर्सल अथवा निस्तारण की संभावना होती है। आस्थगित कर देयताओं एवं आस्तियों पर कर की दरों में परिवर्तन के प्रभाव को उस अवधि की आय विवरणी, जिसमें ऐसे परिवर्तन को अधिनियमित किया गया हो, में हिसाब में लिया जाता है।

आयकर के लिए प्रावधान आस्थगित करों के समायोजन के बाद सम्बद्ध देश की सांविधिक आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाता है।

14 प्रति शेयर अर्जन :

बैंक द्वारा अपने बेसिक एवं डाइल्यूटेड प्रति ईक्विटी शेयर अर्जन को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के इस संबंध में जारी लेखा मानक 20 (प्रति शेयर अर्जन) के अनुसार रिपोर्ट किया गया है। बेसिक प्रति शेयर अर्जन की गणना शुद्ध आय को अवधि के लिए बकाया भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित कर ली गई है। डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की गणना शुद्ध आय को उस अवधि के लिए बकाया भारित इक्विटी शेयरों एवं इस अवधि के दौरान डायल्यूटेड इक्विटी शेयरों की संख्या में गणना की गई है।

15 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां :

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के इस संबंध में जारी लेखा मानक 29 (आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान) के अनुसार बैंक द्वारा आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान विगत में हुई किसी घटना से उत्पन्न हुए वर्तमान दायित्व के लिए किया गया है। यह संभव है कि इस दायित्व के निस्तारण के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता हो और तब इस दायित्व हेतु राशि का विश्वसनीय मूल्यांकन किया जा सके।

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरण में हिसाब में नहीं लिया गया है, क्योंकि इस तरह की आय की वसूली कभी भी संभव नहीं हो सकती है।

16 आस्थगित राजस्व खर्च :

बॉब एसेट मैनेजमेंट कं. लि. अनुषंगी के मामले में, आस्थगित राजस्व खर्च को पाँच / दस वर्षों की अवधि के लिए बट्टे खाते में डाला जा रहा है।

Deferred tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and liabilities are measured using enacted tax rates expected to apply to taxable income in the years in which the timing differences are expected to be received, settled or reversed. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognised in the income statement in the period of enactment of the change.

Provision for income tax is made in accordance with statutory requirements of the respective countries after adjustment for deferred taxes.

14 Earnings Per Share:

The Parent reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the Accounting Standard 20 ("Earnings Per Share") issued in this regard by the Institute of Chartered Accountants of India. Basic earning per equity share has been computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earning per equity share has been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

15 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

As per the Accounting Standard 29 ("Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets") issued in this regard by the Institute of Chartered Accountants of India, the Parent recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.

16 Deferred Revenue Expenditure:

In case of subsidiary, BOB Asset Management Co.Ltd., Deferred Revenue Expenditure is being written off over a period of five/ten years.

अनुसूची - 19 : समेकित वित्तीय विवरणियों पर नोट : 31 मार्च 2009 को समाप्त वित्तीय वर्ष
Schedule-19 - Notes on the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March 2009

1. समेकित वित्तीय विवरणी (सीएफएस) में बैंक (मूल संस्था) तथा निम्नलिखित अनुषंगियों/सहायकों के परिणाम शामिल हैं।
1. The Consolidated Financial Statements (CFS) comprise the results of the Bank (Parent) and the following subsidiaries/Associates:

1.1 अनुषंगियों के नाम	देश, जहां विद्यमान है	स्वामित्व का अनुपात 31.03.09	1.1 Names of Subsidiaries	Country of Incorporation	Proportion of Ownership as on 31.03.09
-----------------------	-----------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------------	--

देशीय अनुषंगियां

क) बैंकिंग					
1) नैनीताल बैंक लि.	भारत	98.39%			
ख) गैर बैंकिंग					
i) बॉब कैपिटल मार्केट लि.	भारत	100.00%			
ii) बॉब कार्ड्स लि.	भारत	100.00%			
iii) बॉब एसेट मैनेजमेंट वं. लि. (20.06.2008 तक)	भारत	100.00%			

Domestic Subsidiaries

a) Banking :					
i) The Nainital Bank Ltd.	India	98.39%			
b) Non Banking:					
i) BOB Capital Markets Ltd.	India	100.00%			
ii) BOB Cards Ltd.	India	100.00%			
iii) BOB Asset Management Co. Ltd. (Upto 20.06.2008)	India	100.00%			

विदेशी अनुषंगियां :

क) बैंकिंग					
i) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्सवाना) लि.	बोत्सवाना	100.00%			
ii) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लि.	केन्या	86.70%			
iii) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (युगांडा) लि.	युगांडा	80.00%			
iv) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (हांगकांग) लि. (21.10.2008 तक)	हांगकांग	-			
v) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गुयाना) आइएनसी	गुयाना	100.00%			
vi) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लि.	तंजानिया	100.00%			
vii) बैंक ऑफ़ बड़ौदा त्रिनीदाद एवं टोबेगो लिमिटेड	त्रिनीदाद एवं टोबेगो	100.00%			
viii) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (घाना) लि.	घाना	100.00%			
ख) गैर बैंकिंग					
i) बॉब (यू के) लि.	युनाइटेड किंगडम	100.00%			
ii) बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि.	न्यूजीलैंड	100.00%			

Overseas Subsidiaries:

a) Banking :					
i) Bank of Baroda (Botswana) Ltd.	Botswana	100.00%			
ii) Bank of Baroda (Kenya) Ltd.	Kenya	86.70%			
iii) Bank of Baroda (Uganda) Ltd.	Uganda	80.00%			
iv) Bank of Baroda (Hong Kong) Ltd. (Upto 21.10.2008)	HongKong	-			
v) Bank of Baroda (Guyana) Inc.	Guyana	100.00%			
vi) Bank of Baroda (Tanzania) Ltd	Tanzania	100.00%			
vii) Bank of Baroda Trinidad & Tobago Ltd.	Trinidad & Tobago	100.00%			
viii) Bank of Baroda (Ghana) Ltd.	Ghana	100.00%			
b) Non Banking:					
i) BOB (UK) Ltd.	United Kingdom	100.00%			
ii) Baroda (New Zealand) Ltd.	New Zealand	100.00%			

1.2 सहयोगी बैंक :

लेखामानक (एस) - 23 के अनुसार निवेश हेतु समेकित वित्तीय विवरणी (सीएफएस) में समाहित सहयोगी बैंकों के विवरण निम्नलिखित हैं :

1.2 Names of Associates:

The particulars of Associates considered in the CFS as per Accounting Standard (AS) – 23 on Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements are as under:

नाम	Name	मूल संस्था का हिस्सा (%) Parent's ownership Interest (%)
(क) इन्डो जाम्बिया बैंक लिमिटेड	a) Indo Zambia Bank Limited	20%
(ख) यू टी आई असेट मैनेजमेंट कंपनी लि.	b) UTI Asset Management Company Ltd	25%
(ग) यू टी आई ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	c) UTI Trustee Company Pvt Ltd.	25%
(घ) बड़ौदा पायोनियर असेट मैनेजमेंट कंपनी लि. (21.06.2008 से)	d) Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. (from 21.06.2008)	49%
(ङ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक:-	e) Regional Rural Banks:-	
i) बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक	i) Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank	35%
ii) नैनीताल-अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	ii) Nainital-Almora Kshetriya Gramin Bank	35%
iii) बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	iii) Baroda Rajasthan Gramin Bank	35%
iv) बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक	iv) Baroda Gujarat Gramin Bank	35%
v) झाबुआ-धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	v) Jhabua-Dhar Kshetriya Gramin Bank	35%

2. सहयोगी इकाइयों में निवेश का विवरण

2. Particulars of the Investment in Associates:

(रु. करोड़ में / Rs. in Crores)

क्र. सं.	विवरण	Sr. No.	Particulars	31.03.2009 को As at 31.03.2009	31.03.2008 को As at 31.03.2008
(क)	सहयोगी इकाइयों में निवेश की लागत	a.	Cost of Investment in Associates	478.42	392.24
(ख)	उपरोक्त (क) में शामिल अधिग्रहण पर साख	b.	Goodwill on acquisition included in (a) above	184.12	184.12
(ग)	उपरोक्त (क) में अधिग्रहण पर पूंजी प्रारक्षित निधि	c.	Capital reserve on acquisition included in (a) above	25.27	-
(घ)	पुनर्मूल्यांकित प्रारक्षित निधि और एफसी संव्यवहार प्रारक्षित निधि के खातों में परिवर्धन	d.	Additions on account of revaluation reserve & FC translation reserve	2.22	-
(ङ)	अधिग्रहण उपरान्त गुड विल के लाभों (शुद्ध) का अंश	e.	Share of post acquisition profits (Net) of Goodwill	136.02	78.92
(च)	31 मार्च को निवेश (क-ख-ग + घ + ङ)	f.	Investment as at 31st March (a-b-c+d+e)	407.27	287.04
(छ)	भारत में निवेश	g.	Investment in India	376.42	253.18
(ज)	भारत के बाहर निवेश	h.	Investment outside India	30.85	33.86
(झ)	कुल (ङ + च)	i.	Total (g + h)	407.27	287.04

3. अनुषंगियों /सहयोगी इकाइयों की वित्तीय विवरणियां :

3. Financial Statements of Subsidiaries / Associates

3.1 अनुषंगियों तथा सहयोगी इकाइयों की वित्तीय विवरणियां बैंक ऑफ बड़ौदा (युगांडा) लि., बैंक ऑफ बड़ौदा (केन्या) लि., बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लि. को छोड़कर उसी रिपोर्टिंग तारीख के अनुसार तैयार की गई हैं जिस तारीख को (अर्थात् 31 मार्च, 2009) मूल संस्था की विवरणी तैयार की गई है। उक्त अनुषंगियों की विवरणियां 31 दिसंबर, 2008 की स्थिति के अनुरूप तैयार की गई हैं। प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित 1 जनवरी, 2009 से 31 मार्च, 2009 के बीच अपेक्षित समायोजनों हेतु कोई उल्लेखनीय संव्यवहार नहीं हुआ है।

3.1 The financial statements of the subsidiaries and associates have been drawn upto the same reporting date as that of the Parent i.e. 31st March 2009 except for Bank of Baroda (Uganda) Ltd., Bank of Baroda (Kenya) Ltd., Bank of Baroda (Ghana) Ltd. and Bank of Baroda (Tanzania) Ltd., which have been drawn upto 31st December 2008. As certified by the Management, there are no significant transactions or other events during 1st January 2009 to 31st March 2009 requiring adjustment therein.

3.2 समेकित वित्तीय विवरणी वर्ष 2008-09 में बैंक ऑफ बड़ौदा (युगांडा) लि. के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी, बड़ौदा कैपिटल मार्केट (यूगांडा) लि. का भी समावेश है जो कि बैंक की अनुषंगी है।

3.2 CFS for the year 2008-09 also includes audited accounts of Baroda Capital Markets (Uganda) Ltd, a wholly owned subsidiary of Bank of Baroda (Uganda) Ltd, which is a subsidiary of parent.

3.3 बाब कार्ड्स लि. बड़ौदा पायोनियर एसेट मैनेजमेंट कं.लि.और यूटीआई ट्रस्टी कं.लि. की अचल आस्तियों और मूल्यहास सॉफ्टवेयर के परिशोधन की लेखांकन नीतियां बैंक से भिन्न है। बड़ौदा पायोनियर एसेट मैनेजमेंट कं.लि. की निवेश संबंधी लेखांकन नीतियां बैंक से भिन्न है। इसके प्रभाव के प्रमाण का उल्लेख समेकित वित्तीय विवरण में नहीं दिया गया है। क्योंकि इसका पता नहीं लगाया जा सकता।

3.3 The accounting policies of BOB Cards Ltd., Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd., UTI Asset Management Company Ltd. and UTI Trustee Company Ltd. on Fixed Assets and Provision of Depreciation, amortizations of Software is different from Parent. The accounting policy of Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. for investments is different from Parent. Impact of the same is not given in the Consolidated Financial Statement, as the same is not ascertainable.

3.4 बैंक के वर्ष 2008-09 के सीएफएस में अनुषंगियों यथा बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि., बैंक ऑफ बड़ौदा बोत्सवाना लि. और बैंक ऑफ बड़ौदा (त्रिनीदाद एवं टोबेगो) लि. एवं इण्डो जाम्बिया बैंक लि. की सहयोगी के अलेखापरिक्षित वित्तीय विवरणों का भी समावेश है।

3.4 CFS for the year 2008-09 of the parent also includes unaudited financial statements of subsidiaries viz Baroda(New Zealand) Ltd., Bank of Baroda(Botswana) Ltd. and Bank of Baroda(Trinidad and Tobago) Ltd., and the of associate Indo Zambia Bank Limited.

4. 31.03.2009 को समाप्त वर्ष के निम्नलिखित देशीय अनुषंगियों के खाते कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के अधीन है :

4. The accounts of the following domestic subsidiaries for the year ended 31.3.2009 are subject to the comments of Comptroller & Auditor General of India under Section 619(4) of the Companies Act, 1956:

1) बॉब कैपिटल मार्केटस् लि.

1) BOB Capital Markets Ltd.

2) बॉब कार्ड्स लि.

2) BOB Cards Ltd.

5. मूल एवं अनुषंगी इकाइयों की बहियों का मिलान एवं समाधान :
- 5.1 कुछ शाखाओं /कार्यालयों में नियंत्रण खाते का सब्सीडियरी लेजर / रजिस्ट्रों के साथ बैलेंसिंग /समाधान का कार्य प्रगति पर है.
- 5.2 'ग्रुप इंटर-से' अनुषंगियों के खाते और अंतः कार्यालय समायोजन में शामिल खाते के विभिन्न शीर्षों में बकाया प्रविष्टियों के समाधान का कार्य प्रगति पर है.
- 5.3 बैंकों के साथ नोस्ट्रो, ड्राफ्ट्स /टीटी देय, सस्पेंस, लाभांश खाते/लाभांश/ब्याज/ रिफंड ऑर्डर प्रदत्त /देय आदि खातों के समाधान का कार्य प्रगति पर है.
- समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि खाते पर उपरोक्त का प्रभाव, यदि कोई है जो यद्यपि गणना योग्य नहीं है, का प्रभाव प्रबंधन की राय में, महत्वपूर्ण नहीं होगा.
6. पूंजीगत प्रारक्षित निधि
- 6.1 पूंजीगत प्रारक्षित निधि में अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप होने वाली मूल्यवृद्धि तथा लघु / मध्यम उद्योगों के लिए निर्यात विकास परियोजनाओं /औद्योगिक निर्यातों परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक की योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार की अंशदान राशि शामिल हैं.
- 6.2 चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक रुपये 0.59 करोड़ (पिछले वर्ष रु 1377.74 करोड़) ने अपनी 2 विदेशी अचल परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया है. जिसे प्रारक्षित एवं अधिशेष के भाग के रूप में अचल परिसम्पत्तियों में जोड़ कर आरक्षित पूंजी के अन्तर्गत पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में जमा किया गया है.
7. आयकर का प्रावधान, अपीलीय प्राधिकारियों के नियमों को ध्यान में रखते हुए तथा परामर्शदाता के परामर्श से किया गया है.
8. वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा जब्त किए गए 100 इक्विटी शेयरों को (पिछले वर्ष 400 इक्विटी शेयर) वार्षिक लेखे में लिया गया.
9. 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के दौरान 409.10 करोड़ रुपये के टीयर II बांड, 300.20 करोड़ रुपये के टीयर I बांड और 1500 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष रु. 2403.62 करोड़) के टीयर II बांड शोधित किए गये. जिसमें बैंक द्वारा मीडियम टर्म नोट्स के माध्यम से जारी किए गये रु.1203.62 करोड़ (यूएस डी 300 mn) शामिल है.
10. मूल संस्था (बैंक) की कुछ संपत्तियों की पुनर्मूल्यंकित राशि का उल्लेख किया गया है. वर्ष के अंत में परिसर शीर्ष के अंतर्गत कुल रु.1766.66 करोड़ (पिछले वर्ष रु.1765.99 करोड़) पुनर्मूल्यांकित राशि को शामिल किया गया है. शुद्ध अवमूल्यन के संबंध में पुनर्मूल्यांकित राशि रु.1448.34 करोड़ (पिछले वर्ष रु.1519.09 करोड़) हैं.
11. मूल संस्था बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने दि.1 अप्रैल, 2007 से अनुषंगी इकाई बैंक ऑफ़ बड़ौदा (हांगकांग) लि. का अधिग्रहण कर हांगकांग में अपना कार्य (परिचालन) प्रारंभ कर दिया है. अनुषंगी कंपनी ने 21.10.2008 को अतिरिक्त आस्तियों का अंतिम संवितरण रेमिट किया और यह विधि सम्मत था तथा 2 अप्रैल 2009 को यह संविधिक रूप से समाप्त हो गया.
5. Balancing of Books & Reconciliation of Parent and it's subsidiaries:
- 5.1 Balancing / reconciliation of control accounts with subsidiary ledgers / registers, is in progress in certain branches / offices.
- 5.2 Reconciliation of outstanding entries in subsidiaries' accounts in the group inter-se and in various heads of accounts included in Inter Office Adjustments is in progress.
- 5.3 Reconciliation of accounts with banks, Nostro, Drafts / TTs Payable, Suspense, Dividend / Interest / Refund Orders paid / payable etc., is in progress.
- The impact of the above, if any, on the Profit & Loss and Balance Sheet of CFS though not quantified, in the opinion of the management, will not be material.
6. Capital Reserve
- 6.1 Capital Reserve includes appreciation arising on revaluation of immovable properties and amount subscribed by Government of India under the World Bank's Scheme for Export Development Projects / Industrial Export Projects for small / medium scale industries.
- 6.2 During the current financial year, the Parent has revalued two foreign immoveable properties by an amount of Rs. 0.59 Crores (previous year Rs. 1377.74 crores). The amount of revaluation has been shown as an addition to Fixed Assets and credited to Revaluation Reserve Account under Capital Reserves as part of Reserves and Surplus.
7. Provision for taxes are arrived at after due consideration of decisions of appellate authorities and advice of consultant.
8. During the year, the Parent has annulled the forfeiture of 100 equity shares (previous year 400 equity shares).
9. During the year ended March 31, 2009, Tier II Bonds amounting to Rs. 409.10 Crores have been redeemed and Tier I Bonds amounting to Rs. 300.20 and Tier II Bonds amounting to Rs. 1500.00 Crores (Previous year Rs.2703.62 Crores including Rs.1203.62 Crores corresponding to US \$ 300 Million issued by way of Medium Term Loans) were raised.
10. Certain properties of the Bank are stated at revalued amounts. The gross amount of the revaluation included in premises as at the year-end is Rs.1766.66 Crores (Previous Year Rs.1765.99 Crores) and net of depreciation the revaluation amounts to Rs. 1448.34 Crores (Previous year Rs.1519.09 Crores).
11. The Parent has set up a branch at Hong Kong which has commenced operations w.e.f. 1st April 2007 and has taken over the business of wholly-owned subsidiary, Bank of Baroda (Hong Kong) Ltd. w.e.f. that date. The subsidiary company remitted the final distribution of the surplus assets on 21.10.2008 and was legally and statutorily dissolved on April 02, 2009.

12. प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का अलग-अलग विवरण

लाभ हानि खाते में दर्शाए गए प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का अलग-अलग विवरण निम्नानुसार है :

विवरण	Particulars	(रु. करोड़ में /Rs. in Crores)	
		चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
बड़ेखाते डाले गए ऋणों/एनपीए के लिए प्रावधान	Bad debts written off / Provision made towards NPA	324.33	576.21
पुनर्गठित मानक व अवमानक खातों में ब्याज के सेक्रीफाइज हेतु प्रावधान	Provision towards sacrifice of interest in Restructured standard and sub-standard accounts	69.23	89.90
देशगत जोखिम प्रबंधन हेतु प्रावधान	Provision for Country Risk Management	-	-6.87
करों के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	Provision for taxes (including deferred Taxes)	1164.23	802.31
निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान	Provision for depreciation on investment	536.78	41.79
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	Provision for standard assets	77.11	109.96
कर्मचारी कल्याण व्यय हेतु प्रावधान	Provision for staff welfare expenses	15.00	15.00
अन्य	Others	-3.66	47.24
कुल	Total	2183.02	1675.54
घटाएं: निवेश पर मूल्य हास हेतु अतिरिक्त प्रावधान	Less: Excess provision for depreciation on investments	1.07	2.43
जोड़	Total	2181.95	1673.11

13. सेगमेंट रिपोर्टिंग (ए एस-17)

लेखा मानक - 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग के तहत प्रकटीकरण

भाग क : प्राथमिक सेगमेंट

13. Segment Reporting (AS – 17):

Accounting Standard 17 - Disclosure under Segment Reporting

Part A : Primary Segments

(रु. करोड़ में /Rs. in Crores)

बिजनेस सेगमेंट	Business Segments	ट्रेजरी		कार्पोरेट/होलसेल बैंकिंग		रिटेल बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
		Treasury		Corporate / Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		Total	
		Current Yr चालू वर्ष	Prev Year पिछला वर्ष	Current Yr चालू वर्ष	Prev Year पिछला वर्ष	Current Yr चालू वर्ष	Prev Year पिछला वर्ष	Current Yr चालू वर्ष	Prev Year पिछला वर्ष	Current Yr चालू वर्ष	Prev Year पिछला वर्ष
राजस्व	Revenue	4517.37	3638.33	5276.81	4187.57	5558.97	4102.65	3039.77	2378.12	18392.92	14306.67
परिणाम	Result	1045.96	810.42	855.03	186.11	-1431.53	944.15	1933.15	1515.56	5265.67	3456.24
अनाबंटित खर्च	Unallocated Expense									1717.36	1105.55
परिचालनगत वर्ष	Operating Profit									3548.31	2350.69
आयकर	Income taxes									1164.23	802.31
विशिष्ट लाभ / हानि	Extra-ordinary Profit/loss									----	---
शुद्ध लाभ	Net Profit									2384.08	1548.38
अन्य सूचना	Other Information										
सेगमेंट आस्तियां	Segment Assets	62616.56	57824.02	57431.13	52428.98	50813.16	33443.77	58533.83	37199.12	229394.68	180895.89
अनाबंटित आस्तियां	Unallocated Assets									2916.52	2583.09
कुल आस्तियां	Total Assets									232311.20	183478.98
सेगमेंट देयताएं	Segment Liabilities	59029.19	54247.94	54187.30	49204.31	47971.45	31397.45	55360.76	35011.61	216548.70	169861.31
अनाबंटित देयताएं	Unallocated Liabilities									15762.50	13617.67
कुल देयताएं	Total Liabilities									232311.20	183478.98

भाग-ख - भौगोलिक सेगमेंट / Part B: Secondary Segments

(रु. करोड़ में /Rs. in Crores)

विवरण	Particulars	देशीय परिचालन		अंतर्राष्ट्रीय परिचालन		जोड़	जोड़
		Domestic Operations	Domestic Operations	International Operations	International Operations	Total	Total
		2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08
राजस्व	Revenue	15710.24	12104.69	2682.68	2201.97	18392.92	14306.67
आस्तियां	Assets	178913.03	144162.06	53398.17	39316.93	232311.20	183478.98

टिप्पणी :

- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार लेखांकन मानकों की अनुपालन में बैंक ने ट्रेजरी ऑपरेशन, होलसेल, रिटेल और अन्य बैंकिंग परिचालनों को प्राथमिक कारोबार सेगमेंट और देशीय और अन्तर्राष्ट्रीय को गौण / भौगोलिक सेगमेंट के रूप में आइ सी ए आफ द्वारा जारी सेगमेंट रिपोर्टिंग पर ए एस-17 के साथ अनुपालना के उद्देश्य से अपनाया है।
- प्राथमिक सेगमेंट के मामले में ओवरसीज अनुषंगियों के आंकड़ों को अन्य बैंकिंग परिचालनों में शामिल कर लिया गया है।
- सेगमेंट परिणाम तय करते समय, बैंक द्वारा अपनाई गई अंतरण मूल्य निर्धारण प्रणाली को प्रयोग में लाया गया है।
- सेगमेंट राजस्व बाह्य ग्राहकों से प्राप्त राजस्व को दर्शाती है।
- प्रत्येक सेगमेंट के लिए लगायी गयी पूंजी को सेगमेंट की आस्तियों में अनुपातिक आधार पर आवंटित किया गया है।

14. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एएस-18)

- श्री एम. डी. मल्या, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (07.05.2008 से)
- डॉ. अनिल के. खंडेलवाल, भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- श्री वी. सन्तानरामन, कार्यकारी निदेशक
- श्री सतीश सी. गुप्ता, कार्यकारी निदेशक (05.11.2008 तक)
- श्री. राजीव कुमार बक्षी, कार्यकारी निदेशक (06.11.2008 से)

प्रबंधन के प्रमुख प्राधिकारियों को अदा किया गया पारिश्रमिक रु. 38.12 लाख (गत वर्ष रु.17.60 लाख)

15. प्रति शेयर अर्जन (एएस-20)
Notes:

- As per guidelines of RBI on compliance with Accounting Standards, parent has adopted Treasury Operations, Wholesale, Retail and Other Banking Operations as Primary business segments and Domestic and International as secondary / Geographic segments for the purpose of compliance with AS-17 on Segment reporting issued by the ICAI.
- In case of primary segments, figures of overseas subsidiaries have been included in Other banking operations.
- In determining the segment results, the funds transfer price mechanism followed by the Parent has been used.
- Segment revenue represents revenue from external customers.
- Capital employed for each segment has been allocated proportionate to the assets of the segment.
- Related Party Disclosures AS-18):
 - Mr. M.D. Mallya, CMD (From 07.05.2008 onwards)
 - Dr. A.K.Khandelwal (Ex-CMD)
 - Mr.V.Santhanaraman, ED
 - Mr. Satish C. Gupta, ED (Upto 05.11.2008)
 - Mr. Rajiv Kumar Bakshi, ED (From 06.11.2008 onwards)

Aggregate Remuneration paid to Key Management Personnel Rs. 38.12 lac (Previous year Rs. 17.60 lac)

15. Earnings per Share (AS-20)

		चालू वर्ष	विगत वर्ष
		Current Year	Previous Year
i. इक्विटी शेयर धारक हेतु कर के बाद उपलब्ध शुद्ध लाभ (रु. करोड़ों में)	Net Profit after tax available for Equity shareholders (Rs. in crores)	2384.08	1548.37
ii. इक्विटी शेयर्स की भारित औसत संख्या	Weighted Average Number of Equity Shares	364266500	364266400
iii. प्रति शेयर बुनियादी व डायल्यूटेड अर्जन	Basic and diluted earnings per share of Rs.10/- each (Rs.)	65.45	42.51
iv. प्रति इक्विटी अंकित शेयर मूल्य	Nominal Value per Equity Share	Rs.10.00	Rs.10.00

16. आय पर कर की गणना (एस-22)

आईसीएआई द्वारा जारी आय पर कर की गणना हेतु एस 22 की जरूरतों का बैंक ने पालन किया है तथा तदनुसार आस्थिगत कर आस्तियां तथा देयताएं निर्धारित की गईं.

16. Accounting for Taxes on Income (AS-22)

The Parent and its subsidiaries have complied with the requirements of AS 22 on Accounting for Taxes on Income issued by ICAI and accordingly deferred tax assets and liabilities are recognized.

(रु. करोड़ों में /Rs. in Crores)

विवरण	Particulars	31.03.2009		31.03.2008	
		आस्तियां Asset	देयता Liability	आस्तियां Asset	देयता Liability
आयकर अधिनियम के तहत बही मूल्यहास तथा मूल्यहास के बीच अंतर	Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act	0.19	51.33	0.15	56.93
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत कटौतियां	Deduction under Section 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961	-	74.78	-	-
अन्य	Others	2.10	0.36	0.50	0.26
संदिग्ध ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	Provision for doubtful debts and advances	51.01	-	36.83	0.04
आयकर अधिनियम की धारा 40(ए)(आई ए) के तहत अमान्य राशि	Amount Disallowable U/S 40(a)(ia) of the IT Act	16.86	-	-	-
छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	Provision for leave encashment	100.92	-	73.17	-
जोड़	Total:	171.08	126.47	110.65	57.23
शुद्ध आस्थिगत कर आस्तियां	Net Deferred Tax Asset	44.61	-	53.42	-

31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए रु. 8.81 करोड़ की शुद्ध आस्थिगत कर आस्तियों में वृद्धि (पिछले वर्ष रु. 4.17 करोड़ की वृद्धि) को लाभ व हानि खाते में निर्धारित किया गया है.

Decrease in net Deferred Tax Assets of Rs. 8.81 Crores for the year ended 31st March 2009 (Previous year increase of Rs.4.17 Crores) has been recognized in the Profit & Loss Account.

17. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां (एस-29) से संबद्ध देयताओं के लिए प्रावधानों का संचालन (अन्यों के लिए प्रावधान को छोड़कर)

17. Movement of provisions for Liabilities (excluding provisions for others) in terms of AS-29 – Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

(रु. करोड़ों में /Rs. in Crores)

विवरण	Particulars	मुकदमों/ आकस्मिक Legal Cases / Contingencies		नेगोशिएशन के तहत बकाया वेतन Salary arrears under negotiation	
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
1 अप्रैल को शेष	Balance as on 1st April	13.49	7.46	100.00	-
वर्ष के दौरान प्रदत्त	Provided during the year	-	6.54	325.00	100.00
वर्ष के दौरान खर्च राशि	Amount used during the year	0.01	0.51	-	-
31 मार्च को शेष	Balance as at 31st March	13.48	13.49	425.00	100.00
आउटफ्लो/ अनसर्टेनटीज का समय	Timing of Outflow / uncertainties	निपटान क्रिस्टलीकरण पर आउटफ्लो Outflow on settlement / crystallization		-	-

18. अतिरिक्त प्रकटीकरण :

मूल संस्था (बैंक) एवं अनुषंगियों की अलग वित्तीय विवरणियों में प्रकट की गई अतिरिक्त सूचना का सीएफएस के सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण से संबंध नहीं है, ऐसी मदों से संबंधित सूचना को, जो महत्वपूर्ण नहीं है, सीएफएस में प्रकट नहीं किया गया है.

18. Additional Disclosures:

Additional information disclosed in the separate financial statements of the Parent and the subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the CFS and also the information pertaining to the items which are not material, have not been disclosed in the CFS.

19. पिछले वर्ष के आंकड़े :

समूह संस्थाओं के पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां जहां आवश्यक समझा गया, पुनः व्यवस्थित / पुनर्निर्धारित / पुनःसमूहीकृत किया गया है.

19. Previous Year Figures:

Previous year's figures of the group entities have been rearranged / recast / regrouped wherever considered necessary.

31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए नगदी प्रवाह विवरण
Statement of Consolidated Cash Flow for the year ended 31st March, 2009

(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2009	31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2008
क परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह :	A. Cash flow from operating activities :		
कर से पूर्व शुद्ध लाभ	Net Profit before taxes	3548,31,08	2350,68,73
निम्नलिखित के लिए समायोजन :	Adjustments for:		
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	Depreciation on fixed assets	239,43,78	240,70,83
निवेशों पर मूल्य हास (परिपक्व ऋणपत्रों सहित)	Depreciation on investments (including on Matured debentures)	536,78,08	39,35,72
बड़े खाते में डाले गए अशोध्य ऋण /गैर निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान	Bad debts written-off/Provision in respect of non- performing assets	324,07,92	576,20,60
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for Standard Assets	77,10,73	109,96,46
अन्य मदों के लिए प्रावधान	Provision for Other items	80,81,70	145,26,35
अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ /(हानि)	Profit/(loss) on sale of fixed assets	299	(39,66)
गौण ऋणों पर ब्याज लाभ/प्रावधान, (अलग से लिया गया)	Payment/provision for interest on subordinated debt(treated separately)	466,86,88	350,45,06
अनुषंगी इकाइयों/अन्यों से प्राप्त लाभांश (अलग से लिया गया)	Dividend received from subsidiaries/others (treated separately)	(32,22,41)	(10,93,81)
उप-योग	Sub total	52412075	38013028
निम्नलिखित के लिए समायोजन :	Adjustments for:		
निवेशों में (वृद्धि) / कमी	(Increase)/Decrease in investments	(9505,60,13)	(9020,12,06)
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी	(Increase)/Decrease in advances	(38039,08,97)	(23597,14,42)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	(increase)/Decrease in other assets	(230,89,33)	9199893
उधार राशियों में वृद्धि / (कमी)	Increase/(Decrease)in borrowings	1682,67,84	2791,01,98
जमा राशियों में वृद्धि / (कमी)	Increase/(Decrease) in deposits	41313,36,11	27187,66,41
अन्य देयताओं तथा प्रावधानों में वृद्धि /(कमी)	Increase/(Decrease) in other liabilities and provisions	2194,96,31	697,31,05
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड का शुद्ध)	Direct taxes paid (Net of Refund)	(1377,89,57)	(442,46,53)
परिचालन कार्यकलापों से शुद्ध नकदी (क)	Net cash from operating activities (A)	1278,73,02	2337,55,64
निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह :	B. Cash flow from investing activities:		
अचल आस्तियों की खरीद	Purchase of fixed assets	(221,78,78)	(381,68,35)
अचल आस्तियों की बिक्री	Sale of fixed assets	42,04,55	127,08,24
अनुषंगी इकाइयों/अन्यों से प्राप्त लाभांश	Dividend received from subsidiaries/others	32,22,41	10,93,81
निवेश संबंधी कार्यकलापों से शुद्ध नकदी (ख)	Net cash from investing activities (B)	(147,51,82)	(243,66,30)
ख. वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह :	C. Cash flow from financing activities:		
शेयर पूंजी	Share Capital	0	1
शेयर प्रीमियम	Share premium	3	10
गैर जमानती गौण बांड	Unsecured Subordinated Bonds	1709,10,15	2703,61,90
लाभांश	Dividend	(340,93,88)	(252,45,84)
गैर जमानती प्रतिदेय बांडों पर प्रदत्त /देय ब्याज	Interest paid / payable on unsecured redeemable bonds	(466,86,88)	(350,45,06)
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी (ग)	Net cash from financing activities (C)	901,29,42	2100,71,11
नकदी एवं नकदी समतुल्य (क)+(ख)+(ग) में शुद्ध वृद्धि	Net increase in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)	2032,50,62	4194,60,45
वर्ष के प्रारंभ में क्रमशः नकदी व नकदी समतुल्य	Cash and cash equivalents as at the beginning of the year	23170,11,17	18975,50,72
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी समतुल्य	Cash and cash equivalents as at the end of the year	25202,61,79	23170,11,17

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

Auditors' Report on Consolidated Financial Statements of Bank of Baroda

सेवा में,

निदेशक मंडल, बैंक ऑफ बड़ौदा

- हमने बैंक ऑफ बड़ौदा ("बैंक") के 31 मार्च, 2009 के संलग्न समेकित तुलन पत्र और उसके साथ संलग्न उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ-हानि लेखे और उक्त तारीख को समाप्त समेकित नकदी प्रवाह विवरणी की लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरणियां वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं तथा इन्हें प्रबंधन द्वारा अनुषंगियों तथा सहयोगी संस्थाओं की अलग वित्तीय विवरणियों तथा अन्य वित्तीय सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणियों के बारे में लेखा-परीक्षा के आधार पर मत व्यक्त करना है।
- बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरणियों को लेखा-मानक (एएस)-21 - 'समेकित वित्तीय विवरणियां' और लेखा मानक (एएस)-23 के अनुरूप भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरणियों में, अनुषंगियों में निवेश हेतु लेखांकन और बैंक, इसकी अनुषंगियों और समेकित वित्तीय विवरणियों में शामिल सहयोगी संस्थाओं की अलग लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणियों के आधार पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (अन्यथा उल्लिखितानुसार को छोड़कर) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार किया गया है।
- (क) हमने निम्नलिखित 12 अनुषंगियों की लेखा-परीक्षा नहीं की है, जिनकी वित्तीय विवरणियों में 31 मार्च 2009 को रु.5797.49 करोड़ की कुल आस्तियां तथा समाप्त वर्ष की अवधि के लिए रु.592.88 करोड़ का कुल राजस्व तथा उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए रु.244.68 करोड़ का नकदी प्रवाह दर्शाया गया है। 9 सहयोगी संस्थाएं जिन्होंने 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए रु.63.66 करोड़ का शुद्ध लाभ प्रदर्शित किया है।
(ख) ऊपर में से, 3 अनुषंगियों - बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्सवाना) लिमिटेड तथा बैंक ऑफ बड़ौदा (त्रिनिदाद एवं टोबैगो) लिमिटेड तथा 1 सहायक - इंडो जांबिया बैंक लिमिटेड के संबंध में अलेखापरििक्षित वित्तीय विवरणियों के आधार पर आंकड़े लिए गए हैं।
- हमने समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखा-परीक्षा, भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा-परीक्षा मानकों के अनुरूप की है। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम लेखा-परीक्षा इस प्रकार सुनियोजित और संपन्न करें कि हमें यह तर्क संगत आश्वासन मिले कि ये वित्तीय विवरणियां सभी प्रकार की महत्वपूर्ण गलतियों से मुक्त हैं। लेखा-परीक्षा में, जांच आधार पर परीक्षण, राशियों संबंधित प्रमाण और वित्तीय विवरणियों का प्रकटीकरण शामिल है। लेखा-परीक्षा में प्रबंधन द्वारा, प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धान्तों का निर्धारण और महत्वपूर्ण आकलन शामिल हैं। इसमें समग्र वित्तीय विवरणियों का प्रस्तुतीकरण मूल्यांकन भी शामिल हैं। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा की गई लेखा-परीक्षा हमारी राय का तर्क संगत आधार है।

To,

The Board of Directors, Bank of Baroda

- We have audited the attached Consolidated Balance Sheet of BANK OF BARODA (the "Bank") as on 31st March 2009, the Consolidated Profit and Loss Account for the year ended on that date and the Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date, annexed thereto. These Financial Statements are the responsibility of the Bank's management and have been prepared by the management on the basis of separate financial statements and other financial information regarding subsidiaries and associates. Our responsibility is to express our opinion on these Financial Statements based on our audit.
- The Consolidated Financial Statements have been prepared by the Bank in accordance with the requirements of Accounting Standard (AS) 21 - "Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard (AS) 23 - "Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the guidelines issued by the Reserve Bank of India (except as otherwise stated) and on the basis of the separate Audited Financial Statements of the Bank, its Subsidiaries and Associates incorporated in the Consolidated Financial Statements.
 - We have not audited the Financial Statements of Twelve Subsidiaries, whose Financial Statements reflect Total Assets of Rs. 5797.49 crores as on 31st March 2009, Total Revenue of Rs.592.88 crores and cash flow amounting to Rs. 244.68 crores for the year ended on that date and Nine Associates reflecting Net Profit of Rs 63.66 crores for the year ended 31st March 2009.
 - Out of the above, figures have been taken on the basis of unaudited financial statements in respect of three Subsidiaries, namely Baroda (New Zealand) Limited, Bank of Baroda (Botswana) Ltd. and Bank of Baroda (Trinidad and Tobago) Ltd. and one associate, namely Indo Zambia Bank Limited.
- We conducted our audit of the Consolidated Financial Statements in accordance with Generally Accepted Auditing Standards in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the Financial Statements are prepared, in all material respects, in accordance with an identified financial reporting framework and are free of material misstatements. An audit includes, examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

5. अनुसूची-19 में नोट नं.5 का संदर्भ लें जो इसमें उल्लिखित बकाया मदों के समाधान/क्लिअरेंस से उत्पन्न समायोजन के बारे में है. उपरोक्त के परिणामी प्रभाव का आकलन नहीं किया गया है.
6. अनुसूची-19 में प्रति शेयर अर्जन (नोट सं.15) उपरोक्त पैरा 5 में दिए गए हमारे अभिमतों के अध्वधीन है.
7. हमारी लेखा परीक्षा एवं अन्य लेखा-परीक्षकों की अलग वित्तीय विवरणियों और घटकों की अन्य वित्तीय सूचना तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार तथा उपरोक्त पैरा 3(ख) एवं 5 के अध्वधीन हमारी यह राय है कि संलग्न समेकित वित्तीय विवरणियां भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार सच्ची एवं सही तस्वीर प्रस्तुत करती हैं.
- (i) 31 मार्च 2009 को बैंक, इसकी अनुषंगियों के समेकित कार्य व्यवहारों तथा इसकी सहयोगी संस्था (बैंक ऑफ़ बड़ौदा समूह) के हितों से सम्बंधित समेकित तुलनपत्र के सम्बंध में.
- (ii) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा ग्रुप के लाभ सम्बन्धी समेकित लाभहानि खाते के सम्बन्ध में.
- (iii) समेकित वित्तीय विवरणियों द्वारा कवर किए गए वर्ष के नकदी प्रवाह सम्बन्धी समेकित नकदी प्रवाह विवरणी के सम्बंध में.
5. Attention is drawn to the note no.5 in Schedule – 19 regarding adjustments arising from reconciliation / clearance of outstanding items stated therein. The consequential effect of the same has not been ascertained.
6. Earnings per share (Note No.15) in Schedule 19 are subject to our observations in paragraph 5 above.
7. Based on our audit and on consideration of reports of other auditors on separate financial statements and on the other financial information of the components, and to the best of our information and according to the explanations given to us and subject to paragraphs 3(b) & 5 above, we are of the opinion that the attached consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:
- (i) in the case of the Consolidated Balance Sheet, of the consolidated state of affairs of the Bank, its Subsidiaries and interests in its Associates(Bank of Baroda Group) as on 31st March 2009;
- (ii) in the case of the Consolidated Profit & Loss Account, of the Profit of Bank of Baroda Group for the year ended on that date, and
- (iii) in the case of Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows for the year covered by the Consolidated Financial Statements.

कृते बी.सी.जैन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
For B.C.JAIN & CO.
Chartered Accountants

रंजीत सिंह/Ranjeet Singh
पार्टनर / Partner
M No.73488

कृते एस.के.कपूर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
For S.K. KAPOOR & CO.
Chartered Accountants
वी बी सिंह / V B Singh
पार्टनर / Partner
M No.073124

कृते ए. सचदेव एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
For A. SACHDEV & CO.
Chartered Accountants

मनीष अग्रवाल / Manish Agarwal
पार्टनर / Partner
M No.078628

कृते अश्वनि एण्ड असोसिएट्स
सनदी लेखाकार
For ASHWANI & ASSOCIATES
Chartered Accountants
अरविंद जैन / Arvind Jain
पार्टनर / Partner
M No.097549

कृते गुप्ता नायर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
For GUPTA NAYAR & CO.
Chartered Accountants
सुरेंद्र नरुका / Surendra Naruka
पार्टनर / Partner
M No091740

कृते एन.सी.बॅनर्जी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
For N.C. BANERJEE & CO.
Chartered Accountants
एम सी कोडाली / M C Kodali
पार्टनर / Partner
M No.056514

स्थान/Place : Mumbai

दिनांक/Date : 26.05.2009



**THERE'S SOMETHING COMMON
BETWEEN BILL GATES, DHIRUBHAI
AND YOU. PEOPLE LAUGHED AT
THEIR IDEAS AS WELL.**

SME LOANS.

Of course you need to fulfill certain criteria to be eligible for our SME Loans. Some fire in your belly. An unshakable conviction. And big dreams. If you have all that, then our assembly-line SME Loan Factory will give you a loan in just 14 days. Because what good is **BARODA NEXT**, if we don't believe in you, at a time you need to be believed in the most?

Toll Free No.: 1-800-22-4447
www.bankofbaroda.com

BARODA next
STATE-OF-THE-ART. STRAIGHT FROM THE HEART.



Australia



Europe



Malaysia



Bahamas



Ghana



Dubai



China



Hong Kong



USA



Kenya

Wherever you go, you will find **Bank of Baroda** India's International Bank

74 overseas offices/branches in 25 countries in 5 continents.

BARODA next

STATE-OF-THE-ART. STRAIGHT FROM THE HEART.

www.bankofbaroda.com



बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

India's International Bank

Global Network - Australia, Bahamas, Bahrain, Belgium, Botswana, China, Fiji Islands, Ghana, Guyana, Hong Kong, India (OBU), Kenya, Malaysia, Mauritius, Seychelles, Singapore, South Africa, Sultanate of Oman, Tanzania, Thailand, Trinidad & Tobago, UAE, Uganda, UK and USA

कार्पोरेट नियंत्रण रिपोर्ट / Report on Corporate Governance (2008-09)

1. नियंत्रण संहिता के बारे में बैंक का दर्शन :

बैंक, उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ अधिकतम प्रतिफल लेने तथा सभी स्तरों पर कार्यनिष्पादन सुनिश्चित करते हुए शेयरधारकों के हितों की रक्षा करते हुए तथा उनके मूल्यों में अभिवृद्धि के लिए सतत प्रयासरत जारी रखेगा। बैंक न केवल सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा बल्कि स्वेच्छापूर्वक कड़ी कार्पोरेट नियंत्रण पद्धतियों को निष्पादित करते हुए उनका पालन भी करेगा। बैंक प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए नैतिक मूल्यों के उच्च मानकों, पारदर्शिता तथा, अनुशासित दृष्टिकोण अपनाने में विश्वास रखता है। बैंक उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुपालन के प्रति भी प्रतिबद्ध है। बैंक अपने सभी साझेदारों, जिसमें शेयरधारक, ग्राहक, सरकार और व्यापक तौर पर जनता भी शामिल है, को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए सघन प्रयास करता रहेगा।

बैंक एक सूचीबद्ध निकाय है, जो एक कम्पनी नहीं है, अपितु बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1970 अर्थात् बैंककारी कम्पनी अर्जन अधिनियम के तहत निकाय कार्पोरेट है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित होता है, अतः स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीयन करार के संशोधित उपखण्ड 49 के प्रावधानों का उस सीमा तक पालन करेगा, जहां तक बैंककारी कम्पनी अर्जन अधिनियम और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं होता है।

2. निदेशक मंडल :

2.1 निदेशक मंडल का स्वरूप

निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 यथा संशोधित तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।

31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुरूप निदेशक मंडल का स्वरूप निम्नलिखित अनुसार है।

1. Bank's Philosophy On Code of Governance

The Bank shall continue its endeavor to enhance its shareholders' value by protecting their interest by ensuring performance at all levels, and maximizing returns with optimal use of resources in its pursuit of excellence. The Bank shall comply with not only the statutory requirements, but also voluntarily formulate and adhere to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank believes in setting high standards of ethical values, transparency and a disciplined approach to achieve excellence in all its sphere of activities. The Bank is also committed to follow the best international practices. The Bank shall strive hard to best serve the interests of its stakeholders comprising shareholders, customers, Government and society at large.

The Bank is a listed entity, which is not a company but body corporate under Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 i.e. The Banking Companies Acquisition Act, and is regulated by Reserve Bank of India, and therefore it shall comply with the provisions of Revised Clause 49 of the Listing Agreement entered in to with Stock Exchanges, to the extent it does not violate The Banking Companies Acquisition Act and the Guidelines issued by Reserve Bank of India in this regard.

2. Board of Directors:

2.1 Composition of the Board

The composition of Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, as amended & Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended.

The composition of Board of Directors of the Bank as on 31st March 2009 is as under:

क्रम सं. No.	नाम Name	पदनाम Position Held	31.03.2009 को धारित बैंक ऑफ बड़ौदा के इक्विटी शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2009	बैंक की उपसमितियों की सदस्यता (संख्या) No. of membership in Sub Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं (संख्या) No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank.	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों की उपसमितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता (संख्या) No. of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of other Companies i.e. Other than the Bank	टिप्पणियां (बैंक एवं अन्य कंपनियों, जिनमें वे सदस्य हैं, में नियुक्ति का स्वरूप) Remarks (nature of appointment in the Bank & other Companies in which he/she is member)
1	श्री एम.डी. मल्ल्या Shri M.D. Mallya	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (कार्यपालक) Chairman and Managing Director (Executive)	शून्य NIL	6	10	2	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 07.05.2008 की प्रभावी तारीख से नियुक्त. वे निम्नलिखित निदेशक मंडलों के भी निदेशक हैं : (i) भारतीय निर्यात आयात बैंक (ii) द न्यू इंडिया अश्युरेंस कं. लिमिटेड (iii) कृषि वित्त निगम लिमिटेड (iv) बड़ौदा पायनियर आस्ति प्रबंधन कं. लि.

क्रम सं. Sr. No.	नाम Name	पदनाम Position Held	31.03.2009 को धारित बैंक ऑफ़ बड़ौदा के इक्विटी शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2009	बैंक की उपसमितियों की सदस्यता (संख्या) No. of membership in Sub Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं (संख्या) No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank.	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों की उपसमितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता (संख्या) No. of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of other Companies i.e. Other than the Bank	टिप्पणियां (बैंक एवं अन्य कंपनियों, जिनमें वे सदस्य हैं, में नियुक्ति का स्वरूप) Remarks (nature of appointment in the Bank & other Companies in which he/she is member)
2	श्री वी. संतानरामन Shri V. Santhanaraman	कार्यकारी निदेशक (कार्यपालक) Executive Director (Executive)	शून्य NIL	6	2	3	<p>(v) बड़ौदा एल एण्ड जी जीवन बीमा कं.लि. (vi) बॉबकार्ड्स लि. (vii) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्स्वाना) लि. (viii) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (घाना) लि. (ix) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (त्रिनिदाद एवं टोबागो) लि. (x) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि. वे निम्नलिखित गवर्निंग कौंसिलों के भी सदस्य हैं :- (i) राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (ii) बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) (iii) भारतीय बैंकिंग एवम वित्त संस्थान वे न्यू इंडिया अश्योरेंस कं. लि. की लेखा परीक्षा समिति एवं निवेश समिति के भी सदस्य हैं. Appointed w.e.f. 07.05.2008 by the Central Government u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970. He is also a Director on the Boards of: (i) Export Import Bank of India (ii) The New India Assurance Co. Ltd (iii) Agricultural Finance Corpn. Ltd. (iv) Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. (v) Baroda L&G Life Insurance Co. Ltd. (vi) BOBCARDS Ltd. (vii) Bank of Baroda (Botswana) Ltd. (viii) Bank of Baroda (Ghana) Ltd. (ix) Bank of Baroda (Trinidad & Tobago) Ltd. (x) Bank of Baroda (New Zealand Ltd.) He is also a member of the Governing Council of: (i) National Institute of Bank Management (ii) Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) (iii) Indian Institute of Banking & Finance He is also a member in the Audit Committee and Investment Committee of New India Assurance Co. Ltd.</p> <p>बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 10.10.2006 की प्रभावी तारीख से नियुक्त. वे निम्नलिखित निदेशक मंडलों के भी निदेशक हैं : (i) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (युगांडा) लि. (ii) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लि. वे निम्नलिखित के भी सदस्य हैं :- (i) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (युगांडा) लि. की लेखा परीक्षा समिति एवं ऋण समिति (ii) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लि. की लेखा परीक्षा समिति Appointed w.e.f. 10.10.2006 by the Central Government u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970. He is also a Director on the Boards of: (i) Bank of Baroda (Uganda) Ltd. (ii) Bank of Baroda (Kenya) Ltd. He is also member of : (i) Audit Committee and Credit Committee of Bank of Baroda (Uganda) Limited. (ii) Audit Committee of Bank of Baroda (Kenya) Ltd.</p>

क्रम सं. Sr. No.	नाम Name	पदनाम Position Held	31.03.2009 को धारित बैंक ऑफ बड़ौदा के इक्विटी शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2009	बैंक की उपसमितियों की सदस्यता (संख्या) No. of membership in Sub Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं (संख्या) No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank.	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों की उपसमितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता (संख्या) No. of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of other Companies i.e. Other than the Bank	टिप्पणियां (बैंक एवं अन्य कंपनियों, जिनमें वे सदस्य हैं, में नियुक्ति का स्वरूप) Remarks (nature of appointment in the Bank & other Companies in which he/she is member)
3	श्री राजीव कुमार बक्षी Shri Rajiv Kumar Bakshi	कार्यकारी निदेशक (कार्यपालक) Executive Director (Executive)	शून्य NIL	6	2	2	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 06.11.2008 की प्रभावी तारीख से नियुक्त. वे निम्नलिखित निदेशक मंडलों के भी निदेशक हैं : (i) बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लि. (ii) इंडो जाम्बिया बैंक लि. वे इंडो जाम्बिया बैंक लि. की ऋण समीक्षा समिति एवम् लेखा परीक्षा समिति के सदस्य भी हैं Appointed w.e.f. 06.11.2008 by the Central Government u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970. He is also a Director on the Boards of : (i) Bank of Baroda (Tanzania) Ltd. (ii) Indo Zambia Bank Limited. He is also member of Loan Review Committee and Audit Committee of Indo Zambia Bank Ltd.
4	श्री अमिताभ वर्मा आईएएस Shri Amitabh Verma IAS	निदेशक (गैर कार्यपालक) केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि Director (Non Executive) Representing Central Government	शून्य NIL	4	2	शून्य NIL	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(बी) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 10.06.2008 की प्रभावी तारीख से नामित. वे निम्नलिखित निदेशक मंडलों के भी निदेशक हैं : (i) राष्ट्रीय आवास बैंक (ii) नाबार्ड Nominated w.e.f.10.06.2008 by the Central Government u/s 9(3)(b) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970. He is also a Director on the Boards of: (i) National Housing Bank (ii) NABARD
5.	श्री ए.सोमसुंदरम Shri A. Somasundaram	निदेशक (गैर कार्यपालक) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संस्तुत निदेशक Director (Non Executive) Recommended by RBI	शून्य NIL	7	शून्य NIL	शून्य NIL	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(सी) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 27.02.2007 की प्रभावी तारीख से नामित. Nominated w.e.f. 27.02.2007 by the Central Government u/s 9(3)(c) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.
6	श्री मिलिंद नाडकर्णी Shri Milind N. Nadkarni	निदेशक (गैर कार्यपालक) वर्कमैन स्टाफ के प्रतिनिधि Director (Non Executive) Representing Workmen	390	2	शून्य NIL	शून्य NIL	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ई) के तहत भारत सरकार द्वारा 01.05.2007 की प्रभावी तारीख से नामित. Nominated w.e.f. 01.05.2007 by the Central Government u/s 9(3)(e) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.
7	श्री रणजीत कुमार चटर्जी Shri Ranjit Kumar Chatterjee	निदेशक (गैर कार्यपालक) गैर वर्कमैन स्टाफ के प्रतिनिधि Director (Non Executive) Representing Non-workmen	710	1	शून्य NIL	शून्य NIL	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एफ) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 20.12.2007 की प्रभावी तारीख से नामित. Nominated w.e.f. 20.12.2007 by the Central Government u/s 9(3)(f) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.

क्रम सं. Sr. No.	नाम Name	पदनाम Position Held	31.03.2009 को धारित बैंक ऑफ बड़ौदा के इक्विटी शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2009	बैंक की उपसमितियों की सदस्यता (संख्या) No. of membership in Sub Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं (संख्या) No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank.	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों की उपसमितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता (संख्या) No. of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of other Companies i.e. Other than the Bank	टिप्पणियां (बैंक एवं अन्य कंपनियों, जिनमें वे सदस्य हैं, में नियुक्ति का स्वरूप) Remarks (nature of appointment in the Bank & other Companies in which he/she is member)
8	श्री अमरजीत चोपड़ा Shri Amarjit Chopra	निदेशक (गैर कार्यपालक) वे न्यूनतम 15वर्षों तक सनदी लेखाकार रहे हों. Director (Non Executive) Has been a Chartered Accountant for not less than 15 years.	100	5	4	2	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(जी) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 13.10.2006 की प्रभावी तारीख से नामित. वे निम्नलिखित निदेशक मंडलों के भी निदेशक हैं : (i) मेसर्स रीको ऑटो लि. (ii) मेसर्स रुप आटो मोटिव्स लि. (iii) इंटरनेशनल सिक्यूरिटीज लि. वे रीको ऑटो लि. की लेखा परीक्षा समिति एवं मे. रीको ऑटो लि. की शेयरधारक शिकायत निवारण समिति के भी सदस्य हैं. वे मे. जीएसए एण्ड एसोसिएट चार्टर्ड एकाउंटेंट्स में पार्टनर हैं. Nominated w.e.f. 13.10.2006 by the Central Government u/s 9(3)(g) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970. He is also a Director on the Board of following Companies: (i) M/s Rico Auto Ltd. (ii) M/s Roop Auto Motives Ltd. (iii) International Securities Limited He is also member of Audit Committee of Rico Auto Ltd., and Shareholder Grievance Committee of M/s Rico Auto Limited. He is a partner in M/s GSA & Associates. Chartered Accountants.
9	डॉ अतुल अग्रवाल Dr. Atul Agarwal	निदेशक (गैर कार्यपालक) Director (Non Executive)	200	4	1	शून्य NIL	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 23.11.2007 की प्रभावी तारीख से नामित. वे मे. स्पेसटेक एडवाइजर्स (प्रा.) लि. के निदेशक मंडल के निदेशक भी हैं. Nominated w.e.f. 23.11.2007 by the Central Government u/s 9(3)(h) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970. He is also a Director on the Board of M/s Spacetech Advisors (P) Limited.
10	डॉ धर्मेंद्र भंडारी Dr. Dharmendra Bhandari	निदेशक (गैर कार्यपालक) केंद्रीय सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से चुने गए Director (Non Executive) Elected from amongst Shareholders, other than Central Government.	600	3	3	1	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के तहत 23.12.2008 को आयोजित ईजीएम में बैंक के केंद्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा 24.12.2008 से 3 वर्ष के लिए निर्वाचित. वे निम्नलिखित निदेशक मंडलों के भी निदेशक हैं : (i) मेसर्स जे.पी.मॉर्गन म्युचुअल फंड इंडिया प्रा.लि. वे मे.जे.पी.मॉर्गन म्युचुअल फंड इंडिया प्रा. लि. की लेखा परीक्षा समिति के भी सदस्य हैं. वे निम्नलिखित संस्थाओं के सदस्य /निदेशक मंडल के भी सदस्य हैं : (i) मेसर्स हारमोनी फ़ार सिल्वर फ़ाउंडेशन (ii) मेसर्स डिजिटल ब्रिज फ़ाउंडेशन वे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लि. की सदस्यता अनुमोदन समिति के भी सदस्य हैं. वे मे. अंजलि सुभाष एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट्स में एक पार्टनर भी हैं. वे केंद्रीय सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित होने पर बैंक के निदेशक मंडल के निदेशक 16.11.1999 से 15.11.2002 और 16.11.2005 से 15.11.2008 तक रहे हैं.

क्रम सं. Sr. No.	नाम Name	पदनाम Position Held	31.03.2009 को धारित बैंक ऑफ बड़ौदा के इक्विटी शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2009	बैंक की उपसमितियों की सदस्यता (संख्या) No. of membership in Sub Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं (संख्या) No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank.	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों की उपसमितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता (संख्या) No. of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of other Companies i.e. Other than the Bank	टिप्पणियां (बैंक एवं अन्य कंपनियों, जिनमें वे सदस्य हैं, में नियुक्ति का स्वरूप) Remarks (nature of appointment in the Bank & other Companies in which he/she is member)
11	डॉ दीपक बी. फाटक Dr. Deepak B. Phatak	निदेशक (गैर कार्यपालक) केंद्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से निर्वाचित Director (Non Executive) Elected from amongst Shareholders, other than Central Government.	100	3	1	2	<p>Elected by shareholders of the Bank other than the Central Government u/s 9((3)(i) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extra-ordinary General Meeting held on 23.12.2008 for a period of 3 years from 24.12.2008.</p> <p>He is also a Director on the Boards of: (i) M/s J P Morgan Mutual Fund India Pvt. Ltd.</p> <p>He is also member of Audit Committee of M/s J.P. Morgan Mutual Fund India Pvt. Ltd.</p> <p>He is also a member/Director of the following : (i) M/s Harmony for Silver Foundation (ii) M/s Digital Bridge Foundation</p> <p>He is also a member on the Membership Approval Committee of National Stock Exchange of India Limited.</p> <p>He is a Partner in M/s Anjali Subhash Associates, Chartered Accountants.</p> <p>He has held the position of a Director of the Bank elected by Shareholders other than Central Government w.e.f.16.11.1999 to 15.11.2002 and w.e.f.16.11.2005 to 15.11.2008.</p> <p>बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के तहत 23.12.2008 को आयोजित इजीएम में बैंक के केंद्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा 24.12.2008 से 3 वर्ष के लिए निर्वाचित। वे एचडीएफसी असेट मैनेजमेंट के निदेशक मंडल में निदेशक भी हैं। वे निम्नलिखित गर्वनिंग कौंसिल के भी सदस्य हैं : (i) नेशनल इन्श्योरेंस अकादमी (ii) बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (iii) राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान वे मै.एचडीएफसी आस्ति प्रबंधन कं.लि. की ग्राहक सेवा समिति और जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्य भी हैं। वे केंद्रीय सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित होने पर बैंक 16.11.2005 से 15.11.2008 तक बैंक के निदेशक रहे हैं।</p> <p>Elected by shareholders of the Bank other than the Central Government u/s 9((3)(i) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extra-ordinary General Meeting held on 23.12.2008 for a period of 3 years from 24.12.2008.</p> <p>He is also a Director on the Board of M/s HDFC Asset Management Co. Ltd.</p> <p>He is also a member of Governing Council of: (i) National Insurance Academy, (ii) Institute of Banking Personnel Selection (iii) National Institute of Bank Management.</p> <p>He is also a member of Customer Service committee and Risk Management Committee of M/s HDFC Asset Management Co. Ltd.</p> <p>He also held the position of a Director of the Bank elected by Shareholders other than Central Government w.e.f.16.11.2005 to 15.11.2008.</p>

क्रम सं. No.	नाम Name	पदनाम Position Held	31.03.2009 को धारित बैंक ऑफ़ बड़ोदा के इक्विटी शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2009	बैंक की उपसमितियों की सदस्यता (संख्या) No. of membership in Sub Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं (संख्या) No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank.	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों की उपसमितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता (संख्या) No. of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of other Companies i.e. Other than the Bank	टिप्पणियां (बैंक एवं अन्य कंपनियों, जिनमें वे सदस्य हैं, में नियुक्ति का स्वरूप) Remarks (nature of appointment in the Bank & other Companies in which he/she is member)
12	श्री मौलिन ए. वैष्णव Shri Maulin A. Vaishnav	निदेशक (गैर कार्यपालक) केंद्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से निर्वाचित Director (Non Executive) Elected from amongst Shareholders, other than Central Government.	125	2	शून्य Nil	शून्य Nil	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के तहत 23.12.2008 को आयोजित ईजीएम में बैंक के केंद्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा 24.12.2008 से 3 वर्ष के लिए निर्वाचित. निर्वाचित होने से पहले, वे बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के तहत भारत सरकार द्वारा नामित किए गए और त्याग-पत्र देने के कारण 28.11.2008 से निदेशक नहीं रहे. Elected by shareholders of the Bank other than the Central Government u/s 9((3)(i) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extra Ordinary General Meeting held on 23.12.2008 for a period of 3 years from 24.12.2008. Prior to his election, he was nominated by the Central Government under section 9(3) (h) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, and ceased to be a Director w.e.f. 28.11.2008 upon his resignation.

2.2 वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति / कार्यसमाप्ति :

- (क) केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त/नामित:
- श्री एम. डी. मल्या (07.05.2008 से)
 - श्री राजीव कुमार बक्षी (06.11.2008 से)
 - श्री अमिताभ वर्मा (10.06.2008 से)
- (ख) 23.12.2008 को हुई ईजीएम में केंद्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से निर्वाचित :
- डॉ. धर्मेंद्र भंडारी (24.12.2008 से)
 - डॉ. दीपक बी. फाटक (24.12.2008 से)
 - श्री मौलिन ए. वैष्णव (24.12.2008 से)
- (ग) वर्ष के दौरान निम्नलिखित निदेशक, निदेशक पद से मुक्त हुए:
- श्री सतीश सी. गुप्ता (यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया के सीएमडी के रूप में नियुक्त होने पर 06.11.2008 से)
 - श्री जी. सी. चतुर्वेदी, आईएएस (10.06.2008 से)
 - श्रीमती मसररत शाहिद (कार्यकाल पूरा होने पर - 15.09.2008 से)
 - श्री मनेष पी. मेहता (कार्यकाल पूरा होने पर - 15.11.2008 से)
 - डॉ. धर्मेंद्र भंडारी (कार्यकाल पूरा होने पर - 15.11.2008 से)

2.2 Appointments/Cessation of Directors during the year

- (A) Appointed/Nominated by the Central Government:
- Shri M. D. Mallya - (w.e.f. 07.05.2008)
 - Shri Rajiv Kumar Bakshi- (w.e.f. 06.11.2008)
 - Shri Amitabh Verma (w.e.f. 10.06.2008)
- (B) Elected from amongst Shareholders other than Central Government at the EGM held on 23.12.2008:
- Dr Dharmendra Bhandari (w.e.f. 24.12.2008)
 - Dr Deepak B. Phatak (w.e.f. 24.12.2008)
 - Shri Maulin A. Vaishnav (w.e.f. 24.12.2008)
- (C) The following Directors ceased to be Directors during the year.
- Shri Satish C. Gupta (w.e.f. 06.11.2008 on his appointment as CMD of United Bank of India)
 - Shri G. C. Chaturvedi, IAS (w.e.f. 10.06.2008)
 - Smt. Masarrat Shahid (w.e.f. 15.09.2008 on completion of her tenure)
 - Shri Manesh P. Mehta (w.e.f. 15.11.2008 - on completion of his tenure)
 - Dr Dharmendra Bhandari (w.e.f. 15.11.2008 on completion of his tenure)

- (vi) डॉ. दीपक बी. फाटक (कार्यकाल पूरा होने पर - 15.11.2008 से)
- (vii) श्री मौलिन ए. वैष्णव (सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में त्यागपत्र देने पर - 28.11.2008 से)

- (vi) Dr Deepak B. Phatak (w.e.f. 15.11.2008 on completion of his tenure)
- (vii) Shri Maulin A. Vaishnav (w.e.f. 28.11.2008 on his resignation as Govt. nominee Director)

2.3 निदेशक मंडल की बैठकें

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की 16 बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गईं जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 की धारा-12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम 6 बैठकें आयोजित करना अनिवार्य है।

2.3 Board Meetings:

During the year under review, -16- Board Meetings were held on the following dates as against minimum of -6- meetings prescribed under Clause 12 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

19.05.2008	20.05.2008	14.06.2008	21.07.2008
28.07.2008	29.07.2008	30.08.2008	30.09.2008
11.10.2008	25.10.2008	14.11.2008	13.12.2008
28.01.2009	29.01.2009	05.03.2009	26.03.2009

उपर्युक्त निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है, जो उनके कार्यकाल से संबद्ध है :

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Board Meetings held during their respective tenure are as under:

निदेशक का नाम	Name of the Director	अवधि / Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during the period of their tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings attended
श्री एम.डी. मल्या	Shri M. D. Mallya	07.05.2008 to 31.03.2009	16	16
श्री वी. सन्तानरामन	Shri V. Santhanaraman	01.04.2008 to 31.03.2009	16	16
श्री सतीश. सी. गुप्ता	Shri Satish C. Gupta	01.04.2008 to 06.11.2008	10	10
श्री राजीव कुमार बक्षी	Shri Rajiv Kumar Bakshi	06.11.2008 to 31.03.2009	6	6
श्री जी. सी. चतुर्वेदी	Shri G. C. Chaturvedi	01.04.2008 to 10.06.2008	2	2
श्री अमिताभ वर्मा	Shri Amitabh Verma	10.06.2008 to 31.03.2009	14	6
श्री ए. सोमसुन्दरम	Shri A. Somasundaram	01.04.2008 to 31.03.2009	16	14
श्री मिलिन्द एन. नाडकर्णी	Shri Milind N. Nadkarni	01.04.2008 to 31.03.2009	16	15
श्री रणजीत कुमार चटर्जी	Shri Ranjit Kumar Chatterjee	01.04.2008 to 31.03.2009	16	16
श्री अमरजीत चोपड़ा	Shri Amarjit Chopra	01.04.2008 to 31.03.2009	16	16
श्रीमती मसररत शाहिद	Smt. Masarrat Shahid	01.04.2008 to 14.09.2008	7	7
श्री मौलिन ए. वैष्णव	Shri Maulin A. Vaishnav	01.04.2008 to 27.11.2008	11	10
- वही -	-do-	24.12.2008 to 31.03.2009	4	4
डॉ. अतुल अग्रवाल	Dr Atul Agarwal	01.04.2008 to 31.03.2009	16	15
डा. धर्मेंद्र भंडारी	Dr Dharmendra Bhandari	01.04.2008 to 15.11.2008	11	5
- वही -	-do-	24.12.2008 to 31.03.2009	4	2
श्री मनेष पी. मेहता	Shri Manesh P. Mehta	01.04.2008 to 15.11.2008	11	10
डॉ. दीपक बी. फाटक	Dr Deepak B. Phatak	01.04.2008 to 15.11.2008	11	5
- वही -	-do-	24.12.2008 to 31.03.2009	4	4

2.4 आचार संहिता

निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक अर्थात् कोर प्रबंधन टीम, जिसमें सभी महाप्रबंधक तथा विभाग प्रमुख शामिल हैं, के लिए स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्धता करार की धारा 49 की अनुपालना में, आचार संहिता निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कर दी गई है। उक्त आचार संहिता बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.com पर भी देखी जा सकती है। निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने आचार संहिता के प्रति सहमति व्यक्त कर दी है।

3. वार्षिक सामान्य बैठक:

शेयर धारकों की वार्षिक सामान्य बैठक वड़ोदरा में दि. 28 जुलाई, 2008 को हुई थी, जिसमें निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे :

1	श्री एम.डी.मल्या	Shri M.D. Mallya	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	Chairman & Managing Director
2	श्री वी. सन्तानरामन	Shri V. Santhanaraman	कार्यकारी निदेशक	Executive Director
3	श्री सतीश.सी.गुप्ता	Shri Satish C. Gupta	कार्यकारी निदेशक	Executive Director
4	श्री ए.सोमसुन्दरम	Shri A. Somasundaram	निदेशक	Director
5	श्री मिलिन्द एन.नाडकर्णी	Shri Miliind N. Nadkarni	निदेशक	Director
6	श्री रणजीत कुमार चटर्जी	Shri Ranjit Kumar Chatterjee	निदेशक	Director
7	श्री अमरजीत चोपड़ा	Shri Amarjit Chopra	निदेशक (अध्यक्ष - एसीबी)	Director (Chairman - ACB)
8	श्रीमती मसरत शाहिद	Smt. Masarrat Shahid	निदेशक	Director
9	डॉ.अतुल अग्रवाल	Dr. Atul Agarwal	निदेशक	Director
10	श्री मनेश पी.मेहता	Shri Manesh P. Mehta	निदेशक (अध्यक्ष - शेयर धारक / निवेशक शिकायत समाधान समिति)	Director (Chairman – Shareholders'/ Investors' Grievance Committee)

4. निदेशकों/कार्यपालकों की समिति:

बैंक के निदेशक मंडल ने कार्पोरेट नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंधन प्रणाली पर भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार के दिशा- निर्देशानुसार निम्नानुसार कार्यनीति के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर निगरानी रखने हेतु निदेशकों/ कार्यपालकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है। निदेशक मंडल द्वारा गठित महत्वपूर्ण समितियां निम्नानुसार हैं:

- निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति
- बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)
- शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत निवारण समिति
- शेयर अंतरण समिति
- आस्ति देयता प्रबंधन एवं जोखिम प्रबंधन समिति
- ग्राहक सेवा समिति
- पारिश्रमिक समिति
- नामांकन समिति
- निदेशकों की समिति
- बड़ी राशि की धोखाधड़ी संबंधी समिति
- परामर्शदाता चयन समिति

4.1 निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति:

बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा

2.4 Code of Conduct:

The Code of Conduct for Board of Directors and Senior Management Personnel i.e. Core Management Team comprising of all General Managers and Departmental Heads, has been approved by the Board of Directors in compliance of Clause 49 of the Listing Agreement with Stock Exchanges. The said Code of Conduct is posted on Bank's website www.bankofbaroda.com. All the Board Members and Senior Management Personnel have since affirmed the Code of Conduct.

3. Annual General Meeting:

The Annual General Meeting of the shareholders of the Bank was held on 28th July 2008 at Vadodara, where the following Directors were present.

4. Committee of Directors / Executives:

The Board of Directors of the Bank has constituted various Committees of Directors and / or Executives to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India/SEBI/Government of India guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The important Committees of the Board are as under:

- Management Committee of the Board
- Audit Committee of Board (ACB)
- Shareholders' / Investors' Grievances Committee
- Share Transfer Committee
- Asset Liability Management & Risk Management Committee
- Customer Service Committees
- Remuneration Committee
- Nomination Committee
- Committee of Directors
- Committee on Large Value Frauds
- Committee for Selection of Consultants

4.1 Management Committee of the Board:

In pursuance of Clause 13 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme,

किए गए संशोधनों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के के खंड -13 के अनुसरण में किया गया है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण कारोबारी मामले तथा अधिक राशि के ऋण प्रस्ताव मंजूर करने, समझौता/बट्टा खाता प्रस्ताव, पूंजीगत एवं राजस्व व्यय की स्वीकृति, परिसर, निवेश, दान आदि पर विचार करती है।

समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक (गण) और धारा 9(3)सी एवं 9(3)(जी) के तहत भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) की उपधारा (ई)(एफ)(एच) व (आई) के तहत नियुक्त निदेशकों में से तीन निदेशकों का समावेश है।

31.03.2009 को समिति की संरचना इस प्रकार है।

- (i) श्री एम.डी. मल्ल्या
- (ii) श्री वी. सन्तानरामन
- (iii) श्री राजीव कुमार बक्षी
- (iv) श्री ए. सोमसुन्दरम
- (v) श्री मिलिन्द एन. नाडकर्णी
- (vi) श्री अमरजीत चोपड़ा
- (vii) डॉ. अतुल अग्रवाल
- (viii) डॉ. दीपक बी. फाटक

समीक्षा अवधि के दौरान बोर्ड की प्रबंधन समिति की निम्नांकित तारीखों को 22 बैठकें आयोजित हुईं।

1970 (as amended) read with the amendments made by the Ministry of Finance, Government of India, a Management Committee of the Board has been constituted to consider various business matters of material significance like sanction of high value loan proposals, compromise/ write-off proposals, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc.

The Committee consists of Chairman & Managing Director, Executive Director (s) and Directors nominated by Government of India under Section – 9(3)(c) & 9(3)(g) and three Directors from amongst those appointed under sub section (e) (f) (h) and (i) of Section 9(3) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.

The composition of the committee as on 31.03.2009 is as under:

- (i) Shri M.D. Mallya
- (ii) Shri V. Santhanaraman
- (iii) Shri Rajiv Kumar Bakshi
- (iv) Shri A. Somasundaram
- (v) Shri Milind N. Nadkarni
- (vi) Shri Amarjit Chopra
- (vii) Dr. Atul Agarwal
- (viii) Dr. Deepak B. Phatak

During the period under review, the Management Committee of the Board (MCB) met on twenty two occasions on the following dates:

08.04.2008	18.04.2008	21.05.2008	14.06.2008	05.07.2008	21.07.2008
08.08.2008	30.08.2008	18.09.2008	01.10.2008	11.10.2008	24.10.2008
14.11.2008	27.11.2008	12.12.2008	27.12.2008	17.01.2009	28.01.2009
11.02.2009	05.03.2009	14.03.2009	23.03.2009		

निदेशक सदस्यों की उपस्थिति संबंधी विवरण निम्नानुसार है:

The details of the attendance of the Directors are as detailed below:

निदेशक का नाम	Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during the period of their tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings attended
श्री एम.डी. मल्ल्या	Shri M. D. Mallya	07.05.2008 to 31.03.2009	20	20
श्री वी. सन्तानरामन	Shri V. Santhanaraman	01.04.2008 to 31.03.2009	22	22
श्री सतीश सी. गुप्ता	Shri Satish C. Gupta	01.04.2008 to 06.11.2008	12	10
श्री राजीव कुमार बक्षी	Shri Rajiv Kumar Bakshi	06.11.2008 to 31.03.2009	10	9
श्री ए. सोमसुन्दरम	Shri A. Somasundaram	01.04.2008 to 31.03.2009	22	18
श्री रणजीत कुमार चटर्जी	Shri Ranjit Kumar Chatterjee	01.07.2008 to 31.12.2008	12	11
श्री अमरजीत चोपड़ा	Shri Amarjit Chopra	01.04.2008 to 31.03.2009	22	21
डॉ. अतुल अग्रवाल	Dr Atul Agarwal	01.04.2008 to 30.06.2008	4	3
-वही-	-do-	29.01.2009 to 31.03.2009	4	4
श्री मनेष पी. मेहता	Shri Manesh P. Mehta	01.04.2008 to 30.06.2008	4	4
श्रीमती मसरत शाहिद	Smt. Masarrat Shahid	01.07.2008 to 14.09.2008	4	4
डा. धर्मेन्द्र भंडारी	Dr Dharmendra Bhandari	01.07.2008 to 15.11.2008	9	5
श्री मौलिन ए. वैष्णव	Shri Maulin A. Vaishnav	30.09.2008 to 27.11.2008	5	4
श्री मिलिन्द एन. नाडकर्णी	Shri Milind N. Nadkarni	16.11.2008 to 31.03.2009	9	9
डॉ. दीपक बी. फाटक	Dr Deepak B. Phatak	29.01.2009 to 31.03.2009	4	2

4.2 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति:(एसीबी)

बैंक ने कार्पोरेट नियंत्रण के मूल सिद्धांतों के अनुरूप और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा- निर्देशों के अनुसरण में, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति गठित की है जिसमें 6 निदेशक हैं। एक गैर कार्यकारी निदेशक, जो कि सनदी लेखाकार हैं, समिति के अध्यक्ष हैं।

31.03.2009 को समिति की संरचना इस प्रकार है।

i.	श्री अमरजीत चोपड़ा	अध्यक्ष
ii.	श्री वी. सन्तानरामन	सदस्य
iii.	श्री राजीव कुमार बक्षी	सदस्य (06.11.2008 से नियुक्त)
iv.	श्री अमिताभ वर्मा	सदस्य
v.	श्री ए. सोमसुन्दरम	सदस्य
vi.	डॉ. अतुल अग्रवाल	सदस्य (15.11.2008 से नियुक्त)

वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान एसीबी में निम्नलिखित निदेशक उनके समक्ष उल्लिखित तारीखों से सदस्य नहीं रहे।

i.	श्री सतीश सी. गुप्ता	06.11.2008
ii.	डॉ. दीपक बी. फाटक	15.11.2008

वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान बोर्ड की एसीबी की 10 बैठकें निम्नलिखित तारीखों पर आयोजित की गईं।

18.04.2008	19.05.2008	13.06.2008	14.06.2008	05.07.2008
29.07.2008	30.09.2008	25.10.2008	24.12.2008	29.01.2009

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की वर्ष के दौरान सदस्यों की उपस्थिति के ब्यौरे निम्नानुसार हैं।

निदेशक का नाम	Name of the Director	अवधि/Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during the period of their tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings attended
श्री अमरजीत चोपड़ा	Shri Amarjit Chopra	01.04.2008 to 31.03.2009	10	10
श्री वी. सन्तानरामन	Shri V. Santhanaraman	01.04.2008 to 31.03.2009	10	10
श्री सतीश सी. गुप्ता	Shri Satish C. Gupta	01.04.2008 to 06.11.2008	8	7
श्री राजीव कुमार बक्षी	Shri Rajiv Kumar Bakshi	06.11.2008 to 31.03.2009	2	2
श्री जी. सी. चतुर्वेदी	Shri G. C. Chaturvedi	01.04.2008 to 10.06.2008	2	1
श्री अमिताभ वर्मा	Shri Amitabh Verma	10.06.2008 to 31.03.2009	8	3
श्री ए. सोमसुन्दरम	Shri A. Somasundaram	01.04.2008 to 31.03.2009	10	9
डॉ. अतुल अग्रवाल	Dr Atul Agarwal	15.11.2008 to 31.03.2009	2	2
डॉ. दीपक बी. फाटक	Dr Deepak B. Phatak	01.04.2008 to 15.11.2008	8	8

लेखा परीक्षा समिति का, अन्य बातों के साथ साथ, प्रमुख कार्य बैंक की वित्तीय सूचना प्रणाली की समीक्षा और आकलन करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरणियां सही, उपयुक्त और विश्वसनीय हैं। यह समिति बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही/वार्षिक वित्तीय विवरणियों की प्रबंधन के साथ समीक्षा करती है।

यह लेखा परीक्षा समिति दिशा- निर्देश देती है तथा बैंक के समग्र लेखा परीक्षा कार्यों की समीक्षा करती है जिसमें संगठन परिचालन तथा आंतरिक लेखा परीक्षा की गुणवत्ता नियंत्रण, कार्य आंतरिक नियंत्रण दोष और बैंक की

4.2 Audit Committee of Board (ACB):

The Bank, in consonance with the fundamentals of Corporate Governance and in pursuance of directives of the Reserve Bank of India, has constituted an Audit Committee of the Board comprising of Six Directors. A Non-Executive Director who is a Chartered Accountant is the Chairman of the Committee.

The composition of the Committee as on 31st March, 2009 is as under:

(i)	Shri Amarjit Chopra	Chairman
(ii)	Shri V. Santhanaraman	Member
(iii)	Shri Rajiv Kumar Bakshi	Member (Appointed from 06.11.2008)
(iv)	Shri Amitabh Verma	Member
(v)	Shri A. Somasundaram	Member
(vi)	Dr Atul Agarwal	Member (Appointed from 15.11.2008)

The following Directors ceased to be members of ACB during the financial year 2008-09 on the dates shown against their respective names:

(i)	Shri Satish C. Gupta	06.11.2008
(ii)	Dr Deepak B. Phatak	15.11.2008

During the year 2008-09, the Audit Committee of the Board (ACB) met on ten occasions on the dates given below:

Attendance of members in the Meetings of Audit Committee of the Board held during the year:

The main functions of Audit Committee inter-alia include assessing and reviewing the financial reporting system of the Bank to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible. It reviews and recommends to the Management the quarterly / annual financial statements before their submission to the Board.

The Audit Committee provides directions and oversees the operations of total audit functions of the Bank including the organization, operation and quality control of internal audit, internal control weaknesses and inspection within the Bank

आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था, बैंक की सांविधिक /बाह्य लेखा परीक्षा संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण शामिल हैं।

समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना, इसकी स्टाफ संरचना की समीक्षा भी करती है और किसी महत्वपूर्ण खोज के संबंध में आंतरिक लेखा परीक्षकों/ निरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श तथा उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है। यह बैंक की वित्तीय व जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा भी करती है।

सांविधिक लेखा परीक्षा के संदर्भ में लेखा परीक्षा समिति, वार्षिक/तिमाही वित्तीय खातों एवं रिपोर्टों के अंतिम रूप देने से पूर्व केन्द्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है। यह समिति लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (LFAR) की विभिन्न मदों पर अनुवर्ती कार्रवाई भी करती है।

4.3 शेयरधारकों/ निवेशकों की शिकायत निवारण समिति:

बैंक ने शेयरधारकों तथा निवेशकों की शिकायतों, यदि कोई हों, के निवारण हेतु शेयरधारक / निवेशक शिकायत निवारण समिति का गठन किया है।

इस समिति में निम्नानुसार सदस्य हैं:

- कार्यकारी निदेशकगण एवं
- चार अन्य गैर कार्यकारी निदेशक इसके सदस्य और एक गैर - कार्यकारी निदेशक इसके अध्यक्ष हैं।

31.3.2009 तक समिति की संरचना इस प्रकार है:

- श्री वी.सन्तानरामन
- श्री राजीव कुमार बक्षी
- श्री मिलिन्द एन.नाडकर्णी
- श्री रणजीत कुमार चटर्जी
- श्री मौलिन ए. वैष्णव - अध्यक्ष
- डॉ. धर्मेंद्र भंडारी

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर 04 बैठकें आयोजित की गईं :

14.06.2008	30.09.2008	14.11.2008	05.03.2009
------------	------------	------------	------------

समिति की बैठकों में निदेशकों की उनके कार्यकाल के दौरान उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

निदेशक का नाम	Name of the Director	अवधि/Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें भाग लिया
			Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
श्री मनेष पी. मेहता (समिति के अध्यक्ष)	Shri Manesh P. Mehta (Chairman of the Committee)	01.04.2008 to 15.11.2008	3	3
श्री एम.डी.मल्या अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	Shri M. D. Mallya Chairman & MD	07.05.2008 to 29.08.2008	1	1
श्री वी.सन्तानरामन कार्यकारी निदेशक	Shri V. Santhanaraman Executive Director	01.04.2008 to 31.03.2009	4	4
श्री सतीश.सी.गुप्ता कार्यकारी निदेशक	Shri Satish C. Gupta Executive Director	01.04.2008 to 05.11.2008	2	2

and follow-up of the suggestions of Statutory/External audit of the Bank and RBI inspections.

The Committee also reviews the adequacy of internal control systems, structure of internal audit department, its staffing pattern and hold discussions with the internal auditors / inspectors on any significant finding and follow-up action thereon. It further reviews the financial and risk management policies of the Bank.

As for Statutory Audit, the Audit Committee interacts with the Statutory Central Auditors before finalization of Quarterly / Annual Financial Accounts and Reports. It also maintains follow up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).

4.3 Shareholders / Investors Grievances Committee:

The Shareholders / Investors Grievances Committee has been constituted by the Bank to redress shareholders and investors complaints, if any.

The Committee includes following members:

- Executive Director (s) and
- Four other Non-Executive Directors as its members with a Non-Executive Director as its Chairman.

The composition of the Committee as on 31.03.2009 is as under:

- Shri V. Santhanaraman
- Shri Rajiv Kumar Bakshi
- Shri Milind N. Nadkarni
- Shri Ranjit Kumar Chatterjee
- Shri Maulin A. Vaishnav - Chairman
- Dr. Dharmendra Bhandari

The Committee met four times during the year under review on the following dates.

निदेशक का नाम	Name of the Director	अवधि/Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक Meetings held during the period of their tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings attended
श्रीमती मसरत शाहिद	Smt. Masarrat Shahid	01.04.2008 to 14.09.2008	1	1
श्री मौलिन ए. वैष्णव	Shri Maulin Vaishnav	01.04.2008 to 28.11.2008	3	3
श्री मौलिन ए. वैष्णव समिति के अध्यक्ष	Shri Maulin A. Vaishnav (Chairman of the Committee)	29.01.2009 to 31.03.2009	1	1
श्री मिलिन्द एन. नाडकर्णी	Shri Milind N. Nadkarni	30.08.2008 to 31.03.2009	3	3
श्री राजीव कुमार बक्षी	Shri Rajiv Kumar Bakshi	06.11.2008 to 31.03.2009	2	2
श्री रणजीत कुमार चटर्जी	Shri Ranjit Kumar Chatterjee	30.09.2008 to 31.03.2009	2	2
डॉ. धर्मद्र भंडारी	Dr Dharmendra Bhandari	29.01.2009 to 31.03.2009	1	1

समिति यह सुनिश्चित करती है कि अंतरण, उप विभाजन, समेकन, नवीकरण, विनिमय अथवा मांग/आवंटन राशि के परांकन की प्रस्तुति-तारीख से एक माह के भीतर सभी प्रमाण-पत्र जारी कर दिए जाएं. समिति निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए समयबद्ध रूप से निगरानी भी करती है.

वर्ष के दौरान प्राप्त एवं निवारण की गई शिकायतों/निवेदनों की संख्या का सारांश नीचे दिया गया है.

The Committee ensures that all share certificates are issued within a period of one month of the date of lodgment for transfer, sub-division, consolidation, renewal, exchange or endorsement of calls / allotment money. The Committee further monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner.

The summary of No. of requests/complaints received and resolved during the year is as under:

01.04.08 को बकाया Pending as on 01.04.2008	वर्ष के दौरान प्राप्त Received during the year	वर्ष के दौरान निवारण Resolved during the year	31.03.2009 को बकाया Pending as on 31.03.2009
49	7224	7260	13*

* वर्ष के दौरान बकाया सभी 13 आवेदन डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करने से संबंधित अनुरोध पत्र थे तथा इनके संबंध में अपेक्षित प्रक्रिया/कार्रवाई की जा रही है.

श्री एम.एल. जैन, सहायक महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव को स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण अनुबंध के खंड 47 (ए) के तहत बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है.

*All 13 requests pending as at the end of the year were pertaining to the request for issue of duplicate share certificates, in respect of which the necessary formalities were in process.

Shri M.L. Jain, Assistant General Manager & Company Secretary has been designated as the "Compliance Officer" of the Bank under Clause 47 (a) of the Listing Agreement with Stock Exchanges.

4.4 शेयर अंतरण समिति :

शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायत निवारण से संबंधित समिति के अतिरिक्त, बैंक ने कार्यपालकों की एक शेयर अंतरण समिति गठित की है. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक, 2 महाप्रबंधक तथा उप महाप्रबंधक (विधि) इसके सदस्य हैं. 15 दिन में समिति की कम से कम एक बैठक आयोजित होती है जिसका प्रयोजन शेयरों/बॉन्डों के अंतरण की प्रक्रिया को तेज करना होता है. समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 38 बैठकें हुईं जिसका विवरण निम्नानुसार है :

4.4 Share Transfer Committee:

Besides the Shareholders' / Investors' Grievances Committee, the Bank has constituted a Share Transfer Committee comprising of Chairman and Managing Director, Executive Directors, -2- General Managers and Deputy General Manager (Legal) as members. The Committee meets at least once in -15- days to effect transfer of Shares / Bonds. The Committee met thirty eight times during the period under review, on the following dates:

01.04.2008	08.04.2008	11.04.2008	23.04.2008	30.04.2008	06.05.2008
13.05.2008	28.05.2008	04.06.2008	09.06.2008	21.06.2008	25.06.2008
27.06.2008	03.07.2008	18.07.2008	24.07.2008	09.08.2008	22.08.2008
08.09.2008	20.09.2008	04.10.2008	15.10.2008	27.10.2008	05.11.2008
11.11.2008	24.11.2008	26.11.2008	15.12.2008	19.12.2008	31.12.2008
02.01.2009	20.01.2009	23.01.2009	03.02.2009	20.02.2009	02.03.2009
14.03.2009	28.03.2009				

4.5 आस्ति देयता प्रबंधन समिति एवं जोखिम प्रबंधन समिति :

बैंक ने एक निदेशक मंडल स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है जो "आस्ति देयता प्रबंधन एवं जोखिम प्रबंधन पर निदेशक मंडल की उपसमिति" के रूप में जानी जाती है तथा बैंक द्वारा पूर्वानुमानित संपूर्ण जोखिम की समीक्षा एवं मूल्यांकन करती है।

समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक करते हैं तथा 31.03.2009 को समिति की संरचना इस प्रकार है :

1.	श्री एम.डी. मल्या	अध्यक्ष
2.	श्री वी. सन्तानरामन	सदस्य
3.	श्री राजीव कुमार बक्षी	सदस्य
4.	श्री ए. सोमसुन्दरम	सदस्य
5.	डॉ. धर्मेन्द्र भंडारी	सदस्य

समिति की निम्नलिखित तारीखों को -3- बैठकें हुईं.

13.06.2008	01.10.2008	05.03.2009
------------	------------	------------

बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार रही.

4.5 Asset Liability Management & Risk Management Committee:

Bank has constituted a Board level Risk Management Committee known as 'Sub-Committee of the Board on ALM and Risk Management' to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank.

The Committee is headed by Chairman and Managing Director and its composition as on 31.03.2009 is as under:

1.	Shri M. D. Mallya	Chairman
2.	Shri V. Santhanaraman	Member
3.	Shri Rajiv Kumar Bakshi	Member
4.	Shri A. Somasundaram	Member
5.	Dr Dharmendra Bhandari	Member

The Committee met three times during the year on the following dates:

13.06.2008	01.10.2008	05.03.2009
------------	------------	------------

The details of attendance of Directors are as under:

निदेशक का नाम	Name of the Director	अवधि/Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें भाग लिया
			Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
श्री एम.डी. मल्या	Shri M. D. Mallya	07.05.2008 to 31.03.2009	3	3
श्री वी. सन्तानरामन	Shri V. Santhanaraman	01.04.2008 to 31.03.2009	3	3
श्री सतीश.सी. गुप्ता	Shri Satish C. Gupta	01.04.2008 to 05.11.2008	2	2
श्री राजीव कुमार बक्षी	Shri Rajiv Kumar Bakshi	06.11.2008 to 31.03.2009	1	1
श्री ए. सोमसुन्दरम	Shri A. Somasundaram	01.04.2008 to 31.03.2009	3	3
डा. धर्मेन्द्र भंडारी	Dr Dharmendra Bhandari	01.04.2008 to 15.11.2008	2	1
-वही-	-do-	29.01.2009 to 31.03.2009	1	1

बैंक ने विभिन्न जोखिमों यथा क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालनगत जोखिम का पता लगाने, प्रबंधन, अनुप्रवर्तन तथा नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए बैंक में समुचित जोखिम प्रबंधन ढांचा तैयार किया है जिसमें जोखिम संरचनात्मक ढांचा, जोखिम सिद्धांत, जोखिम प्रक्रिया, जोखिम नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंधन लेखा परीक्षा शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बैंक के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय परिचालनों को निरंतर बेहतर एवं कार्यकुशल बनाना है और बैंक संरक्षा पर ध्यान देना है।

The Bank has set up an appropriate risk management architecture, comprising Risk Management Organizational Structure, Risk Principles, Risk Processes, Risk Control and Risk Audit, all with a view to ideally identify, manage, monitor and control various categories of risks, viz. Credit Risk, Market Risk and Operational Risk, etc. The underlying objective is to ensure continued stability and efficiency in the operations of the Bank, nationally and internationally and to look after the safety of the Bank.

4.6 ग्राहक सेवा समितियां :

(i) निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति

बैंक ने निदेशक मंडल की एक उपसमिति का गठन किया है जो 'निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति' के नाम से जानी जाती है।

31.03.2009 को समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं.

1. श्री एम.डी. मल्या	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री वी. सन्तानरामन	कार्यकारी निदेशक
3. श्री राजीव कुमार बक्षी	कार्यकारी निदेशक
4. श्री ए. सोमसुन्दरम	निदेशक

4.6 Customer Service Committees :

(i) Customer Service Committee of the Board

The Bank has constituted a sub-committee of Board, known as 'Customer Service Committee of the Board'.

The Committee has the following members as on 31.03.2009:

(i) Shri M.D. Mallya	Chairman and Managing Director
(ii) Shri V. Santhanaraman	Executive Director
(iii) Shri Rajiv Kumar Bakshi	Executive Director
(iv) Shri A. Somasundaram	Director

इसके कार्यों में ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सुझाव तथा नवोन्मेषी उपायों के लिए प्लेटफार्म का सृजन करना तथा सभी संवर्ग के ग्राहकों के लिए संतुष्टि के स्तर में सुधार करना शामिल है तथा निम्नलिखित का समावेश है :

- सार्वजनिक सेवाओं की प्रक्रिया एवं कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा संबंधी स्थायी समिति के कार्यों की देखरेख करना तथा ग्राहक सेवाओं की स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुपालन को सुनिश्चित करना.
- अधिनिर्णय की तारीख से तीन महीने से अधिक अवधि बीत जाने पर भी लागू न किये गये बकाया अधिनिर्णयों तथा बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में पाई गई कमियों की स्थिति की समीक्षा करना.
- मृत जमाकर्ताओं / लॉकर किरायेदारों / सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं के जमाकर्ताओं से संबंधित निपटान हेतु 15 दिनों की अवधि से अधिक के बकाया दावों की संख्या की स्थिति संबंधी समीक्षा करना.

31.03.2009 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति की दिनांक 21.05.2008, 11.10.2008 तथा 26.03.2009 को हुई बैठकों में उपस्थिति संबंधी विवरण निम्नानुसार हैं :

The functions of this include creating a platform for making suggestions and innovative measures for enhancing the quality of customer services and improving the level of satisfaction for all categories of clientele, at all times, and comprises the following:

- oversee the functioning of the Standing Committee on Procedure and Performance Audit on Public Services and also compliance with the recommendation of the Standing Committee on Customer Services.
- review the status of the Awards remaining unimplemented for more than 3 months from the date of Awards and also deficiencies in providing Banking services as observed by the Banking Ombudsman.
- review the status of the number of deceased claims remaining pending / outstanding for settlement beyond 15 days pertaining to deceased depositors/locker hirers/depositor of safe custody articles.

The details of attendance of the Directors in meetings of 'Customer service Committee of the Board' held on 21.05.2008, 11.10.2008 and 26.03.2009 during the year ended 31.03.2009 are as under:

निदेशक का नाम	Name of the Director	अवधि/Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक Meetings held during the period of their tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings attended
श्री एम.डी.मल्या	Shri M. D. Mallya	07.05.2008 to 31.03.2009	3	3
श्री वी.सन्तानरामन	Shri V. Santhanaraman	01.04.2008 to 31.03.2009	3	3
श्री सतीश.सी.गुप्ता	Shri Satish C. Gupta	01.04.2008 to 05.11.2008	2	2
श्री राजीव कुमार बक्षी	Shri Rajiv Kumar Bakshi	06.11.2008 to 31.03.2009	1	1
श्री ए.सोमसुन्दरम	Shri A. Somasundaram	01.04.2008 to 31.03.2009	3	3

(ii) ग्राहक सेवा संबंधी स्थायी समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार, बैंक के निदेशकों की गठित उपसमिति के अतिरिक्त बैंक ने ग्राहक सेवाओं पर प्रक्रियाओं तथा कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा पर एक स्थायी समिति का भी गठन किया है जिसमें बैंक के 4 महाप्रबंधक एवं 3 अन्य प्रतिष्ठित सार्वजनिक व्यक्ति सदस्य के रूप में शामिल हैं. बैठक की अध्यक्षता बैंक के कार्यकारी निदेशक द्वारा की जाती है.

इस समिति का गठन विशेष रूप से जनसामान्य को प्राप्त बैंकिंग सुविधाओं पर ध्यान केन्द्रित करने तथा (i) सेवा के मौजूदा स्तर के बेंचमार्क (ii) आवधिक प्रगति की समीक्षा (iii) समयबद्धता एवं गुणवत्ता को बढ़ाने (iv) प्रौद्योगिकी उन्नयन के मद्देनजर प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने (v) परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप समुचित प्रोत्साहन हेतु सुझाव देने की आवश्यकता पर ध्यान देने हेतु किया गया है.

(ii) Standing Committee on Customer Service:

Besides, the Sub Committee of the Bank comprising Directors of the Board, as per the guidelines of Reserve Bank of India, the Bank has also set up a **Standing Committee on Procedures and Performance Audit on Customer Services** having four General Managers of the Bank and three other eminent public personalities as members. The Committee is chaired by the Executive Director of the Bank.

This Committee has been set up to focus on the banking services available to the public at large and focusing on the need to (i) benchmark the current level of service, (ii) review the progress periodically, (iii) enhance the timeliness and quality, (iv) rationalize the processes taking into account technological developments, and (v) suggest appropriate incentives to facilitate change on an ongoing basis.

4.7 पारिश्रमिक समिति :

भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना संख्या एफ नं.20/1/2005 बीओ.आई दिनांक 09 मार्च, 2007 के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन की घोषणा की। यह प्रोत्साहन विगत वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न अनुपालना रिपोर्टों पर आधारित लक्ष्यों एवं बेंचमार्क के अनुरूप कार्यनिष्पादन मूल्यांकन, जिसमें गुणवत्ता और मात्रा दोनों का समावेश है, पर आधारित है। उक्त दिशा निर्देशों के अनुपालन में वर्ष के दौरान कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन तथा देय/अवार्ड की जाने वाली प्रोत्साहन राशि हेतु निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया। निदेशक मंडल के निदेशकों की समिति की 31.03.2009 की संरचना इस प्रकार है :

नाम	पद
श्री अमिताभ वर्मा	सदस्य
श्री ए. सोमसुन्दरम	सदस्य
श्री अमरजीत चोपड़ा	सदस्य
डा. धर्मेन्द्र भंडारी	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान समिति की 20.05.2008 को एक बैठक हुई जिसमें सभी सदस्य उपस्थित थे। ऊपर उल्लिखित अधिसूचना की शर्तों के अनुरूप समिति ने वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए नीचे दिये गए विवरण के अनुसार निम्नलिखित निदेशकों को प्रोत्साहनों का भुगतान करने का निर्णय लिया।

क्र. सं. Sr.No	नाम /पदनाम	Name / Designation	वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन राशि (रुपये) Performance Linked Incentives for the Financial Years 2007- 08 (Rs.)
1	डॉ.अनिल के. खंडेलवाल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	Dr. Anil K. Khandelwal Chairman and Managing Director	8,00,000
2	श्री वी. सन्तानरामन कार्यकारी निदेशक	Shri V. Santhanaraman Executive Director	6,50,000
3	श्री सतीश सी. गुप्ता* कार्यकारी निदेशक	Shri Satish C. Gupta* Executive Director	5,34,247

* प्रोत्साहन राशि का भुगतान बैंक में उनकी कार्यकाल अवधि के अनुपात में किया गया।

4.8 नामांकन समिति:

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम 1970/80 की धारा 9(3)(आई) के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में चयन हेतु 'फिट एण्ड प्रॉपर' मानदण्ड निर्धारित किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप नामांकन समिति गठित करना अपेक्षित है जिसमें निदेशक मंडल में से कम से कम तीन निदेशक (सभी स्वतन्त्र / गैर कार्यपालक निदेशक) शामिल हों। उक्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना में

4.7 Remuneration Committee :

Government of India announced Performance Linked Incentives for Whole Time Directors of Public Sector Banks vide Notification No.F No.20/1/2005-BO.I dated 9th March 2007. The incentive is based on certain qualitative as well as quantitative parameters fixed for Performance Evaluation Matrix on the basis of the statement of intent on goals and benchmarks based on various compliance reports during the previous financial year. In compliance of the said directives, a Remuneration Committee of the Board was constituted for evaluation of the performance and incentive amount to be awarded/paid during the year.

The composition of the Committee comprising Directors of the Board as on 31.03.2009 is as under:

Name	Position
Shri Amitabh Verma	Member
Shri A. Somasundaram	Member
Shri Amarjit Chopra	Member
Dr. Dharmendra Bhandari	Member

During the Financial Year 2008-09, the Committee met once on 20.05.2008 when all members were present. In terms of the aforesaid notification, the Committee decided to pay incentives for the year 2007-08 to the following Directors as per details given below:

* Incentive payment made in proportion to his respective tenure in the Bank.

4.8 Nomination Committee :

Reserve Bank of India has laid down "Fit and Proper" criteria to be fulfilled by persons to be elected as directors on the Boards of the Nationalized Banks under the provisions of Section 9(3)(i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/80. In terms of the guidelines issued by Reserve Bank of India a Nomination Committee is required to be formed consisting of a minimum of three directors (all independent/non executive directors) from amongst the Board of Directors. In compliance of the said directives,

निम्नानुसार एक 'नामांकन समिति' का गठन किया गया.

31.03.2009 की स्थिति के अनुरूप समिति की संरचना इस प्रकार है :

नाम	पद
1. श्री अमरजीत चोपड़ा	अध्यक्ष
2. श्री ए. सोमसुन्दरम	सदस्य
3. डॉ. अतुल अग्रवाल	सदस्य

वर्ष 2008-09 के दौरान समिति की दिनांक 12.12.2008 को एक बैठक हुई जिसमें सभी सदस्य उपस्थित थे तथा निदेशकों के निर्वाचन हेतु 23.12.2008 को आयोजित निर्वाचन में चुनाव में भाग लेने वाले सभी प्रत्याशियों के 'फिट एण्ड प्रॉपर' होना सुनिश्चित किया गया

4.9 निदेशकों की समिति

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशकों की एक समिति गठित की गई है जो वरिष्ठ स्तर की पदोन्नति संबंधी कार्य करती है. यह समिति सतर्कता संबंधी अनुशासनिक मामलों और विभागीय जांचो की समीक्षा का कार्य भी करती है.

31.03.2009 तक समिति की संरचना इस प्रकार है:

- (i) श्री एम.डी. मल्ल्या
- (ii) श्री अमिताभ वर्मा
- (iii) श्री ए. सोमसुन्दरम

वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान समिति की पांच बैठकें हुई.

4.10 बड़ी राशि की धोखाधड़ी के बारे में समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र संख्या आरबीआई/2004.5. डीबीएस एफजीवी(एफ) स./1004/23.04.01 ए/2003-4 दिनांक 14 जनवरी, 2004 के माध्यम से धोखाधड़ी का पता लगाने, नियामक तथा प्रवर्तन एजेंसियों को उसकी सूचना और धोखाधड़ी के अपराधी पर कृत्य के विरुद्ध कार्यवाई जैसे विभिन्न पहलुओं में विलम्ब के बारे में सूचित किया था. अतः, यह सुझाव दिया गया कि बोर्ड की एक उप समिति गठित की जाए जो कि केवल 1 करोड़ रुपये और उससे ऊपर की राशि की धोखाधड़ी संबंधी मामलों की निगरानी तथा अनुवर्ती कार्यवाई का कार्य ही करेगी. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति सामान्यतः धोखाधड़ी के सभी मामलों की निगरानी जारी रखेगी.

समिति के मुख्य कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ 1 करोड़ रुपये और उससे ऊपर की राशि की धोखाधड़ी की निगरानी तथा समीक्षा शामिल है ताकि(क) धोखाधड़ी के अपराधिक कृत्य में प्रणालीगत खामियों का पता लगाने और उनपर नियंत्रण करने के लिए उपाय किये जा सकें (ख) धोखाधड़ी के पता लगाने में विलम्ब के कारणों की पहचान तथा बैंक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के उच्च प्रबंधकों को उसकी रिपोर्टिंग (ग) सीबीआई/पुलिस जाँच - पड़ताल की प्रगति तथा वसूली की स्थिति (घ) सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ उत्तरदायित्व का परीक्षण हो और स्टाफ पर कार्यवाई, यदि अपेक्षित हो, अविलंब हो (च) धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति के निवारण के लिए की गई उपचारात्मक कार्यवाई की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा यथा आंतरिक नियंत्रण को सशक्त करना और (छ) धोखाधड़ी के खिलाफ निवारक उपायों को सशक्त करने के लिए यथावश्यक अन्य उपाय करना.

a "Nomination Committee" has been constituted as follows.

The composition of the Committee as on 31.03.2009 is as under:

Name	Position
1. Shri Amarjit Chopra	Chairman
2. Shri A. Somasundaram	Member
3. Dr. Atul Agarwal	Member

During the Financial Year 2008-09, the Committee met once on 12.12.2008, where in all the members were present and the "Fit and Proper" status of the candidates contesting the election of Directors held on 23.12.2008, was ascertained.

4.9 Committee of Directors:

A Committee of Directors consisting of Chairman and Managing Director and the nominee Directors of Government of India and Reserve Bank of India has been formed for dealing with the promotions at senior level. This Committee also deals with review of vigilance disciplinary cases and departmental enquiries.

The composition of the Committee as on 31.03.2009 is as under:

- (i) Shri M.D. Mallya
- (ii) Shri Amitabh Verma
- (iii) Shri A. Somasundaram

The Committee met five times during the Financial Year 2008-09.

4.10 Committee on Large Value Frauds:

Reserve Bank of India vide its letter No.RBI/2004.5.DBS.FGV(F)No.1004/23.04.01A/2003-4 dated 14th January, 2004 informed about the delay in various aspects of frauds like detection, reporting to regulatory and enforcement agencies and action against the perpetrators of the frauds. It was therefore, suggested to constitute a Sub-committee of the Board, which would be exclusively dedicated to monitor and follow up of fraud cases of Rs.1.00 crore and above. The Audit committee of the Board will continue to monitor all the cases of frauds in general.

The major functions of the Committee, inter-alia, include monitoring and review of all the frauds of Rs.1.00 crore and above so as to: (a) identify the systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same (b) identify the reasons for delay in detection, if any, reporting to top management of the Bank and RBI (c) monitor progress of CBI/Police investigation and recovery position (d) ensure that staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time (e) review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls and (f) put in place other measures as may be considered relevant to strengthen preventive measures against frauds.

निदेशक मंडल के 5 सदस्यों की गठित विशेष समिति में (क) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (ख) एसीबी के दो सदस्य (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के नामिति को शामिल नहीं करते हुए 2 अन्य सदस्य.

31.03.2009 को समिति की संरचना निम्नानुसार है.

(i)	श्री एम.डी.मल्या
(ii)	श्री अमिताभ वर्मा
(iii)	डॉ.अतुल अग्रवाल
(iv)	डॉ. दीपक बी. फाटक
(v)	श्री मौलिन ए. वैष्णव

वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान समिति की 3 बैठकें आयोजित की गईं.

4.11 परामर्शदाताओं के चयन हेतु समिति

निदेशक मंडल की 30.09.2008 को आयोजित बैठक में -5- निदेशकों की इस समिति का गठन किया गया जिसका एक बारगी प्रयोजन प्रस्तावों का मूल्यांकन और व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्संरचना और संगठनात्मक पुनर्संरचना के लिए एक प्रबंधन परामर्शदाता की संस्तुति करना था. यह मात्र एक तदर्थ समिति है और मात्र उपरोक्त विशिष्ट प्रयोजन के लिए ही है.

31.03.2009 को समिति की संरचना निम्नानुसार है.

(i)	श्री एम.डी.मल्या
(ii)	श्री वी. सन्तानरामन
(iii)	श्री राजीव कुमार बक्षी
(iv)	श्री अमरजीत चोपड़ा
(v)	डॉ. दीपक बी. फाटक

वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान समिति की 3 बैठकें आयोजित की गईं.

5 निदेशकों का पारिश्रमिक :

गैर कार्यकारी निदेशकों की यात्रा तथा ठहरने पर होने वाले व्यय सहित पारिश्रमिक का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) की धारा 17 में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से जारी किए गए निर्धारणों के अनुरूप किया जा रहा है.

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक को (तीन पूर्ण कालिक निदेशक) पारिश्रमिक का भुगतान वेतन के रूप में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप किया जाता है. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशकों को वर्ष 2008-09 के लिए भुगतान किए गए

The Special Committee constituted with five members of the Board of Directors consists of: (a) Chairman & Managing Director (b) Two members from ACB and (c) Two other members from the Board excluding RBI Nominee.

The composition of the Committee as on 31.03.2009 is as under:

(i)	Shri M.D. Mallya
(ii)	Shri Amitabh Verma
(iii)	Dr. Atul Agarwal
(iv)	Dr. Deepak B. Phatak
(v)	Shri Maulin A. Vaishnav

The Committee met three times during the Financial Year 2008-09.

4.11 Committee for Selection of Consultants:

This Committee was constituted by the Board at its meeting held on 30.09.2008 with five directors as its members for the one-time purpose of evaluation of proposals and recommending the selection of a Management Consultant for Business Process Re-engineering and Organizational Restructuring. This is an adhoc Committee only for a specific purpose mentioned above.

The composition of the Committee as on 31.03.2009 is as under:

(i)	Shri M.D. Mallya
(ii)	Shri V. Santhanaraman
(iii)	Shri Rajiv Kumar Bakshi
(iv)	Shri Amarjit Chopra
(v)	Dr. Deepak B. Phatak

The Committee met three times during the Financial Year 2008-09.

5. Remuneration of Directors:

The remuneration including traveling and halting expenses to Non-Executive Directors which are being paid as stipulated by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India from time to time in terms of Section 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended).

The Chairman & Managing Director and Executive Directors (Three whole time directors) are being paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. The details of remuneration and Performance Linked Incentives paid to Chairman

पारिश्रमिक कार्य निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

and Managing Director and Executive Director/s during the year 2008-09 is detailed below:

क) वेतन :

A. Salary:

(राशि रु. में / Amount in Rupees)

क्रमांक Sr. No.	नाम	पदनाम	Name	Designation	वेतन/ Salary for 2008 - 09
1	श्री एम.डी. मल्या	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (07.05.2008 से)	Shri M.D.Mallya	Chairman and Managing Director (From 07.05.2008)	6,07,401
2	श्री वी. सन्तानरामन	कार्यकारी निदेशक	Shri V. Santhanaraman	Executive Director	6,12,977
3	श्री सतीश. सी. गुप्ता	कार्यकारी निदेशक (05.11.2008 तक)	Shri Satish C. Gupta	Executive Director (Up to 05.11.2008)	3,62,246
4	श्री राजीव कुमार बक्षी	कार्यकारी निदेशक (06.11.2008 से)	Shri Rajiv Kumar Bakshi	Executive Director (From 06.11.2008)	2,44,827

ख. वर्ष 2008-09 के लिए दिये गए कार्यनिष्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन:

B. Performance Linked Incentives paid during 2008-09:

क्रमांक Sr. No	नाम	पदनाम	Name	Designation	वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन(रुपये) Performance Linked Incentives for the Financial Year 2007- 08 (Rs.)
1	डॉ. अनिल के. खंडलेवाल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	Dr. Anil K. Khandelwal	Chairman and Managing Director	8,00,000
2	श्री वी. सन्तानरामन	कार्यकारी निदेशक	Shri V. Santhanaraman	Executive Director	6,50,000
3	श्री सतीश सी. गुप्ता*	कार्यकारी निदेशक	Shri Satish C. Gupta*	Executive Director	5,34,247

* प्रोत्साहन राशि का भुगतान बैंक में उनके कार्यकाल की अवधि के अनुपात में किया गया।

* Incentive payments made in proportion to his respective tenure in the Bank.

वर्ष 2008-09 के दौरान गैर-कार्यकारी निदेशकों को दिया गया बैठक सहभागिता शुल्क विवरण निम्नलिखित अनुसार है (पूर्णकालिक निदेशकों तथा भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक को किसी प्रकार का बैठक सहभागिता शुल्क देय नहीं है):

The Sitting Fee paid to the Non-Executive Directors during the Year 2008-09 is as under: (No sitting fee is payable to whole time directors and director representing Govt. of India) :

क्रमांक Sr. No.	निदेशक का नाम	Name of the Director	भुगतान की गई राशि (रु.) Amount Paid in Rs.
1	श्री ए. सोमसुन्दरम	Shri A. Somasundaram	1,70,000
2	श्री मिलिन्द एन. नाडकर्णी	Shri Milind N. Nadkarni	1,05,000
3	श्री रणजीत कुमार चटर्जी	Shri Ranjit Kumar Chatterjee	1,12,500
4	श्री अमरजीत चोपड़ा	Shri Amarjit Chopra	1,70,000
5	डॉ. अतुल अग्रवाल	Dr. Atul Agarwal	1,05,000
6	श्रीमती मसरत शाहिद (14.09.2008 तक)	Smt. Masarrat Shahid (Up to 14.09.2008)	52,500
7	श्री मौलिन ए. वैष्णव	Shri Maulin A. Vaishnav	1,00,000
8	डॉ. धर्मन्द्र भण्डारी	Dr. Dharmendra Bhandari	57,500
9	डॉ. दीपक बी. फाटक	Dr. Deepak B. Phatak	85,000
10	श्री मनेष पी. मेहता (15.11.2008 तक)	Shri Manesh P. Mehta (Up to 15.11.2008)	70,000

6. सामान्य सभा की बैठकें :

सामान्य सभा की गत तीन वर्षों के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण निम्नानुसार है :

6. General Body Meetings:

The details of General Body Meetings held during the last three years are given below:

बैठक का स्वरूप Nature of Meeting	दिनांक एवं समय Date & Time	स्थान Venue	प्रयोजन Purpose
दसवीं वार्षिक सामान्य बैठक 10th Annual General Meeting	07 जुलाई, 2006 को प्रातः 10.00 बजे 07th July, 2006 at 10.00 a.m.	प्रो. सी.सी. मेहता ऑडिटोरियम, जनरल एजुकेशन सेन्टर, एम.एस. यूनिवर्सिटी कैम्पस, प्रतापगंज, वड़ोदरा 390 002. Prof. C.C. Mehta Auditorium, General Education Centre, M.S. University of Baroda, Vadodara – 390 002	तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करना तथा वड़ोदरा स्टॉक एक्सचेंज से सामान्य शेयरों के स्वैच्छिक अ-सूचीकरण पर विचार करने हेतु. To discuss the Balance Sheet, Profit & Loss Account, the Report of Board of Directors and the Auditors' Report and to consider voluntary de-listing of equity shares from Vadodara Stock Exchange.
ग्यारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक 11th Annual General Meeting	04 जुलाई, 2007 को प्रातः 10.00 बजे 04th July, 2007 at 10.00 a.m.	प्रो. सी.सी. मेहता ऑडिटोरियम, जनरल एजुकेशन सेन्टर, एम.एस. यूनिवर्सिटी कैम्पस, प्रतापगंज, वड़ोदरा 390 002. Prof. C.C. Mehta Auditorium, General Education Centre, M.S. University of Baroda Vadodara –390 002	बैंक के 31 मार्च, 2007 को समाप्त अवधि के तुलनपत्र, 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि खाते, बैंक कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा एवं इसका अनुमोदन तथा वर्ष 2006-07 के लिए अंतिम लाभांश घोषित करना. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as on 31st March 2007, Profit & Loss Account for the year ended 31st March 2007, the Report of Board of Directors on the working and activities of the Bank and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts and to declare Final Dividend for the year 2006-07.
बारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक 12th Annual General Meeting	28 जुलाई, 2008 को प्रातः 10.30 बजे 28th July, 2008 at 10.30 a.m.	प्रो. सी.सी. मेहता ऑडिटोरियम, जनरल एजुकेशन सेन्टर, एम.एस. यूनिवर्सिटी कैम्पस, प्रतापगंज, वड़ोदरा 390 002. Prof. C.C. Mehta Auditorium, General Education Centre, M.S. University of Baroda Vadodara –390 002	बैंक के 31 मार्च, 2008 को समाप्त अवधि के तुलनपत्र, 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि खाते, बैंक कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा एवं इसका अनुमोदन तथा वर्ष 2007-08 के लिए अंतिम लाभांश घोषित करना. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as on 31st March 2008, Profit & Loss Account for the year ended 31st March 2008, the Report of Board of Directors on the working and activities of the Bank and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts and to declare Dividend for the year 2007-08.
असाधारण सामान्य बैठक Extra Ordinary General Meeting	23 दिसंबर, 2008 को प्रातः 10.00 बजे 23rd December, 2008 at 10.00 a.m.	प्रो. सी.सी. मेहता ऑडिटोरियम, जनरल एजुकेशन सेन्टर, एम.एस. यूनिवर्सिटी कैम्पस, प्रतापगंज, वड़ोदरा 390 002. Prof. C.C. Mehta Auditorium, General Education Centre, M.S. University of Baroda, Vadodara – 390 002	बैंककारी कम्पनी (उपक्रमोंका अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (आई) एवं बैंक ऑफ बड़ौदा सामान्य विनियम, 1998 के अनुपालन में केंद्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से -3- निदेशकों का निर्वाचन. Election of three Directors from amongst Shareholders other than Central Government in pursuance of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Bank of Baroda General Regulations 1998.

7. प्रकटीकरण :

- (क) बैंक का ऐसा कोई विशेष संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं है जिनके कारण बैंक के व्यापक हितों से टकराव की संभावना बनती हो.
- (ख) सरकारी कारोबार, विनिमय, दलाली, विदेशी बिल खरीदी पर बड़ा से भिन्न फीस, कमीशन से आय और अतिदेय बिलों/अग्रिम बिलों पर ब्याज तथा अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों एवं एसोसिएट के शेयरों पर लाभांश की गणना उपचित आधार के स्थान पर वास्तविक प्राप्ति के आधार पर की गई है.
- (ग) बैंक पर पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से सम्बद्ध किसी भी मामले में किसी भी विनियामक प्राधिकारी अर्थात् स्टॉक एक्सचेंज और/अथवा सेबी द्वारा किसी नियम, निर्देशों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए न तो कोई दंड लगाया गया है और न ही किसी प्रकार की भर्त्सना की गई है.
- (घ) बैंक की 'विसल ब्लोअर पॉलिसी' परिचालित है.
- (ङ) निदेशकों ने प्रकट किया है कि 31.03.2009 तक निदेशकों के बीच किसी प्रकार का पारस्परिक संबंध नहीं है.

8. अनिवार्य और गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं :

बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ किए गए सूचीयन करार के खंड 49 में यथा उपबद्धित सभी लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है.

गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति निम्नानुसार है :

7. Disclosures:

- a) There is no materially significant Related Party Transaction that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.
- b) Income from Fees, Commission other than on Government Business, Exchanges, Brokerage, Discount on Foreign Bills Purchased and Interest on overdue Bills/Advance Bills and Dividend on Shares of Subsidiaries, Joint Ventures and Associates have been accounted for on the basis of actual realization instead of accrual.
- c) No penalties and strictures have been imposed on the Bank by the Stock Exchange and /or SEBI for non-compliance of any law, guidelines and directives, on any matters related to capital markets, during the last three years.
- d) A Whistle Blower Policy of the Bank is in operation.
- e) Directors have disclosed that they have no relationship between directors inter se as on 31.03.2009

8. Mandatory and Non-Mandatory Requirements:

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in Clause 49 of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges where Bank's shares are listed.

The extent of implementation of non-mandatory requirements is as under:

क्रम सं. Sr. No.	गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं Non-mandatory requirements	कार्यान्वयन की स्थिति Status of Implementation
1	अध्यक्ष के कार्यालय का रख-रखाव, गैर कार्यपालक अध्यक्ष, कंपनी के खर्च पर करेंगे. Non-executive Chairman to maintain Chairman's Office at company's expense.	लागू नहीं, क्योंकि अध्यक्ष का पद कार्यपालक का पद है. Not Applicable, since the Chairman's position is Executive.
2	निदेशक मंडल एक पारिश्रमिक समिति गठित करेगा जो कार्यकारी निदेशकों के लिए विशिष्ट पारिश्रमिक पैकेज संबंधी कंपनी की पारिश्रमिक नीति तैयार करेगी. Board to set-up a Remuneration Committee to formulate company's remuneration policy on specific remuneration package for Executive Directors.	लागू नहीं, कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार द्वारा नियत वेतन प्राप्त करते हैं. तथापि, केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यनिष्पादन संबंध प्रोत्साहन पर विचार करने के लिए एक पारिश्रमिक समिति परिचालन में है. Not applicable, as Executive Directors draw salary as fixed by the Government of India. However a Remuneration Committee is in operation to consider Performance Linked Incentive in terms of guidelines issued by the Central Government.
3	गत 6 माह के दौरान महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्य-निष्पादन की छमाही घोषणा शेयरधारकों को भेजना. Half-yearly declaration of financial performance including summary of significant events in last six months to be sent to shareholders.	30.09.2008 को समाप्त छमाही के लिए बैंक ने गत 6 माह के दौरान महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्य-निष्पादन का छमाही परिणाम प्रत्येक शेयरधारक को भेज दिया है. इसके अतिरिक्त बैंक के वित्तीय परिणाम बैंक की वेबसाइट पर डाले जाते हैं. The Bank has sent half-yearly financial results for the half year ended 30.09.2008 including summary of significant developments during last six months to each shareholder. Besides the financial results are posted on Bank's website.

क्रम सं. Sr. No.	गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं Non-mandatory requirements	कार्यान्वयन की स्थिति Status of Implementation
4	कंपनी को अनक्वालिफाइड वित्तीय विवरणियों की व्यवस्था की ओर जाना चाहिए. Company may move towards regime of unqualified financial statements.	बैंक ने अनक्वालिफाइड वित्तीय विवरणियों की ओर अग्रसर होने के लिए कई कदम उठाये हैं. The Bank has initiated steps for moving towards achieving unqualified financial statements.
5	कंपनी निदेशक मंडल के सदस्यों को निदेशक के रूप में जिम्मेदारी वहन और उनका सर्वोत्तम ढंग से निर्वहन करने के लिए कंपनी के व्यावसायिक मॉडल में प्रशिक्षित करने के साथ-साथ कंपनी के व्यावसायिक मानदंडों की जोखिम प्रोफाइल के बारे में प्रशिक्षित करे. Company may train Board Members in the Business Model of the Company as well as risk profile of the business parameters of the company, the responsibilities as Director and the best way to discharge them.	निदेशक मंडल द्वारा अपनाए गए व्यावसायिक मॉडल और जोखिम प्रोफाइल के साथ-साथ आचार संहिता की संपूर्ण जानकारी बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को संप्रेषित की गई है. बैंक एडवांस्ड फाइनेंशियल लर्निंग हेतु निदेशकों को भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई केन्द्र पर प्रशिक्षण हेतु नामित करता है. A complete overview of the Business Model and risk profile along with Code of Conduct adopted by the Board of Directors has been communicated to each member of the Board. The Bank nominates Directors for training at Centre for Advanced Financial Learning of RBI, Mumbai.
6	निदेशक मंडल के अन्य सदस्यों द्वारा गैर- कार्यपालक निदेशकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन और गैर-कार्यपालक निदेशकों के निदेशक पद पर बने रहने या अन्यथा निर्णय लेना. The evaluation of performance of non-executive Directors by other members of the Board and to decide to continue or otherwise of the Directorship of the non-executive Directors.	भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप एक नामांकन समिति का गठन किया गया है तथा चयनित/नामित निदेशकों पर बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(आई) के अधीन फिट एण्ड प्रॉपर दिशा-निर्देश लागू होते हैं A Nomination Committee has been constituted in terms of Reserve Bank of India Guidelines and the elected directors under clause 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 are subject to determination of fit & proper status.
7	कंपनी अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदेहास्पद धोखा-धड़ी आदि के बारे में प्रबंधन चिंताओं के बारे में रिपोर्ट करने के लिए पूर्व संकेत देने वाली नीति बनाए The Company to establish the Whistle Blower Policy for reporting management concerns about unethical behaviors, actual or suspected fraud, etc.	बैंक की 'विसल ब्लोअर पॉलिसी' परिचालन में है. A Whistle blower policy of the Bank is in operation.

9. संप्रेषण के साधन :

बैंक, विकसित सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों और हितधारकों को उनके हितों से संबद्ध जानकारीयों के बारे में सूचित करने की आवश्यकता समझता है.

बैंक के वित्तीय परिणामों को, निदेशक मंडल की बैठक में उनके अनुमोदन के पश्चात बैठक की समाप्ति पर तत्काल उन स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया जाता है जहां पर बैंक की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं. ये परिणाम दो या अधिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवाए जाते हैं जिनमें से एक ऐसा समाचार पत्र होता है जिसका प्रसार पूरे भारत में हो और दूसरा समाचार पत्र ऐसा होता है जिसका प्रसार गुजरात राज्य में हो, जहां बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है. बैंक छमाही आधार पर अपने शेयरधारकों को परिणामों की प्रति प्रेषित करता है. बैंक अपने वित्तीय परिणामों तथा भावी योजनाओं की घोषणा करने के लिए एनेलिस्ट बैठकें, प्रेस कांफ्रेंस इत्यादि भी आयोजित करता है.

9. Means of Communication:

The Bank recognizes the need for keeping its members and stakeholders informed of the events of their interests through present advanced information technology and means of communication.

The financial results of the Bank are submitted to the stock exchanges, where the securities of the Bank are listed, immediately after the conclusion of the Board Meeting approving the same. The results are also published in two or more newspapers, one circulating in the whole or substantially the whole of India and the other circulating in the state of Gujarat where the Head Office of the Bank is situated. The Bank furnishes results to the Shareholders on Half Yearly basis. The Bank also organizes analysts'-meets, press conferences, etc. for announcing Bank's financial results and its future plans.

बैंक के तिमाही / छमाही / वार्षिक परिणामों के साथ-साथ बैंक की प्रेस विज्ञापितियां बैंक की वेबसाइट <http://www.bankofbaroda.com> पर उपलब्ध रहती हैं।

The quarterly / half-yearly / annual results as well as the press release of the Bank are posted on the Bank's Website – <http://www.bankofbaroda.com>

10. शेयरधारकों से संबद्ध सूचना :

बैंक के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं :

1)	द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड फ़िरोज जीजीभाई टावर्स 25 वां तल, दलाल स्ट्रीट फोर्ट, मुंबई 400 001 बीएसई कोड : 532134
2)	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लि. बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स. बांद्रा (पूर्व). मुंबई 400 051. एनएसई कोड : BANKBARODA

एक्सचेंजों में सूचीबद्ध सभी प्रतिभूतियों के सम्बंध में अब तक के वार्षिक सूचीयन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

10.1 प्रतिभूतियों का अ-भौतिकीकरण :

बैंक के शेयर सेबी की अनिवार्य अ-भौतिक सूची के अंतर्गत आते हैं और बैंक ने अपने शेयरों के अ-भौतिकीकरण के लिए नेशनल सिक्वोरिटी डिपोजिटरी लि. (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के साथ करार किया है। शेयरधारक एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के पास अपने शेयर अ-भौतिकीकृत करवा सकते हैं।

31 मार्च 2009 को बैंक के पास 36,42,66,500 इक्विटी शेयर थे जिनमें से 35,43,52,275 शेयर अ-भौतिक रूप में धारित है जिनका विवरण निम्नानुसार है।

धारिता का स्वरूप	Nature of Holding	शेयरों की संख्या / Number of shares	प्रतिशत / Percentage
भौतिक	Physical	99,14,225	2.72
अ-भौतिक	Dematerialized	35,43,52,275	97.28
कुल	Total	36,42,66,500	100.00

बैंक द्वारा वर्ष 2003 में 27,38,300 इक्विटी शेयर जब्त किए गए जिनमें से 31.03.2009 तक 4,800 इक्विटी शेयर (एनल्लड) अभिशून्य किए गए।

10. Shareholders' Information:

The Bank's shares are listed on the following major Stock Exchanges in India:

1)	Bombay Stock Exchange Ltd., Phiroze Jeejeebhoy Towers 25th Floor, Dalal Street Fort, Mumbai 400 001 BSE CODE : 532134
2)	National Stock Exchange of India Ltd. Bandra Kurla Complex, Bandra, (East), Mumbai 400 051 NSE CODE : BANKBARODA

The annual listing fees in respect of all the securities listed with the exchange(s) have been paid till date.

10.1 : Dematerialization of Securities:

The shares of the Bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank has entered in to Agreements with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL.

As on March 31, 2009 the Bank has – 36,42,66,500 – No. of Equity Shares of which -35,43,52,275 – Shares are held in dematerialized form, as per the detail given below.

The Bank had forfeited -27,38,300- equity shares in the year 2003 and out of the same 4800 equity shares were annulled up to 31st March 2009.

10.2 इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (ईसीएस) :

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (ईसीएस) भुगतान का एक आधुनिक तरीका है जिसमें लाभांश / ब्याज इत्यादि की राशियां संबंधित निवेशकों के बैंक खाते में सीधे ही जमा कर दी जाती हैं। बैंक ने अपने शेयरधारकों को भारतीय रिजर्व बैंक की नेशनल ईसीएस / ईसीएस सुविधा के तहत कवर सभी केंद्रों पर उपलब्ध इस सुविधा का इस्तेमाल करने के विकल्प के साथ सेवाएं पेश की हैं।

ईसीएस मंडेट प्रपत्र वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

10.2 : Electronic Clearing Services (ECS) :

Electronic Clearing Services (ECS) is a modern method of payment of where the amounts of dividend/interest etc., are directly credited to the bank accounts of the Investors concerned. The Bank has offered the services to the shareholders with an option to avail the facility at all the centers covered by Reserve Bank of India under its National ECS/ ECS facility.

The ECS mandate form is appended with the Annual Report.

10.3 इलेक्ट्रॉनिक शेयर अंतरण प्रणाली तथा निवेशकों की शिकायतों का निवारण:

बैंक सुनिश्चित करता है कि शेयरों का अन्तरण सम्बंधी समस्त कार्य, उनकी प्रस्तुति की तारीख से एक माह के भीतर विधिवत् रूप से संपन्न हो जाए. बोर्ड ने शेयरों और बांडों के अंतरण तथा अन्य संबद्ध मामलों पर विचार करने के लिए शेयरधारक / निवेशक शिकायत समिति और शेयर अंतरण समिति गठित की है. ये समितियां नियमित अंतराल पर बैठक आयोजित करती हैं और निवेशक-शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करती हैं.

बैंक ने मै. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. को अपने रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है जिसका कार्य शेयर/बांड अंतरण, लाभांश/ब्याज भुगतान को प्रॉसेस करना, शेयरधारकों के अनुरोध अभिलेखित करना, निवेशकों की शिकायतों का समाधान तथा शेयर/बांड जारी करने संबंधी अन्य गतिविधियां सुनिश्चित करना है. निवेशक अपने अंतरण विलेख/अनुरोध/शिकायतें निम्न पते पर रजिस्ट्रार को भिजवा सकते हैं :

मै. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि.

(इकाई : बैंक ऑफ बड़ौदा)

प्लॉट सं. 17 से 24, इमेज अस्पताल के पास

विठ्ठलराव नगर, माधापुर

हैदराबाद - 500 081

फोन : (040) 23420815 से 820 तक, फैक्स : (040) 23420814

ई-मेल : mailmanager@karvy.com

बैंक ने निवेशक सेवा कक्ष की स्थापना कार्पोरेट कार्यालय, मुंबई में भी की है, जिसके प्रभारी कम्पनी सचिव हैं. जहां शेयरधारक अपने अनुरोधों / शिकायतों को समाधान हेतु निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं. वे अपनी शिकायतें / अनुरोध प्रधान कार्यालय, वड़ोदरा को निम्नलिखित पते पर भी भेज सकते हैं:

<p>बैंक ऑफ बड़ौदा निवेशक सेवा विभाग प्रथम तल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर सी - 26, जी - ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 टेलीफोन : (022) 66985000, 6698 5846 फैक्स : (022) 2652 6660 ई - मेल : investorservices@bankofbaroda.com (उक्त ई-मेल आईडी विशेषरूप से स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध होने के करार के खण्ड 47(एफ) के अनुसरण निवेशकों की शिकायतों हेतु बनाया गया है)</p>	<p>बैंक ऑफ बड़ौदा मुख्य प्रबंधक ग्राहक सेवा आठवां तल, सूरज प्लाजा -1, सयाजीगंज, वड़ोदरा 390 005. टेलीफोन : 0265 - 2361724 फैक्स नं. : 0265 - 2361824 ई - मेल : customerservice@bankofbaroda.com</p>
---	---

10.4 कार्पोरेट नियंत्रण रेटिंग :

यह बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक है जिसे जुलाई, 2004 में रेटिंग एजेन्सी, आईसीआरए लि. द्वारा सीजीआर -2 कार्पोरेट गवर्नेन्स रेटिंग प्रदान की गई है, जो सीजीआर -1 से सीजीआर -6 के रेटिंग पैमाने में कार्पोरेट गवर्नेन्स के उच्च स्तर को दर्शाता है. इसी क्रम में आईसीआरए लि. ने अपने दिनांक 17.08.2007 के पत्र तथा प्रेस विज्ञापित दिनांक 14 सितम्बर 2007 के द्वारा सीजीआर -2 की उक्त रेटिंग की पुनः पुष्टि की है.

10.3: Electronic Share Transfer System & Redressal of Investors' Grievances

The Bank ensures that all transfers of Shares are duly effected within a period of one month from the date of their lodgment. The Board has constituted Sharholders/ Investors' Grievances Committee and Shares Transfer Committee to consider transfer of Shares and Bonds and other related matters. The Committees meet at regular intervals and review the status of Investors' Grievances.

The Bank has appointed M/s. Karvy Computershare Private Limited as its Registrars & Transfer Agent with a mandate to process transfer of Shares / Bonds, dividend / interest payments, recording of Shareholders' requests, solution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of Shares / Bonds. The Investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the Registrars at following address:

M/S Karvy Computershare Private Limited

(Unit : Bank of Baroda)

Plot No.17 to 24, Near Image Hospital

Vittalrao Nagar, Madhapur

Hyderabad - 500 081

Phone : (040) 23420815 to 820, Fax : (040) 23420814

E Mail : mailmanager@karvy.com

The Bank has also established Investors' Services Department, headed by the Company Secretary at Corporate Office, Mumbai wherein shareholders can mail their requests / complaints for resolution at the address given below. They can also send their complaints/requests at the address given below at Head Office, Vadodara :

<p>Bank of Baroda Investors' Services Department 1st Floor, Baroda Corporate Centre C-26, G-Block, Bandra-Kurla Complex Bandra (East), Mumbai - 400 051 Telephone : (022) 66985000, 6698 5846 Fax : (022) 2652 6660 E - mail : investorservices@bankofbaroda.com (The aforesaid e-mail ID is exclusive designated for investors' complaints pursuant to Clause 47(F) of the listing agreement with Stock Exchanges)</p>	<p>Bank of Baroda Chief Manager, Customer Service, 8th Floor, Suraj Plaza - I, Sayajiganj, Vadodara 390 005 Telephone : 0265 - 2361724 Fax No. : 0265 - 2361824 E - mail : customerservice@bankofbaroda.com</p>
--	--

10.4 : Corporate Governance Rating:

The Bank is the first Public Sector Bank to have been assigned in July 2004 a Corporate Governance Rating of 'CGR-2' by ICRA Limited indicating **High Level of Corporate Governance** in a rating scale of CGR-1 to CGR-6. Further the ICRA Limited vide their letter dated 17.08.2007 and Press Release Dated September 14, 2007 have reaffirmed the said rating of "CGR-2", which is in force as on the date.

11. वित्तीय कैलेंडर

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009

11. Financial Calendar

Financial Year 1st April 2008 to 31st March 2009

खातों (एकल) एवं लाभांश संबंधी सिफारिशों पर विचार-विमर्श करने हेतु निदेशक मंडल की बैठक	27 अप्रैल 2009 (सोमवार)	Board Meeting for considering of Accounts (Solo) and recommendation of dividend.	27 th April 2009 (Monday)
खातों (समेकित) पर विचार-विमर्श करने हेतु निदेशक मंडल की बैठक	26 मई, 2009 (मंगलवार)	Board Meeting for considering of Accounts (Consolidated).	26 th May 2009 (Tuesday)
भारतीय रिजर्व बैंक को खातों की लेखा परीक्षित विवरणी की प्रस्तुति	28 मई, 2009 (गुरुवार)	Submission of audited statement of accounts to RBI.	28 th May 2009 (Thursday)
13वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख, समय एवं स्थान	गुरुवार 02 जुलाई, 2009 प्रातः 10:30 बजे प्रो. सी.सी. मेहता जनरल एजुकेशन ऑडिटोरियम, डीएन हॉल ग्राउण्ड, एम एस यूनीवर्सिटी, प्रतापगंज, वडोदरा - 390 002	Date, Time & Venue of the 13 th AGM	Thursday, 02 nd July 2009 at 10.30. a.m. Prof. C.C. Mehta General Education Auditorium, D.N.Hall Ground, M.S.University, Pratapganj, Vadodara – 390 002
वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण	4 तथा 5 जून 2009	Posting of Annual Report	4 th and 5 th June 2009
बहियां बंद करने की तारीख	20 जून, 2009 (शनिवार) से 2 जुलाई, 2009 (गुरुवार)	Book Closure dates	20 th June 2009 (Saturday) to 02 nd July 2009 (Thursday)
प्रॉक्सी फार्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख	27 जून, 2009 दोपहर 2.00 बजे तक (शनिवार)	Last Date for receipt of Proxy Forms	27 th June 2009 upto 2 pm (Saturday)
लाभांश के लिए वारंट प्रेषित करने की संभावित तारीख	13 जुलाई, 2009 से पहले	Probable date of dispatch of warrants for Dividend	Before 13 th July 2009
लाभांश भुगतान की तारीख	13 जुलाई, 2009	Payment date - Dividend	13 th July 2009

घोषणा-पत्र

स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध करने संबंधी करार की धारा 49(I) (डी) के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की ओर से घोषणा

घोषित किया जाता है कि बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध करने संबंधी करार के खंड 49 (I) (डी) में विनिर्दिष्ट आचार संहिता के प्रसंग में बैंक द्वारा 31 मार्च, 2009 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तदनुसार अनुपालना की पुष्टि कर दी है. उक्त आचार संहिता को बैंक की वेबसाइट पर भी दर्शाया गया है.

कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

(म. डी. मल्ल्या)

(एम. डी. मल्ल्या)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई
दिनांक : 26 मई, 2009

DECLARATION

Declaration of the Chairman and Managing Director pursuant to clause 49 (I) (D) of Listing Agreement with Stock Exchanges.

It is to declare that all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance with the Code of Conduct for the Financial Year Ended on 31st March 2009 in accordance with clause 49 (I) (D) of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges. The said Code of conduct has been posted on the Bank's website.

For Bank of Baroda

(म. डी. मल्ल्या)

(M.D.Mallya)

Chairman and Managing Director

Place : Mumbai

Date : 26th May 2009

12. 31 मार्च 2009 को शेयरधारिता पैटर्न

12. Shareholding Pattern as on 31st March 2009

क्रमांक S.No	विवरण	Category	धारकों की संख्या No. of Holders	कुल शेयर Total Shares	इक्विटी का प्रतिशत % To Equity
1	भारत सरकार	GOVERNMENT OF INDIA	1	196000000	53.81%
2	विदेशी संस्थागत निवेशक	FOREIGN INSTITUTIONAL INVESTORS	132	49302690	13.53%
3	म्युच्युअल फंड	MUTUAL FUNDS	128	44755788	12.29%
4	बीमा कंपनियां	INSURANCE COMPANIES	18	34900318	9.58%
5	निवासी वैयक्तिक	RESIDENT INDIVIDUALS	178501	23169522	6.36%
6	बॉडी कॉर्पोरेट	BODIES CORPORATES	1637	11246747	3.09%
7	अ-निवासी भारतीय	NON RESIDENT INDIANS	3160	2253893	0.61%
8	कर्मचारी	EMPLOYEES	4048	833676	0.23%
9	समाशोधन सदस्य	CLEARING MEMBERS	148	579908	0.16%
10	वित्तीय संस्थाएं / बैंक	FINANCIAL INSTITUTIONS/ BANKS	28	913489	0.25%
11	हिन्दु अविभक्त परिवार	H U F	1586	263054	0.07%
12	विदेशी कॉर्पोरेट निकाय	OVERSEAS CORPORATE BODIES	4	26200	0.01%
13	न्यास	TRUSTS	23	21099	0.01%
14	विदेशी नागरिक	FOREIGN NATIONALS	1	116	0.00%
	कुल	Total	189415	364266500	100.00%

12.1 01.04.2008 से 31.03.2009 तक एस्करो / उंचत खातों में पड़े हुए शेयरों की स्थिति

12.1 Status of Shares Lying in Escrow/Suspense Account as on 01.04.2008 to 31.03.2009

01.04.2008 को ओपनिंग बैलंस Opening Balance as on 01.04.2008		प्राप्त अनुरोधों की संख्या No. of requests received	अवधि के दौरान क्रेडिट किए गए शेयर Shares credited during the period		31.03.2009 को अंतिम शेष Closing Balance as on 31.03.2009	
मामले / Cases	शेयर / Shares		मामले / Cases	शेयर / Shares	मामले / Cases	शेयर /Shares
428	52313	121	109	17503	319	34810*

*ऐसे शेयरों के सही धारकों द्वारा दावा नहीं किए जाने तक इन शेयरों से संबंधित वोट देने का अधिकार रोका रखा जाए.

*The voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.

13. शेयरधारकों का वर्गीकरण - 31.03.2009 को श्रेणीवार स्थिति
 31.03.2009 तक वितरण शेड्यूल (कुल)

13. Distribution of Shareholders - Categorywise as on 31.03.2009

Distribution schedule as on 31/03/2009 (Total)

क्र. सं. S. no	श्रेणी Category	मामलों की संख्या No. of Cases	मामलों का % % of Cases	कुल शेयर Total Shares	राशि Amount	राशि का % % of Amount
1	1 - 5000	185381	97.87	20597856	205978560.00	5.65
2	5001 - 10000	2400	1.27	1926768	19267680.00	0.53
3	10001 - 20000	746	0.39	1150746	11507460.00	0.32
4	20001 - 30000	201	0.11	517279	5172790.00	0.14
5	30001 - 40000	101	0.05	359792	3597920.00	0.10
6	40001 - 50000	82	0.04	395013	3950130.00	0.11
7	50001 - 100000	140	0.07	1059248	10592480.00	0.29
8	100001 & Above	364	0.19	338259798	3382597980.00	92.86
कुल / Total:		189415	100.00	364266500	3642665000.00	100.00

14. 31.03.2009 को शेयरधारकों का भौगोलिक दृष्टि से (राज्य-वार) वर्गीकरण
 31.3.2009 तक राज्यवार रिपोर्ट

14. Geographical (State wise) Distribution of Shareholders as on 31.03.2009

State-wise report as on 31/03/2009

क्रम सं. SNO	राज्य	STATE	मामले CASES	शेयर SHARES
1	आंध्र प्रदेश	ANDHRA PRADESH	7601	1123043
2	अरुणाचल प्रदेश	ARUNACHAL PRADESH	14	1799
3	असम	ASSAM	548	64982
4	बिहार	BIHAR	2980	346664
5	चंडीगढ़	CHANDIGARH	530	113934
6	दिल्ली	DELHI	8696	198013921
7	गोवा	GOA	1512	221684
8	गुजरात	GUJARAT	48852	6430347
9	हरियाणा	HARYANA	2329	290913
10	हिमाचल प्रदेश	HIMACHAL PRADESH	277	30174
11	जम्मू एंड कश्मीर	JAMMU & KASHMIR	248	30208
12	कर्नाटक	KARNATAKA	7954	913174
13	केरल	KERALA	3171	483870
14	मध्यप्रदेश	MADHYA PRADESH	5451	787793
15	महाराष्ट्र	MAHARASHTRA	44371	145842091
16	मेघालय	MEGHALAYA	103	14523
17	मिजोरम	MIZORAM	2	398
18	नागालैंड	NAGALAND	114	25580
19	उड़ीसा	ORISSA	1220	125745
20	अन्य	OTHERS	5141	1841254
21	पंजाब	PUNJAB	1910	254085
22	राजस्थान	RAJASTHAN	13097	1599069
23	तमिलनाडु	TAMIL NADU	12605	2380072
24	त्रिपुरा	TRIPURA	169	20911
25	उत्तरप्रदेश	UTTAR PRADESH	14295	1946372
26	पश्चिम बंगाल	WEST BENGAL	6225	1363894
कुल		Total:	189415	364266500

15. स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों के सौदों की मात्रा तथा शेयर कीमत

(01.04.2008 से 31.03.2009 तक)

15. Share Price, Volume of Shares Traded in Stock Exchanges

(From 01-04-2008 to 31-03-2009)

माह	MONTH	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) National Stock Exchange of India Limited (NSE)			बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. (बीएसई) Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE)		
		उच्चतम (₹) Highest (Rs.)	निम्नतम (₹) Lowest (Rs.)	सौदों की मात्रा (सं.) Volume Traded (Nos.)	उच्चतम (₹) Highest (Rs.)	निम्नतम (₹) Lowest (Rs.)	सौदों की मात्रा (सं.) Volume Traded (Nos.)
अप्रैल	APR 2008	329.00	267.40	11362662	320.90	267.00	3930984
मई	MAY 2008	329.70	253.00	8852452	329.90	254.20	3924989
जून	JUN 2008	274.00	198.55	9461859	273.80	199.30	3783980
जुलाई	JUL 2008	271.50	188.20	12672181	270.00	188.30	5564352
अगस्त	AUG 2008	309.00	228.35	15202258	309.50	245.00	6413917
सितंबर	SEP 2008	338.70	262.35	27615511	338.00	270.15	12551870
अक्टूबर	OCT 2008	327.00	214.35	24099591	330.00	215.10	7802205
नवंबर	NOV 2008	303.00	220.35	16059775	301.70	235.25	5760892
दिसंबर	DEC 2008	287.00	232.60	19307965	287.45	232.50	5465242
जनवरी	JAN 2009	298.45	222.30	19746437	297.30	225.35	5780079
फरवरी	FEB 2009	258.95	207.15	14842944	255.30	207.70	3293161
मार्च	MAR 2009	249.25	170.35	23545509	249.85	180.50	6594241

16. वर्ष 2008-09 के दौरान नियुक्त निदेशकों का व्यक्तिगत विवरण :
Profile of Directors appointed during the year 2008 – 09

1. श्री एम डी मल्ल्या Shri M.D. Mallya

नाम	: श्री एम.डी. मल्ल्या	Name	: Shri M.D. Mallya
पता	: बैंक ऑफ़ बड़ौदा सी-26, "जी" ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051	Address	: Bank of Baroda, C-26, "G" Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), MUMBAI - 400 051
जन्मतिथि	: 09.11.1952	Date of Birth	: 09.11.1952
आयु	: 56	Age	: 56
योग्यता	: 1. इंजीनियरिंग -स्नातक 2. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरु से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	Qualifications	: 1) Bachelor of Engineering 2) Post Graduate Diploma in Management from Indian Institute of Science, Bangalore
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	: केंद्र सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत 7 मई 2008 से पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त.	Nature of appointment as Director	: Whole time Director appointed w.e.f. 7th May, 2008 by the Central Government u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.
अनुभव	: श्री मल्ल्या ने अपना बैंकिंग जीवन अगस्त 1976 में कार्पोरेशन बैंक से प्रारंभ किया. 31 वर्ष के अपने बैंकिंग कार्य अनुभव के दौरान, उन्होंने विभिन्न पदों एवं कार्यों को करते हुए बैंकिंग के क्षेत्र में गहन अनुभव हासिल किया. वे ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कामर्स (ओ.बी.सी.) में कार्यकारी निदेशक थे. बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में, उन्होंने इसके सभी कार्यकलापों, यथा व्यवसाय वृद्धि, प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, संगठनात्मक पुनर्संरचना आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की.	Experience	: Shri Mallya started his banking career from Corporation Bank in August 1976. In a career spanning over 31 years, he acquired rich experience in banking at various positions and assignments. He was Executive Director of Oriental Bank of Commerce (OBC). As Chairman & Managing Director, Bank of Maharashtra, he has made rapid strides in all its spheres of activities, like business growth, technology, HR, organizational restructuring, etc
अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा समिति पदों पर कार्य	: निदेशक के रूप में : (i) भारतीय निर्यात आयात बैंक (ii) द न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि. (iii) कृषि वित्त निगम लि. (iv) बड़ौदा पायनियर आस्ति प्रबंधन कं. लि. (v) बड़ौदा एल. एंड जी. जीवन बीमा कं. लि. (vi) बाबकार्ड्स लि. (vii) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्सवाना) लि. (viii) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (घाना) लि. (ix) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (ट्रिनिडाड एवं टोबागो) लि. (x) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि. वे निम्नलिखित गवर्निंग कौंसिल के भी सदस्य हैं. (i) राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (ii) बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आई.बी.पी.एस) (iii) भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान समिति पद न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि. की लेखा परीक्षा समिति एवं निवेश समिति के सदस्य.	Directorship or Committee Positions held in other Companies	: Directorship i) Export Import Bank of India ii) The New India Assurance Co. Ltd iii) Agricultural Finance Corpn. Ltd. iv) Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. v) Baroda L&G Life Insurance Co. Ltd. vi) BOBCARDS Ltd. vii) Bank of Baroda (Botswana) Ltd. viii) Bank of Baroda (Ghana) Ltd. ix) Bank of Baroda (Trinidad & Tobago) Ltd. x) Bank of Baroda (New Zealand) Ltd. He is also a member of the Governing Council of: i) National Institute of Bank Management ii) Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) iii) Indian Institute of Banking & Finance Committee Positions: Member in the Audit Committee and Investment Committee of New India Assurance Co. Ltd.
बैंक ऑफ़ बड़ौदा में धारित शेयरों की संख्या	: शून्य	No. of Shares held in Bank of Baroda	: NIL

2. श्री राजीव कुमार बक्षी Shri Rajiv Kumar Bakshi

नाम	: श्री राजीव कुमार बक्षी	Name	: Shri Rajiv Kumar Bakshi
पता	: बैंक ऑफ बड़ौदा सी-26, "जी" ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051	Address	: Bank of Baroda, C-26, "G" Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), MUMBAI - 400 051
जन्मतिथि	: 21.10.1952	Date of Birth	: 21.10.1952
आयु	: 56	Age	: 56
योग्यता	: एम.एस.सी., सी.ए.आई.आई.बी. बैंक प्रबंधन में डिप्लोमा	Qualifications	: M.Sc., CAIIB : Diploma in Bank Management
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	: केंद्र सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तर्गण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत 6 नवम्बर 2008 से पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त.	Nature of appointment as Director	: Whole time Director appointed w.e.f. 6th November, 2008 by the Central Government u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.
अनुभव	: श्री बक्षी ने बैंक ऑफ इंडिया में परीवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में 07.07.1975 को सेवा प्रारंभ की. उन्हें भारत एवं विदेश अर्थात लंदन एवं सिंगापुर में शाखा परिचालन का दीर्घ एवं वैविध्यपूर्ण अनुभव प्राप्त है. बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यकारी निदेशक का कार्य आरंभ करने से पूर्व, वे बैंक ऑफ इंडिया में महाप्रबंधक (व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्संरचना एवं नवोन्मेषी प्रयास) के रूप में कार्यरत थे.	Experience	: Shri Bakshi joined Bank of India as Probationary Officer on 07.07.1975. He possesses long and varied experience in branch operations in India and Overseas. i.e. London and Singapore. Prior to joining Bank of Baroda as Executive Director, he was working as General Manager (Business Process Reengineering & New initiatives) at Bank of India.
अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा समिति पदों पर कार्य	: निदेशक के रूप में : 1. इंडो जाम्बिया बैंक लि. 2. बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लि. समिति पद इंडो जाम्बिया बैंक लि. की ऋण समीक्षा समिति एवं लेखापरीक्षा समिति के सदस्य.	Directorship or Committee Positions held in other Companies	: Directorship: 1. Indo Zambia Bank Ltd. 2. Bank of Baroda (Tanzania) Ltd. Committee Positions: Member of Loan Review Committee and Audit Committee of Indo Zambia Bank Ltd.
बैंक ऑफ बड़ौदा में धारित शेयरों की संख्या	: शून्य	No. of Shares held in Bank of Baroda	: NIL

3. श्री अमिताभ वर्मा Shri Amitabh Verma

नाम	: श्री अमिताभ वर्मा, आई.ए.एस.	Name	: Shri Amitabh Verma, IAS
पता	: संयुक्त सचिव (बी.ओ.ए.) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, तीसरा तल, संसद मार्ग नई दिल्ली - 110 001	Address	: Joint Secretary (BOA), Government of India, Ministry of Finance, Dept. of Financial Services, Jeewan Deep Building, 3rd Floor, Sansad Marg, NEW DELHI - 110 001
जन्मतिथि	: 16.09.1959	Date of Birth	: 16.09.1959
आयु	: 49 वर्ष	Age	: 49 years
योग्यता	: राजनीति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र में एम.ए., यूनिवर्सिटी आफ मानचेस्टर, यू.के. 1982 के आई.ए.एस. संवर्ग के अधिकारी.	Qualifications	: M.A in Political Science & M.A. in Economics, University of Manchester, U.K. Belongs to IAS cadre of 1982 batch.
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	: केंद्र सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (बी) के तहत 10 जून 2008 से पूर्णकालिक निदेशक नामित.	Nature of appointment as Director	: Nominated w.e.f. 10.06.2008 by Govt. of India u/s 9(3)(b) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 representing Central Government.
अनुभव	: श्री अमिताभ वर्मा, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग में संयुक्त सचिव हैं. उन्हें अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडलों में निदेशक रहने का दीर्घ अनुभव है.	Experience	: Shri Amitabh Verma is at present Joint Secretary in the Ministry of Finance, Department of Financial Services. He has rich experience of being on the Boards of leading Public Sector Banks.
अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा समिति पदों पर कार्य	: निदेशक के रूप में : 1. राष्ट्रीय आवास बैंक 2. नाबार्ड समिति पद शून्य	Directorship or Committee Positions held in other Companies	: Directorship: 1. National Housing Bank 2. NABARD Committee Positions: NIL
बैंक ऑफ़ बड़ौदा में धारित शेयरों की संख्या	: शून्य	No. of Shares held in Bank of Baroda	: NIL

4. डॉ. धर्मेंद्र भंडारी Dr. Dharmendra Bhandari

नाम	: डॉ. धर्मेंद्र भंडारी	Name	: Dr Dharmendra Bhandari
पता	: 91, प्रभात कालोनी सांताक्रुज (पूर्व) मुंबई - 400 055	Address	: 91, Prabhat Colony, Santacruz (East), MUMBAI - 400 055
जन्मतिथि	: 15.09.1956	Date of Birth	: 15.09.1956
आयु	: 52 वर्ष	Age	: 52 years
योग्यता	: एम. काम., एफ.सी.ए., पी.एच.डी.	Qualifications	: M.Com., F.C.A., Ph.D.
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	: बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के तहत 23.12.2008 को आयोजित ईजीएम में बैंक के केन्द्रीय सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा 24.12.2008 से 3 वर्ष के लिए निर्वाचित.	Nature of appointment as Director	: Elected from amongst Shareholders other than Central Government u/s 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extraordinary General Meeting held on 23.12.2008 for a period of 3 years from 24.12.2008.
अनुभव	: डा. भंडारी भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षण विभाग में विशेष ड्यूटी अधिकारी थे और भारत में बैंककारी एवं वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ करने के उपाय सुझाने के लिए संयुक्त संसदीय समिति के परामर्शदाता थे. वे देना बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निदेशक मंडलो में निदेशक भी रहे. वे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की सदस्य चयन समिति के सदस्य हैं.	Experience	: Dr. Bhandari was Officer on Special Duty, Department of Supervision, RBI and was a consultant to the Joint Parliamentary Committee constituted to suggest ways to strengthen the banking and financial systems in India. He was also a Director on the Boards of Dena Bank and Bank of Maharashtra. He is a member on the Member Selection Committee of National Stock Exchange of India Limited.
अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा अन्य समिति पदों पर कार्य	: निदेशक के रूप में (i) मैसर्स जे.पी.मॉर्गन म्युचुअल फंड इंडिया प्रा. लि. वे निम्नलिखित संस्थाओं के सदस्य / निदेशक भी हैं : (i) मैसर्स हारमोनी फार सिल्वर फाउंडेशन (ii) मैसर्स डिजिटल ब्रिज फाउंडेशन समिति पद वे मै.जे.पी.मॉर्गन म्युचुअल फंड इंडिया प्रा. लि. की लेखा परीक्षा समिति के सदस्य हैं. वे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. की सदस्यता अनुमोदन समिति के भी सदस्य हैं. वे मै. अंजलि सुभाष एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट्स में एक पार्टनर भी हैं.	Directorship or Committee Positions held in other Companies	: Directorship: (i) M/s J P Morgan Mutual Fund India Pvt. Ltd. He is also a member/Director of the following : (i) M/s Harmony for Silver Foundation (ii) M/s Digital Bridge Foundation Committee Positions: Member of Audit Committee of M/s J P Morgan Mutual Fund India Pvt. Limited. He is also a member on the Membership Approval Committee of National Stock Exchange of India Limited. He is a Partner in M/s. Anjali Subhash Associates, Chartered Accountants.
बैंक ऑफ बड़ौदा में धारित शेयरों की संख्या	: 600	No. of Shares held in Bank of Baroda	: 600

5. डा. दीपक बी.फाटक Dr. Deepak B. Phatak

नाम	: डा. दीपक बी.फाटक	Name	: Dr. Deepak B. Phatak
पता	: ए-15, हिलसाइड, आई.आई.टी. पवई मुंबई - 400 076	Address	: A-15, Hillside, IIT Powai, MUMBAI - 400 076
जन्मतिथि	: 02.04.1948	Date of Birth	: 02.04.1948
आयु	: 61 वर्ष	Age	: 61 years
योग्यता	: बी.ई., एम. टेक., पी.एच.डी.	Qualifications	: B.E., M.Tech., Ph.D
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	: बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के तहत 23.12.2008 को आयोजित ईजीएम में बैंक के केन्द्रीय सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा 24.12.2008 से 3 वर्ष के लिए निर्वाचित.	Nature of appointment as Director	: Elected from amongst Shareholders other than Central Government u/s 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extraordinary General Meeting held on 23.12.2008 for a period of 3 years from 24.12.2008.
अनुभव	: डा. फाटक वर्तमान में कंवल रेखी स्कूल ऑफ़ इंफारमेशन टेक्नोलोजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (मुंबई) में पदासीन प्रोफेसर हैं. वे आई.आई.टी., मुंबई में 1971 से अध्यापन कार्य कर रहे हैं. वे आई.आई.टी., मुंबई में संसाधन विकास के प्रथम डीन नियुक्त किए गए थे.	Experience	: Dr. Phatak is presently Chair Professor, Kanwal Rekhi School of Information Technology, Indian Institute of Technology (IIT), Mumbai. He has been teaching at IIT, Mumbai since 1971. He was appointed as the first Dean of Resource Development, IIT, Mumbai.
अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा समिति पदों पर कार्य	: निदेशक के रूप में एच.डी.एफ.सी. आस्ति प्रबंधन कं. लि. समिति पद वे मैं. एचडीएफसी आस्ति प्रबंधन कं.लि. की ग्राहक सेवा समिति और जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्य हैं. वे निम्नलिखित के सदस्य भी हैं : (i) नैशनल इन्श्योरेंस अकादमी (ii) बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (iii) राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान	Directorship or Committee Positions held in other Companies	: <u>Directorship:</u> HDFC Asset Management Co. Ltd. <u>Committee Positions:</u> Member of Customer Service committee and Risk Management Committee of M/s HDFC Asset Management Co. Limited He is also member of : i) National Insurance Academy, ii) Institute of Banking Personnel Selection iii) National Institute of Bank Management.
बैंक ऑफ़ बड़ौदा में धारित शेयरों की संख्या	100	No. of Shares held in Bank of Baroda	: 100

6. श्री मौलिन ए. वैष्णव Shri Maulin A. Vaishnav

नाम	: श्री मौलिन ए. वैष्णव	Name	: Shri Maulin A. Vaishnav
पता	: 8, आनंद नगर सोसाइटी न्यू इंडिया मिल के समीप जेतलपुर रोड, वडोदरा - 390 007 गुजरात	Address	: 8, Anand Nagar Society, Near New India Mill, Jetalpur Road, Vadodara - 390 007 Gujarat
जन्मतिथि	: 12.12.1950	Date of Birth	: 12.12.1950
आयु	: 59 वर्ष	Age	: 59 years
योग्यता	: अग्नि निवारण में डिप्लोमा	Qualifications	: Diploma in Fire Prevention
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	: बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के तहत 23.12.2008 को आयोजित ईजीएम में बैंक के केन्द्रीय सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा 24.12.2008 से 3 वर्ष के लिए निर्वाचित.	Nature of appointment as Director	: Elected from amongst Shareholders other than Central Government u/s 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extraordinary General Meeting held on 23.12.2008 for a period of 3 years from 24.12.2008.
अनुभव	: श्री वैष्णव एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता हैं. वे गुजरात समुद्री बोर्ड, द प्राइमरी स्कूल बोर्ड और बड़ौदा म्युनिसिपल निगम के अध्यक्ष के पद पर कार्य कर चुके हैं. वे इंडियन जेसीज के राष्ट्रीय निदेशक भी थे. इससे पहले, वे बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के तहत केंद्र सरकार द्वारा नामित किए गए थे और त्याग पत्र देने के कारण 28.11.2008 से निदेशक नहीं रहे.	Experience	: Shri Vaishnav is an accomplished Social Worker. He previously held the position of Chairman of the Gujarat Maritime Board, the Primary Schools Board and Baroda Municipal Corporation. He was also a national director- Indian Jaycees. Earlier he was nominated by the Central Government under section 9(3) (h) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, who ceased to be a Director w.e.f. 28.11.2008 upon his resignation.
अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा समिति पदों पर कार्य	: शून्य	Directorship or Committee Positions held in other Companies	: NIL
बैंक ऑफ बड़ौदा में धारित शेयरों की संख्या	125	No. of Shares held in Bank of Baroda	: 125

कार्पोरेट नियंत्रण की शर्तों के अनुपालन से संबंधित लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र Auditors' Certificate on Compliance of Conditions of Corporate Governance

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सदस्यों के लिए

हमने बैंक ऑफ़ बड़ौदा के, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के साथ सूचीबद्ध करने संबंधी करार के खंड 49 में विनिर्दिष्ट कार्पोरेट नियंत्रण शर्तों के प्रसंग में बैंक द्वारा 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए कार्पोरेट नियंत्रण संबंधी अनुपालन स्थिति की जांच की है।

कार्पोरेट नियंत्रण संबंधी शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जांच, कार्पोरेट नियंत्रण संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनायी गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक की वित्तीय विवरणियों के बारे में हमारा अभिमत है।

हम अपनी राय तथा सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए स्पष्टीकरणों के आधार पर प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपरोक्त सूचीबद्ध करार में विनिर्दिष्ट कार्पोरेट नियंत्रण संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन किया है।

हमारा यह भी अभिकथन है कि उक्त अनुपालन का अभिप्राय बैंक की भविष्य की सक्षमता के प्रति यह कोई आश्वासन नहीं है और न ही यह बैंक के कार्यपालकों के संचालन में प्रबंधन की कुशलता एवं प्रभावपूर्णता के बारे में आश्वासन है।

To : The Members of Bank of Baroda,

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Bank of Baroda, for the year ended on 31st March 2009, as stipulated in Clause-49 of the Listing Agreement of the Bank with Stock Exchanges. i.e. National Stock Exchange of India Limited and Bombay Stock Exchange Limited.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement.

We state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

कृते मेसर्स बी.सी.जैन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
For M/s B.C.JAIN & CO.
Chartered Accountants

रंजीत सिंह
Ranjeet Singh
भागीदार / Partner
M. No. 073488

कृते मेसर्स एस.के.कपूर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
For M/s S.K. KAPOOR & CO.
Chartered Accountants

वी.बी. सिंह
V. B. Singh
भागीदार / Partner
M. No. 073124

कृते मेसर्स ए. सचदेव एण्ड कं
सनदी लेखाकार
For M/s A. SACHDEV & CO.
Chartered Accountants

मनीष अग्रवाल
Manish Agarwal
भागीदार / Partner
M. No. 078628

कृते मेसर्स अश्वनी एण्ड असोसिएट्स
सनदी लेखाकार
For M/s ASHWANI & ASSOCIATES
Chartered Accountants

अरविंद जैन
Arvind Jain
भागीदार / Partner
M. No. 097549

कृते मेसर्स गुप्ता नायर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
For M/s GUPTA NAYAR & CO.
Chartered Accountants

सुरेन्द्र सिंह नरुका
Surendra Singh Naruka
भागीदार / Partner
M. No. 091740

कृते मेसर्स एन.सी.बैनर्जी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
For M/s N.C. BANERJEE & CO.
Chartered Accountants

एम. सी. कोडाली
M. C. Kodali
भागीदार / Partner
M. No. 056514

Place : Mumbai
Date : 26th May 2009

नोटिस / NOTICE


बैंक ऑफ बड़ौदा
 (प्र.का. : मांडवी, बड़ौदा)
 (H.O.: Mandvi, Baroda)
 कार्पोरेट कार्यालय : बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर,
 Corporate Office: Baroda Corporate Centre,
 सी-26, "जी" ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स
 C-26, "G" Block, Bandra Kurla Complex
 बान्द्रा (पूर्व), मुंबई 400 051
 Bandra (East), MUMBAI 400 051

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरधारकों की 13वीं वार्षिक सामान्य बैठक गुरुवार, 02 जुलाई, 2009 को प्रातः 10.30 बजे प्रो. सी. सी. मेहता जनरल एजुकेशन ऑडिटोरियम, डी. एन. हॉल ग्राउण्ड, एम. एस. यू. नीवर्सिटी, प्रतापगंज, वड़ोदरा - 390 002 में आयोजित होगी. इसमें निम्नलिखित कारोबार संचालित होंगे.

1. बैंक का 31 मार्च, 2009 के तुलन-पत्र, 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखा, लेखों में समाहित अवधि के कार्यनिष्पादन तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श, अनुमोदन व अंगीकरण.
2. वर्ष 2008-09 के लिए लाभांश की घोषणा.


NOTICE is hereby given that the 13th ANNUAL GENERAL MEETING of the shareholders of BANK OF BARODA will be held on Thursday, 02nd July, 2009 at 10.30 a.m. at Prof. C.C. Mehta General Education Auditorium, D. N. Hall Ground, M. S. University, Pratapganj, Vadodara – 390 002 to transact the following business: -

1. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March, 2009, Profit & Loss Account for the year ended 31st March, 2009, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To declare Dividend for the year 2008-09.



(एम.डी. मल्या)
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई
 तारीख : 2 जून, 2009



(M.D.MALLYA)
 Chairman and Managing Director

Place: Mumbai
 Date: 02nd June 2009

टिप्पणियां / Notes

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति :

बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने हेतु पात्र होगा / होगी (बैंक के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी से भिन्न) और प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना जरूरी नहीं है। प्रॉक्सी का कोई विलेख तभी वैध नहीं माना जाएगा। जब वह वार्षिक रिपोर्ट के साथ भेजे गए फार्म "बी" में हो। प्रॉक्सी प्रभावी होने के लिए आवश्यक है कि मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार, यदि कोई हो, जिसके अंतर्गत इस पर हस्ताक्षर किया गया है अथवा उस मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार पत्र की एक प्रति जिसे नोटरी पब्लिक अथवा किसी मजिस्ट्रेट ने एक सत्य प्रतिलिपि के रूप में अधिप्रमाणित किया हो, जब तक कि उस प्रकार का मुख्तारनामा अथवा कोई अन्य प्राधिकार पत्र पहले बैंक में न जमा और न ही पंजीकृत कराया गया हो, के साथ बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् शनिवार, दिनांक 27 जून, 2009 को दोपहर 2.00 बजे तक या उससे पहले प्रॉक्सी फार्म बैंक ऑफ़ बड़ौदा, केवाईसी एंड एएमएल विभाग, प्रधान कार्यालय, आठवीं मंजिल, सूरज प्लाजा-ए, सयाजीगंज, वड़ोदरा - 390 005 में स्थित प्रधान कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए।

2. प्रतिनिधि की नियुक्ति :

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी के विधिवत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने अथवा वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे एक यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने संबंधी संकल्प की एक प्रति जिसे उस बैठक के अध्यक्ष, जिसमें यह पारित किया गया था, द्वारा एक सत्य प्रतिलिपि के रूप में अधिप्रमाणित किया गया हो, बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् शनिवार, दिनांक 27 जून, 2009 को दोपहर 2.00 बजे या इससे पहले उक्त अनुसार स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा न कर दिया हो।

3. उपस्थिति - पर्ची सह प्रवेश पत्र :

शेयरधारकों की सुविधा हेतु इस रिपोर्ट के साथ उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र संलग्न हैं। शेयरधारकों से अनुरोध है कि उपस्थिति पर्ची भरकर और उसमें दर्शाए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करके, इसे बैठक स्थल पर सौंप दें। शेयरधारक के प्रॉक्सी / प्रतिनिधि को उपस्थिति पर्ची पर यथास्थिति "प्रॉक्सी" या "प्रतिनिधि" जैसी भी स्थिति हो, अंकित करना चाहिए।

4. शेयरधारक - रजिस्टर का बंद होना :

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण रजिस्टर 20 जून 2009 (शनिवार) से 2 जुलाई, 2009 (गुरुवार) तक (दोनों दिनों सहित) वर्ष 2008-09 की वार्षिक सामान्य बैठक तथा लाभांश भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बंद रहेगा।

5. लाभांश का भुगतान :

बैंक के निदेशक मंडल ने 27 अप्रैल, 2009 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च, 2009 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश रु.9/- प्रति पूर्ण संदत्त सामान्य शेयर) की दर से संस्तुत किया। ऊपर पैराग्राफ सं.4 में उल्लिखित बुक बंदी के अनुसार ऐसे लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके पास शेयर भौतिक रूप में उपलब्ध है एवं 2 जुलाई, 2009 (गुरुवार) को जिनके नाम बैंक के शेयर धारकों के रजिस्टर में दर्ज हैं तथा अर्भौतिक रूप में शेयर धारिताओं के बारे में लाभांश दि 19 जून, 2009 (शुक्रवार) को कारोबार की समाप्ति पर एनएसडीएल तथा सीडीएसएल द्वारा दी जाने वाली सूचनाओं के अनुसार लाभकारी स्वामित्व के आधार पर पात्र शेयरधारकों को वार्षिक सामान्य बैठक के 30 दिनों के भीतर वितरित कर दिया जाएगा।

1. Appointment of Proxy:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY (OTHER THAN AN OFFICER OR AN EMPLOYEE OF THE BANK) TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND THE PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form "B" as annexed in the Annual Report. The Proxy, in order to be effective, must be received at Head Office situated at Bank of Baroda, KYC & AML Department, 08th Floor, Suraj Plaza - I, Sayajiganj, Vadodara - 390 005 not less than four days before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 2.00 p.m. on Saturday, 27th June, 2009, together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.

2. Appointment of a Representative:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank not later than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 2.00 p.m. on Saturday, 27th June, 2009.

3. Attendance Slip-Cum Entry Pass:

For convenience of the Shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholders are requested to fill-in and affix their signatures at the space provided therein and hand over the same at the venue of the Meeting. Proxy / Representative of the shareholder should state on the attendance slip as "Proxy" or "Representative", as the case may be.

4. Closure of Register of Shareholders:

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 20th June 2009 (Saturday) to 2nd July 2009 (Thursday) (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and payment of Dividend for the year 2008-09.

5. Payment of Dividend :

The Board of Directors of the Bank in its meeting held on 27th April 2009 has recommended dividend @ Rupees Nine Per Equity Share of Rs.10/- each fully Paid Up for the F.Y ended 31st March 2009. Pursuant to the Book Closure as mentioned at point no. 4 above, such dividend is payable to shareholders whose names appear on the Register of Shareholders of the Bank as on 2nd July 2009 (Thursday) for those holding shares in Physical Form and as per the details to be furnished by the depositories i.e. NSDL & CDSL as of 19th June 2009 (Friday) for those holding shares in demat form. The dividends will be distributed to the eligible shareholders within 30 days from the date of the Annual General Meeting.

6. डाक पता / लाभांश अधिदेश में परिवर्तन :

शेयरधारकों से अनुरोध है कि अपने पते, लाभांश अधिदेश, बैंक वितरण आदि में परिवर्तन के बारे में रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट को तत्काल सूचित कर दें जिससे कि बाद में कोई असुविधा न हो. ऐसे शेयरधारक जो अपने शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फार्म में रखते हैं वे अपना अनुरोध रिकार्ड करने के लिए अपने डिपोजिटरी सहभागी डीपी से संपर्क कर सकते हैं.

7. फोलियो का समेकन :

जिन शेयरधारकों के पास एक से अधिक खाते में अपने समरूप नाम से शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट को शेयर प्रमाण-पत्रों के साथ ऐसे खातों के लिए लेजर फोलियो की सूचना दें ताकि बैंक एक खाते में सभी धारित शेयरों का समेकन कर सकें. पृष्ठांकन संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद सदस्यों को शेयर प्रमाण-पत्र यथासमय लौटा दिए जाएंगे.

8. अंतरणों के लिए प्रस्तुतीकरण :

शेयर प्रमाण-पत्रों को अंतरण विलेखों के साथ बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास निम्नलिखित पते पर भेजा जाना चाहिए:

मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा.लि.

(इकाई : बैंक ऑफ बड़ौदा)

प्लॉट सं. 17-24, विठ्ठलराव नगर,

माधापुर, हैदराबाद - 500 081

टेलीफोन : 040 2342 0815 से 820

फैक्स : 040 2342 0814

ई-मेल : mailmanager@karvy.com

9. दावा न किए गए लाभांश, यदि कोई हों :

जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों के अपने लाभांश पत्रों का नकदीकरण न कराया हो अथवा उन्हें प्राप्त न हुए हों, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट से हैदराबाद में अथवा बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग, मुंबई से निम्नलिखित पते पर सीधे संपर्क करें.

निवेशक सेवाएं विभाग

बैंक ऑफ बड़ौदा, प्रथम मंजिल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर

सी-26, जी-ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,

बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

ई-मेल - investorservices@bankofbaroda.com

शेयरधारक कृपया नोट कर लें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1970/1980 में संशोधन के फलस्वरूप बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) तथा वित्तीय संस्थान विधि (संशोधित) अधिनियम 2006 (26 सितम्बर, 2006 से प्रभावी) के मद्देनजर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिये यह अनिवार्य है कि उक्त अधिनियम लागू होने के बाद पूर्व वर्षों के भुगतान हेतु / दावा हेतु शेष लाभांश की राशि तथा उक्त अधिनियम लागू होने के बाद घोषित लाभांश ठाप्रदत्त लाभांश खाते में अन्तरित की गई राशि को अन्तरण की तारीख से -7- वर्ष की अवधि तक भुगतान हेतु / दावा हेतु शेष है को कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा व संरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अन्तरित की जानी आवश्यक है. इस राशि का उपयोग कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 265 सी यथानिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाएगा. तत्पश्चात् इस संबंध में भुगतान हेतु कोई भी दावा बैंक को या आईईपीएफ को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा

10. सदस्यों से अनुरोध :

कृपया नोट करें कि किफायत की दृष्टि से वार्षिक सामान्य बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वितरित नहीं की जाएंगी. अतः सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रति साथ लेकर आए.

6. Change of Address / Dividend Mandate: -

Shareholders, holding shares in Physical Form, are requested to intimate change in their Address, Dividend Mandate and Bank Particulars, etc., if any, to Bank's Registrars & Transfer Agent, immediately after such changes to avoid inconvenience at a later date. The shareholders holding their shares in electronic form should approach only to their Depository Participant (DP) for recording such requests.

7. Consolidation of Folios:

The Shareholders who are holding shares in identical order of names in more than one account are requested to intimate to the Registrars & Transfer Agent, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable the Bank to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the members after making necessary endorsement in due course.

8. Lodgement for Transfers:

Share Certificate along with transfer deed should be forwarded to the Registrars & Share Transfer Agent of the Bank at the following address.

M/s Karvy Computershare Private Ltd.,

(Unit :- BANK OF BARODA)

Plot No. 17-24, Vithalrao Nagar,

Near Image Hospital, Madhapur,

Hyderabad – 500 081

Phone No. 040 2342 0815 to 820, Fax No. 040 2342 0814

E- mail : mailmanager@karvy.com

9. Unclaimed Dividend, if any:

The Shareholders who have not encashed / received their dividend warrants for the previous years are advised to approach the Registrars & Transfer Agent at Hyderabad or at Bank's Investors' Services Department at Mumbai on the following address :

Investors' Services Department

Bank of Baroda, 1st Floor, Baroda Corporate Centre,

C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex,

Bandra (E), MUMBAI - 400 051.

E-mail - investorservices@bankofbaroda.com

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970/1980 vide "The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) And Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, (effective from 26th September, 2006), Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/unclaimed in Dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also Dividend declared after the commencement of the said Act, to "Unpaid Dividend Account". The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Accounts" and remaining unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established under sub-section (l) of Section 205 C of the Companies Act, 1956, which shall be used for the purpose and in the manner specified in Section 205 C of the Companies Act, 1956, and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF.

10. Request to Members:

Please note that copies of the Annual Report will not be distributed at the Annual General Meeting as an economy measure. Hence, members are requested to bring their copies of the Annual Report to the meeting.

सी ई ओ / सी एफ ओ प्रमाणीकरण / CEO / CFO Certification

निदेशक मण्डल

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

मुम्बई

प्रिय महोदय,

विषय : वर्ष 2008-09 के लिए सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण - समेकित

सूचीबद्धता करार के खंड 49 के अनुकरण में हम एतद् द्वारा प्रमाणित करते हैं कि

क. हमने वर्ष 2008-09 की वित्तीय विवरणी तथा नकदी प्रवाह विवरणी (समेकित) की समीक्षा की है तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :


- इन विवरणियों में कोई विषयगत अयथार्थ अभिकथन नहीं है अथवा कोई विषयगत तथ्य छिपाया नहीं गया है अथवा इनमें कोई भ्रामक अभिकथन शामिल नहीं किया गया है.
- ये अभिकथन / विवरण बैंक के कार्यकलापों का सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा ये विद्यमान लेखा मानकों, लागू नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं.

ख. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कोई संव्यवहार नहीं किए गए जो धोखाधड़ी में लिप्त हो, गैर कानूनी हो अथवा बैंक की आचार संहिता के विरुद्ध हो.


ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग से सम्बद्ध आन्तरिक नियन्त्रणों का पूर्ण दायित्व स्वीकार करते हैं. हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग की आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन / आकलन किया है तथा हमने लेखा परीक्षकों और लेखा समिति को आन्तरिक नियन्त्रणों के परिचालन एवं स्वरूप से सम्बद्ध कमियाँ यदि कोई है अथवा जो हमारे अभिज्ञान में हैं एवं हमने इन्हें दूर करने के लिए जो उपाय किए हैं या प्रस्तावित हैं, की जानकारी दे दी है.

घ. हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है.

- वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन
- वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इनका उल्लेख वित्तीय विशिष्टियों के नोट्स / टिप्पणियों में कर दिया गया है.
- हमारी जानकारी में आए धोखाधड़ी सम्बंधी विशिष्ट मामले तथा उनमें प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी की संलिप्तता जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली में अहम भूमिका हो.



एन.आर.बद्रीनारायणन
महाप्रबंधक
(कार्पोरेट खाते, कराधान एवं
अनुपालन अधिकारी - भारतीय रिज़र्व बैंक)
दिनांक : 26 मई, 2009
स्थान : मुंबई



एम.डी.मल्या
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Board of Directors,
Bank of Baroda
Mumbai

Dear Sirs,

Re: CEO/CFO certification for the year 2008-09 - Consolidated

Pursuant to clause 49 of the Listing Agreements, we here by certify that:

a. We have reviewed financial statements and the Cash Flow Statement for the year 2008-09 (Consolidated) and that to the best of our knowledge and belief:


- these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
- these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d. We have indicated to the Auditors and the Audit committee:

- significant changes in internal control over financial reporting during the year;
- significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
- instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.



N.R.Badrinarayanan
General Manager
(Corporate Accounts, Taxation
& Compliance Officer- RBI)



M.D.Mallya
Chairman and
Managing Director

Date : 26th May 2009

Place : Mumbai

फार्म बी
प्रॉक्सी - फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षर किया जाए)
तेरहवीं वार्षिक सामान्य बैठक
दिनांक: 02 जुलाई, 2009

डीपी आईडी क्र. _____

पंजीकृत फोलिओ / ग्राहक आईडी क्र. _____

मैं/हम _____ निवासी _____

_____ जिला _____

राज्य _____ बैंक ऑफ़ बड़ौदा का/के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा

श्री/श्रीमती _____

निवासी _____ जिला _____

राज्य _____ को अथवा उनकी अनुपस्थिति में श्री/श्रीमती _____

निवासी _____ जिला _____

राज्य _____ को 02 जुलाई, 2009 को प्रातः 10.30 बजे प्रो. सी.सी. मेहता ऑडिटोरियम, जनरल एजुकेशन सेंटर, एम.एस. यूनिवर्सिटी, डी.एन. हॉल ग्राउंड, प्रतापगंज, वड़ोदरा-390002 में या इसकी स्थगित तारीख को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की होने वाली तेरहवीं वार्षिक सामान्य बैठक में मेरी/हमारी ओर से बैठक में भाग लेने और वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं.

तारीख _____ माह _____ 2009 को हस्ताक्षरित

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर _____

नाम _____

पता : _____

कृपया 1 रु.
का रसीदी
टिकट यहां
लगायें

प्रथम शेयरधारक / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने एवं प्रस्तुत करने संबंधी अनुदेश

1. प्रॉक्सी की कोई लिखत तब तक वैध नहीं मानी जाएगी जब तक कि :
(क) यह वैयक्तिक शेयरधारक के मामले में, शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा विधिवत लिखित रूप में प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
(ख) संयुक्त धारकों के मामले में, यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा विधिवत लिखित रूप में प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
(ग) निकाय कार्पोरेट के मामले में, विधिवत लिखित रूप में प्राधिकृत इसके अधिकारी अथवा अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
2. प्रॉक्सी लिखत किसी शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए किंतु यदि किसी कारणवश शेयरधारक अपना नाम लिखने में असमर्थ हैं और उसके अंगूठे का निशान वहां लगा है, तो इसे न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार ऑफ़ एश्योरेन्सेस या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ़ बड़ौदा के किसी अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित होना चाहिए.
3. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगी जब तक इस पर विधिवत राजस्व टिकट न लगी हो और इसे बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् शनिवार, 27 जून, 2009 को दोपहर 2:00 बजे तक बैंक ऑफ़ बड़ौदा, केवाईसी एवं एएमएल विभाग, प्रधान कार्यालय, आठवां तल, सूरज प्लाजा -1, सयाजीगंज, वड़ोदरा 390 005 में बैंक की कार्य समाप्ति पर या इससे पूर्व जमा न कराया गया हो. इसके साथ उस मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत इसे हस्ताक्षरित किया गया हो या उस मुख्तारनामा की प्रति या प्राधिकार की प्रति जिसे नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा सत्य प्रमाणित किया गया हो, को जमा न कराया गया हो, बशर्ते कि ऐसा मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार, बैंक में पहले जमा और पंजीकृत न किया गया हो.
4. बैंक के पास जमा की गई प्रॉक्सी की लिखत अपरिवर्तनीय और अंतिम होगी.
5. विकल्प के तौर पर दो स्वीकृत व्यक्तियों के पक्ष में दी गई प्रॉक्सी लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा.
6. प्रॉक्सी की लिखत को निष्पादित करने वाला शेयरधारक संबंधित बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान का हकदार नहीं होगा.
7. किसी भी ऐसे व्यक्ति को यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा जो बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी हो.
8. प्रॉक्सी फार्म में किये गए सभी परिवर्तन निष्पादनकर्ता द्वारा यथाविधि आद्याक्षरित होने चाहिए.
9. प्रॉक्सी का कोई भी लिखत तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक वह फार्म - बी में न हो.
10. प्रॉक्सी फार्म, मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार-पत्र निम्नलिखित पते पर जमा कराये जा सकते हैं.
बैंक ऑफ़ बड़ौदा,
केवाईसी एवं एएमएल विभाग, प्रधान कार्यालय,
आठवां तल, सूरज प्लाजा -1, सयाजीगंज, वड़ोदरा 390 005

Form B
PROXY FORM
(To be filled in and signed by the Shareholder)
13th Annual General Meeting
Date: 02nd July 2009

DP.ID No. _____

Regd.Folio No./Client ID No. _____

I / We _____ resident of _____

_____ in the district of _____

in the State of _____ being a shareholder / shareholders of Bank of Baroda, Vadodara hereby appoint

Shri/Smt. _____

resident of _____ in the district of _____

in the State of _____ or failing him/her, Shri/Smt. _____

resident of _____ in the district of _____

in the state of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the 13th ANNUAL GENERAL MEETING of the Shareholders of BANK OF BARODA to be held on Thursday, 02nd July 2009, at 10.30 A.M. at Prof. C.C. Mehta General Education Auditorium, D.N.Hall Ground, M.S.University, Pratapganj, Vadodara – 390 002 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2009

Signature of Proxy _____

Name _____
(In Block Letters)

Address _____

Please Affix
Re 1/-
Revenue
Stamp

Signature of first named/sole Shareholder

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless:
 - In the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney, duly authorized in writing.
 - In the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the Register or his/her attorney, duly authorized in writing.
 - In the case of a body corporate, it is signed by its officer or an attorney duly authorized in writing.
- An instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her thumb impression is affixed thereto and attested by a judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government gazetted officer or an officer of Bank of Baroda.
- No proxy shall be valid unless it is duly stamped and is deposited at the Head Office of the Bank not less than –4- days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 2.00 p.m. on Saturday, 27th June, 2009 at Bank of Baroda, KYC & AML Department, 08th Floor, Suraj Plaza – I, Sayajiganj, Vadodara – 390 005, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as True Copy by a Notary Public or a Magistrate unless such a power of attorney or any other authority is previously deposited and registered with the Bank.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of the Bank.
- All alterations in the Proxy Form should be duly initialed by the executant.
- No instrument of proxy shall be valid unless it is in 'Form B'.
- The proxy form, power of attorney or other authority can also be deposited at the following address:
BANK OF BARODA,
KYC & AML Department,
Head Office, 8th Floor,
Suraj Plaza – I, Sayajiganj,
Vadodara - 390005



बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

उपस्थिति पर्ची

तेरहवीं वार्षिक सामान्य बैठक, गुरुवार, 02 जुलाई, 2009
(कृपया इस फार्म को रजिस्ट्रेशन काउंटर पर विधिवत भर कर लाएं ताकि समय की बचत हो सके)

दिनांक	गुरुवार, 02 जुलाई, 2009
स्थान	प्रो. सी.सी. मेहता जनरल एजुकेशन ऑडिटोरियम, डी. एन. हॉल ग्राउंड, एम.एस. यूनिवर्सिटी, प्रतापगंज, वड़ोदरा - 390 002
नाम	
शेयरों की संख्या	
डी.पी.आई.डी.	
फोलिओ / ग्राहक आई.डी. संख्या	
उपस्थित शेयरधारक/ प्रॉक्सी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	

प्रवेश पत्र

(बैठक के दौरान अपने पास रखें)

फोलिओ क्रमांक/डी.पी.आई.डी.	
ग्राहक आई.डी.	
नाम	
शेयरों की संख्या	

शेयरधारकों/प्रॉक्सी अथवा शेयरधारकों के प्रतिनिधि से अनुरोध है कि वे बैठक में प्रवेश प्राप्त करने के लिए बैंक में पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर जैसी यथाविधि हस्ताक्षरित उक्त उपस्थिति पर्ची और प्रवेशपत्र एक साथ प्रस्तुत करें. तथापि, प्रवेश, सत्यापन / जांच, जैसा आवश्यक समझा जाएगा, के अधीन होगा. किसी भी परिस्थिति में, बैठक के प्रवेशद्वार पर कोई डुप्लिकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी.

ATTENDANCE SLIP

13th Annual General Meeting , Thursday, 02nd July 2009
(Kindly bring it duly filled - in to avoid loss of time at Registration counter)

Date	Thursday, 02 nd July 2009
Place	Prof. C.C. Mehta General Education Auditorium, D.N.Hall Ground, M.S.University, Pratapganj, Vadodara – 390 002
Name (In Bock Letters)	
No of Shares	
DP ID	
Folio No / Client ID No	
Signature of the Shareholder / Proxy / Representative present	

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

DP ID No	
Folio /Client ID No	
Name (In Bock Letters)	
No. of Shares	

Shareholders / proxy or representative of shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, along with the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification / checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate attendance slip will be issued at the entrance to the meeting.

निवेशक सेवाएं विभाग
इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (जमा समाशोधन)
इक्विटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान के लिए ईसीएस अधिदेश

1. प्रथम शेयरधारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :
2. पता :
3. शेयरधारक की फोलियो संख्या / ग्राहक आईडी संख्या डी.पी.आईडी संख्या :
4. बैंक खाते का विवरण :
 - क. बैंक का नाम :
 - ख. शाखा का नाम एवं शहर का पिन कोड :
 - ग. खाता संख्या (जैसा कि चेक बुक में दिया गया है) :
 - घ. खाते का प्रकार (कृपया टिक करें) : बचत बैंक चालू नकद उधार
(बचत बैंक खाता/चालू खाता या नकद-ऋण)
 - ङ. बैंक खाते की लेजर फोलियो संख्या :
(यदि चेक बुक पर अंकित किया जा गया हो)
 - च. बैंक द्वारा जारी माइक्रो चेक में दिया गया बैंक और शाखा की 9 अंकीय कोड सं. :
5. कृपया कोड संख्या की सत्यता की जांच के लिए अपने उपर्युक्त खाते से संबंधित, आपके बैंक द्वारा जारी चेक के पन्ने की फोटो कापी या कोरा रह किया गया चेक संलग्न करें

घोषणा

मैं एतद्वारा यह घोषित करता/ती हूँ कि उपर्युक्त विवरण सही व पूर्ण हैं. यदि अधूरी जानकारी के कारणों से लेनदेन में देरी होती है या यह प्रभावी नहीं होता है तो मैं बैंक ऑफ़ बड़ौदा को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/गी.

स्थान : प्रथम धारक के हस्ताक्षर

दिनांक :

यह पुष्टि की जाती है कि उपर्युक्त विवरण हमारे रिकार्ड के अनुसार सही है.

स्थान :

दिनांक :

संबंधित बैंक के प्रबंधक के हस्ताक्षर

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

बैंक खाता विवरण

फोलियो संख्या
डी.पी.आईडी संख्या
ग्राहक आईडी संख्या
धारित शेयरों की संख्या

मैं/हम.....

इसके द्वारा बैंक ऑफ़ बड़ौदा को अपने/हमारे लाभांश-पत्र पर निम्नलिखित विवरण मुद्रित करने के लिए अधिकृत करता/ती हूँ/करते हैं।

- बैंक का नाम : शाखा का नाम :
- खाते का प्रकार (कृपया टिक करें) : बचत बैंक चालू नकद ऋण
- खाता संख्या :

सदस्य के हस्ताक्षर.....

टिप्पणी : कृपया इस फार्म को भरकर एवं हस्ताक्षर करके रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट (आरटीए), मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि., प्लॉअ 17-24, विठलराव नगर, माधापुर, हैदराबाद - 500 081 या बैंक ऑफ़ बड़ौदा, निवेशक सेवाएं विभाग, प्रथम तल, बड़ौदा कार्पोरेट सेन्टर, सी-26, जी-ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 के पते पर भेजें.

BANK OF BARODA

Electronic Clearing Service (Credit Clearing)
ECS Mandate for Payment of Dividend on Equity Shares

1. First Shareholder's Name (in Block Letters) :
2. Address :
3. Shareholder's Folio number/ Client ID number :
D. P. ID number :
4. Particulars of Bank Account :
A. Bank Name :
B. Branch Name & City Pin Code :
C. Account No. :
(as appearing on the cheque book) :
D. Account Type (please Tick) :
(SB Account / Current A/c. or Cash Credit A/c) : SB Current Cash Credit
SB Current Cash Credit
E. Ledger Folio number of Bank Account :
(if appearing on the cheque book) :
F. 9 Digit Code No. of the Bank & :
Branch appearing on the MICR :
Cheque issued by the Bank
5. Please attach a photocopy of a cheque leaf or a blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above account for verifying the accuracy of the code numbers.

DECLARATION

I, hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete information, I would not hold Bank of Baroda responsible.

Place: _____
Date: _____ Signature of the First Holder
Certified that the particulars furnished above are correct as per our records.

Place: _____
Date: _____ Signature of the Manager of the Bank concerned

BANK OF BARODA
BANK ACCOUNT PARTICULARS

D.P.ID No
Client ID No./ Folio No
Number of shares held

I / We

do hereby authorize Bank of Baroda to print the following details on my/ our Dividend Warrant.

- Bank Name : Branch Name:
- Account type (please tick) : SB Current Cash Credit
- Account Number :

Signature of the Member

Note: Please complete the form, sign and mail at the address of Registrar and Transfer Agent (RTA), i.e. M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd, Plot No. 17-24, Vittalrao Nagar, Madhapur, Hyderabad - 500 081 OR at Bank of Baroda, Investors' Services Deptt. 1st Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

यादगार क्षण Memorable Moments



सुल्तानपुर में आयोजित महिला सशक्तिकरण प्रियदर्शिनी परियोजना का शुभारंभ करती हुई यू.पी.ए. एवं कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी. मंच पर दिखाई दे रहे हैं रायबरेली के सांसद श्री राहुल गांधी, कार्यकारी निदेशक, श्री आर के बक्षी एवं अन्य.



Bank's Gungzhou Branch in China was inaugurated by Shri Pawan Kumar Bansal, Hon'ble Minister of State for Finance, Govt. of India in the presence of CMD Shri M.D. Mallya.



Bank's 101st Foundation Day was organized at NCPA, Mumbai. The Chief Guest H.E. Shri S.C. Jamir, Governor of Maharashtra inaugurated the function and awarded "The Baroda Sun Lifetime Achievement Awards" to five eminent personalities. One of the awardees is seen receiving the award. Bank's CMD and EDs look on.



On the occasion of 101st Foundation Day, a human chain was formed at Marine Drive, Mumbai wherein CMD, EDs, Directors, Top Executives and thousands of staff members took part with full enthusiasm.



www.bankofbaroda.com